राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क 1] सप्तम् विधान सभा के प्रथम सत्र का 28 वां दिवस [संख्या 12

बृहस्पतिवार

दिनांक 31 जुलाई, 1980

विधान सभा की बैठक म. पू. 11 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्री राधेश्याम

श्री गंगानगर शहर में असामाजिक तत्वों द्वारा लड़कियों व दुकानदारों के साथ दुर्व्यवहार

217. श्री राधेश्याम (गंगानगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 3 जुलाई, 1980 को गंगानगर शहर में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा संभ्रान्त लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया एवं शहर के दुकानदार नीलम टेलर्स के मालिक द्वारा उक्त असामाजिक तत्वों को रोकने के फलस्वरूप उक्त दुकानदार एवं उसके लड़के की रिवाल्वर एवं बन्दूकों से लैस कुछ व्यक्तियों ने खुले बाजार में निर्मम पिटाई की ? यदि हां, तो जिला प्रशासन की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त घटना के फलस्वरूप गंगानगर शहर में भय एवं आतंक का वातावरण बन गया था एवं जनता ने व्यापारिक प्रतिष्ठान बन्द करके जिलाधीश को असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही का ज्ञापन दिया था ? यदि हां, तो उक्त ज्ञापन पर जिला प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? विस्तृत सूचना सदन के पटल पर रखें।

उप मंत्री गृह (श्री रामपाल उपाध्याय): (1) श्री राकेशकुमार नीलम टेलर्स एवं श्री महावीर प्रसाद जालड़ द्वारा दिनांक 2 जुलाई, 1980 को किन्हीं दो लड़कियों के साथ छेड़खानी के तथाकथित आरोप-प्रत्यारोप को लेकर हुई हाथापाई के सम्बन्ध में परस्पर विरोधी रिपोर्ट थाना कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। तथा दिनांक 3 जुलाई को रमेश कुमार द्वारा श्री महावीर प्रसाद व उसके समर्थक 8-10 छात्रों द्वारा हथियारों से लैस होकर बाजार में हमला कर मारपीट करने के सम्बन्ध में पुनः रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जिस पर थाना गंगानगर में अभियोग पंजीबद्ध होकर अनुसंधान जारी है। जिला प्रशासन ने इन घटनाओं के संबंध में पृथक् से कोई जांच नहीं की है। अतः प्रति रखने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

(2)

(श्री रामपाल उपाध्याय)

(2) व्यापारियों ने उस रोज कुछ समय के लिये अपनी दुकानें बन्द कर रखी थीं। जिलाधीश को कोई ज्ञापन नहीं दिया अतः उस पर कोई कार्यवाही का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री राधेश्याम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां यह वाकया हुआ था उसके हाउंली कोई हजार गज की दूरी पर ही पुलिस की कोतवाली है। अध्यक्ष महोदय, वहां पर दिन के 10 और 11 बजे के बीच में लड़कियों के साथ छेड़खानी की गयी। सामने ही नीलम टेलर्स की दुकान है। उसके मालिक ने इस तरह के अभद्र व्यवहार को रोकने की कोशिश की तो उन लड़कियों को छेड़ने वालों ने उसकी बुरी तरह से पिटाई की। अध्यक्ष महोदय, न केवल उस दुकानदार की पर उसके साथ-साथ उसके बेटे की भी निर्मम पिटाई की। इस प्रकार की घटना को देख कर, अध्यक्ष महोदय, वहां के लोगों ने बाजार बन्द कर दिया। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने पर भी कोई कार्यवाही वहां के पुलिस अधिकारियों ने उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ में नहीं की। अध्यक्ष महोदय, बहुत ही खेद की बात है कि इस तरह शाम के साढ़े पांच व 6 बजे के बीच में भरे बाजार में लड़कियों को छेड़ा जाय, उसकी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने पर भी अभियुक्तों के खिलाफ में कोई कार्यवाही नहीं हो। अध्यक्ष महोदय, आज उस घटना को घटित हुए 28 दिन हो चुके हैं पर किसी भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, अब ऐसा सुनने में आया है कि उन अभियुक्तों ने, हाई कोर्ट से एन्टीसिपेटरी बेल भी करवा ली है। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद दूसरे दिन और कुछ लोग रिवाल्वर और बन्दूकें लेकर जीप में बैठ कर वहां आये और उन्हें पीटा। अभी पांच दिन पहले की घटना है कि कुछ लोग वहां आये और उस दुकानदार को डराया-धमकाया और यह कहा कि हम तुमको उठा कर ले जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि इस सबके लिये वहां के जो पुलिस अधिकारी हैं वह दोषी हैं क्योंकि उन्होंने घटना होने के इतने दिन तक किसी भी अभियुक्त को नहीं पकड़ा। इसलिये गृह मन्त्री जी से यह निवेदन है कि दोषी पुलिस अधिकारियों को तुरन्त निलम्बित किया जावे और जिन लोगों ने लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया है व नीलम टेलर्स के दुकानदार को पीटा है उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाये।

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। मन्त्री महोदय जवाब दे रहे हैं।

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री राधेश्याम जी ने जो चिन्ता व्यक्त की है उसको सरकार गम्भीरता से लेती है। मैं उन्हें यह सूचित करना चाहता हूं कि जिस समय यह घटना हुई उसके बाद में कोतवाली से पुलिस वाले गये। कुछ लोगों को पकड़ा, उनके खिलाफ में धारा 143, 148, 149, 160 व 123 ताजीराते हिन्द के तहत मुकदमा दर्ज किया और अनुसंधान की कार्यवाही शुरू कर दी। इसके बाद में वहां पर चर्चा है कि रेस्टोरेन्ट पर 8-10 लड़के बैठे हुए थे वह वहां पर आये और उन लोगों में आपस में हाथापाई की

(श्री रामपाल उपाध्याय)
स्थिति पैदा हो गई। जब उनके बारे में पता लगाया गया तो मालूम हुआ कि वह स्थानीय कालेज के लड़के थे। उनके खिलाफ में जब तफतीश हो रही थी तब वह लड़के वहां से भाग गये और पुलिस उनको नहीं पकड़ सकी। पुलिस ने सम्बन्धित मजिस्ट्रेट के पास वारन्ट गिरफ्तारी के लिये भेजा तो सम्बन्धित मजिस्ट्रेट ने वारन्ट गिरफ्तारी के निकाल दिये। इस बीच में 19-7-80 को दोनों अभियुक्तों को हाई कोर्ट से जमानत हो गई। माननीय सदस्य को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी भी पुलिस अधिकारी की अगर लापरवाही इसमें हुई है तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही होगी।

श्री राधेश्याम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब घटना घटी तो बाजार में भय और आतंक का वातावरण फैल गया, व्यापारियों ने बाजार बन्द कर दिया और लोगों ने इस घटना के सम्बन्ध में एस. पी. साहब को ज्ञापन दिया। उसके बाद में कलेक्टर साहब को भी इस घटना के बारे में ज्ञापन दिया। आप जो जवाब दे रहे हैं इसमें एस. पी. साहब और कलेक्टर साहब को जो ज्ञापन दिया गया उसका कहीं भी जिक्र नहीं है। पता नहीं आपके पास यह रिपोर्ट किस तरह की आ गई है। मैं समझता हूं आपको गलत रिपोर्ट दी गई है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से दिन के समय लड़कियों के साथ छेड़खानी करें और बीच में कोई छुड़ाने की कोशिश करे तो उसको पीटें, और पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करे अगर इस तरह की हालत रही जिस तरह पिछली सरकार ऐसी कार्यवाहियों को नहीं रोक सकी तो फिर वहां की हालत क्या होगी। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा कि असामाजिक तत्वों को कन्ट्रोल करने की आवश्यकता है। मुकदमा दर्ज होने के बाद में अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हो सके और उन्होंने इस बीच एन्टीसिपेटरी बेल करवा ली हाई कोर्ट से, पुलिस ने उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ में कोई कार्यवाही नहीं की जिन्होंने भरे बाजार में लड़कियों को अश्लील शब्द बोले और उनका पल्ला पकड़ा. यह कितनी शर्मनाक बात है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में कहें।

श्री राधेश्याम : इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस घटना को गम्भीरता से लें। जिन पुलिस अधिकारियों ने उन अभियुक्तों को नहीं पकड़ा उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करावें। क्या मन्त्री महोदय उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने को तैयार हैं या नहीं? सरकार की इस सम्बन्ध में क्या राय है, वह स्पष्ट करने की कृपा करें।

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि सरकार इस मामले को गम्भीरता से लेती है। सरकार निश्चित रूप से अगर किसी अधिकारी का इसमें दोष पाया गया तो उसके खिलाफ में सख्त कार्यवाही करेगी। दोषी अधिकारी के साथ में किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जायेगी। अगर पुलिस अधिकारी की कर्त्तव्यपरायणता को पूरी करने में किसी प्रकार की कमी रही होगी तो

(श्री रामपाल उपाध्याय)
उसके खिलाफ में जरूर कार्यवाही होगी। मैं माननीय सदस्य को पुनः विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार इस तरह के घिनौने कार्यों को कभी भी बरदाश्त नहीं करेगी और दोषी लोगों के खिलाफ में कदम उठायेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल !

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि यह जो घटना हुई इसकी एफ. आई. आर. कब लोज हुई ? दूसरी बात यह है कि उस एफ. आई. आर. में अभियुक्तों के नाम थे या नहीं? तीसरे, क्या उन अभियुक्तों की जमानत हो गई ? और अगर जमानत हो गई तो किन किन अभियुक्तों की हुई ? चौथे, एफ. आई. आर. लोज होने के बाद में और एन्टीसिपेटरी बेल होने के बीच में पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने के लिये कितने दिन का समय मिला ?

श्री अध्यक्ष : ज्यादा प्रश्न एक साथ मत पूछो। मन्त्री जी भूल जायेंगे।

श्री रामपाल उपाध्याय: अध्यक्ष महोदय, यह घटना 2-7-80 की है और 2-7-80 को एफ. आई. आर. लोज हुई थी। राकेशकुमार और रमेशकुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि बाजार में दो लड़कियां जा रही थीं तो महावीर प्रसाद और मेघराज ने रानी नाम की लड़की के लिये कुछ अश्लील शब्दों का प्रयोग किया और उसे छेड़ा। उस वक्त राकेशकुमार उसको बचाने के लिये गया तो उसको और रमेशकुमार को पीटा जिसके बारे में मैंने पहले ही निवेदन कर दिया था। दूसरा माननीय सदस्य से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एफ. आई. आर. तो 2-7-80 को थाने में लोज हुई थी और उसकी कार्यवाही चल रही थी कि इसी बीच में दोनों अभियुक्तों की जमानत हो गई। वह 19-7-80 को हुई है तो निश्चित तौर पर इस बीच में 2-7-80 से 19-7-80 तक 17 दिन का समय है। यह मैंने स्पष्टीकरण दे दिया है।

श्री गोविन्दसिंह (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही रिलेवेन्ट प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। व्यर्थ में समय न लें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री गोविन्दसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत ही रिलेवेन्ट प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न, ऑर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : आप इसे साधारण घटना कहते हैं ...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। अगला प्रश्न, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

अगला प्रश्न, अब मैं और अलाउ नहीं करूंगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यहां पर हम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहां पर नहीं कहेंगे तो जनजीवन असुरक्षित हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी···

(व्यवधान)

इस बात का प्रयास करें···

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हमारी लड़कियां निकलें, बहुएं निकलें······

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह बहुत ही निन्दनीय है···

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इस प्रकार की घटना आगे नहीं हो इसके ऊपर विचार करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम !

श्रीमती उजला अरोड़ा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आदेश मानती हूं लेकिन मैं पूछना चाहूंगी कि आपने इसको साधारण घटना कैसे कहा ? यदि हमारी और किसी के परिवार की लड़कियां निकलती हैं उनको छेड़ा जाय और इसको साधारण घटना कह कर टाल दिया जाय···

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम !

श्री गोविन्दसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत ही रिलेवेन्ट प्रश्न है। एन्टीसिपेटरी बेल को कैंसिल करने के लिए सरकार एप्लीकेशन मूव कर सकती है······

श्री अध्यक्ष : एक्सप्लेनेशन जितना होना चाहिये था वह कर दिया। No, No.

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, एफ. आई. आर. 2 जुलाई को दर्ज हो गयी और 3 जुलाई को घटना घटी यह कैसे।

श्री अध्यक्ष : 2 को ही घटना घटी और 2 का ही प्रश्न है।

श्री भंवरलाल शर्मा : घटना 3 को घटी और आपने कहा कि 2 को ही एफ. आई. आर. दर्ज हो गयी ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : 1 को ही घट गयी होगी।

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत स्पष्ट कह चुका हूं······

श्री गोविन्दसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा, जैसा कि सदस्य ने बताया कि घटना घटने के बाद अग्रिम जमानत हुई है। उसके बाद कारगुजारी मुलजिमों ने की है। ऐसा है कि बेल को कैंसिल करने के लिए सरकार एप्लीकेशन मूव कर सकती है। मैं कहना चाहूंगा कि जो बेल हुई है एन्टीसिपेटरी बेल को कैंसिल करने के लिए हाई कोर्ट में एप्लीकेशन मूव कर दें।

श्री अध्यक्ष : इन दो प्रश्नों का उत्तर दे दें उसके बाद कोई प्रश्न नहीं होगा।

श्री गोविन्दसिंह : केस कैंसिल करवाने के लिए क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले बहुत स्पष्ट निवेदन कर चुका हूं कि सरकार इस घटना को बहुत ही गम्भीर और असाधारण रूप से लेती है।

दूसरी बात, दो गुटों के बीच में झगड़ा हुआ। मैंने बहुत स्पष्ट निवेदन किया कि एक 2-7-80 का था और दूसरा 3-7-80 का था इसलिए कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए।

जहां तक नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य के सुझाव का प्रश्न है सरकार गम्भीरता से विचार करके बाद में क्रियान्वित करने का प्रयास करेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम !

दूरबीन द्वारा महिला नसबन्दी

218. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) दूरबीन द्वारा महिला नसबन्दी सरकार के विशेषज्ञों के द्वारा की जाती है या प्राइवेट विशेषज्ञों द्वारा ? यदि किसी प्राइवेट विशेषज्ञ द्वारा की जाती है तो किस कारण ?

(2) क्या सरकार अपने चिकित्सकों को इस हेतु प्रशिक्षण दिलाये जाने का विचार रखती है ?

चिकित्सा मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (1) अब तक लेप्रोस्कोपिक पद्धति से नसबंदियां गुजरात तथा महाराष्ट्र सरकारों के द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी तथा गैर सरकारी विशेषज्ञों द्वारा की जाती थीं। राज्य सरकार के पास विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं थे।

(2) जी हां, राज्य सरकार ने अपने विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की है। सितम्बर के अन्त तक आठ लेप्रोस्कोपी टीमें तैयार हो जायेंगी।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाबचन्द कटारिया। अगला प्रश्न।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जब आपने यहां डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दे दी गयी है तो गुजरात और महाराष्ट्र के डॉक्टर्स को डेपुटेशन पर बुलाते हैं और उनको फीस देनी पड़ती है उनके स्थान पर अपने ट्रेण्ड डॉक्टर्स को कब तक नियुक्त कर दिया जायेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो डॉक्टर्स बाहर से आये हैं वह कैम्प लगाते हैं। साथ ही साथ यहां के डॉक्टरों को ट्रेनिंग भी देते हैं। सितम्बर के एण्ड तक टीमें तैयार हो जायेंगी और इन्डिपेन्डेन्ट काम करने लग जायेंगी।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाबचन्द कटारिया।

बांसवाड़ा जिले में चीनी पर्चे गिराया जाना

219. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राज्य सरकार को इस बात की जानकारी है कि 14-15 जून, 1980 एवं

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)
इसके पूर्व बांसवाड़ा जिले में कुछ स्थानों पर चीनी पर्चे मय वहां के नेताओं के फोटो गिराये गये ? यदि हां, तो उन पर्चों में क्या लिखा हुआ है ?

राज्य मन्त्री, गृह (श्री रामपाल उपाध्याय) : जी नहीं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, या तो सरकार के सोर्सेज कमजोर हैं या मेरे सोर्सेज ज्यादा ठीक हैं। पर्चे दो बार गिराये गये और एक ही स्पॉट पर गिराये गये हैं। यह जिलाधीश को भी पेश किया गया है स्थानीय राजनैतिक लोगों के द्वारा। वह पर्चे मैंने तो छपवाये नहीं हैं। चीनी भाषा का जो पैम्फलेट है वह अगर नहीं मिला तो मैं इसको सदन की मेज पर रख देता हूं।

इसके साथ ही आपसे दो प्रश्न और पूछना चाहता हूं। घंटाली में एक आश्रम है जहां पिछले कुछ समय से एक महिला ने आश्रम बनाया है। मेरी जानकारी के अनुसार कलेक्टर ने कुछ जमीन अलॉट की है। वह महिला कहां से आई, कैसे आई, वहां पर क्यों रह रही है ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि चीन से उसके सम्बन्ध हैं ? किसी पार्टी विशेष की वहां पर हरकत प्रारम्भ करने की तो कोई मंशा नहीं है ? इसकी भी आप इसके साथ जांच करा लें। कोई विशेष तर्क और वितर्क का प्रश्न नहीं है। कहीं हमारे देश की सुरक्षा की दृष्टि से घातक है तो आप उस पर एक्शन लें। मैं सदन की टेबल पर यह रखता हूं।

श्री रामपाल उपाध्याय : मैं, अध्यक्ष महोदय, स्पष्टीकरण दे रहा हूं। माननीय सदस्यों को इससे सन्तोष होगा।

आपने प्रश्न पूछा है कि कोई चीनी पर्चे वहां मिले हैं तो मैंने निवेदन किया है 'जी नहीं'। यह इसलिए निवेदन किया कि वह पर्चे चीनी भाषा में नहीं थे बल्कि तेवानी भाषा में थे। मैं सूचना दे रहा हूं, माननीय सदस्य जो पर्चे यहां दिखा रहे हैं इससे भी ज्यादा पर्चे मिले हैं। पर्चों का विवरण देना सदन के हित में मैं समझता हूं इसलिए दे रहा हूं। दिनांक 14-15 जून, 1980 को बांसवाड़ा जिले में ऐसे कोई चीनी पर्चे नहीं मिले जिनमें चीनी नेताओं के फोटो हों। तथापि दिनांक 17 जून, 1979 को ऐसे कुछ पर्चे बांसवाड़ा जिले में अवश्य बरामद हुए थे जिनमें तेवानी सेना के टैंकों बख्तरबन्द गाड़ियों, एवं सैनिक टुकड़ियों के फोटो हैं। इन पर्चों का विवरण इस प्रकार है :—

पर्चा नं. 1—शीर्षक कम्युनिस्टों पर विजय प्राप्त करने के लिए तैयारी एवं ताकतें

इसमें फार्मोसा की तेवानी सेना के टैंकों, कारों एवं बख्तरबन्द गाड़ियों के फोटोग्राफ हैं।

पर्चा न. 2 शीर्षक—चीनी गणतन्त्र की एक नौ सेना।

इसमें तेवानी नौ सेना के जहाजों एवं के. एम. टी. सेवा के झण्डे हैं।

पर्चा नं. 3 शीर्षक - तेवानी गणतन्त्र की वायु सेना को साम्यवादी गुण्डा हुकूमत से लड़ना है और नष्ट करना है। इसमें तेवानी वायु सेना के लड़ाकू हवाई जहाजों के फोटो हैं और तेवानी राष्ट्रीय झण्डे का फोटो है।

(8)

(श्री रामपाल उपाध्याय)

पर्चा नं. 4-इस एक पर्चे में दो फोटो है एक का शीर्षक है-साम्यवाद के मातहत समाज व दूसरे का शीर्षक है- जनता के तीन सिद्धान्तों के मातहत सिद्धान्त।

इस पर्चे में स्वतंत्र तेवान देश द्वारा जो प्रगति हासिल की गई है उसको बताया गया है।

पर्चा नं. 5-शीर्षक- जनता के तीन सिद्धांतों के मातहत एक समाज। इसमें कामों हुआन एक सा पाने की भील, एवं यांग मिंग शान तेवान में एक पब्लिक पार्क का फोटो है।

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त है।

श्री रामपाल उपाध्याय : जहां तक माननीय सदस्य ने किसी महिला द्वारा आश्रम चलाने वाली बात कही है मैं इसके बारे में जानकारी करके आगे कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न

श्री केसरीचंद चौधरी (किशनगढ़) : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ताईवान के समर्थक कौनसी पार्टी के हैं जिसके सानिध्य से यह पर्चे बंट सकते हैं ?

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या यह ताईवान चांग काइ शेक का चीन नहीं कहलाता ?

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, इसमें एक प्रश्न यह निकलता है। क्या हमारे देश में कोई भी विदेशी हुकूमत चाहे ताईवान की हो, चाहे चीन की हो इस तरह से पर्चे डाल सकती है ? उनको पर्चे डालने का मौका मिल सकता है ? हमारी सुरक्षा मशीनरी क्या कर रही है ? सुरक्षा के यन्त्र हैं वे बिल्कुल सुषुप्त हैं या निद्रा अवस्था में है जिससे आज तक मालूम नहीं पड़ सका कि पर्चे किस ने डाले ? पर्चे किसी के भी हों, सवाल यह है कि हमारी सुरक्षा मशीनरी क्या कर रही है ?

श्री रामपाल उपाध्याय : सारे मसले की सूचना भारत सरकार को दी है। सरकार इसके सम्बन्ध में काफी जागरूक है। मैं समझता हूं इससे ज्यादा जानकारी देना उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री राजबहादुर : भारत सरकार की मशीनरी नहीं आयेगी। सारा उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

राजमहल पेयजल योजना

220 **श्री केसरीचंद चौधरी** (किशनगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अजमेर नगर, ब्यावर, किशनगढ़, नसीराबाद की शहरी आबादी को पेयजल प्रदाय के लिये राजमहल नाम की कोई योजना बनाई गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि राजमहल पेयजल योजना स्वीकृति हेतु भारत सरकार के जल आयोग को भेजी गयी थी ? यदि हां, तो इस योजना की क्या स्थिति है ?

(श्री केसरीचन्द चौधरी)

(3) क्या यह सही है कि सन् 1971 में इस योजना को क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार ने एक डिविजन स्थापित करने की स्वीकृति दी थी ? यदि हां, तो किन कारणों से डिविजन स्थापित नहीं हो पाया ?

(4) क्या राज्य सरकार ने अजमेर नगर, नसीराबाद, ब्यावर, किशनगढ़ की पेयजल की गम्भीर समस्या के समाधान हेतु सन् 1977, 1978, 1979 में कोई योजना बनाई थी ? यदि हां, तो योजना की क्या रूपरेखा है ?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी उप मंत्री (श्री रामपाल उपाध्याय) : (1) जी हां, अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़ एवं नसीराबाद नगरों को बनास नदी पर देवपुरा ग्राम के निकट बांध बना कर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु एक वृहत योजना तैयार की गयी थी।

(2) जी हां, इस योजना के अन्तर्गत बांध बनाने के कार्य हेतु भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रारम्भिक जांच करने के पश्चात् विस्तृत डिजाइन व नक्शे इत्यादि केन्द्रीय जल आयोग द्वारा तैयार किये जा रहे हैं।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां, राज्य सरकार ने अजमेर, एम.ई.एस. नसीराबाद, सरवाड़, केकड़ी इत्यादि नगरों के लिए 17-3-78 को 4.92 करोड़ रुपयों की योजना स्वीकृत की है। इस योजना में ग्राम देवली के पास बनास नदी में इनफिल्ट्रेशन गेलरी बनाने तथा नेमड़ियों से अजमेर तक एक और पाइप लाइन लगा कर जल उपलब्धता बढ़ाने के प्रस्ताव हैं। ब्यावर नगर हेतु 30-4-80 को 1.95 करोड़ रुपये की एक योजना स्वीकृत की गयी है जिसमें निम्बाज से 8 लाख व सेंदड़ा से 5 लाख गैलन पानी प्रति दिन 12 इंच की पाइप लाइन द्वारा सप्लाई करने का प्रस्ताव है। किशनगढ़ नगर हेतु पिंगलोद से एक योजना विचाराधीन है।

श्री केसरीचंद चौधरी : सन् 60 में जियोलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया ने सर्वे की थी और प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी थी ?

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की रिपोर्ट सबमिट की होगी लेकिन जैसा मैंने पूर्व में बताया यह योजना सिचाई विभाग और जल प्रदाय विभाग द्वारा सम्मिलित रूप से बनाई जा रही थी लेकिन बाद में सिचाई विभाग ने इस पर थोड़ा मतभेद प्रकट किया। इतनी महंगी योजना बन रही थी इसलिये मैं समझता हूं उस समय इस पर विचार नहीं किया गया। जैसा कि मैंने अपने उत्तर में निवेदन किया है, माननीय सदस्यों को यह भी निवेदन करूं कि अभी भी जितना विवरण दिया है उसके अलावा सरकार के पास कई योजनायें विचाराधीन हैं, सर्वे तैयार हो रहे हैं। सरकार चिन्तित है कि अजमेर, किशनगढ़, केकड़ी, सरवाड़, ब्यावर जितने भी कस्बे हैं उनको पर्याप्त मात्रा में पानी देने की सुव्यवस्था हो।

श्री केसरीचंद चौधरी : 2 दिसम्बर, 71 को चीफ इन्जीनियर सिचाई, जी. एस शास्त्री ने आई. डी. भार्गव को एक पत्र लिखा था।

"regarding sharing the cost between Irrigation and Water

(श्री केसरीचन्द चौधरी)

Supply Department. The figures have already been intimated to you vide this office letter No. T. 976 /W/3, dated 19th September, 1970."

मेरा निवेदन यह था कि स्कीम बिल्कुल कम्पलीट हो चुकी थी। अजमेर जिले को पानी देने के लिये स्कीम पूरी तैयार हो चुकी थी। वाटर कमीशन को लिखा गया। सैंक्शन हो गई। इधर उधर से टाला जा रहा है उसी स्कीम में पेज 183 पर लिखा गया। उसके बाद 20 मार्च, 74 को......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, संक्षेप में।

श्री केसरीचंद चौधरी : यह रेफरेन्स इसलिये दे रहा हूं क्योंकि माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि स्कीम कम्पलीट नहीं है।

1976 में फिर मीटिंग हुई...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री केसरीचंद चौधरी : मेरा निवेदन यह है कि 27 मार्च, 80 को दुबारा लिखा गया है कि स्कीम तैयार है। यह डाई-वर्शन बार बार होता है। इसका नतीजा है अजमेर को पानी नहीं मिला, मालूम नहीं कब मिलेगा।

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इस योजना की कार्यान्विति के लिये सिंचाई विभाग और पी. एच. ई. डी. काफी चिंतित रहे। इस योजना को शीघ्रता से लागू कर सकते थे लेकिन पंचवर्षीय योजना में हमारे सीमित प्रावधानों को देखते हुए इस योजना को दो चरणों में विभाजित कर दिया। सिंचाई विभाग को पानी नहीं मिल पाता था उन्होंने असहमति प्रकट की। फिर पी. एच. ई. डी ने दो चरणों में लेने की चेष्टा की। पहले बनास नदी में इनफिल्ट्रेशन गैलरी का निर्माण और उसके बाद अजमेर नसीराबाद को पानी देने का प्रावधान किया गया है। 76-77 में 4.92 करोड़ रुपया इसके लिये सैंक्शन किया गया। उसके लिये 3.22 करोड़ रु. तय हो चुका था। पाइप लाइन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। सरकार का विश्वास है, माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में इस योजना से जैसी कि माननीय सदस्य की भावना और अपेक्षा है उसके अनुसार ही पानी मिलेगा।

इसी प्रकार बनास नदी पर बांध निर्माण के लिये अभी अभी प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। हमारा जो पी एच ई.डी. है उसमें इस प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है कि 2300 एम. सी. फीट पानी रख कर पेय जल की समस्या का निदान किया जाये। मैं समझता हूं यह जानकारी पर्याप्त है।

अध्यक्ष महोदय, ब्यावर, किशनगढ़ और अजमेर के अलावा इस योजना के अन्तर्गत पेयजल की योजना है। इन शहरों के अलावा जैसी मेरी जानकारी है राजमहल

(श्री रामपाल उपाध्याय)
योजना से जयपुर को पानी देने की योजना है और भी कई शहरों को पानी दिया जाने वाला था।

श्री केसरीचन्द चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं यह योजना कब तक पूरी हो जायेगी? किन किन शहरों में पानी दिया जायगा?

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अलग से प्रश्न है।

श्री केसरीचन्द चौधरी : मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं नसीराबाद में एक छावनी है। मंत्री महोदय को सुन कर ताज्जुब होगा वहां केवल एक टाइम प्रातःकाल नागरिकों को पानी दिया जाता है उसके बाद 24 घंटे तक पानी की कोई योजना ही नहीं है। 27 मई को चुनाव था, उस दिन भी पानी नहीं दिया गया। पानी न देने के कारण लोगों को मत देने के अधिकार से वंचित होना पड़ा। जैसा अभी माननीय मंत्री महोदय ने बताया तो निश्चित रूप से यह बताने की कृपा करें कि केन्द्रीय सरकार से यह योजना कब तक स्वीकार करा ली जायगी?

श्री भगवानदास शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, बनास योजना के बारे में जैसा माननीय मंत्री महोदय ने बताया, वह बात समझ में नहीं आती है कि 4 करोड़ 92 लाख की बनास योजना के बारे में यह नहीं कह सकते कि अजमेर को पानी नहीं मिल सकेगा। मैं कहता हूं अजमेर तो क्या जयपुर को उस योजना से पानी दे सकते हैं।

श्री महावीरप्रसाद : क्या यह सही है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को सन् 1959 में पाइप उधार दिया था? वही पाइप लाइन अब उनसे वापस ले लें।

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत विनम्र शब्दों में अपनी बात स्पष्ट की है। अब मैं उसे दोहराना भी उचित नहीं समझूंगा।

नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूं जैसा आपने नसीराबाद की पेयजल की समस्या के बारे में बताया है, मैं समझता हूं यह एक गंभीर बात है इसीलिए जो हमारी योजना है 4.92 करोड़ की जिसमें 3.92 करोड़ रु. तो खर्च हो चुके हैं और पाइप लाइन का 75 पर्सेंट काम हो चुका है। विभाग इसके लिये चिन्तित है और सक्रियता से काम कर रहा है। मेरा विश्वास है शीघ्र ही पूरा करके नसीराबाद और अजमेर को पानी दिया जायगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर से आने वाले महानुभाव को निवेदन करना चाहता हूं यह जो हमारे पास व्यवस्था है, इसके अलावा भी विभाग से ताकीद की गई है। यह तो है ही अगर सिंचाई विभाग योजना में सम्मिलित नहीं होना चाहे तो न रहे किन्तु लक्ष्य की पूर्ति अवश्य होगी। हमारा प्रयत्न यह रहेगा कि योजना बनाकर उसी योजना से अधिकाधिक लोगों को पानी देने में योगदान दें।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, अभी तो मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं।

श्री रामपाल उपाध्याय : नम्बर तीन यह है कि ··

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में उत्तर दीजिये ।

श्री रामपाल उपाध्याय: तीसरी बात यह है कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पूछा है, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । श्री अहमद बख्श !

जोधपुर नगर में गटर लाइन की अव्यवस्था से सड़कों पर गन्दगी

221. श्री अहमदबख्श सिन्धी (जोधपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जोधपुर नगर में गटर लाइनें छोटी होने के कारण गन्दा पानी सड़कों पर बहता रहता है जिससे न केवल जनता को आने जाने में कठिनाई होती है बल्कि दुर्गन्ध के कारण स्वास्थ्य पर विपरीत असर भी पड़ता है ?

(2) इस महत्वपूर्ण जल समस्या के समाधान हेतु क्या सरकार नगर परिषद जोधपुर में बड़ी गटर लाइनें डलवाने के प्रयोजन से समुचित राशि प्रदान करने पर विचार करेगी ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री हुनुमानप्रसाद प्रभाकर):(1) जी हां । गटर लाइन छोटी होने के कारण शहर में पानी के ओवर फ्लो की सम्भावना बनी रहती है व ओवर फ्लो होने पर जनता को असुविधा होती है ।

(2) जोधपुर शहर में बड़ी गटर लाइन डालने की योजना की व्यय राशि 1.33 करोड़ की स्वीकृति दिनांक 19-5-77 को दी जा चुकी है व इस योजना के अन्तर्गत कार्य चालू है ।

श्री अहमदबख्श सिन्धी : सदरे मोतरम, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि वह एक करोड़ रुपया आपने किसको दिया, म्यूनिसिपैलिटी को दिया है या पी. एच. ई. डी. को दिया है ?

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग को ।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न । श्री जीतमल जैन ।

श्री अहमदबख्श सिन्धी : मैं एक बात और पूछना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न पूछ लिया गया है ।

(व्यवधान)

आॅर्डर प्लीज ।

राज्य वाणिज्यिक कर सेवा में सेवारत अधिकारी ।

222. श्री जीतमल जैन (अलवर): क्या वाणिज्यिक कर मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि राज्य वाणिज्यिक कर सेवा नियमों में वाणिज्यिक कर अधिकारियों एवं उपायुक्त के पदों के लिये शत प्रतिशत विभागीय

(श्री जीतमल जैन)
पदोन्नति होने के स्पष्ट प्रावधान हैं ? यदि हां, तो इस विभाग में सेवा नियमों के लागू होने के बाद कितने अधिकारी दूसरी सेवाओं में समय समय पर कार्यरत रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य वाणिज्यिक कर सेवा अन्य राज्य सेवा से पृथक है ? यदि हां, तो राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को इस विभाग में पदस्थापित करने का क्या औचित्य है ?

(3) पद स्थापित किये गये अधिकारियों के फलस्वरूप कितने विभागीय अधिकारियों का पदोन्नति मार्ग अवरुद्ध हुआ ? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ।

उप मंत्री, वाणिज्यिक विभाग (श्री रामपाल उपाध्याय) : (1) जी हां, सेवा नियम लागू होने के पश्चात राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा के स्वीकृत पदों पर वाणिज्यिक कर सेवा के अधिकारी ही कार्यरत रहे हैं । सूची संलग्न है ।

(2) जी हां, वाणिज्यिक कर सेवा के लिए स्वीकृत पदों पर इस सेवा के अधिकारियों का ही पदस्थापन तथा पदोन्नति हुई है । राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का पदस्थापन वाणिज्यिक कर सेवा अधिकारियों के लिये स्वीकृत पदों पर नहीं हुआ । इस विभाग में दूसरी सेवाओं के पद भी हैं । उन सेवाओं के अधिकारियों को केवल उन्हीं सेवाओं से सम्बन्धित पदों पर ही रखा जाता है । जहां तक दूसरी सेवाओं के अधिकारियों को वाणिज्यिक कर विभाग में रखने का प्रश्न है यह विभाग में कार्यकुशलता की वृद्धि के लिये किया जाता रहा है ।

(3) प्रश्न नहीं उठता ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री जीतमल जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि वाणिज्यिक कर सेवाओं के नियमों का निर्माण कब हुआ था ?

श्री रामपाल उपाध्याय : राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवाओं के नियम सन् 1971 से हैं ।

श्री जीतमल जैन : अध्यक्ष महोदय, सन् 1971 से वर्तमान समय तक कितने वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों की पदोन्नति इन नियमों के द्वारा हुई है ?

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने पूछा है उपायुक्त के 16 पद रहे हैं जिसमें आर. ए. एस. वाले 12 रहे है और वाणिज्यिक कर सेवा वाले 4 रहे हैं । वाणिज्यिक कर सेवा अधिकारी वरिष्ठ वेतन श्रृंखला के 19 पद थे जिसमें 13 आर. ए. एस. और 6 आर. सी. एस. ....

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : आर. एस. एस. के कितने पद हैं ..

श्री रामपाल उपाध्याय : मैंने आर.ए.एस. कहा है आर. एस. एस. नहीं ।

(व्यवधान)

(श्री रामपाल उपाध्याय)

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी के 253 पद हैं और 253 पद ही वाणिज्यिक कर सेवा वाले हैं।

श्री जीतमल जैन : अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मन्त्री महोदय इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि सर्विस रूल्स के अन्तर्गत पदोन्नति पाने के इतने कठिन नियम हैं कि उपायुक्त के पद पर पहुंचने के लिये बहुत समय लग जाता है जब कि जो आर.ए.एस. और आई. ए. एस. केडर के आते हैं, उनको प्रमोशन में समय नहीं लगता है ? उनको वाणिज्यिक कर विभाग की जानकारी बिल्कुल नहीं होती है। इसी प्रकार वाणिज्यिक कर विभाग में भी प्रमोशन के नियम सरल किये जायं और इस विभाग के अधिकारियों का ही प्रमोशन किया जायं तो निश्चित रूप से वे विभाग की अधिक सेवा करेंगे। क्या मन्त्री महोदय इन सेवा नियमों में परिवर्तन करने के बारे में विचार करेंगे ?

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान समय में इसका प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री मान सिंह।

बाढ़ से विनष्ट जोधपुर-पाली सड़क का पुर्ननिर्माण।

223. **श्री मानसिंह देवड़ा** (सरदारपुरा). क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या पिछले वर्ष आई भीषण बाढ़ से जोधपुर से पाली तक की सड़क व पुल क्षतिग्रस्त हो गये थे ? यदि हां, तो क्या सम्बन्धित अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण उनका पुनः निर्माण आज तक नहीं हुआ ? कच्ची सड़क व पुल बनाने हेतु आज तक सरकार ने कितनी राशि किस किस समय खर्च की तथा नयी सड़क व पुल कब तक बन कर तैयार हो जायेंगे ?

(2) क्या जोधपुर से बिलाड़ा मार्ग तक की सड़क व पुल पिछले वर्ष बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गये थे ? यदि हां, तो पुनः निर्माण कार्य में आज तक देरी करने के क्या कारण हैं ? सरकार अब आगे निर्माण कार्य कब तक शुरू कर देगी ?

उप मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग (श्री रामपाल उपाध्याय): (1) जी हां, जोधपुर पाली सड़क एवं पुल गत वर्ष भीषण बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गये थे। तत्परता से इस सड़क को यातायात के लिये चालू कर दिया गया था नव निर्माण कार्यों की स्वीकृतियां जारी होने एवं अन्वेषण आदि कार्य करने में कुछ समय जरूर लगा। कार्य प्रगति पर है। सड़क एवं पुल जीर्णोद्धार पर विभिन्न मदों से लगभग 30 लाख रुपया खर्च हो चुका है। लूनी नदी के पुल के अलावा शेष पुल व रपटें इस वर्ष पूर्ण होने की सम्भावना है।

(2) जी हां। पुनः निर्माण कार्य में देरी हुई है। निर्माण कार्य सुचारु रूप से प्रगति पर है।

श्री मानसिंह देवड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा आपको विदित है दोनों पुल इतने महत्वपूर्ण है कि अगर तेज वर्षा हो

(श्री मानसिंह देवड़ा)
जाती है तो जोधपुर का सम्बन्ध अन्य हिस्सों से कट जाता है। मेरा निवेदन है इतनी देरी स्वीकृति देने में क्यों हुई ? किन किन अधिकारियों की गलती की वजह से निर्माण कार्य में इतनी देरी हुई है ? मंत्री महोदय इसके कारण बताने की कृपा करें।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया था माननीय सदस्य महानुभाव से कि इसके महत्व को देखते हुए 30 लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी थी। असाधारण रूप से इस पर ट्रैफिक रहा है। डामर की कमी के कारण, दूसरे सीमेन्ट की कमी के कारण और तीसरे योजना में कुछ परिवर्तन करने के कारण इस में थोड़ी देरी होना स्वाभाविक है। उदाहरण के लिए मैं कहूंगा कि लूणी नदी के पुल पर कार्य किया गया था। उसमें 18 लाख रुपये स्वीकृत किये गये थे। बाढ़ आने पर पुल टूट जाते हैं, सड़क क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और यातयात रुक जाता है इसलिए यह दूरदर्शी काम शुरू करके यह किया गया है। मैं सोचता हूं कि इससे माननीय सदस्य संतुष्ट होंगे।

श्री मानसिंह देवड़ा : जैसा आपको विदित ही है, माननीय मन्त्री महोदय, रेलवे लाइन वहां से 2 किलोमीटर की दूरी तक खतम हो गयी थी। बड़ी कठिनाई थी, फिर भी उस सड़क का एक महीने में कार्य पूरा हुआ, इतनी डिले क्यों हुई।

श्री रामदेवसिंह (थोंद) : क्या यह सही है कि यह सड़क राष्ट्रीय महत्व की है और इस पर मिलिट्री के वाहन चलते हैं, उसकी वजह से यह सड़क प्रति वर्ष टूट जाती है ? क्या इसको आप राष्ट्रीय महत्व की सड़क मानते हैं ? क्या इसको राष्ट्रीय मार्ग घोषित करना चाहते हैं ? क्या यह सही है कि राष्ट्रीय सड़क न होने के कारण जो जोधपुर जिले को बजट अलॉट होता है वह सारा बजट इस सड़क के पुनर्निर्माण में ही खर्च हो जाता है ?

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय मार्ग की स्वीकृति पर, मैं निवेदन करना चाहता हूं, भारत सरकार का अधिकार क्षेत्र है।

श्री अध्यक्ष : राज्य सरकार की सिफारिश पर।

श्री रामपाल उपाध्याय : राज्य सरकार की सिफारिश पर। राज्य सरकार केन्द्र सरकार से ऐसे महत्वपूर्ण मामले में सिफारिश करने में नहीं हिचकेगी। इस पर काम चल रहा है। 25 किलोमीटर में से 5 किलोमीटर में डामर करना शेष है। राज्य सरकार पूरी तत्परता से कार्य को पूरा करने का प्रयत्न करेगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कहा था कि इनके बोलने के बाद मुझे अवसर देंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण करें। ऑर्डर प्लीज।

श्री सुखलाल सैणचा (रायपुर) : माननीय मन्त्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि नेशनल हाइवे, जो दिल्ली से चल कर ब्यावर में ही खतम हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण रूट है। मैं यह सरकार से निवे-

(श्री सुखलाल सेंणचा)

दन करूंगा कि रूट नम्बर 8 को ब्यावर से जोड़ने के लिए राज्य सरकार भारत सरकार से सिफारिश करे चूंकि आगे पाकिस्तान बोर्डर आया हुआ है, जो सेना से सम्बन्धित है। क्या राज्य सरकार इसको नेशनल हाइ वे करने का विचार रखती है ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रश्न पूछना चाह रही थी कि कुल कितने माइल्स की सड़क बन रही है और वर्तमान में इस पर कितने मजदूर लगे हुए हैं ? मेरी बात का उत्तर दिला देवें।

श्री मानसिंह देवड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि कच्चे रास्ते के लिए कितनी राशि रखी है और पक्के रास्ते के लिए कितनी राशि रखी गई है ?

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, नेशनल हाई वे को ब्यावर से आगे जोधपुर तक ले जाने का निर्णय तो भारत सरकार ही करेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें। उत्तर आने दें।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय सदस्य, मेरा उत्तर सुन कर संतुष्ट होंगे। जहां तक दूसरे सदस्य का प्रश्न है, उन्होंने पूछा है कि कुल कितने खण्ड में इस सड़क की तैयारी हो रही है और कितनी स्वीकृति दी गयी है। पुल और सड़क निर्माण के लिए 25.72 लाख रुपये, सड़क मरम्मत के लिए 2.50 लाख रुपये और कच्चे रास्ते के लिए, जो बन रहा है, 40 हजार रुपये खर्च कर रहे हैं। जोधपुर में थोड़ी सड़क बाई पास होगी जिसके लिए 1.28 लाख रुपये खर्च होंगे। कुल मिला कर 30 लाख रुपये इस पर खर्च हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री राजबहादुर : आप आज्ञा दीजिए, अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। अगला प्रश्न, श्री ललित किशोर चतुर्वेदी।

जयपुर में निर्माणाधीन रिजर्व बैंक व सूचना केन्द्र के निकट होटल भवन

224. श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नगर आयोजना विभाग द्वारा जयपुर स्थित कई भवनों की इमारतों की सातवीं मंजिल के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है ? यदि हां, तो उनके नाम सदन के पटल पर रखने कृपा करें।

(2) क्या जयपुर में निर्माणाधीन रिजर्व बैंक के भवन की छठी मंजिल के निर्माण की विधिवत् स्वीकृति सक्षम अधिकारियों द्वारा दे दी गई थी ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त भवन की छठी मंजिल के 90% निर्माण के पश्चात् ही रोकने का प्रयास किया गया ? यदि हां, तो छठी मंजिल के निर्माण के दौरान ही उसे क्यों नहीं रोका गया ?

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

(4) क्या इसी प्रकार की अनियमितता सूचना केन्द्र, जयपुर के बराबर निर्माणाधीन होटल में भी हुई है ?

(5) क्या यह सही है कि इस होटल के निर्माण को भी अधिकारियों द्वारा पूर्व में रोक दिया गया था व बाद में पुनः इसके निर्माण की स्वीकृति दे दी गई ?

नगर आयोजना मंत्री (श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर) : (1) नगर विकास न्यास, जयपुर मुख्य नगर नियोजक की राय के अनुसार केवल क्लार्क आमेर होटल को ग्राउन्ड फ्लोर सहित कुल 8 मंजिल के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) सूचना केन्द्र के समीप निर्माणाधीन होटल के निर्माता द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण अनधिकृत रूप से तीन मंजिल के ऊपर भी किया गया।

(5) स्वीकृत मानचित्रों के विपरीत निर्माण कार्य करने के कारण नगर विकास न्यास, जयपुर द्वारा दिनांक 6-10-78 एवं 12-6-79 को काम बन्द करने का नोटिस दिया गया। तत्पश्चात् दिनांक 3-11-79 को मामले को नियमबद्ध करते हुए तीन मंजिल 35 फीट की ऊंचाई तक निर्माण कार्य की स्वीकृति सहित संशोधित मानचित्र नगर विकास न्यास द्वारा अनुमोदित किये गये। इनमें तीसरी मंजिल के ऊपर अन्य मंजिलों के निर्माण की स्वीकृति नहीं दी गई थी। लेकिन इसके बाद अनधिकृत रूप से ऊपर की मंजिल का निर्माण प्रारम्भ करने पर 15-12-79 को काम बन्द करने का पुनः नोटिस दिया लेकिन पार्टी द्वारा काम यथावत चालू रखा गया।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय मन्त्री महोदय, क्या यह बताने का कष्ट करेंगे कि, प्रश्न क्रमांक (2) के उत्तर में उन्होंने 'जी नहीं' कहा, तो कौन सी मंजिल तक रिजर्व बैंक को भवन की आज्ञा दी थी ?

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : पाँच।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, छठी मंजिल बन गयी है, सातवीं मंजिल भी बनाने की मौखिक आज्ञा शायद राज्यपाल महोदय के सलाहकार श्री खुराना ने दे दी थी। मैं मन्त्री महोदय से प्रश्न करूंगा कि 5 मंजिल बनने के बाद छठी मंजिल और सातवीं मंजिल के बारे में वे क्या कर रहे हैं ?

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : माननीय सदस्य, मौखिक आज्ञा के प्रश्न का उत्तर तो मैं दे नहीं पाऊंगा। जहां तक छठी मंजिल का प्रश्न है, उसमें केवल एक मशीन रूम जो है, वह बहुत छोटा-सा कमरा है। रिजर्व बैंक का छोटा सा कमरा है, उसके कागज आये हुए हैं नगर विकास न्यास में। सातवीं मंजिल का प्रश्न इसके सामने है नहीं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले राजस्थान पत्रिका में स्पष्ट रूप से छपा है, उसका राज्य सरकार ने कोई कान्ट्रेडिक्शन नहीं किया है। श्रीमान्, मैं सवाल करना चाहता हूं क्योंकि इसका खण्डन किया नहीं है इसलिए क्या

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)
यह माना जाय कि उस समय के राज्यपाल महोदय के सलाहकार ने छठी मंजिल की मौखिक आज्ञा दी ? आपने अभी छठी मंजिल की चर्चा की कि छठी मंजिल पर का कमरा बहुत छोटा-सा है और वह केवल मशीन रूम ही रहेगा, इस सम्बन्ध में क्या आप स्पष्ट कहेंगे कि मशीन रूम के रूप में ही रहेगा ? स्पष्ट कहें।

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मुझे जानकारी नहीं है कि राजस्थान पत्रिका में छपा, किसके द्वारा छपा, कैसे छपा। इसकी जानकारी आपको ज्यादा होगी। यह सही है कि छठी मंजिल में केवल मशीन रूम की ही इजाजत दी जायेगी।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के क्रमांक (4) का जो उत्तर दिया है उसमें यह कहा गया कि छठी और सातवीं मंजिल नहीं बनेगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि उस समय नगर विकास न्यास के अध्यक्ष कौन थे और उन्होंने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश कांग्रेस (आई) की तरफ से राज्यपाल महोदय को इस होटल के बारे में एक ज्ञापन दिया गया था और कहा गया था कि उस समय के नगर विकास न्यास के अध्यक्ष और होटल के मालिक के बीच साझेदारी थी उसके अन्तर्गत सारे कानून कायदों को तोड़ करके यह सब हुआ।

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : बात यह है कि जो प्रश्न उठाया गया है वह बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे सूचना देते हुए अफसोस भी है कि तीन मंजिलों की स्वीकृति के बाद 28-12-79 तक सात मंजिलें बन चुकी थीं। उस समय जनता पार्टी के श्री गिरधारीलाल भार्गव अध्यक्ष थे और श्री भंवरलाल शर्मा स्वायत शासन मन्त्री थे। मैं इस सम्बन्ध में यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक सरकारी अधिकारियों का सम्बन्ध है, अधिकारियों ने बराबर इसको रोकने की कोशिश की। कई बार पत्रावलियों में परिवर्तन हुए। उस पर एक दूसरे प्रकार के आदेश होते रहे और इस काम को पूरा होने दिया गया। किन परिस्थितियों में होने दिया गया, क्यों होने दिया गया, 28-12-79 तक सात मंजिलें बन चुकी थीं, उनको क्यों नहीं रोका गया, इसका उत्तर आज देने की स्थिति में नहीं हूं। किन्तु इतना अवश्य कह सकता हूं कि राज्य सरकार ने ऊपर की मंजिल को ध्वस्त करने के आदेश दिए और आदेश देने के बाद में उनके द्वारा जिला न्यायालय में अपील दायर की गई है। चूंकि अपील जिला न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए इस समय मैं इस प्रश्न के सम्बन्ध में और अधिक नहीं कहना चाहूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : प्रश्न के क्रमांक (1) में जैसा माननीय मन्त्री महोदय ने बताया है कि आठवीं मंजिल तक की स्वीकृति क्लार्क आमेर होटल को दी गई थी, शायद यह होटल भी ऐयरोड्रम के बहुत नजदीक है और सारा आवागमन उधर से है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

बारे में इन्क्वायरी करें और उन ऑफिसर्स को निकालें जिनकी साजिश से यह बहुत बड़ा घोटाला हुआ। सात आठ मंजिल तक बन गई और इस प्रकार की कार्यवाही होती रही। इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, गबन हुआ है और भ्रष्टाचार हुआ है। क्या आप ऐसे अधिकारियों को पकड़ने की, उनके खिलाफ इन्क्वायरी करने की और इसको रोकने की कोशिश करेंगे? यह मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है।

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : जहां तक होटल क्लार्क आमेर को स्वीकृति देने का प्रश्न है वह किस स्थिति में दी गई, उसके आस पास का कैसा क्षेत्र था, कितनी आबादी थी, कितने स्कूल थे, कितनी आमदरफ्त थी, कितनी मोटरें आती थीं, शायद माननीय सदस्य से यह छुपा हुआ नहीं है। जिस समय कि होटल क्लार्क आमेर को परमीशन दी गई, उस समय की परिस्थितियों और उस क्षेत्र को देखते हुए वह उचित लगता था। जब वे यह मान कर चलते थे कि होटल क्लार्क आमेर को आठ मंजिल बनाने की इजाजत देना उचित था तो मैं उनसे ही पूछता हूं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में उनको सात मंजिलें बनाने की स्वीकृति क्यों नहीं दे दी? उनको इजाजत देने में क्या आपत्ति थी? मैं इस बात को मानता हूं जैसा विरोधी पक्ष के सदस्यों ने कहा कि इस प्रश्न पर कहीं न कहीं घपला हुआ है तो मैं इस केस में जांच कराने को तैयार हूं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय मन्त्री महोदय स्पष्ट घोषणा करें ··

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : मैं घोषणा कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, अब इस प्रश्न पर आगे चर्चा नहीं होगी।

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज, कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य। सुश्री पुष्पा जैन!

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतनी सी जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा कि मन्त्री महोदय ने श्री गिरधारीलालजी भार्गव और श्री भंवरलाल जी शर्मा का नाम लिया है तो उनके खिलाफ क्या मन्त्री महोदय जांच की कार्यवाही करायेंगे?

(व्यवधान)

सार्वजनिक जीवन को भ्रष्ट करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करना चाहते हैं?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री श्रीराम गोटेवाला : इस सम्बन्ध में हमने बाकायदा ज्ञापन दिया है, गवर्नर को मेमोरेंडम दिया ··

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री राजबहादुर : अध्यक्ष महोदय, ये क्यों नहीं आपकी आज्ञा मानते? आपने मुझे मौका नहीं दिया, मैं बैठ गया। फिर ये क्यों नहीं बैठते हैं?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इस प्रश्न पर काफी चर्चा हो चुकी है। अगला प्रश्न पुकार लिया गया है इसलिए अब उसका उत्तर दिया जावेगा।

(व्यवधान)

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्तियों का सवाल है, उनके भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में सवाल है, इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इसके बारे में निश्चित रूप से घोषणा करनी चाहिए •••

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : इस होटल को तोड़ने के लिए कलेक्टर महोदय ने स्पष्ट आदेश दे दिया था लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष श्री रामकिशोरजी व्यास ने दबाव डाला और इसको नहीं तोड़ने दिया ……

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसमें रामकिशोरजी व्यास ने रुपया खाया है उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीरामजी गोटेवाला ने चुनाव में रुपया खाया है और गोटेवाला जी को तो सभी घोटालेवाला कहते हैं••••••

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : होटल को तोड़ने का आर्डर हो गया, जिलाधीश ने पुलिस फोर्स भेज दी थी लेकिन चुनाव के समय में श्रीराम जी गोटेवाला ने होटल के मालिक से रुपया लिया था, होटल मालिक से सांठ गांठ की थी इसलिए इस होटल को तोड़ने से रोका गया है ••

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए, माननीय सदस्य। ऑर्डर प्लीज।

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये होटल क्लार्क आमेर की बात करते हैं ••

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें; माननीय सदस्य।

श्री दुलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर मामला है •• •••

(व्यवधान)

श्री दिनेशराय डांगी (देसूरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक-सप्लीमेंट्री पूछना चाहता हूं। मुझे मौका दीजिए।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री दिनेशराय डांगी : एक प्रश्न पूछने का मौका चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं कोई प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा। और भी बहुत से प्रश्न हैं।

श्री गोविन्दसिंह : अध्यक्ष महोदय, केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। सुश्री पुष्पा जैन।

श्री दुलाराम : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है**

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, दूसरा प्रश्न पूछ लिया गया है।

श्री दुलाराम : अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर मसला है। रामकिशोर जी व्यास पर आरोप लगाया गया है *

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लार्क आमेर होटल को आठ मंजिलें बनाने की इजाजत देने में घोटाला किया गया ··

(व्यवधान)

श्री दिनेशराय डांगी: अध्यक्ष महोदय, यह बहुत इम्पार्टेन्ट प्रश्न है, इसकी जांच क्यों होनी चाहिए। मैं आपकी तरफ से व्यवस्था चाहता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए। जांच होना बहुत जरूरी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया नियमों का ध्यान रखियेगा। सुश्री पुष्पा जैन।

श्री दुलाराम : अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर मसला है और इसकी जांच होनी चाहिए। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इसके बारे में स्पष्ट घोषणा करें ··

(व्यवधान)

मुख्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न चल रहा है और इसके बारे में जो चर्चा हुई है, इस सारे मामले की गंभीरता को देखते हुए ऐसा लगता है कि सारे मामले पर गंभीरता से विचार कर जांच करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहूंगा। मुख्य मन्त्री जी ने जांच की घोषणा की है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जांच इसी होटल की होगी या क्लार्क आमेर की भी, रिजर्व बैंक की और बाकी बैंकों की बात है, इन सब की आप जांच करायेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज।

श्री प्रद्युम्नसिंह : ये क्लार्क आमेर होटल की बात को कह कर इस प्रश्न को दबाने की चेष्टा कर रहे हैं। क्लार्क आमेर होटल के मामले की जांच नहीं हो सकती *

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। मुख्य मन्त्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो मुद्दे स्पष्ट रूप से इस प्रश्न पर उठाए गए है उन सबकी जांच होगी।

श्री दिनेशराय डांगी : बहुत घोटाले किये हैं भंवरलाल जी शर्मा ने ···

(व्यवधान)

बड़ी बेईमानियां की हैं ··

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । सुश्री पुष्पा ।

(व्यवधान)

कृपया शान्त रहें ।

ग्राम भलोई निवासी श्री रामनाथ गुर्जर की निर्मम हत्या

225. **सुश्री पुष्पा जैन** (आमेर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम भलोई के निवासी श्री रामनाथ गुर्जर को ग्राम हाथोज में दिनांक 23 जून, 1980 को कुछ व्यक्तियों ने ट्रेक्टर की टक्कर देकर एवं लाठियों से मार डाला ?

(2) क्या उक्त घटना की रिपोर्ट थाना बगरू में करवायी गयी ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त लाश को बिना विधिवत् पोस्ट मार्टम करवाये जला दिया गया और अभी तक पुलिस उक्त मामले में शिथिलता बरत रही है ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त कत्ल से ग्रामीण जनता में भारी आक्रोश पैदा हो गया है, और इस सम्बन्ध में भारी संख्या में ग्रामीण मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच के लिए स्वयं मुख्य मन्त्री जी से एवं उच्चाधिकारियों से मिल चुके हैं ?

उप मन्त्री गृह, (श्री रामपाल उपाध्याय) : (1) मृत्यु के कारण के बारे ..

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, जोर से बोलें, मन्त्री जी ।

श्री रामपाल उपाध्याय : मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं ।

(1) मृत्यु के कारण के बारे में अभी अनुसंधान जारी है ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं ।

(4) इस सम्बन्ध में कुछ नागरिक वृत्ताधिकारी, सांगानेर से दिनांक 28-6-80 को मिले थे, जिस पर इस मामले की जांच वृताधिकारी ने स्वयं ले ली है और जांच जारी है ।

सुश्री पुष्पा जैन : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अभी फर्माया कि मृत्यु के कारण के बारे में अनुसंधान जारी है । दूसरे उन्होंने पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट के बारे में कहा है कि बिना विधिवत् पोस्ट मार्टम के लाश को नहीं जलाया गया । मैं याद दिलाना चाहूंगी कि इस मुद्दे को कुछ दिनों पूर्व मैंने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से इस सदन में उठाया था, तब राजस्थान पत्रिका ने भी इसका हवाला दिया था, वह ऑन रिकार्ड है । माननीय मंत्री महोदय से कम से कम दो सौ आदमियों का डेपुटेशन मिला था । माननीय मुख्य मंत्री ने उपरोक्त तथ्यों को माना और जांच का आश्वासन दिया । मंत्री महोदय उत्तर में कह रहे हैं कि कुछ नागरिक वृत्ताधिकारी से मिले । माननीय मुख्य मंत्री को आपने गोल कर दिया । यह बिलकुल गलत बयानी है, सदन में । कृपया इस सवाल का जवाब वापस दें और सही दें । जो उत्तर दिया है, मैं उससे सन्तुष्ट नहीं हूं ।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय सदस्या, इसके बारे में सारे तथ्य इस प्रकार वर्णित कर रहा हूं ।

दिनांक 21-4-80 को प्रातः 4.30 बजे ए. एम. पर नाथू पुत्र श्री जुहा जाट व मदनलाल पुत्र छोगा लाल ब्राह्मण हाथोद ने एक लिखित रिपोर्ट थाना बगरू पर अन्य व्यक्तियों के हस्ताक्षर व निशानी अंगूठा के, मय सरपंच के हस्ताक्षर के पेश की कि एक मृतक की लाश कुएं के ढागों में पड़ी है ।

इसके बाद श्री बसन्तीलाल ए. एस. आई. बगरू घटनास्थल पर गये और हस्ब दफा 174 जाब्ता फौजदारी कार्यवाही शुरू की और यह पाया गया कि कुएं पर लगी बिजली का करेंट लीकेज था, जिसकी जांच सहायक विद्युत् निरीक्षक से करवाई जा रही है । अभी वह रिपोर्ट हमको प्राप्त नहीं हुई है । लाश की शिनाख्त न होने के कारण उस लाश का फोटो लिया गया । उसके बाद पोस्ट मार्टम करवा कर दिनांक 24-7-80 को पुलिस द्वारा लाश का दाह संस्कार करवाया गया ।

उसके बाद लाश की शिनाख्त दिनांक 27-7-80 को उसकी फोटो व जूतियों वगैरह से हुई । लाश रामनाथ गुर्जर निवासी झलोई की होना पाया गया । उसके बाद इस सम्बन्ध में कुछ नागरिक एवं मृतक के रिश्तेदार वृत्ताधिकारी, सांगानेर से मिले थे और मृतक की मौत का कारण पता लगाने की मांग की थी, जो स्वाभाविक है । इस पर सारे मामले की जांच स्वयं वृत्ताधिकारी ने ले ली है और वह इस पर अनुसंधान में लगे हुए हैं ।

माननीय सदस्या ने बताया कि मुख्य मंत्री जी से वहां के लोग मिले थे । हमने मुख्य मंत्री जी से भी जानकारी ली । मुख्य मंत्री से कई लोग, कई डेपुटेशन मिलते हैं और उसके बारे में मुख्य मंत्री जी यथा सम्भव जवाब दे देते हैं । उन्हें पता नहीं कि उपरोक्त डेपुटेशन उनसे मिला था या नहीं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट के अन्दर मृत्यु का कारण नहीं बताया गया ? क्या यह सही है कि पोस्ट मार्टम के पहले मृतक के परिवार के व्यक्ति सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंच गये थे और उन्होंने इसकी लाश की मांग की थी ? लाश न मिलने के बाद वे सारे व्यक्ति मुख्य मंत्री जी के यहां गये ? मुख्य मंत्री जी को पता नहीं है, लेकिन पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट में मृत्यु का कारण क्या बताया गया ?

श्री रामपाल उपाध्याय : पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट से उसकी मृत्यु का स्पष्ट कारण ज्ञात नहीं हो पाया है । जैसा कि पूर्व में पुष्पा जी से निवेदन किया कि बिजली का करेंट लीकेज था या नहीं, उसकी रिपोर्ट नहीं आयी है । दूसरा केमिकल रिपोर्ट के लिये भेजा है, उसके बाद ही पता चलेगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर । उत्तर आने दीजिये माननीय सदस्य ।

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में इस प्रकार की कोई बात नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट में क्या यह लिखा है कि किस प्रकार का एक्जामिनेशन किया गया, उसकी हड्डियां टूटी हैं या नहीं टूटी हैं ?

श्री रामपाल उपाध्याय : मेरे पास पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह सही है कि पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख नहीं है कि पोस्ट मार्टम जिस डॉक्टर ने किया उसने इस बात की जांच नहीं की कि मृतक की हड्डियां टूटी हुई हैं या नहीं टूटी हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय का उत्तर आने दीजिये।

(व्यवधान)

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, पोस्ट मार्टम •••

(व्यवधान)

श्री माणकमल मेहता : कोज ऑफ डेथ क्या है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

कई माननीय सदस्य : माननीय मंत्री महोदय, बैठ जाइये।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य। श्री हरिसिंह।

श्री हरिसिंह : मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि पोस्ट मार्टम डेथ के कितने समय बाद हुआ ? यह मालूम हो जाय तब यह डिसाइड हो पायेगा ••••

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अभी आपको ये लोग नहीं समझ पाये।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय अध्यक्ष महोदय, पोस्ट मार्टम उसी दिन 24 तारीख को हुआ।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या ••

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, जिस व्यक्ति की हत्या हुई उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाया गया। उसकी जो पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को दबा लिया गया। उसके पश्चात् लाश उसके परिवार को नहीं दी गई। पुलिस ने पूरी सूचना दिये बिना जल्दबाजी में वह लाश जला दी। इससे सब लोगों में सन्देह हो गया कि इसका कुछ न कुछ विशेष कारण है या राजनैतिक हस्तक्षेप है। मैं जानना चाहता हूं•••

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें। पेचीदा मामला बन गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : क्या आप इसकी स्पेशल रूप से जांच करवायेंगे और दोषी व्यक्ति को दण्ड देंगे ?

सुश्री पुष्पा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मुख्य मंत्री जी से यह चाहूंगी कि जो पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट है उसको क्या वे सदन की मेज पर रखने की स्थिति में हैं ?

दूसरी बात, माननीय मंत्री महोदय ने फर्माया कि 23 तारीख को उसकी हत्या हुई। उसके बाद पोस्ट मार्टम करवाया गया और लाश जला दी गई। मुझे जानकारी है, जो डेड बॉडी जलायी थी उसके हाथ पर उसका नाम लिखा हुआ था और गांव का भी नाम लिखा हुआ था। उसकी हाटोद में हत्या हुई। ये दोनों ही आमेर विधान सभा क्षेत्र के गांव हैं। आमेर से 6-7 माइल से ज्यादा दूर नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

सुश्री पुष्पा : यह बहुत जरूरी है, रिलेवेंट सवाल है, अध्यक्ष महोदय, इससे तफ्तीश में मदद मिलेगी।

तो क्यों नहीं पता लगाया गया और क्यों बिना मालूमात लाश जला दी गई, 24-7-80 को मंत्री महोदय ने कहा उसकी लाश जला दी गई और 27-7-80 को मालूम पड़ा कि वह भलोई गांव का था। क्या जलाने के पहले मालूम नहीं पड़ा कि वह भलोई गांव का था ? क्या जलाने के पहले मालूम नहीं पड़ सकता था कि वह किस गांव का है जब कि उसके हाथ पर गांव व उसका स्वयं का नाम गुदा था ? यह क्यों नहीं मालूम किया गया ? क्यों नहीं उसके परिवार को लाश दी गई ?

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं, माननीय सदस्या।

(व्यवधान)

आॅर्डर प्लीज। भाषण नहीं, माननीय सदस्या। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

सुश्री पुष्पा : इसकी उच्चस्तरीय जांच करवानी बहुत जरूरी है। इस मामले में उच्च स्तरीय जांच करवाने का आश्वासन दें।

श्री दुलाराम : मुझे भी एक सप्लीमेंटरी क्वेश्चन करना है।

श्री अध्यक्ष : यह आपके क्षेत्र का नहीं है माननीय सदस्य, टेक्निकल विषय है।

श्री दुलाराम : मैं इसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं, इसकी काफी चर्चा है। डॉक्टर ने या किसी ने भी बदनियती की है उसकी जांच की जाय। अगर मर्डर हुआ है तो उसकी भी जांच की जानी चाहिये।

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने इस बात को गम्भीरता से लिया है। अगर मर्डर हुआ है तो उसको दबाने की सरकार की ओर से कोई बात नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अनुसंधान जारी है। अनुसंधान की सारी रिपोर्ट देख ली जावेगी। उससे अगर सरकार सन्तुष्ट न हुई तो फिर से उच्चाधिकारी से

(श्री रामपाल उपाध्याय)
जांच करवाना ठीक समझेगी तो जरूर जांच करवायेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ, माननीय सदस्य।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मेरा खाद्य पदार्थों में मिलावट सम्बन्धी प्रश्न था बीकानेर के सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करिये। आर्डर प्लीज।

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

टोंक जिले में रिक्त कनिष्ठ लिपिकों के पदों को भरा जाना

203. **श्री महावीरप्रसाद (टोंक) :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जिला टोंक के किन-किन स्कूलों में कनिष्ठ लिपिकों के कितने पद कितने समय से रिक्त पड़े हुए हैं और इन पदों को कब तक भर दिया जावेगा ?

उत्तर

टोंक जिला में कुल 26 कनिष्ठ लिपिकों के पद रिक्त हैं। सूची संलग्न है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने पर शीघ्र भर दिये जायेंगे।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

पंचायत समिति के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूल में अध्यापकों का पदस्थापन

204. **श्री महावीरप्रसाद (टोंक) :** क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत क्षेत्रों में प्राइमरी स्कूलों में कुल अध्यापकों के स्वीकृत पद कितने हैं ?

(2) इनमें कितने पद रिक्त पड़े हुए हैं और कितने समय से और ये रिक्त पद कब तक भर दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) कुल स्वीकृत पद 34,984 हैं।

(2) दिनांक 7-7-80 तक 2546 पद रिक्त थे। अधिकांश पद सत्र 1979-80 के अन्त में रिक्त हुए हैं। रिक्त पदों को यथा सम्भव शीघ्र ही भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है।

कोटा नगर में बड़े उद्योगों को आवंटित कच्चा माल

205. **श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद), श्री छीतरलाल आर्य (अटरू) :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

कोटा नगर में किन किन बड़े उद्योगों को क्या क्या कच्चा माल कितनी कितनी मात्रा में किस किस विभाग से उपलब्ध करवाया जाता है ? क्या यह सही है कि अनेकों उद्योगों का कच्चा माल कोटा स्थित उद्योगों में नहीं पहुंचता ? किन किन बड़े उद्योगों को नगर परिषद्

(श्री दाऊदयाल जोशी)

कोटा के किन-किन करों की कब कब से छूट दी हुई है व भविष्य में भी कब तक सरकार और छूट देने का विचार रखती है ? गत तीन वर्षों में कौन कौन से नये उद्योग लगे ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार इन उद्योगों को कोटा में लगाने की इच्छा नहीं रखती ?

उत्तर

कोटा नगर के बड़े उद्योगों का नियन्त्रित दुर्लभ आयातित कच्चा माल डी. जी. टी. डी. एवं आयात लाइसेन्स के अधीन केन्द्रीय सरकार से उपलब्ध होता है। जहां तक कच्चा माल कोटा स्थित उद्योगों में नहीं पहुंचता इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। नगर परिषद् कोटा के द्वारा समस्त बड़े उद्योगों को चुंगी कर की छूट स्वायत्त शासन विभाग, राज्य सरकार के आदेश दिनांक 30-12-1959 व 24-4-61 के अनुसार मशीनों पर दी जाती है तथा कच्चे माल पर जनवरी, 1960 से मार्च, 1979 तक उद्योग स्थापना की तिथि से सात वर्ष तक व मार्च, 1979 के बाद स्थापित उद्योगों को स्थापना तिथि से 5 वर्ष के लिये चुंगी से छूट दी गई है व दी जावेगी। पिछले तीन वर्षों में कोटा नगर में मै. जे. के. एक्रेलिक उद्योग द्वारा वर्ष 1980 में उत्पादन प्रारम्भ किया गया है। जहां तक बड़े उद्योग कोटा में लगाने का प्रश्न है केन्द्रीय सरकार द्वारा उन बड़े महानगरों, जिनकी 1971 की जनगणना के अनुसार आबादी 10 लाख से अधिक है तथा उन नगरों में जिनकी आबादी 5 लाख से अधिक है उद्योग लगाने हेतु हतोत्साहित करती है।

जैसलमेर जिले में खादिनों की व्यवस्था

206. श्री चन्द्रवीरसिंह (जैसलमेर): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जैसलमेर जिले में कितने नये खादिन के निर्माण कार्य मंजूर किये गये हैं व पुराने खादिनों पर कितने कार्य पूर्ण हो गये है व इनकी देखभाल की व्यवस्था क्या की गई है ? इन खादिनों के द्वारा कितने क्षेत्र को सिंचाई की व्यवस्था प्रदान की जायेगी ?

उत्तर

जैसलमेर जिले में वर्ष 1979-80 के 20 नये स्वीकृत कार्य प्रगति पर हैं, तथा वर्ष 1980-81 में 16 नये कार्य प्रस्तावित है जिनकी स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त होने पर प्रारम्भ किये जावेंगे।

वर्ष 1970-71 से 1979-80 तक इस जिले में 45 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। इन कार्यों की देखभाल रख-रखाव (एम. एण्ड आर.) मद के अन्तर्गत की जाती है। अब तक पूर्ण तथा प्रगति पर हो रहे खडीनों से 3154 हैक्टेयर्स भूमि में सिंचाई हो सकेगी।

कोटा नगर के बड़े कारखानों में बेरोजगारों का नियोजन

207. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद), श्री छीतरलाल आर्य (अटरू): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा नगर स्थित बड़े कारखानों में राजस्थान तो क्या

(श्री दाऊदयाल जोशी)
कोटा नगर के बेरोजगार नवयुवकों को काम न देने के खिलाफ अनेकों बार आन्दोलन हुए व उसके परिणामस्वरूप उद्योगों ने जिलाधिकारियों के साथ बैठकर लिखित में प्रशासन को आश्वासन दिया कि प्राथमिकता कोटा व राज्य के बेरोजगार को दी जावेगी ?

(2) क्या उन लिखित आश्वासनों को कोई भी उद्योग पूरा नहीं कर रहा ? इन उद्योगों में भर्ती के क्या नियम हैं ?

(3) क्या यह सही नहीं है कि बड़े उद्योग श्री राम समूह, दिल्ली क्लाथ मिल में दिल्ली के एवं जे. के. में कानपुर के अधिकांशतः अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत हैं ? गत 3 वर्षों में कब कब, कितनी कितनी तादाद में रोजगार विभाग कोटा के द्वारा इन बड़े उद्योगों में सामुहिक भर्ती की गई ? क्या यह उद्योग रोजगार दफ्तर की हमेशा अवहेलना कर भर्ती नहीं करते ?

उत्तर

(1) जी हां।

आन्दोलन हुआ था। उद्योगों द्वारा जिला प्रशासन को लिखित में कोई आश्वासन नहीं दिया गया था।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता। विभिन्न उद्योगों में भर्ती के अलग अलग नियम हैं तथा यह कम्पनियों का आन्तरिक मामला है। अतः राज्य सरकार को इसकी जानकारी नहीं है।

(3) मै. जे. के. सिन्थेटिक्स लि. एवं श्री राम समूह दिल्ली क्लाथ मिल के कोटा स्थित उद्योगों में अधिकारी वर्ग के पदों पर इनके कानपुर एवं दिल्ली स्थित हैड ऑफिस द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं। जिला नियोजन कार्यालय, कोटा द्वारा भेजे गये आशार्थियों में से इन उद्योगों द्वारा नियोजन कार्यालय के माध्यम से पिछले तीन वर्षों में की गई नियुक्तियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

सहकारी समितियों को प्रदत्त सहायता व अनुदान

208. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद), **श्री छीतरलाल आर्य** (अटरू): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) उद्योग विभाग द्वारा वर्ष 1977-78 में सहकारी समितियों को नये कर्घे खरीदने, शेयर केपीटल, सुधरे औजार खरीदने तथा डाई हाउस लगाने के लिए क्या क्या सहायता, ऋण व अनुदान के रूप में दी गई ? प्रत्येक समिति वार सूचना देने का कष्ट करें।

(2) किस कार्य के लिए कितनी सहायता दी गई स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करें।

(3) जिन समितियों को ऋण दिया गया, क्या उस ऋण का उपयोग कर लिया गया ?

उत्तर

(1) समिति वार सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

(उद्योग मन्त्री)

(2) वांछित सूचना संलग्न सूची में अंकित है।

(3) सूची में वर्णित सहकारी समितियों में से निम्न तीन समितियों द्वारा स्वीकृत राशि का उपयोग निर्धारित अवधि में नहीं किया।

1. मैसर्स चीतरी हाथ कर्घा वस्त्र उत्पादन सहकारी समिति लि., डूंगरपुर।

2. मैसर्स घाटा का गांव बुनकर सहकारी समिति लि., डूंगरपुर।

3. मैसर्स झालरापाटन हाथ कर्घा वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लि., झालावाड़।

इनसे नियमानुसार राशि वापिस वसूल की जा रही है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

टौंक जिले में घोषित औद्योगिक क्षेत्र

209. **श्री महावीरप्रसाद** (टौंक) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) जिला टौंक के किन किन कस्बों को कब कब औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है? यदि हां, तो उपरोक्त क्षेत्रों के विकास के लिए कितनी कितनी राशि का प्रावधान किया गया था?

(2) अब तक किस-किस मद में किन-किन क्षेत्रों में कितना-कितना रुपया व्यय किया गया? कृपया उपरोक्त जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सूची 'क' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची 'ख' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

विद्युत् संचालित पावर लूम

210. **श्री केसरीचन्द चौधरी** (किशनगढ) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रान्त में विद्युत् से चलने वाले पावरलूमों की संख्या किन-किन जिलों में कितनी है?

(2) क्या सरकार ने राज्य में सूती धागे के उत्पादन को इन पावरलूमों को दिलवाने की कोई व्यवस्था की है?

(3) यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार नियमित भावों से नियंत्रित कोटे के रूप में ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे पावरलूमों को स्थानीय मिलों में उत्पादित सूती धागा प्राप्त हो सके?

उत्तर

(1) वान्छित सूचना संलग्न सूची में अंकित की गई है।

(2) जी नहीं।

(3) टैक्सटाइल्स की नीति का मामला केन्द्र सरकार के क्षेत्र का है। फिलहाल सूत पर कोई मूल्य नियन्त्रण अथवा कोटा निर्धारित नहीं है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

राज्य बुनकर सहकारी संघ द्वारा आयोजित प्रदर्शनी

211. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद), **श्री छीतरलाल आर्य** (अटरू) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड, जयपुर ने वर्ष 1978-79 व 1979-80 में कहां कहां प्रदर्शनी लगाई ? प्रदर्शनी में क्या-क्या आइटम बिके ? प्रत्येक प्रदर्शनी में कितनी बिक्री हुई ? इन प्रदर्शनियों में जो माल बिका उसमें कितना सहकारी समितियों से व कितना ओपन मार्केट से खरीदा गया ? प्रत्येक प्रदर्शनीवार आंकड़े प्रस्तुत करें।

उत्तर

राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लि., जयपुर ने वर्ष 1978-79 व 1979-80 में निम्न प्रदर्शनियों में भाग लिया बिक्री का ब्योरा विवरण अंकित है।

क्र. सं	नाम प्रदर्शनी	अवधि	बिक्री
		वर्ष 1978-79	
1.	दिल्ली प्रदर्शनी (राष्ट्रीय उद्योग मेला)	17-11-78 से 19-12-79	2,48,416.55
2.	कलकत्ता प्रदर्शनी (हैण्डलूम एक्सपो)	15-12-79 से 16-3-79	6,02,319.10
		वर्ष 1979-80	
1.	बंगलोर प्रदर्शनी (हैण्डलूम एक्सपो)	7-10-79 से 11-11-79	5,01,250.10
2.	बम्बई प्रदर्शनी (हैण्डलूम एक्सपो)	19-1-80 से 20-2-80	4,49,853.05
3.	दिल्ली प्रदर्शनी	21-1-80 से	18,098.00

इन प्रदर्शनियों में मुख्य रूप से कोटा डोरिया साड़ियां, राजस्थानी प्रिन्टेड-बगरू, बाड़मेरी, सांगानेरी बेडसीट व साड़ियां, जोधपुरी बन्धेज साड़ियां, खेश, मर्दानी धोती, रंगीन बेडसीट, गद्दापाट तौलिया आदि की बिक्री हुई। केवल प्रदर्शनी हेतु सहकारी समितियों व ओपन मार्केट (बुनकरों व हाथ करघा उत्पादकों) से क्रय किये गये माल का अलग से हिसाब नहीं रखा जाता है। संघ अपने सेन्ट्रल स्टोर से समय-समय पर समस्त क्रय किये गये कपड़े में से प्रदर्शनियों के लिये भी कपड़ा उपलब्ध कराता है।

जैसलमेर जिला के खनिज भण्डारों से खनिज निष्कासन

212. श्री चन्द्रवीरसिंह (जैसलमेर) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जैसलमेर जिला में उपलब्ध खनिज भण्डारों के निष्कासन की क्या व्यवस्था की जा रही है? इन खनिज भण्डारों के लिये कौन-कौन से उद्योग स्थापित किये जाने की योजना है व इन उद्योगों के द्वारा कितने स्थानीय लोगों को रोजगार की प्राप्ति हो पायेगी?

उत्तर

जैसलमेर जिले में उपलब्ध खनन भण्डारों के उत्खनन हेतु खनिज रियायती नियम, 1960 व अप्रधान खनिज रियायती नियम, 1970 के अन्तर्गत पट्टे स्वीकार किये जाते हैं। इस समय कुल 49 पट्टे प्रधान एवं अप्रधान खनिज के प्रदत्त हैं।

जैसलमेर जिले में मुख्यतः जिप्सम, सिलिसियत अर्थ, चूने का पत्थर, डोलोमाईट पीली मिट्टी, पीला संगमरमर व इमारती पत्थर पाया जाता है।

इन खनिज भण्डारों पर उद्यमी अपने स्तर पर उद्योग लगा सकते हैं। जैसलमेर जिले की भौगोलिक स्थिति व गमनागमन साधनों की न्यूनता इसके औद्योगीकरण में पूरी तरह सहायक नहीं है।

उदयपुर नगर स्थित डिफाल्टर उद्योग

213. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर नगर में चल रहे कितने उद्योग ऋण के डिफाल्ट में हैं एवं समय समय पर क्या उन्हें डिफाल्ट की सूचना विभाग द्वारा दी गई? सूची उद्योगों के नाम सहित सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि सीवा केमिकल्स पर विभाग ने डिफाल्ट के कारण तालाबन्दी की? यदि हां तो कितना डिफाल्ट था, उसी दिन उदयपुर में अन्य कितने उद्योग डिफाल्ट में थे, कितनी किश्तों की डिफाल्ट चल रही थी? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन, उदयपुर के महामन्त्री की सीवा केमिकल्स होने से जान बूझकर विभाग ने यह कार्यवाही की?

(4) क्या यह सत्य है कि अन्य उद्योगों में लाखों रुपये का डिफाल्ट हो जाने पर भी विभाग ने कार्यवाही नहीं की? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) उदयपुर नगर में उद्योग विभाग द्वारा दिये गये औद्योगिक ऋण के डिफाल्टरों की सूची 'अ' संलग्न है। विभाग द्वारा समय-समय पर किश्त ड्यू होने के पूर्व इकाइयों को ऋण की किश्त चुकाने हेतु स्मरण कराया जाता है।

(2) मैसर्स सीवा केमिकल्स पर उद्योग विभाग पर कोई तालाबन्दी नहीं की गई और नहीं कोई ऋण उद्योग विभाग द्वारा स्वीकार किया गया। इस इकाई को राजस्थान वित्त निगम द्वारा ऋण दिया गया था। इकाई द्वारा मूल ऋण एवं ब्याज का चुकारा समय पर नहीं करने के

(उद्योग मन्त्री)

कारण वित्त निगम अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत वित्त निगम ने अपने अधिकार में दिनांक 6-3 80 को ले लिया। इस दिनांक को इस इकाई पर लगभग 79 हजार रु. मूल एवं ब्याज ओवर ड्यू हो गये थे। वित्त निगम के द्वारा जिस इकाई को ऋण दिया गया और जो डिफाल्टर है इनकी सूची 'ब' संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) उद्योग विभाग द्वारा तथा अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा डिफाल्टरों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

बूंदी जिले में वरधा एल. एफ. सी. चैन 180 से 235 पर निर्माण कार्य

214. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन): क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला बूंदी में वरधा एल. एफ. सी. चैन 180 से 235 पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य किया गया था? यदि हां, तो कार्य का विवरण तथा कार्य किस तिथि से आरम्भ किया गया और कब समाप्त हुआ सम्बन्धित जानकारी दें।

(2) उक्त कार्य पर कितना खर्चा किस अधिकारी की देख रेख में किया गया तथा कितना मेटीरियल लगाया गया? विवरण सहित पूर्ण जानकारी देने का श्रम करें।

(3) उक्त कार्य पर कितने श्रमिकों ने जिमको मजदूरी भुगतान किया गया कार्य किया? यदि नहीं, तो क्यों? यदि किया गया तो किस दर से? पूर्ण विवरण श्रमिकों की सूची सहित सदन के पटल पर रखने का श्रम करें।

उत्तर

(1) हां, वरधा एल. एफ. सी. चैन 180 से 235 पर नहर की खुदाई (रोक-कटिंग) एवं मेशनरी लाइनिंग का कार्य किया जा रहा है और कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 13-12 78 है।

(2) उक्त कार्य पर अब तक रु. 106,655.36 खर्चा हुआ है। कार्य का सम्पादन श्री राजमल जैन अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड बूंदी के अन्तर्गत श्री राजगोपाल बडाया, सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई योजना, तालेड़ा द्वारा करवाया जा रहा है, जिसमें 704 क्यूबिक मीटर राजकीय पत्थर लगाया गया व लगभग 208 घनफुट चूना व 312 घनफुट रेत व 104 घनफुट खारली आदि ठेकेदार द्वारा लगायी गयी है।

(3) इस कार्य पर लगभग 60 श्रमिक विभागीय स्तर पर कार्यरत थे। उनको अब तक का भुगतान प्रचलित न्यूनतम वेतन 7.00 प्रतिदिन की दर से किया गया है। सूची संलग्न है। अन्य कारीगर व मजदूर ठेकेदार द्वारा अपने स्तर पर लगाये गये।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

अपराध प्रकरण

215. श्री बालचन्द आर्यवीर (डग): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) छठी राजस्थान विधान सभा भंग होने से लेकर अब तक राजस्थान में कितने अपराध के केस हुए हैं ?

(2) चोरियां, बलात्कार, कत्ल इस प्रकार के केस किन-किन जिलों में कितने हुए और उन सभी प्रकरणों में अभी तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) छठी विधान सभा भंग होने के पश्चात् मार्च, 80 से जून, 80 तक प्रदेश में 20,109 अपराध पंजीबद्ध हुए हैं।

(2) वांछित सूचना संलग्न है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

टोंक जिले के बांधों का सर्वेक्षण

216. श्री महावीरप्रसाद (टोंक):—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) टोंक जिले में सिंचाई की दृष्टि से बांधों का सर्वेक्षण किन किन स्थानों पर हुआ ?

(2) कौन-कौन से स्थान बांध बनाने के लिए उपयुक्त हैं ?

(3) उपरोक्त योजना में कितनी राशि लगेगी एवं इन्हें पूरा करने की अवधि क्या है ?

उत्तर

(1) जिन स्थानों पर सर्वे कार्य हुआ है उनकी सूची संलग्न है।

(2) सर्वे कार्य के पश्चात् योजना पर तखमीना बनाने के बाद बी.सी. रेशो निकाला जाता है, तथा योजना की उपयुक्तता बी.सी. रेशो पर आधारित होती है जो कि 1.5:1 से अधिक होना चाहिए बिसलपुर बांध उपयुक्त है। अन्य विचाराधीन हैं।

(3) भाग 1 में संलग्न सूची में अनुमानित राशि दर्शा दी गई है। छठी पंचवर्षीय योजना में बजट प्रावधान होने पर उपयुक्त योजनाओं पर कार्य किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

सांगानेर विधान सभा के अन्तर्गत अपूर्ण सड़कें

217. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सांगानेर विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में कौन-कौन सी सड़कें ऐसी हैं जिनका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है ?

(2) उक्त अधूरी सड़कों को पूरा करने की क्या कोई योजना है ? यदि हां, तो इन्हें कब तक पूरा करा दिया जायेगा।

उत्तर

(1) सांगानेर विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में निम्नलिखित सड़कों का निर्माण पूरा नहीं हुआ :—

1. महाना से जयसिंहपुरा

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

2. महाना से मांगलियावास।

3. वाला से कपूर वाला।

4. सांगानेर सोडाला सड़क से गोलियावास।

5. जयपुर-अजमेर सड़क से गांव भम्भोडिया को जोड़ने का कार्य।

6. कलवाड़ा-बगरू वाया अजय राजपुरी सिरौली।

7. चन्लाई से सितारिया सड़क का कार्य।

(2) चन्लाई से सितारिया सड़क का कार्य स्वीकृत है एवं मार्च, 1981 तक पूर्ण हो जावेगा।

शेष छः सड़कों की स्वीकृति नहीं है।

विजय मन्दिर (अलवर) दढ़ीकर सड़क का निर्माण

218. श्री जीतमल जैन (अलवर): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विजय मन्दिर (अलवर) से हाजीपुर-दढ़ीकर वाया तेहड़पुर सड़क के निर्माण की योजना गत सरकार द्वारा स्वीकृत हो गई थी?

(2) यदि हां, तो इस सड़क का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ हो रहा है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

जन-सम्पर्क व सहायक जन-सम्पर्क अधिकारी के पद

219. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर): क्या जन सम्पर्क मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में सम्पर्क अधिकारी तथा सहायक जन-सम्पर्क अधिकारी के कितने कितने पद कितने समय से रिक्त हैं?

(2) इन पदों के लिए क्या-क्या शैक्षणिक योग्यतायें निर्धारित की गई हैं तथा इन पदों पर चयन करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है।

(3) निकट भविष्य में इन पदों पर राज्य सरकार कब तक नियुक्तियां करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) (अ) राज्य में जन-सम्पर्क अधिकारी के निम्न पद उनके सामने अंकित तिथि से रिक्त पड़े हैं :—

1.	जन-सम्पर्क अधिकारी, चूरू	31-12-79
2.	जन सम्पर्क अधिकारी, चित्तौड़गढ़	20-2-80
3.	जन-सम्पर्क अधिकारी, जोधपुर	24-3-80
4.	शोध एवं सन्दर्भ अधिकारी, मुख्यालय	10-3-80

(जन सम्पर्क मन्त्री)

(ब) राज्य में सहायक जन सम्पर्क अधिकारी एवं इसके समकक्ष दो पद रिक्त हैं :—

सूचना केन्द्र, उदयपुर में रंगमंच सहायक का एक पद दिनांक 6-7-79 से एवं प्रदर्शनी सहायक का एक पद दिनांक 6-11-79 से रिक्त है।

2 (अ) जन-सम्पर्क अधिकारी के पद के लिए राजस्थान जन-सम्पर्क सेवा नियम, 1966 में निम्न प्रकार योग्यता निर्धारित की हुई है :—

इन पदों पर 50% पदोन्नति एवं 50% सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की जाती है।

1. सीधी भर्ती के लिये योग्यता।

मान्य भारतीय विश्वविद्यालय से स्नातक साथ जनरलिज्म का राष्ट्रीय या राज्य स्तर के समाचार पत्र अथवा राष्ट्रीय स्तर के न्यूज एजेन्सी या केन्द्रीय या राज्य जन सम्पर्क या सूचना एवं प्रसारण विभाग के प्रख्यापित (Prescribed) सेवा नियमों में वर्णित निम्न पदों का 5 वर्ष का अनुभव 1- पत्र निरीक्षक, 2. पत्रकार, 3- उप सम्पादक, 4- रिपोर्टर 5- प्रदर्शनी सहायक, 6- सहायक जन सम्पर्क अधिकारी, 7. रंगमंच सहायक मान्य भारतीय विश्वविद्यालय से स्नातक साथ मान्य संस्था से जनरलिज्म का डिप्लोमा अथवा मान्य भारतीय विश्व विद्यालय से हिन्दी या अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि और जनरलिज्म का राष्ट्रीय या राज्य स्तर के समाचार पत्र या केन्द्रीय या राज्य जन-सम्पर्क या सूचना प्रसारण विभाग के प्रख्यापित सेवा नियमों में वर्णित पदों का यानि पत्र निरीक्षक, पत्रकार, उप सम्पादक, रिपोर्टर, प्रदर्शनी सहायक, सहायक जन-सम्पर्क अधिकारी, और रंगमंच सहायक का तीन वर्ष का अनुभव। देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का एवं राजस्थानी बोलियों में से किसी एक बोली का व्यवहारिक ज्ञान।

(2) पदोन्नति के लिये योग्यता :

निम्नलिखित पदों या किसी एक पद पर कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव। 1. पत्र निरीक्षक, 2. पत्रकार, 3. उप सम्पादक, 4. रिपोर्टर, 3. प्रदर्शनी सहायक 6. सहायक जन सम्पर्क अधिकारी, 7. रंगमंच सहायक।

इन पदों पर सीधी भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है एवं पदोन्नति के लिये नियमानुसार विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष विचार कर पदोन्नति दी जाती है।

(ब) सहायक जन-सम्पर्क अधिकारी के लिये राजस्थान जन-सम्पर्क अधीनस्थ सेवा नियम, 1975 में निम्नलिखित योग्यताऐं निर्धारित की हुई है:—

नियुक्ति 50% पदोन्नति एवं 50% सीधी भर्ती द्वारा भरने का प्रावधान है।

1: सीधी भर्ती के लिए योग्यता: -

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। किसी प्रमुख समाचार पत्र कार्यालय या राज्य सरकार के अथवा

(जन-सम्पर्क मन्त्री)
केन्द्र सरकार के जन-सम्पर्क विभाग में 3 वर्ष का पत्रकारिता का अनुभव।

या

स्नातक एवं पत्रकारिता में डिप्लोमा

हिन्दी व अंग्रेजी विषय मे स्नातकोत्तर प्रत्याशी को प्राथमिकता दी जायेगी।

2. पदोन्नति के लिये योग्यता :—

निम्नलिखित पदों या किसी एक पद पर 7 वर्ष के कार्य का अनुभव।

1. स्वागतकर्त्ता
2. उद्बोधक
3. प्रूफ रीडर

पदोन्नति के लिये नियमानुसार विभागीय पदोन्नति के समक्ष विचार कर पदोन्नति की जाती है। एवं नियुक्ति के लिये नियमानुसार नियोजन कार्यालय द्वारा प्राप्त सूची के आशार्थियों का साक्षात्कार आधार पर चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार नियुक्ति की जाती है।

(3) (अ) जन-सम्पर्क अधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग ने उम्मीदवारों का चयन कर लिया है। इन्हें नियुक्त करने की कार्यवाही शीघ्र ही की जा रही है।

(ब) राज्य सरकार द्वारा रिक्त पदों को भरने पर प्रतिबन्ध होने के कारण सहायक जन-सम्पर्क अधिकारी के पद नहीं भरे जा सके। इनको भरने के लिये प्रतिबन्ध में छूट देने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है। निर्णय प्राप्त होते ही पद भर लिये जायेंगे।

बन्दीगृहों से फरार बन्दी

220. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) फरवरी, 1980 से अब तक राज्य के किन किन बन्दीगृहों से कितने कितने बन्दी फरार हो गये? कृपया विवरण सहित तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) इन फरार व्यक्तियों के विरुद्ध कहां कहां कितने कितने व किस किस अदालत में मुकदमें चल रहे थे? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) किन-किन के विरुद्ध कौन-कौन से मामले पुलिस के पास तफतीश में चल रहे थे?

(4) कितने बन्दी वापिस पकड़े गये और कब-कब?

(5) क्या यह सही है कि इन फरारी के मामलों की जांच करवाई गई? यदि हां, तो किस किस मामले की किस किस अधिकारी से जांच करवाई गई और इन जांचों का क्या क्या परिणाम निकला? कृपया सम्बन्धित विवरण सदन की मेज रखें।

(6) इन फरारी के मामलों के लिए उत्तरदायी किन-किन कर्मचारियों व अधि-

(सुश्री पुष्पा जैन)
कारियों के विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) राजस्थान की निम्नलिखित कारागृहों से चार विचाराधीन बन्दी फरवरी, 1980 से दिनांक तक फरार हुये हैं:—

क्र. सं.	कारागृह का नाम	फरारी का दिनांक	फरार हुये बन्दियों की संख्या
1.	जिला कारागृह, गंगापुर सिटी	2-3-80	3 विचाराधीन बन्दी
2.	केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर	17-4-80	1 ,, ,,

(2) सूची संलग्न है ।

(3) सर्व श्री लक्ष्मणसिंह पुत्र दिलीप सिंह राजपूत, कल्याण सिंह पुत्र बिरधा कुम्हार और शरद पाण्डे पुत्र विश्म्बर पाण्डे के विरुद्ध मुकदमा नं. 75/80 धारा 225-ए 120 बी, 394 ता. हि. थाना गंगापुर सिटी में तफतीश चल रही है। श्री शब्बीर उर्फ शरफुद्दीन पुत्र अब्दुल हमीद मुसलमान के विरुद्ध मुकदमा नं. 95/80 धारा 224 ता. हि. थाना उदयमन्दिर जोधपुर में तफतीश चल रही है ।

(4) अभी तक कोई फरार बन्दी वापस नहीं पकड़ा गया ।

(5) जिला कारागृह गंगापुर सिटी से दिनांक 1-3-80 को हुई फरारी की प्राथमिक जांच उप खण्ड दण्डनायक एवं प्रशासनाधिकारी जेल, गंगापुर सिटी द्वारा की गई तथा राज्य सरकार के टेलीफोनिक आदेशों की पालना में घटना स्थल का निरीक्षण करने व फरारी के कारणों की जानकारी करने का कार्य तत्कालीन महानिरीक्षक कारागार श्री राधाकान्त सक्सेना द्वारा किया गया । इस मामले में इस कारागृह के निम्नलिखित कर्मचारियों को निलम्बित किया गया :—

1. श्री जुगल किशोर मुख्य प्रहरी

2. श्री मोहर पाल प्रहरी

2. केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर से दिनांक 17-4-80 को हुई फरारी की जांच के लिये जिला दण्डनायक, जोधपुर ने दिनांक 3-5-80 को नगर दण्डनायक, जोधपुर को आदेश दिए थे । जांच रिपोर्ट अपेक्षित है । तथा सन्दर्भित मामलों में राज्य सरकार के टेलीफोनिक आदेशों की पालना में फरारी का घटनास्थल का निरीक्षण कर वस्तुस्थिति की जानकारी श्री मुश्ताक अहमद अंसारी उप महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर द्वारा दी गई । इस मामले में कारागृह के निम्न लिखित 2 प्रहरियों को निलम्बित किया गया है: —

1. श्री तेजकरण प्रहरी

2. श्री सीताराम प्रहरी

जांच रिपोर्ट अपेक्षित है ।

(6) 1. जिला कारागृह, गंगापुरसिटी से दिनांक 2-3-80 को हुई फरारी के सम्बन्ध में इस कारागृह के मुख्य प्रहरी श्री जुगल किशोर एवं प्रहरी श्री मोहर पाल को दिनांक 3-3-80 को तत्कालीन

(गृह मन्त्री)
महानिरीक्षक, कारागार श्री राधाकान्त सक्सैना द्वारा उनके गंगापुर सिटी कारागृह के घटना स्थल के निरीक्षण के दौरान निलम्बित किया गया।

2. केन्द्रीय कारागृह जोधपुर से दिनांक 17-4-80 को हुई फरारी के सम्बन्ध में निम्नांकित 2 प्रहरियों को निलम्बित किया गया है: —

1. श्री तेजकरण प्रहरी

2. श्री सीताराम प्रहरी। जांच अपेक्षित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

सिचाई विभाग में ट्रेसर व फोरमैन के रिक्त पद

221. श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग (राजस्थान) विज्ञापन संख्या 1/79 के अन्तर्गत ट्रेसर व फोरमैन के पदों के लिये आवेदन 1 जुलाई, 1979 तक मांगे गये थे? यदि हां, तो किस-किस पद के लिये कितने-कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये?

(2) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हो चुकी है?

उत्तर

(1) जी हां। विज्ञापन संख्या 1/79 के द्वारा फोरमैन व अन्य पद भरने हेतु जारी किया गया था जिसकी अन्तिम तिथि बढ़ाकर 31-7-79 कर दी गई थी। उक्त विज्ञापन के सन्दर्भ में ट्रेसर पद हेतु 715 व फोरमैन पद हेतु 4,572 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए।

(2) साक्षात्कार पश्चात् ट्रेसर (अनुरेखक) के पद पर नियुक्तियां मुख्य अभियन्ता सिंचाई, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एफ-2 (20) मु. अ. सिं/स्था/1204-5, दिनांक 5-2-80 द्वारा की जा चुकी हैं। फोरमैन के आवेदन पत्र अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होने के कारण अब तक साक्षात्कार नहीं हो सका है अब शीघ्र निर्णय लेकर साक्षात्कार हेतु पत्र शीघ्र जारी कर दिये जायेंगे।

टोंक जिले के उद्योग

222. श्री महावीरप्रसाद (टोंक): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) टोंक जिले में कितने उद्योग कहां-कहां और किस किस प्रकार के चल रहे हैं और उनमें बीमार उद्योग कितने और कहां कहां हैं?

(2) उन बीमार उद्योग को चलाने के लिए सरकार क्या कर रही है?

(3) किन-किन उद्योगों को जमीन पानी आदि के लिये बैंक अथवा राजस्थान वित्त निगम द्वारा लोन दे दिया गया है, उनमें कौन-कौन से उद्योग चालू नहीं हुये और क्यों?

उत्तर

(1) टोंक जिले में कुल 1613 उद्योग चालू हैं जिनकी वर्गीकृत उद्योगानुसार

(उद्योग मन्त्री)

सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है। टोंक जिले के टोडारायसिंह तहसील में 18 हाथ करघा उद्योग रुग्ण अवस्था में हैं इसके अतिरिक्त 2 तेल मिलें निवाई में और एक लोहे की इकाई टोंक में रुग्ण अवस्था में है।

(2) हाथ करघा वस्त्र की इकाइयां सूत की अनुपलब्धता एवं मार्केटिंग की समस्या की वजह से रुग्ण अवस्था में हैं। राजस्थान हाथ करघा परियोजना मण्डल द्वारा कच्चा माल वितरण हेतु टोडारायसिंह में डिपो खोला जा रहा है जिसके अगस्त माह में चालू होने की सम्भावना है। 3 अन्य इकाइयां जिनका उल्लेख खण्ड 1 में किया है इनके मालिक व खातेदार इकाइयों को चालू करने में असमर्थ पाये गये हैं। इनको चालू करने के लिये वित्त निगम द्वारा नीलाम कर पुनः उद्योग प्रारम्भ किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) इन उद्योगों में से 13 उद्योगों को जमीन व पानी उपलब्ध कराया जा चुका है। 339 उद्योगों को बैंक द्वारा ऋण एवं 191 उद्योगों को राजस्थान वित्त निगम द्वारा ऋण सुविधाएं दी जा चुकी हैं। 565 उद्योग चालू है। जो 113 उद्योग चालू नहीं हैं उनके मुख्य कारण निर्माणाधीन होना, विकास शुल्क जमा न होना, वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की प्रकिया पूरी न होना एवं बंधक पत्र आदि नहीं लिखना है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

कोटा जिले में सीलिंग में आई भूमि का मुआवजा

223. **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद), **श्री छीतरलाल आर्य** (अटरू) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोटा जिले में गत 10 वर्षों में कुल कितनी जमीन किस-किस तहसील में सीलिंग कानून के तहत हस्तांतरित की गई ?

(2) क्या वह सारी जमीन खेतीहर व्यक्तियों में वितरित कर दी गई ? यदि हां, तो तहसीलवाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। सीलिंग से हस्तांतरित अब कितनी जमीन वितरण करने के लिए बकाया है ?

(3) जिन भूमिधारियों से सीलिंग के तहत जमीनें हस्तांतरित की गई थी उन्हें किस भाव से कितना कितना मुआवजा दिया गया ?

(4) क्या यह भी सही है कि उनको मुआवजा अभी तक भी नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों नहीं ? अब राज्य सरकार कब तक यह मुआवजा दे देगी ?

उत्तर

(1) कोटा जिले में सीलिंग के अन्तर्गत की भूमि अधिग्रहण होकर हस्तांतरित हुई है। उसकी तहसीलवाइज सूचना परिशिष्ट 'अ' में संलग्न है।

(2) अधिग्रहीत भूमि में से जो भूमि खेतीहर व्यक्तियों को आवंटित की गई उसकी तहसीलवाइज सूचना परिशिष्ट 'ब' में संलग्न है।

(राजस्व मन्त्री)

तहसीलवार सीलिंग से प्राप्त आवंटन योग्य उपलब्ध भूमि की सूचना परिशिष्ट 'अ' में संलग्न है।

(3) अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है। जो भी भुगतान किया जावेगा, वह नियमों में निर्धारित दर के अनुसार किया जावेगा।

(4) जी हां। राज्य सरकार में भूमि निहित हो जाने की तारीख से एक माह के अन्दर भूमिधारियों को मुआवजा हेतु क्लेम प्रस्तुत करने का प्रावधान है। किन्तु 1413 व्यक्तियों में से केवल मात्र 423 व्यक्तियों के द्वारा ही क्लेम प्रस्तुत किये गये हैं। जिनकी जांच की जा रही है। जांच पूर्ण होते ही वाजिब मुआवजे का नियमानुसार भुगतान कर दिया जावेगा, शेष 990 व्यक्तियों द्वारा अभी तक क्लेम प्रस्तुत न किये जाने के कारण नियमानुसार कोई भुगतान किया जाना सम्भव नहीं हुआ।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

हस्तकला शिक्षक प्रशिक्षणालय परशुराम द्वारा, जयपुर

224· श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या शिक्षा विभाग द्वारा आमेर रोड, जयपुर में हस्तकला शिक्षक प्रशिक्षणालय, परशुराम द्वारा नामक संस्था चलाई जा रही है ? यदि हां, तो कब से और अब तक कितने शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है तथा उन पर कितना व्यय किया जा चुका है ? सदन की मेज पर विवरण रखने की कृपा करें।

(2) यहां से प्रशिक्षित शिक्षकों में से कितनों को रोजगार उपलब्ध कराया गया तथा किन पदों पर ?

(3) क्या इस प्रशिक्षणालय में 10+2 के तहत नये-नये पाठ्यक्रम इलैक्ट्रोनिक्स और इलैक्ट्रिसिटी उद्योग शुरू किये गये थे ? यदि हां, तो इन उद्योगों के इन्सट्रक्टर्स की नियुक्ति किस आधार पर की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां, सन् 1961 से उद्योग प्रशिक्षण संस्था के रूप में चलाई जा रही है। अब तक लगभग 2,000 शिक्षक प्रशिक्षित किये जा चुके हैं। व्यय वार्षिक योजनानुसार किया जाता है। वर्ष 1980-81 में तद् हेतु वित्तीय प्रावधान 2.51 लाख रुपये है।

(2) यह बताया जाना सम्भव नहीं है कि यहां से प्रशिक्षित कितने व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है क्योंकि रोजगार देने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति यहां से ही प्रशिक्षित हो तथा यहां का हर व्यक्ति इस राज्य में रोजगार के लिये आवेदन करें।

(3) राज्य की आवश्यकता को देखते हुए वर्ष 1975 में ये उद्योग प्रारम्भ किये गए थे। उद्योगों के इन्सट्रक्टर्स की नियुक्ति कनिष्ठ व्याख्याता (भौतिक) एवं द्वितीय वेतन शृंखला के अध्यापकों में से नियमानुसार की जाती है।

डग विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत स्कूलों में अध्यापकों की कमी

225. **श्री बालचन्द्र आर्यवीर** (डग) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) डग विधान सभा क्षेत्र में कितने हायर सैकेण्डरी, सैकण्डरी, मिडिल और प्राइमरी स्कूल हैं ?

(2) क्या उक्त सभी स्कूलों में वर्तमान में अध्यापक पूर्ण हैं, और कितने ऐसे स्कूल हैं, जो अध्यापकों के अभाव में बन्द पड़े हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) कितने ऐसे अध्यापक स्कूल हैड-क्वार्टर पर रहते हैं और जो नहीं रहते हैं क्या स्कूल समय पर पहुंच पाते हैं ? यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) डग क्षेत्र में 2 हायर सैकण्डरी, 5 सैकण्डरी, 15 मिडिल एवं 86 प्राथमिक विद्यालय हैं।

(2) शिक्षा विभाग के अधीन सभी विद्यालयों में अध्यापक पूर्ण हैं। कोई विद्यालय अध्यापकों के अभाव में बन्द नहीं है।

(3) शिक्षा विभाग में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि अध्यापक मुख्यालय पर नहीं रहते। अध्यापकों के विलम्ब से आने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

भीलवाड़ा नगर में नेहरू रोड मालीखेड़ा स्थित बस्ती के शौचालय

226. **श्री बन्शीलाल पटवा** (भीलवाड़ा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) भीलवाड़ा नगर में नेहरू रोड मालीखेड़ा स्थित बस्ती के दक्षिण दिशा में जनाने शौचालयों को बनाये कितने वर्ष हुए ?

(2) क्या नल फिटिंग व कनेक्शन के अभाव में उन्हें आज तक चालू नहीं किया गया ? यदि हां, तो ये कनेक्शन क्यों नहीं दिया गया ?

उत्तर

(1) जनाने शौचालय उक्त बस्ती के दक्षिण में न होकर उत्तर दिशा में हैं व दिनांक 26-9-74 को बनाया गया था।

(2) नल फिटिंग होकर कनेक्शन दिया जा चुका है।

इन्द्रगढ़-ठीपरी सड़क

227. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा): क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि इन्द्रगढ़ से ठीपरी सड़क का निर्माण कार्य अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत कराया जा रहा है ?

(2) यदि हां, तो इस सड़क पर कुल कितनी राशि व्यय होगी तथा कितना कार्य हो गया है ?

(श्री हीरालाल आर्य)

(3) उक्त सड़क पर कुल कितने मजदूर कार्य कर रहे हैं किस-किस मजदूर ने कितने कितने दिन कार्य किया तथा उसको पारिश्रमिक में किस हिसाब से कितना कितना गेहूं तथा नकद राशि दी गई पूर्ण पता सहित सूची प्रारम्भ से अब तक सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या उक्त सभी मजदूरों को मजदूरी चुका दी गई है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस सड़क पर 31-7-80 तक अनुमानतः 60 हजार रुपये व्यय होंगे। इस सड़क का 5 कि. मी. मिट्टी का कार्य हुआ है तथा 2 कि. मी. सड़क के लिये खानों पर मिट्टी तोड़ी गई है।

(3) उक्त सड़क पर इस समय औसतन 220 श्रमिक कार्य कर रहे हैं। किस किस मजदूर ने कितने-कितने दिन कार्य किया तथा उनको पारिश्रमिक में कितना कितना गेहूं तथा नकद राशि दी गई है उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। श्रमिकों को 3 किलो गेहूं व 1.50 रुपया नकद प्रति दिन दिये जाने का प्रावधान है।

(4) दिनांक 30-6-80 तक श्रमिकों को मजदूरी चुकाई गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

रायपुर व सोजत पंचायत समितियों में हुये विभिन्न कार्य

228. **श्री सुखलाल सेंणचा** (रायपुर): क्या सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला पाली के रायपुर पंचायत समिति में वर्ष 78 से अप्रेल, 80 तक कौन कौन व्यक्ति विकास अधिकारी पद पर कार्यरत रहे ? उनके विरुद्ध राज्य सरकार को कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(2) वर्ष 1977 से आज तक काम के बदले अनाज योजना में रायपुर एवं सोजत पंचायत समितियों में किस विभाग या पंचायत के मार्फत क्या-क्या काम किस लागत के किस किस प्रकार के हुए ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) वर्ष 1978 से अप्रेल, 1980 तक जिला पाली की पंचायत समिति, रायपुर में निम्न व्यक्ति विकास अधिकारी पद पर कार्यरत रहे: —

(क) श्री ताराचन्द पिपाड़ा - इनका स्थानान्तरण दिनांक 13-6-79 को हो गया।

(ख) श्री मदनलाल जोशी—दिनांक 29-8-79 से लगाये गये।

(ग) श्री चिरंजीलाल जैन—दिनांक 18-2-80 से कार्यरत है।

(सहायता मंत्री)

शिकायतें व कार्यवाही का विवरण:—

1. श्री ताराचन्द पिपाड़ा के विरुद्ध अध्यक्ष, जनता पार्टी, रायपुर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जिसको जिलाधीश पाली को जांच हेतु भेजा गया। इस सन्दर्भ में श्री केसाराम चौधरी, संयोजक, जनता पार्टी, रायपुर ने पत्र लिख कर अवगत कराया कि पूर्व में अध्यक्ष द्वारा की गई शिकायत गलत है फिर भी इसकी जांच करायी जा रही है।

2. दूसरी शिकायत श्री निरंजीलाल जैन के विरुद्ध प्राप्त हुई, जिसके सन्दर्भ में उप-जिला विकास अधिकारी ने जांच कर प्रतिवेदन जिलाधीश, पाली को दिनांक 25-3-80 को प्रस्तुत किया। जांच रिपोर्ट के आधार पर श्री जैन को कारण बताओ नोटिस दिया गया जिसके सन्दर्भ में प्राप्त उत्तर के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर दिनांक 26-5-80 को विशिष्ठ शासन सचिव, सहायता विभाग को भिजवाई गई। जिसके सन्दर्भ में विशिष्ठ शासन सचिव, सहायता विभाग ने पत्र दिनांक 6-6-80 लिखकर कुछ मुद्दों पर पुनः जांच हेतु लिखा है जिसके सन्दर्भ में कार्यवाही जारी है।

(2) कार्यों की सूची तैयार करवाई जा रही है। बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी।

बाड़मेर जिले में कृषि भूमि का आवंटन

230. **श्री अमीन खां** (शिव): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर जिले की तहसील शिव, बाड़मेर और चौहटन में कुल कितने भूमिहीन कृषक हैं जो जन्म से भारतीय नागरिक हैं? इनमें से अनुसूचित जाति व जनजाति के कितने कितने सदस्य हैं? पंचायतवार संख्या बताने की कृपा करें।

(2) तहसील शिव, बाड़मेर व चौहटन में ऐसे कितने कृषक हैं जिनके सन् 1975 (संवत् 2032) से कृषि भूमि पर कब्जे हैं? इनमें अनुसूचित जाति व जनजाति के कितने कितने लोग हैं? पंचायतवार बताने की कृपा करें।

(3) क्या यह सच है कि केवल बाड़मेर जिले में ही भारत के मूल निवासियों को कृषि भूमि का आवंटन बन्द किया हुआ है? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

(4) क्या यह सच है कि बाड़मेर जिले की तहसील शिव, बाड़मेर व चौहटन में नियमन व आवंटन प्रकरण दबा रखे हैं और उसके स्थान पर पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को भूमि का आवंटन जन प्रतिनिधियों की बैठक में सलाह मशविरा किये बिना किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले की तहसील शिव में 591, तहसील चौहटन में 1170 तथा तहसील बाड़मेर में 2878 कुल 4569 भूमिहीन कृषक हैं जो जन्म से भारतीय नागरिक हैं, इनमें से अनुसूचित जाति के सदस्य तहसील शिव में 176, तहसील बाड़मेर में 794 एवं तहसील चौहटन में 382 काश्तकार हैं तथा अनुसूचित जन जाति के तहसील शिव में 23, बाड़मेर में 358 एवं चौहटन में 268 कृषक हैं।

(राजस्व मंत्री)
पंचायत वार सूचना संलग्न सूची के अनुसार है।

(2) तहसील शिव में 142, बाड़मेर में 175 एवं चौहटन में 711 कृषक ऐसे हैं जिनका 1975 (सम्वत् 2032) से कृषि भूमि पर कब्जे हैं। इनमें से अनुसूचित जाति के तहसील बाड़मेर में 44, शिव में 27 तथा चौहटन में 155, एवं अनुसूचित जन जाति के तहसील बाड़मेर में 40, शिव में 3 तथा चौहटन में 101 है। पंचायतवार सूचना संलग्न सूची के अनुसार है।

(3) जी नहीं। डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत चयनित सभी जिलों पर आवंटन पर प्रतिबन्ध है।

(4) जी नहीं। तहसील शिव, बाड़मेर एवं चौहटन में दिनांक 1-1-71 तक के नियमन योग्य सभी मामले नियमित किये जा चुके हैं।

पाक से आये शरणार्थियों की भूमि का आवंटन भूमि आवंटन नियमों के नियम 17 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिलाधीश के द्वारा किया जा रहा है और उस नियम के अनुसार सलाहकार कमेटी या जन प्रतिनिधियों की बैठक में सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

बिजली की चोरी करने वाले उद्योगों के विरुद्ध कार्यवाही

231. श्री जीतमल जैन (अलवर): क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत 1 जुलाई, 1979 से 30 जून, 1980 तक किन उद्योगों ने बिजली की चोरी की? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) चोरी करने वाले उद्योगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इन मामलों में की गई कार्यवाही का विवरण भी उक्त सूची में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 16 देखें)

चित्तौड़गढ़ जिले में वेतन स्थिरीकरण के अनिर्णीत प्रकरण

232. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिले में किन-किन कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन स्थिरीकरण सम्बन्धित मामले कब से तथा किन कारणों से बकाया है?

(2) सरकार इस ओर क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) सरकार द्वारा सम्बन्धित विभागाध्यक्षों को वेतन स्थिरीकरण

(कार्मिक मंत्री)
सम्बन्धित बकाया मामलों को दो माह में अवश्य निपटाने हेतु आदेश दिये गये है।

विलम्ब के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये गये हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 17 देखें)

तहसील सवाई माधोपुर के गांवों में खातेदारी की भूमि पर काश्त नहीं होना

233. **श्री हंसराज** (सवाई माधोपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

( ) तहसील सवाई माधोपुर के सुनारी, मऊ, अटूण, मोठड़ा, भगवतगढ़ आदि ग्रामों की खातेदारी का कितना-कितना बीघा रकबा लगभग 20 वर्षों से काश्त नहीं होने के क्या कारण है?

(2) ऐसी जमीनों का विवरण ग्रामवार और उसके खातेदारान का नाम व काश्त होने वाली जमीन का रकबा व किस्म जमीन का विवरण तालिका के रूप में देवें।

उत्तर

(1) राजस्व रेकार्ड के अनुसार तहसील सवाई माधोपुर के ग्राम सुनारी मऊ, अटूण, गोठड़ा एवं भगवतगढ़ में खातेदारी का कोई ऐसा रकबा नहीं है जो लगभग 20 साल से काश्त नहीं हो रहा है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

टौंक शहर की गन्दी बस्ती का विकास

234. **श्री महावीरप्रसाद** (टौंक): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या टौंक शहर की गन्दी बस्ती के विकास हेतु कोई योजना राज्य सरकार ने बनाई है?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त गन्दी बस्तियों में मुख्यतः अल्प संख्यक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं?

(3) शहर के कितने वार्डों में नल, बिजली एवं सड़क की व्यवस्था नहीं है?

(4) समाज कल्याण विभाग एवं सरकार द्वारा इन बस्तियों के विकास हेतु कितनी राशि व्यय की गई है एवं आगे कितनी राशि व्यय करने का विचार है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) कोई गन्दी बस्ती नहीं है।

(3) टौंक में सभी वार्डों में नल, बिजली एवं सड़क की व्यवस्था है।

(4) प्रश्न के भाग (1) के उत्तर के बाद यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण
श्री श्रीराम गोटेवाला का
व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल-जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, ग्रान ए पाइन्ट ग्राफ पर्सनल क्लेरिफिकेशन।

ऐसा है, प्रश्न सं. 224 के भाग (4) के संबंध में जब बात हो रही थी तो माननीय दाऊदयाल जी जोशी ने पूरक प्रश्न के दौरान मेरे ऊपर व्यक्तिगत ग्रारोप लगाये थे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उसको नियमानुसार लिखित में प्रस्तुत करें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : ग्रध्यक्ष महोदय, या तो वे सदन के समक्ष बिना शर्त क्षमा याचना करें ग्रन्यथा मैं चुनौती देता हूं। इस होटल की बिल्डिंग के बारे में, उसको तुड़वाने या रुकवाने के बारे में अगर एक पर्सेंट भी मेरा हाथ उसमें साबित होता है तो मैं इस सदन की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दूंगा ग्रन्यथा वे इससे त्याग-पत्र दें। मेरे ऊपर उन्होंने खास तौर से चार्ज लगाया है। मैं मानता हूं कि हम लाखों लोगों के द्वारा चुन कर ग्राते हैं। सार्वजनिक जीवन से जुड़े रहने वाले व्यक्तियों का आचरण ऐसा नहीं होना चाहिये। इस प्रकार के ग्राचरण पर ग्रभी प्रभाकर जी ने कहा था उसी दौरान मेरे खिलाफ जो आरोप लगाये हैं उनके संबंध में मैं निवेदन करता हूं या तो वे उनको साबित करें ग्रन्यथा वे सदस्यता से त्याग-पत्र दें। ग्रगर ग्रारोप प्रमाणित होते हैं तो मैं त्याग-पत्र देने को तैयार हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ग्रॉर्डर प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के बारे में ....

श्री श्रीराम गोटेवाला : ग्राप कृपया प्रोसीडिंग्स दिखवा लें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ग्रॉर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : दाऊदयाल जी बोलेंगे। आप काहे को बोल रहे हो।

श्री भंवरलाल शर्मा : जो चर्चा शुरू हुई है।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : ग्रध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के बारे में क्या व्यवस्था है। जैसा कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ...

श्री अध्यक्ष : इसीलिये मैं बार-बार निवेदन कर रहा हूं। ग्रॉर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : ग्रध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के ऊपर जब चर्चा हो रही थी तब किशनपोल क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य ने ग्रारोप लगाया कि यह जो कुछ हुग्रा है उसमें मैं भी लिप्त था। यह खुशी की बात है कि इसमें इन्क्वायरी के ग्रादेश दे दिये गये हैं। माननीय सदस्य, क्या आप यह बात मानने के लिये तैयार हैं कि इसके परिणाम ग्राने के बाद यदि इसमें हमारा किसी प्रकार का हाथ नहीं है तो क्या ग्राप पद त्याग करेंगे ? जैसा आप चैलेंज कर रहे थे, क्या ग्राप इसके लिये तैयार हैं ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। स्थगन प्रस्ताव।

श्री भैरोंसिह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : श्री श्रीरामजी ने अपनी सफाई दे दी। मुझे खेद इस बात का है कि श्री राम किशोर व्यास, जो यहां उपस्थित नहीं हैं, पर आरोप लगाये गये उनकी सफाई देने को कोई तैयार नहीं है।

(व्यवधान)

श्री जगन्नाथ पहाड़िया (मुख्य मंत्री) : मैं समझता हूं कि विपक्ष के नेता को यह कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं उस समय श्री व्यास की ओर से खड़ा था। मुझे पता है व्यास जी इस बारे में कितने दुःखी थे क्योंकि उनके मकान का सारे का सारा

(व्यवधान)

हम इसकी जांच करवायेंगे और अगर कोई बात सही पाई गई तो आपको या श्री रामजी को चिन्ता होने की आवश्यकता नहीं है सारा मामला सामने आ जायेगा। जो स्थिति आयेगी उसके बारे में कार्यवाही करेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपकी पोल खुल जायेगी।

श्री अध्यक्ष : कृपया शांत रहें।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

1. सर्वश्री नन्दलाल मीणा, हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील प्रतापगढ़ एवं पीपल्दा की ग्राम पंचायत, सेवना द्वारा कराये गये काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत अप्रेल, 1980 से लगभग 600 मजदूरों को भुगतान नहीं किए जाने के विषय में,

2. सर्व श्री रघुवीरसिंह कौशल व दाऊदयाल जोशी, सदस्य विधान सभा की ओर से कोटा जिले में एच. एस. की बीमारी से पशुओं की मृत्यु के विषय में,

3. श्री मोहनलाल शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायत समिति, सरदारशहर, जिला चूरू के 11 गांवों में हरिजनों व पिछड़े वर्ग के लोगों को सहकारी समिति द्वारा ऋण वितरण नहीं किए जाने के विषय में,

4. श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा की ओर से सीकर जिले में 48 घंटों में भारी वर्षा से हुई तबाही के विषय में,

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

(५८)

(श्री अध्यक्ष)

5. श्री गुलाबचन्द कटारिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर नगर की झीलों के पानी पर जलकुंभी छा जाने से उदयपुर की जनता को पानी उपलब्ध न होने के विषय में,

6. श्री गोपाल पचेरवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 12 जुलाई की रात्रि को ग्राम बाड़ी, जिला भरतपुर में एक राजनैतिक कार्यकर्ता श्री रामदुलारे की हत्या के विषय में,

ये प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं। मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

7. सर्वश्री रंगजी मीणा व कुन्जीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील सपोटरा में भेड़ व ऊंटों की चराई के लिए भारी मात्रा में आने के कारण फसलों को हुई हानि के विषय में।

इस विषय पर सदन में पूर्व में एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा हो चुकी है अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

8. सर्वश्री चुन्नीलाल (रुण्डार) व हंसराज शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम बोंली, कस्बा सवाई माधोपुर में असामाजिक तत्वों द्वारा गत 24 जुलाई, 1980 को वन कर्मचारियों की पिटाई के विषय में।

सदन में इस विषय में पूर्व में एक स्थगन प्रस्ताव का उल्लेख किया जा चुका है। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि इसी सत्र में पूर्व में कुछ स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई थी, जिन पर राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई थी। उनमें से जिन प्रस्तावों पर जानकारी प्राप्त हो चुकी है, वे इस प्रकार हैं:—

1. श्री भगवानदास शास्त्री-गत 23 जुलाई, 80 को सिरोही जिले के ग्राम रोहिड़ा में 5 आदिवासी युवतियों से बलात्कार,

2. श्री गुलाबचन्द कटारिया व 5 अन्य माननीय सदस्य-उदयपुर में चेटक सर्किल में गत 10 जुलाई 80 को शबीर अली नामक एक अभियन्ता की हत्या,

3. श्री बंशीलाल पटवा-मांडल ग्राम के जगदीश इन्डेल नामक व्यक्ति की हत्या,

4. श्री गुलाबचन्द कटारिया व श्रीमती उजला अरोड़ा-उदयपुर शहर में कॉलेजों की हड़ताल तथा नगर में अशान्ति का वातावरण,

5. श्री गोपाल पचेरवाल व 7 अन्य माननीय सदस्य-कोटा महाविद्यालय के छात्रों द्वारा वाणिज्य संकाय के एक पर्चे का बहिष्कार,

6. श्री गोपाल पचेरवाल व 2 अन्य माननीय सदस्य-ग्राम बधाल, थाना रेनवाल जिला जयपुर में प्रकाश नामक युवक की 8 जुलाई, 80 को की गई हत्या,

7. श्री घनश्याम तिवाड़ी-सीकर जिले के लोसल तथा पीपराली कस्बों में दो हरिजनों की हत्या,

8. श्रीमती विद्या पाठक-सांगानेर कस्बे में असामाजिक तत्वों द्वारा की गई लूट-पाट,

(श्री अध्यक्ष)

9. श्री रघुवीरसिंह कौशल व 2 अन्य माननीय सदस्य-सी. ए. डी. कोटा द्वारा निजी फार्मों के विकास के अन्तर्गत केच-मेंट में आने वाले खेतों को लेवल करवाने के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार।

इन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसके अध्ययन करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं। इनमें से कुछ प्रस्तावों पर सदन में चर्चा भी की जा चुकी है।

व्यवस्था का प्रश्न

स्थगन प्रस्ताव पर सरकार से जानकारी प्राप्त होने में विलम्ब

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई): अध्यक्ष महोदय, ऑन ए पॉइन्ट आफ आर्डर।

आज से लगभग चार दिन पहले, तीन दिन पहले एक एडजोर्नमेन्ट मोशन दिया था...

श्री अध्यक्ष: आॅर्डर प्लीज।

इसके बारे में मैंने आपको निवेदन किया था, इसकी जानकारी प्राप्त की जा रही है। सूचना प्राप्त होते ही आपको अवसर दिया जाएगा।

श्री नाथूसिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि चार दिन के पश्चात् भी जानकारी नहीं आती है तो उस बात का महत्व समाप्त हो जाता है...

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज।

श्री नाथूसिंह: अध्यक्ष महोदय, दस दिन में तो प्रश्न का जवाब आ जाता है और चार पांच दिन में एडजोर्नमेंट मोशन का जवाब नहीं आवे...

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण करें। कल आप मुझे चेम्बर में मिले थे...

श्री नाथूसिंह: अध्यक्ष महोदय, चार-पांच दिन में सरकार की ओर से जवाब नहीं आता है तो आपकी तरफ से व्यवस्था देनी चाहिए कि 24 घन्टे के अन्दर एडजोर्नमेंट मोशन का जवाब आ जाना चाहिए। यह व्यवस्था आपकी तरफ से हो जानी चाहिए...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री कटारिया। आप स्वयं ही अपने हितों पर कुठाराघात कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन करना है कि एडजोर्नमेंट मोशन के बारे में जानकारी प्राप्त की जाए उसके लिए एक सीमा निर्धारित होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: 24 घन्टे की सीमा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: यह सही है। आपने 24 घन्टे की सीमा निर्धारित की है उसमें भी सरकार की ओर से उत्तर नहीं आता है तो उसे आप स्वीकार करें या अस्वीकार करें, यह निर्णय आपका हो जाना चाहिए। हाउस के प्रारंभ होते ही जो एडजोर्नमेंट मोशन दिए गए थे उनका भी उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

देर हो जाने पर उसका कोई महत्व नहीं रहता है। इसलिए 24 घंटे के पश्चात् आप इनको निश्चित रूप से ले लें।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न पर विचार करूंगा।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर): किसानों को तकावी न मिलने के विषय में एक स्थगन प्रस्ताव दिया था। मुख्य मंत्री महोदय ने कल फर्माया था कि वे उसका जवाब देंगे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज : आपको कोई कठिनाई हो, कोई जानकारी करना चाहें तो चेम्बर में मिल लें। आपको कोई जानकारी लेनी हो तो चेम्बर में मिल सकती है। माननीय सदस्य मिलना चाहें तो वे मिल सकते हैं····

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, जिनका नाम पुकारूं, वे ही बोलें।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, हमारे स्थगन प्रस्तावों का जवाब नहीं आ रहा है····

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

जो प्रस्ताव अस्वीकृत हुए हैं उन पर आपको बोलने की अनुमति दी जाती है। जिनकी जानकारी की जा रही है। उन पर कृपया माननीय सदस्य नहीं बोलें।

विपक्ष के नेता महोदय ने जो सुझाव दिया है उस पर मैं विचार करूंगा कि 24 घंटे के अन्दर सरकार से जानकारी प्राप्त नहीं हो तो उस स्थिति में क्या किया जाए। जैसी कि कुछ दिनों से व्यवस्था बनी है उसके अनुसार जिन माननीय सदस्यों के प्रस्ताव अस्वीकृत हुए हैं उस पर वे एक-दो मिनट में अपनी शिकायत फर्मा दें। मैं समझता हूं इसमें आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी। एक साथ सभी माननीय सदस्य बोलेंगे तो समय का सदुपयोग नहीं हो पाएगा। मेरा विनम्र निवेदन है कि जो परम्परा है उसको मजबूत बनावें। इसमें किसी माननीय सदस्य को शिकायत नहीं रहेगी। बिना अनुमति के माननीय सदस्य बोलते रहेंगे तो यहां पर कोई चर्चा नहीं हो सकती है। यह मेरा निवेदन है। किसी भी माननीय सदस्य की शिकायत रह जाती है तो वे मुझसे मिल सकते हैं।

(व्यवधान)

आप समय खराब मत करिये, इससे कुछ नहीं होगा।

(व्यवधान)

आॅर्डर प्लीज, आॅर्डर प्लीज।

श्री नाथूसिंह : 24 घन्टे तो कल के समाप्त हो चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : उसके लिए आप अलग से बात कर सकते हैं। यह कोई समय नहीं है।

(व्यवधान)

कुछ भी अंकित न हो।

श्री नाथूसिंह : × × × × आर्डर प्लीज।

श्री अध्यक्ष : इस तरह से आप नहीं बोल सकते हैं। मैं मौका दूं आपको तब बोलें।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज। आप इस तरह से कार्यवाही सदन पर नहीं थोप सकते हैं। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री दुलाराम : आन ए पाइंट ऑफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : पाइंट ऑफ ऑर्डर है।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि आपने किसी एडजोर्नमेंट मोशन, जिस पर जल्दी से जल्दी चर्चा होनी चाहिये, जानकारी के लिये भेजा। अगर एडजोर्नमेंट मोशन को स्वीकार नहीं करें तो सदस्य कुछ न कुछ बोल सकते हैं। आपने 24 घंटे में जानकारी देने के लिये सरकार को भेजा और सरकार 3 दिन तक या 4-5 दिन तक वह जानकारी नहीं भेजे। उसके बाद आप यह कह सकते हैं कि इसको हम केंसिल कर देते हैं। हमारे सामने यह दिक्कत आ सकती है कि सरकार जानबूझ कर के किसी भी एडजोर्नमेंट मोशन की सूचना नहीं भेजे, ऐसी स्थिति में हमारे सामने ...

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन कर दिया है कि इस सम्बन्ध में व्यवस्था दूंगा।

(व्यवधान)

श्री नाथूसिंह : आपने आदेश दिया कि 24 घंटे में ...

श्री अध्यक्ष : आप कृपया चेम्बर में मिल लें, इसकी व्यवस्था कर दी जायेगी।

माननीय सदस्य, कृपया आप चैम्बर में मिलने का कष्ट कीजिये। यह कोई प्रश्न काल नहीं है जो आप ...

(व्यवधान)

कुछ भी अंकित नहीं हो।

श्री नाथूसिंह : × × × ×

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आप स्थान ग्रहण कीजिये। आर्डर प्लीज।

माननीय सदस्य, जयपुर मैटल्स के बारे में या अन्य किसी स्थगन प्रस्ताव के बारे में कोई शिकायत है तो मुझे चैम्बर में मिलें। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव पर सरकार की ओर से वक्तव्य दिया जाय, इसका भी निर्णय लिया है। आप कार्यवाही में बाधा उपस्थित न करें। सदन पर कार्यवाही थोपना चाहते हैं आप। जिनको अनुमति देना चाहता हूं उनको आप बोलने नहीं दे रहे हैं। जो आप सुना रहे हैं उसको मैं रिकार्ड नहीं करने दे रहा हूं। कोई विवाद का विषय है ही नहीं। मैं आपको भी मौका दूंगा पर कृपया आप मुझे तो बोलने दीजिये। उसके बाद भी आपको कोई शिकायत रह जाती है तो मैं आपको फिर भी 2 मिनट का समय दे दूंगा।

× × × × अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, जयपुर ...

श्री अध्यक्ष : बिना अनुमति के मैं नहीं सुनूंगा। मैं आपको बता दूं।

(व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

आपको क्या तकलीफ है। श्री देवीसिंह। अन्य कोई सदस्य न बोलें। सदस्य बात चीत न करें।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं दरख्वास्त लेर मुख्य मंत्री जी सूं मिल्यों वे कह्यो कि मैं कार्यवाही करसूं। वो बात ने एक महीनो हो गयो है पर कोई कार्यवाही कोनी हुई। जो माने पेल्या ही अंदेशो हो कि ये जमीना खारिज होवेली।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज। उसके लिये समय निर्धारित कर दिया है। उसके लिये आप चर्चा नहीं करें। आपको मैंने कल शाम यो ही कह दिया था, फिर क्या बात है।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया।

सुश्री पुष्पा जैन : I have raised a point of order.

श्री दुलाराम : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : Don't interrupt, please. आर्डर, आर्डर। पाइन्ट आफ आर्डर का काम नहीं, कौनसा काम रुका हुआ है। पाइन्ट आफ आर्डर कोई विचारणीय नहीं है।

श्री दुलाराम : अध्यक्ष महोदय, मैं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : डिबेट होने दीजिये। मैं सबको मौका दे दूंगा। पहले आप मुझे तो मौका दीजिये।

श्री गुलाबचंद कटारिया (उदयपुर) : मेरे 3 स्थगन प्रस्ताव हैं। जो जयपुर मंडल का मैंने दिया है ..

श्री अध्यक्ष : इस पर सदन में चर्चा होगी। कृपया इस पर कुछ भी नहीं कहें। इस पर सदन में चर्चा हो रही है। यदि अभी उठा देंगे तो जिस विषय पर सदन में चर्चा हो जाती है वह फिर नहीं आता है।

श्री गुलाबचंद कटारिया : मैं आसन से यही व्यवस्था चाह रहा हूं कि तीन में से कौनसा अलाउ किया है।

श्री अध्यक्ष : उदयपुर शहर में झीलों के ऊपर फैल रही जलकुम्भी से झीलों का पानी सूख जाने से उत्पन्न स्थिति पर।

श्री गुलाबचंद कटारिया : अध्यक्ष महोदय। उदयपुर राजस्थान में ही नहीं सम्पूर्ण हिन्दुस्तान में अपनी झीलों के कारण प्रसिद्ध है....

श्री अध्यक्ष : Sorry to interfere. चेतक सर्किल पर जो हत्या हुयी है इसके सम्बन्ध में जो स्थगन प्रस्ताव है उसको भी मैंने अस्वीकार कर दिया है उस पर भी आप बोल सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : तीन तीन पर नहीं बोल सकते ।

श्री गुलाबचंद कटारिया : वह दिया तो कितने दिन पहले था आया आज है ।

श्री अध्यक्ष : एक कॉलेजों की हड़ताल के बारे में····

(व्यवधान)

बस इन तीन पर बोल सकते है ।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचंद कटारिया : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि उदयपुर नगर अपनी झीलों के कारण विश्व प्रसिद्ध है और प्रति-वर्ष उदयपुर को 1 करोड़ की विदेशी मुद्रा मिलती है । उदयपुर के अन्दर झीलों पर 7-8 सालों से पता नहीं किस प्रकार से जल-कुम्भी होने लगी । इसके कारण से सारी झीलों का, वैसे तो मैंने माप नहीं किया पर मेरा अनुमान है, जलकुम्भी के कारण प्रति-दिन आधा इंच पानी सूखता है । झीलों के ऊपर लम्बे समय से जलकुम्भी का साम्राज्य बढ़ता जा रहा है । इसके कारण से उदयपुर में जो पीने के पानी का स्टोरेज है वह काफी कम होता जा रहा है । वह झील के द्वारा ही मिलता है । झील में कहीं भी पानी दिखाई नहीं देता है । लगता है, जैसे सारा हरा मैदान हो गया है । पिछले कई सालों से सिंचाई विभाग जलकुम्भी निकालने के प्रयत्न कर रहा है । कभी 5 मजदूर लगा देता है तो कभी 10 मजदूर लगा देता है । वह जितना एक दिन निकालते है, दूसरे दिन उसमे भी चौगुनी जलकुम्भी फैल जाती है । वहां बहुत से आने वाले पर्यटक हैं । वह क्या देखते हैं । श्रीमान्, अब तो जलकुम्भी ने मनुष्य का खून पीना प्रारम्भ कर दिया है । पिछले तीन वर्षों से तीन मृत्यु हुई हैं । जो बालक तैरते हुए जलकुम्भी की तरफ गये उनके पैर उसमें उलझ गये और वह फंस कर मर गये । अभी 25 तारीख को एक सिंधी बालक नातूराम··

(12.41 म. प.)

(श्री प्रद्युम्नसिंह, सभापति, पदासीन)

यह सिन्धी बालक तैर रहा था । वहां जलकुम्भी में पैर फंस जाने के कारण उसका प्राणान्त हो गया है । अन्य भी सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्य हैं, जो उदयपुर जिले से चुन कर आये हैं उन्होने भी बराबर यह प्रयत्न किया है कि उदयपुर की झीलों से जलकुम्भी निकलनी चाहिए । लेकिन जब तक तनातनी नहीं होती है, कोई काम नहीं होता है । पांच दस मजदूर लगा दिये जाते हैं, बाकी अधिकारियों के घरों में झाड़ू निकालते हैं या खाना बनाते हैं । उदयपुर झील से जलकुम्भी निकालने पर 50 हजार रुपया खर्च किया जाता है । इससे तो अच्छा है कि या तो उसको ओवर फ्लो होने दिया जाये ताकि सारा पानी बह कर अपने आप निकल जाय । लेकिन उनको तो 50 हजार रुपये का खर्चा करना है । इसलिये पानी ओवर फ्लो नहीं होने देते हैं । उससे भी नहीं निकलता है तो उस जलकुम्भी को एक साथ में ही निकालना होगा । चाहे हजार मजदूर लगाने पड़ें या दो हजार लगाने पड़ें, तीन दिन, दो दिन पांच दिन या 15 दिन में निकालें लेकिन एक साथ मिल कर निकाली जाये । अगर ऐसा कोई वैज्ञानिक हो, कोई ऐसा प्रयोग हुआ हो जिससे लोगों के जीवन

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

को किसी प्रकार से खतरा पैदा नहीं हो तो ऐसी किसी दवा को डलवा कर उसको खत्म किया जाये। उदयपुर को इससे पानी मिलता है। इसलिये ध्यान रखें कि उदयपुर में पीने के पानी की मात्रा खतम नहीं हो।

इसके साथ ही जो मैंने दूसरा स्थगन प्रस्ताव दिया है, उस पर मैं अब बोलने की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं। पिछले दिनों कॉलेज के दो गुटों में जो झगड़ा हुआ था, उनमें जो समझौता हुआ है, मैं नहीं चाहता हूं कि उसमें किसी प्रकार का व्यवधान पैदा हो। लेकिन सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर आपको लगे कि समस्या का निदान हो जाएगा, तो भविष्य में चौकन्ने रहें ताकि फिर ऐसा नहीं हो।

एक और घटना उदयपुर में हुई। 10 जुलाई को शब्बीर अली नाम के एक अभियन्ता की हत्या की गई। पता नहीं, यह 1980 का साल अपने साथ क्या लेकर आया है। लगातार हत्याएं, बलात्कार, चोरियां, डकैतियां, मोटर एक्सीडेण्ट हो रहे हैं इनकी लाइन लगी हुई है। उसी के अन्तर्गत हुई यह हत्या उदयपुर में एक ऐसे स्थान पर हुई है जहां किसी वक्त रात्रि के 9 बजे कितने ही लोग एकत्रित रहते हैं। सामने सिनेमा है। सार्वजनिक भीड़ रहती है। जरा सी बात पर वहां 500 आदमी एक मिनट में आ सकते हैं। ऐसे स्थान पर एक असिस्टेंट इन्जीनियर की हत्या कर दी गई है।

कई माननीय सदस्य : शेम, शेम।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : वह मिलन होटल की सीढ़ियों पर खड़ा था, हत्यारे ने चाकू मार दिया। हास्पिटल ले जाते-ले जाते उसने प्राण छोड़ दिये।

मैं सरकार को एक बात पुलिस के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। हत्यारा हाथ में चाकू लिये हुए आराम से घूमता हुआ निकल गया। वहां से 200 कदम पर पुलिस का थाना है जहां पर पुलिस ने विशेष प्रबन्ध कर रखा है। उन सब के सामने हत्यारा चाकू लेकर निकल गया। उसे पुलिस ने नहीं पकड़ा। वह घर चला गया। यह तो गनीमत है कि एक घन्टे के बाद हत्यारे ने स्वयं आकर आत्मसमर्पण किया। यह हमारे यहां कानून व्यवस्था की स्थिति है। हजारों की संख्या में वहां पर लोग रहते हैं। पुलिस के लोग रहते हैं। सुरक्षा के प्रबन्ध हैं। ऐसे स्थान में हत्या हो जाती है, उसके बाद हत्यारा चाकू लेकर आराम से चला जाता है और उसे पुलिस पकड़ नहीं सकती है। हत्यारे ने स्वयं आत्मसमर्पण किया है। आपके अधिकारी हैं, जिन लोगों की वहां पर ड्यूटी है, उनके सामने हत्यारा चाकू लेकर पैदल चला गया, उसको पकड़ नहीं सके। उन अधिकारियों के विरुद्ध कुछ कार्यवाही की जाय। यह मेरा एक प्रस्ताव है जो अत्यन्त आवश्यक है। लोगों की जान खतरे में है। इस प्रश्न को ......

श्री सभापति : मैं निवेदन करूं, माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष महोदय ने जिस प्रश्न पर बोलने की इजाजत दी है, उसी पर बोलें।

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : माननीय सभापति महोदय, मैंने कल भी

(श्री गोपाल पचेरवाल)

एक मामले के बारे में माननीय मुख्य मन्त्री जी को कहा था। आज भी मैं आरोप लगाता हुआ एक हुई हत्या के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। श्रीमान्, मैं यह तो नहीं कहना चाहता कि क्यों माननीय अध्यक्ष महोदय ने अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न नहीं मान कर उसे अस्वीकार कर दिया है। यह आपके अधिकार की बात है। लेकिन अगर इसी प्रकार से हत्याएं होती रहीं, तो विरोधी पक्ष के लोगों के साथ यह हो सकता है। बाड़ी में श्री रामदुलारे एक राजनैतिक कार्यकर्ता की हत्या की गई। श्री रामदुलारे लोकदल के कार्यकर्ता थे। 12 तारीख के पूर्व एक कांग्रेस नेता के कार्यकर्ता के साथ झगड़ा हो गया। उस नेता के कार्यकर्ता ने धमकी दी कि लोक दल का कार्य किया तो तुमको जोखिम उठानी पड़ेगी। श्रीमन्, इसकी सूचना श्री रामदुलारे ने पुलिस को दी। लेकिन, श्रीमन्, सरकार के अधिकारियों पर राजनीति इस प्रकार से हावी है कि उन्होंने लोक दल के कार्यकर्ता की शिकायत पर ध्यान नहीं दिया। मैं निवेदन करूंगा कि जितने भी माननीय सदस्य विराजे हुए हैं, सभी किसी न किसी राजनैतिक दल से सम्बन्धित हैं। मैं सदन को यह निवेदन करूंगा कि श्री रामदुलारे ने पुलिस को यह कहा था कि मेरे जीवन को खतरा है फिर भी पुलिस निष्क्रिय रही। जिस तरह से कुछ माननीय सदस्यों ने विकलांग वर्ष मनाने की बात कही, उसके बजाय क्या यह वर्ष हत्याओं का वर्ष मनाने की योजना है? अगर ऐसा है तब तो मुझे कुछ नहीं कहना है, फिर तो बात अलग है। श्रीमन्, जब से यह सरकार आई है तो रोजाना अखबारों में और आकाशवाणी पर हत्याओं के समाचार पढ़ने और सुनने को मिलते हैं। आज हालत यह हो गई है कि मां बहिनें अपने आपको सुरक्षित नहीं समझतीं। आज कोई भी नागरिक अपने आपको सुरक्षित नहीं समझता है तो, श्रीमान ऐसी सरकार को बैठने का हक नहीं है।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि 12 जुलाई को सीताराम बाजार बाड़ी में श्री रामदुलारे सो रहा था। रात के लगभग 12 बजे कुछ लोग आये और उसको मारने लगे। उसके सिर पर चोट लगने से वह बेहोश हो गया। उसके बाद उसको सड़क पर फेंक दिया। वे लोग भाग गये। वह बेहोशी की अवस्था में वहीं पर पड़ा रहा। कुछ देर बाद बाजार में जो चौकीदार होता है उसको और कुछ दूसरे लोगों को इसका पता चला तो उसके परिवार वालों को इसकी सूचना दी। सूचना सुन कर उसके परिवार के सदस्य वहां पर आये। उन्होंने जब यह देखा कि इसमें कुछ जान है और मरने वाला है तो उसको अस्पताल ले गये। जब बाड़ी के अस्पताल में ले जाने लगे तो पुलिस को इसकी सूचना दी लेकिन पुलिस नहीं आई। उसको अस्पताल ले गये। जब वहां के डॉक्टर ने देखा कि स्थिति बहुत गम्भीर है और यहां पर उसका उपचार नहीं हो पायगा तो रामदुलारे के परिवार वालों को कहा कि इसको आगरे ले जाओ। वहां का एक कम्पाउण्डर भी साथ गया। उसको जब आगरा ले जा रहे थे उस समय भी पुलिस को सूचना दी कि हम इसको आगरा ले जा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद पुलिस नहीं आई। उसको आगरा ले जाना पड़ा। आगरा से 12 किलोमीटर की दूरी पर ही उसकी मृत्यु हो गई। साथ में जो

(श्री गोपाल पचेरवाल)

कम्पाउण्डर था उसने कहा कि अब इसका उपचार नहीं हो सकता इसको वापस ले चलो। वापस लाने के बाद फिर पुलिस की इमदाद मांगी गई कि आपकी मौजूदगी में पोस्ट मार्टम हो जाना चाहिए जिससे दोषी व्यक्तियों को सजा मिलने में मदद मिलेगी लेकिन, श्रीमान, फिर भी पुलिस नहीं पहुंची। जब बहुत ज्यादा गरमा-गरमी हुई तब, श्रीमन्, 17 घंटे के बाद पुलिस वहां पर पहुंची। सरकार को शर्म आनी चाहिए, यह इनकी कार्य क्षमता है। राजनैतिक कार्यकर्ता की देखभाल के लिए 17 घंटे तक पुलिस नहीं पहुंची, यह शर्म की बात है। 19 घंटे के बाद रामदुलारे का पोस्ट मार्टम हुआ। उसकी हड्डियां टूट चुकी थीं और जो जांच हुई उसमें कांग्रेस के नेताओं ने पुलिस पर दबाव डाला और उसको बदलने का प्रयत्न किया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : मैं यह निवेदन कर दूं कि आपके दो स्थगन प्रस्ताव और भी हैं। उन पर भी आप साथ ही बोल लीजिये।

श्री गोपाल पचेरवाल: तो, श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि पुलिस की निष्क्रियता के कारण उस व्यक्ति को मौत का मुंह देखना पड़ा। मेरा यह कहना है कि दुर्घटना स्थल पर पुलिस बुलाने से तत्काल पहुंच जाती और डॉक्टर समय पर रेफर कर देता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी लेकिन सरकार के निकम्मे-पन और पुलिस की निष्क्रियता के कारण रामदुलारे को 25 वर्ष की अवस्था में जवानी में ही मौत का मुंह देखना पड़ा। श्रीमन्, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि घटना होने के 17 घंटे बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है तो ऐसे पुलिस के अधिकारियों से क्या उम्मीद की जा सकती है? उनकी क्या कार्यक्षमता है? सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए। एक गरीब आदमी के साथ इस प्रकार की घटना घटी, कांग्रेसी नेताओं ने दोषी व्यक्तियों को संरक्षण दिया, उन नेताओं के खिलाफ भी कार्यवाही की जानी चाहिए अगर मेरी पार्टी लोक दल के कार्यकर्ता हैं तो उनको भी निश्चित रूप से सजा दी जानी चाहिए, नगर कांग्रेस के लोग हैं, तो उनको सजा मिलनी चाहिए।

श्रीमान, एक स्थगन प्रस्ताव मैंने 9 जुलाई को कोटा महाविद्यालय में छात्रों द्वारा एक पर्चे की परीक्षा का बहिष्कार करने के सम्बन्ध में दिया है। यह 9 10 जुलाई की घटना है, दूसरे दिन ही मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था और आज मुझको बोलने का मौका दिया जा रहा है। इस पंगु सरकार को क्या उपाधि दी जाय। वहां पर छात्रों को उत्तेजित किया गया, शान्ति भंग होने का खतरा था, और आज बीस दिन के बाद इस पर प्रकाश डालने के लिए कहा जाता है। चम्बल के पानी में तो डूबने के लिये नहीं कहूंगा क्योंकि चम्बल का पानी अपवित्र हो जायगा, लेकिन गन्दे पानी में डूब कर मुख्य मन्त्री को मर जाना चाहिए। बीस दिन बाद हम क्या बोलें? छात्रों में काफी उत्तेजना थी, उन पर लाठी चार्ज किया। उनकी जो मांग थी वह खतम हो गई इसलिए अब मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं

(श्री गोपाल पचेरवाल)
सिवाय इसके कि शासन हमारे साथ अन्याय करता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमको उस समय मौका मिलना चाहिए था।

दूसरा मेरा प्रस्ताव क्या था, यह मुझे मालूम नहीं।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत यह निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य द्वारा क्या इन शब्दों का प्रयोग उचित है कि मुख्य मंत्री को × × ×

(व्यवधान)

श्री दुलाराम : क्या वे मरने को तैयार हैं ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य…

श्री दुलाराम : उन्होंने कहा है कि × × ×

श्री सभापति : मैं प्रोसीडिंग निकलवा लूंगा और ये शब्द असंसदीय हुए तो निश्चित रूप से निकलवा दूंगा।

आपका दूसरा प्रस्ताव ग्राम बधाला जिला जयपुर में हत्या के सम्बन्ध में है। आपने काफी समय ले लिया है, माननीय सदस्य। कृपया समाप्त करें।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय सभापति महोदय, ग्राम बधाला जिला जयपुर में मंगलराम का एक परिवार है। जब नई सरकार बनी तो वहां के लोग इस खुशी में कि राजस्थान के मुख्य मंत्री अनुसूचित जाति के पहली बार बने हैं, युवा कांग्रेस के स्वर्गीय नेता श्री संजय गांधी के पांच सूत्री कार्यक्रम और श्रीमती गांधी के बीस सूत्री कार्यक्रम की दुहाई दे रहे थे, उस कार्यक्रम को आधार रूप बनाकर छुआछूत विरोधी आन्दोलन चलाया। हउन्होंने आन्दोलन वहां चलाया और एक कार्यक्रम शुरू किया। श्रीमन् जब वहां के लोगों ने आन्दोलन चलाया तो उन्हें धमकी दी गई। धमकी दी तब वहां का जो सामाजिक कार्यकर्त्ता था उसने पुलिस में रपट दर्ज कराई कि इन लोगों ने हमें धमकी दी हैं। आप वहां जाकर पता लगायें। पुलिस में यह रपट दर्ज है उसके अलावा जनता के नुमाइन्दों ने सरकार को शिकायत की, माननीय मुख्य मंत्री जी को शिकायत की, वहां के जो माननीय सांसद हैं श्री बनवारीलाल जी उन को शिकायत की गई। उसमें कहा गया है कि ऐसी घटना घट सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई…

(समय समाप्ति-सूचक-घन्टी)

कार्यवाही नहीं की गई।

श्री सभापति : आप पहले बोल चुके हैं। आप इसके बारे में पूर्व में बोल चुके हैं।

श्री गोपाल पचेरवाल : आपने मुझे मौका दिया है…

श्री सभापति : आप जल्दी समाप्त करें।

एक माननीय सदस्य : सदन का समय नष्ट हो रहा है।

श्री गोपाल पचेरवाल : हरिजन के मुद्दे पर बोलने से क्या सदन का समय नष्ट होता है ?

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री गोपाल पचेरवाल)

मैं यह निवेदन कर रहा था कि उसकी मौत हो गई, उसको मार दिया गया, उसके बावजूद भी आज तक सरकार द्वारा कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं किया गया है। मुझे अफसोस है कि वहां पर 14 वर्ष के लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार किया और कहा कि इस लड़के के द्वारा सांप मारा गया। उसको बन्दूक से मार दिया गया...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : माननीय सभापति, इसका जवाब आ चुका है। इस मामले में जो जानकारी है...

श्री सभापति : मैं आपको अवसर देने में असमर्थ हूं।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, कृपया आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

आप स्थान ग्रहण करें। मुझे सहयोग करिये, कृपया आप सहयोग कीजिये।

(व्यवधान)

एक मिनट, माननीय सदस्य।

श्री परसराम मदेरणा (भोपालगढ़): केशोराय पाटन से आने वाले माननीय सदस्य के वक्तव्य सामाप्त होने पर, फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं क्योंकि यह उन के निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित मुद्दा है। प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों में यह प्रावधान है। कोई भी माननीय सदस्य किसी विषय के ऊपर अपने विचार रखता हो उसका सम्बन्ध कुछ तथ्यों से है, कुछ सत्यता से, कुछ असत्यता से है तो अन्य माननीय सदस्यों की अनुमति आप कृपा करदें ताकि स्पष्टीकरण दे सकें। इन नियमों में प्रावधान है। इस प्रावधान के अन्तर्गत वह अनुरोध कर रहे हैं।

श्री सभापति : मैंने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया है।

श्री परसराम मदेरणा : उनको अनुमति दी जाये। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि बीच में इस तरीके से दी जाये। लेकिन बाद में उनको अनुमति निश्चत तौर से दी जाये।

श्री गोपाल पचेरवाल : श्रीमान्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि उस लड़के को घर से बुलाकर....

श्री सभापति : अब आप समाप्त करें।

श्री गोपाल पचेरवाल : श्रीमन्, जब माननीय सदस्य इसका प्रतिवाद करेंगे तो मुझे सारी बात कहनी पड़ेगी।

श्री सभापति : आप बैठिये, आप पूर्व में भी विस्तार से बोल चुके हैं।

मैं निवेदन करूंगा कि शीघ्र समाप्त करें।

एक माननीय सदस्य : सरकार का जवाब आ चुका है, मुजरिम गिरफ्तार हो चुके हैं।

श्री गोपाल पचेरवाल : श्रीमन्, जल्दी समाप्त करता हूं। मैं मुख्य बात कहता हूं। मेरा एक ही निवेदन है कि जो सही मुजरिम है, जो सही अपराधी हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। उस गरीब आदमी के लड़के को गिरफ्तार किया गया है।

दूसरी बात इसमें यह कही गई है, मैंने अखबार में पढ़ा और सरकार ने भी यह बात कही है, हमारा डेपूटेशन माननीय मुख्य मंत्री से भी मिला, हमारे लोग भी मिले हैं। माननीय, जो हमारे आर्य साहब हैं, जो मेहतर समाज के मंत्री हैं उनको भी आप सुन लीजिये ···

(व्यवधान)

मैं अपना प्रतिनिधि बता रहा हूं। इसमें आपको तकलीफ क्यों है। मैं यह निवेदन कर रहा था, श्रीमन्···

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यवधान न डालें।

एक माननीय सदस्य : वे तो राजस्थान के है, मेहतर जाति के नहीं हैं···

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री गोपाल पचेरवाल : इस बात पर माननीय सदस्य को खुशी होनी चाहिए मैं आपकी सरकार के मुख्य मंत्री की प्रशंसा कर रहा हूं।

एन माननीय सदस्य : जनता पार्टी ने आपको बनाया है, भारतीय जनता पार्टी ने आपको नहीं बनाया।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें। आप बहुत व्यवधान उत्पन्न करते हैं।

श्री गोपाल पचेरवाल : श्रीमन, मैं यह निवेदन कर रहा था यह बात कही गई है कि वह सांप को मार रहा था। सांप को मारते वक्त उसको गोली लग गई। मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि जब किसी को गोली दूर से मारी जाती है तो बारूद की जो बन्दूक होती है उसके छर्रे दूर जाकर फैलते हैं। उसको गोली मारी गई, उसको जहां लगी थी वहां बन्दूक का छर्रा एक भी इधर-उधर नहीं है। सीधे से गोली लगी है और उधर से निकली है। उसको दबाकर मारा गया...

श्री सभापति : आप समाप्त करें।

श्री गोपाल पचेरवाल : एक मिनट में समाप्त करता हूं।

दूसरी बात मैं यह निवेदन कर रहा था, श्रीमन्, उसका पोस्ट मार्टम करने की बात है, उसकी लाश उसके परिवार को नहीं दी गई। जबरदस्ती पंचनामें पर दस्तखत कराये गये और पुलिस की मौजूदगी में जहां उसका पोस्ट मार्टम कराया गया। केवल सबूत समाप्त करने के लिए उसे वहां पर जला दिया गया। आज भी उसका परिवार पीड़ित है उसको न्याय मिलना चाहिए। यह मेरी मांग है, सरकार उसके परिवार की रक्षा करे। जो 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आन्दोलन चलाये, जो आपको कार्यक्रम को मानते हैं···

श्री सभापति : आप समाप्त करें।

(60)

श्री गोपाल पचेरवाल : इस कार्य-क्रम को न मानने वालों को बन्दूक से उड़ा दिया जाये और माननीय शिवराम जी हंसते हैं, उनके लिए यह शर्म की बात है।

श्री सभापति : डॉ. हरिसिंह

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : माननीय सभापति महोदय, पहले भी इस मामले में माननीय सदस्य बोल चुके हैं। इस मामले में इतनी बात हुई, मैं इस बात को चुनौती देता हूं कि अगर माननीय सदस्य ने इस सदन में जो बात कही है उसमें रत्ती भर भी सत्यता हो तो जांच करा ली जाये। किस्सा यह है कि जो ये आन्दोलन छुआछूत का चलाने की बात कर रहे हैं, कुछ गुन्डा तत्व हो, हरिजन भी हो सकता है, और भी कोई बात हो सकती है। उन्होंने मिल के बड़हाल के अन्दर दूकानदारों के पास गये और कहा कि या तो 50 रुपये दो अगर 50 रुपये नहीं देते हो तो हम तुम्हारे खिलाफ में छुआछूत के केसेज चलाते हैं। अतः जिन दुकानदारों ने…

श्री दुला राम : अभी तक कोई ऐसा हरिजन पैदा नहीं हुआ जो दुकान पर जाकर यह कहे…

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : इसकी जांच करा ली जाये।

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह : इसकी जांच करा ली जाये।

(व्यवधान)

श्री दुलाराम : ऐसा नहीं हो सकता। यह कहते है कि 50-50 रुपये के लिए उन्होंने किया, ऐसा नहीं हो सकता।

श्री हरिसिंह : जांच कर रहे हैं।

श्री दुलाराम : आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण करें।

एक माननीय सदस्य : इसकी मुझे जानकारी है क्योंकि मेरी ससुराल वहां है।

श्री हरिसिंह : जिन आदमियों ने 50-50 रुपये दे दिए उनको तो छोड़ दिया, एक आदमी था जिसने…

श्री दुलाराम : गलत है, एसी कोई बात नहीं है। इस तरीके से सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री दुलाराम : हरिजनों को संरक्षण सरकार नहीं देगी तो और कौन देगा ?

श्री हरिसिंह : मैं सदन को बताना चाहता हूं…

(व्यवधान)

श्री दुलाराम : आप नाम लीजिए, नाम कोट कीजिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपने अपनी बात कह दी, अब दूसरे को

(श्री सभापति)
बात सुन लीजिए। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

ग्रंकित न हो।

श्री दुलाराम : × × ×

श्री सभापति : मैं ग्रापको ग्रवसर दूंगा ग्रपनी बात कहने का।

(व्यवधान)

स्थान ग्रहण करें।

श्री हरिसिंह : सभापति जी, मैं नम्रता से फैक्ट्स पर निवेदन कर रहा था। मैं यह नहीं कहता कि समाज में कोई हरिजनों के खिलाफ होना चाहिए, मैं उनका बहुत हामी हूं, माननीय सदस्यों को मालूम है…

श्री गोपाल पचेरवाल : इसलिए ग्राप ऐसी बात कर रहे हैं।

श्री हरिसिंह : लेकिन हरिजनों के नाम पर गुंडागर्दी हो, मैं नहीं चाहता…

श्री दुलाराम : हरिजन गुंडागर्दी नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री गोपाल पचेरवाल : ग्राप गांधी ग्रौर नेहरू के लिए कह रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बात तो सुन लीजिए।

श्री राधेश्याम : मैं निवेदन कर रहा था कि माननीय सदस्य ने जो बात कही है, उनसे पूछ लीजिए कि क्या तात्पर्य हरिजनों से है या दूसरे जाति से है। यह कोई जरूरी नहीं है कि हरिजन हों, बनिए हों, ब्राह्मण हों, किसी भी जाति में गुंडा तत्व हो सकते हैं। डॉ. हरिसिंह स्पष्टीकरण करें कि हरिजनों का नाम लिया है या गुंडे तत्वों का।

श्री हरिसिंह : मैंने शुरू में ही कहा था कि गुंडा कोई भी हो सकता है लेकिन हरिजनों के नाम का एक्सप्लोइट करने का ग्रधिकार किसी को नहीं है।

श्री दुलाराम : कोई भी जाति के लोग ग्रगर जुलूस लेकर जाते हैं तो वह कभी भी गुंडागर्दी के लिए नहीं जाते हैं, कभी भी व्यापारियों ग्रौर दुकानदारों से पैसा नहीं मांग सकते। ग्राप सदन को फिर गुमराह कर रहे हैं।

(व्यवधान)

ग्राज हरिजनों का हमें समर्थन मिला है तभी हम सदन में हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मैं आपको ग्रवसर दूंगा। मैंने निवेदन किया आपस में बातचीत न करें इस तरह से सदन की कार्यवाही नहीं चल सकेगी।

श्री हरिसिंह : तो मैं जिक्र कर रहा था कि जिसने रुपया दे दिया उनसे 50-50 रुपये ले लिए। वहां कोई जलूस नहीं

× × × माननीय ग्रध्यक्ष के आदेशानुसार ग्रंकित नहीं किया गया।

(श्री हरिसिंह)

निकला। जिसने रुपया नहीं दिया उससे कहा कि या तो चाय पिला दीजिए नहीं तो आपके खिलाफ मुकदमा कर देंगे।

श्री दुलाराम : गलत बात है। 50 रुपया मांगने वाला कहेगा कि मुझे चाय पिलाओ। आप क्या बात कर रहे है ?

श्री हरिसिंह : जांच कर लें अगर...

(व्यवधान)

श्री सभापति : आपस में बात न करें।

डॉक्टर हरीसिंह शीघ्र समाप्त करें।

श्री हरिसिंह : उन्होंने चाय दे दी। फिर चाय पीने के बाद कहा कि हमारे झूठे गिलास धो लीजिए। दुकानदार ने कहा कि यह आपका कन्सर्न नहीं है, आप चले जाइए हम अपने आप उठा लेंगे यह तो छुआछूत का किस्सा है। गोली चलाने का किस्सा यह है, एक सांप को मारने के लिए रेवर सिंह को बुलाया गया। काला नाग था 5-6 फीट का, काफी लोग इकट्ठे हो रहे थे सब जाति और सब वर्गों के। प्रकाश नामक लड़का भी वहां था। बढ़ई का घर था। रेवर सिंह ने सांप पर गोली चलाने की कोशिश की सेम होने के कारण बंदूक नहीं चली। बंदूक खड़ी कर दी, एक 13-14 साल का लड़का था उसने हैंडिल किया। गोली के चलगई और एक्सीडेंट होने के नाते प्रकाश को लग गई, वह सबसे नजदीक था। 50-100 आदमी थे। आप तो गलतफहमी सदन में पैदा कर गए। आप कोई निष्पक्ष जांच करा लें। अगर मैंने गलत बयानी की है तो मैं माफी मांगूगा, अगर आप गलत बयानी करते हैं तो आपको माफी मांगनी पड़ेगी और यही दुलाराम जी के साथ होगा। गुंडागर्दी से मतलब मेरा हरिजनों, सवर्णों या ब्राह्मणों से नहीं है। हरिजनों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए मैं इसके पक्ष में हूं लेकिन हरिजनों की आड़ में गुंडागर्दी को इस सदन में पनपायेंगे तो यह अन्याय होगा।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय सदस्य ने हरिजन समाज पर आरोप लगाया गलत बयानी की है।

श्री सभापति : इस चर्चा का अन्त कहां होगा ? एक बात एक सदस्य कहेंगे फिर दूसरे सदस्य कहेंगे। मैं अब दूसरा विषय ले रहा हूं।

श्री दुलाराम : आपने जो बात कही उसके बाद दूसरे माननीय सदस्य ने भी बात कही। मेरा अनुभव है कि हरिजन समाज है वह समाज हिन्दुस्तान में जीना चाहता है। 1977 में विधान सभा में इसी मसले को लेकर मैंने प्रश्न उठाया था। उस समय वर्तमान विरोधी दल के नेता श्री भैरोंसिंह जी मुख्य मन्त्री थे। उन्होंने एक बात कही थी कि राजस्थान में छुआछूत है, यह जो कलंक है यह किसी विशेष समाज का नहीं। इस कलंक को मिटायेंगे। तो हर व्यक्ति चाहे किसी वर्ग से भी संबंध रखता हो जब तक पूरी तरह से इस दिशा में कोशिश करेगा तब ही यह कलंक मिट सकता है अन्यथा नहीं मिट सकता। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हरिजन समाज के प्रति सवर्ण हिन्दू समाज

(श्री दुलाराम)

मैं, जैसा माननीय हरिसिंह कह रहे हैं, राजस्थान में छुआछूत नहीं होती, इसको मैं दावे के साथ चुनौती देता हूं। उसके साथ साथ कहता...

(व्यवधान)

मेरी बात सुनिए। जहां की घटना है, जहां के माननीय सदस्य हैं, वहां भी छुआ-छूत हो सकती है।

श्री सभापति : आपस में बातचीत न करें।

श्री दुलाराम : हरिजन समाज जलूस के रूप में कानून के तहत अपने लिए आर-क्षण की मांग कर रहा था और कह रहा था कि हमें छुआछूत नहीं चाहिए, हमें छुआ-छूत मिटाना है। राजस्थान में हरिजन मुख्य मंत्री बना है और हमें छुआछूत मिटा कर रहना है तो मेरा सबके सामने निवेदन है कि कोई भी माननीय सदस्य, कोई भी वर्ग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि उनकी मांग अनुचित है। उनका कानूनी राइट है वह उनको मांगना चाहिए था।

सभापति महोदय, आज तक हिन्दुस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हरिजन लोग जलूस बना कर गये हों और उन्होंने बाजार में जाकर लूट मचाई हो। आज तक कभी भी हिन्दुस्तान के इतिहास में आपको ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलेगी जब कि हरिजनों के जलूस ने बाजार को लूटा हो। मुझे ताज्जुब हो रहा है, माननीय सदस्य इस प्रकार की गलत बयानी हाउस में कर रहे हैं कि उस जुलूस वालों ने बाजार में जाकर लोगों से जबरन पचास पचास रुपये चन्दे के रूप में वसूल किये।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : सभापति महो-दय, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : मैं असमर्थ हूं, माननीय सदस्य, आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, मैं आपको कह चुका हूं आप मुझे सहयोग दीजिये। मैं आपको समय देने में असमर्थ हूं। अब यह काफी वाद विवाद का विषय सदन में हो चुका है। इस प्रकार इस विषय का कोई अन्त ही नहीं होगा।

श्री गोपाल पचेरवाल : सभापति महोदय, यह एक अहम मसला है। मुझे अहम मसले पर बोलने के लिये एक मिनट का समय तो दें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है।

श्री गोपाल पचेरवाल : एक मिनट दें। मैं आपका आभारी होऊंगा। मुझे स्थिति स्पष्ट करने का मौका दें।

माननीय सदस्य कह रहे हैं कि अचानक बन्दूक चल गयी। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह अचानक मौत नहीं हुई है। उसका कत्ल हुआ। उसकी लाश का खून कहीं मिला, चप्पल मृतक की कहीं मिली सभापति महोदय, अगर उसका मर्डर नहीं हुआ तो फिर उसकी लाश का पोस्ट मार्टम

(64)

(श्री गोपाल पचेरवाल)

क्यों नहीं हुआ ? आपको उसकी लाश का मेडिकल जूरिस्ट के द्वारा पोस्ट मार्टम कराना चाहिये था। इसके अलावा उसकी लाश क्यों नहीं दी गयी ? यह बतावें। माननीय सदस्य यहां पर गलत बयानी कर रहे हैं। सभापति महोदय, डॉक्टर हरिसिंह जी ने जो पचास पचास रुपये जबरन लेने की बात कही है वह बहुत ही अपमानजनक कही है। यह न केवल हरिजनों का ही अपमान है यह इन्दिरा गान्धी का भी अपमान है, महात्मा गान्धी का भी अपमान है, जवाहरलाल नेहरू का भी अपमान है, आपकी कांग्रेस का भी अपमान है और पहाड़िया जी का अपमान है मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य हरिसिंह जी ने सदन को गुमराह किया है उसके लिये इनके खिलाफ में कार्यवाही की जानी चाहिये, इनको कांग्रेस पार्टी से निकाला जाना चाहिये। इनको कांग्रेस पार्टी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही करके निकाला जाय, इन्हें ताड़ना दी जाय।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री गोपाल पचेरवाल : सभापति महोदय, हमारे देश के महात्मा गांधी तो देश का प्रधान मन्त्री हरिजन को देखना चाहते थे और यह हरिजनों के खिलाफ में इस प्रकार की गलत बयानी कर रहे हैं। इस प्रकार की गलत बयानी करके इन्होंने आपके 20 सूत्री कार्यक्रम की खिलाफत् की है आपको इन्हें पार्टी से निकालना चाहिये। आपको इन्हें सजा देनी चाहिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो।

श्री गोपाल पचेरवाल : × × ×

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें। मैंने आपको समय दिया। आप कृपया स्थान ग्रहण करें। श्री रंगजी।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री हरिसिंह का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री हरिसिंह : सभापति महोदय, मेरे खिलाफ सदन में कहा गया है। मुझे मेरे पक्ष में कहने का मौका दिया जाय। मेरे ऊपर आक्षेप लगाये गये हैं I have a right to reply.

श्री सभापति : आखिर, माननीय सदस्य, इसका अन्त कब होगा।

श्री हरिसिंह : सभापति महोदय, मेरे ऊपर पर्टीक्यूलरली आक्षेप लगाया गया है। माननीय सदस्य पचेरवाल जी और दुलाराम जी ने कुछ बातें ऐसी कही हैं जो कि मेरे ऊपर आक्षेप हैं। मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैं हरिजनों के खिलाफ में हूं। उन्होंने ही आवेश में आकर यह कहा है। इन्होंने जो मेरे ऊपर आक्षेप लगाया उसके लिये Let me say and explain. यहां पर यह महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं, इसको सदन में थोड़ी सी तो डीसेन्सी रखनी चाहिये। अगर मैंने सदन में कोई गलत बयानी की है तो सदन सक्षम है, अगर

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री हरिसिंह)
कोई बात हो तो मेरे खिलाफ में कार्यवाही की जाय। मैंने कोई, सभापति महोदय, गलत बात नहीं की है।

श्री सभापति : आप समाप्त करें। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य पचेरवाल जी, मुझे सहयोग दीजिये।

श्री गोपाल पचेरवाल : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि इसके लिये एक कमेटी बना दी जाय सदन के सदस्यों की। वह बाद में तय करें कि मैंने जो बात कही वह सही है या डॉक्टर हरिसिंह जी ने जो बात कही वह सही है।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें। श्री रंग जी मीणा।

श्री रंगजी मीणा (सपोटरा) : सभापति महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सपोटरा में बाहर से तीन लाख भेड़ें और पचास हजार ऊंट आ गये हैं जिससे खेतों में बहुत भारी नुकसान हो रहा है। सभापति महोदय, इसके लिये हमने कलेक्टर सवाई माधोपुर को भी निवेदन किया। राज्य सरकार के पास कलेक्टर सवाई माधोपुर व तहसीलदार रेवेन्यू सपोटरा ने भी वायरलेस किया कि बाहर से आयी हुई भेड़ें फसल को नष्ट कर रही हैं। सभापति महोदय, हमारे खुद के इलाके की भेड़ों के चरने के लिये ही गोचर भूमि पर्याप्त नहीं है और अब यह तीन लाख भेड़े और पचास हजार ऊंट वहां आ गये जो कि फसल को नष्ट कर रहे हैं और सारी घास खा रहे हैं। इनके आने से तथा वहां की फसल खराब होने से सारी जनता भयभीत हो चुकी है। हमने वहां से बार-बार तार दिया पर राज्य सरकार की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। वहां पर जो रेन्जर ने परमिट दिया है वह सिर्फ 65 हजार भेड़ों का दिया है पर वास्तव में तीन लाख भेड़ें हैं और पचास हजार ऊंट हैं। ज्यादा मवेशी आ जाने से वहां पर मवेशी वालों किसानों के बीच झगड़ा होने की पूर्ण आशंका है। पिछली बार भी वहां पर बड़ा भारी झगड़ा मवेशियों को लेकर हुआ था और एक आदमी झगड़े में मर गया था। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस संबंध में जल्दी से जल्दी कार्यवाही करें अन्यथा वहां पर खून खराबा होगा और लोग मारे जायेगें। वहां की स्थिति काफी गम्भीर हो गई है। वन विभाग के रेन्जर ने बिलकुल गलत रिपोर्ट दी और जो परमिट दिया गया है 60 हजार भेड़ों का वह गलत है। इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि भेड़ें न तो करौली में हैं, न बयाना में हैं, न भरतपुर में हैं, न दूसरी जगह हैं भेड़ें सिर्फ सपोटरा में हैं इसलिये वहां पर बहुत दिक्कत आ रही है। मेरा यह निवेदन है कि राज्य सरकार उन भेड़ों की वापिस गणना करावें साथ ही एक कमेटी बनायें जो परमिट देवें। जिसमें तहसीलदार, नायब तहसीलदार, और वहां के जो सरपंच है उनको रखें और बाद में इस समस्या के बारे में हल निकलवायें। सभापति महोदय, इस कमेटी में वहां के वन विभाग का रेन्जर नहीं होना चाहिए। अगर

(श्री रंगजी मीणा)

इन भेड़ों की समस्या का जल्दी से जल्दी हल नहीं हुआ तो सभापति महोदय, बहुत गम्भीर परिणाम होंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार इस ओर तुरन्त ध्यान दें।

श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : माननीय सभापति महोदय, इस समय जो भेड़ों की समस्या तहसील खण्डार, सपोटरा और करौली में चल रही है इन तीनों जगहों पर तीन लाख भेड़ें और 50 हजार ऊंट हैं। इसके अलावा वहां का जो पशुधन है यह मानकर चलें कि पूरे जंगल में वह आते तक नहीं हैं। भेड़ें सारे चारे को खा जाती हैं और वहां के पशु चराई से वंचित रह जाते हैं। इस सम्बन्ध में हमने माननीय मंत्री महोदय से मीटिंग की थी। हमने सुझाव दिया था कि भेड़ें सवाई माधोपुर को जितनी देना चाहे दे दें लेकिन राजस्थान के 26 जिले हैं तो सब के अनुपात में जितनी भेड़ें सवाई माधोपुर को देना चाहें दे सकते हैं। बाकी यह है कि सारी भेड़ें यहां नहीं हों। सारी भेड़ें सवाई माधोपुर को ही भेजी जायें, ऐसा नहीं होना चाहिए।

यह बिलकुल सही है कि पिछले समय में भेड़ पालकों और ग्राम वासियों में झगड़ा हुआ, झगड़े में गोलियां चलीं और उसमें आदमी भी मरे और अगर आर. एस. सी. के द्वारा नहीं रोका जाता तो और भी नुकसान हो जाता माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जो वन विभाग के कर्मचारी हैं वह भेड़ पालकों से मिल गये हैं। जैसे 60 हजार भेड़ों का परमिट मिला तो 3 लाख भेड़ें और 50 हजार ऊंट भेजना उचित नहीं है। यह भी मैं मांग करता हूं कि आप मौके पर किसी उच्च अधिकारी को भेज कर उसकी जांच करायें जिससे वन विभाग के अधिकारियों का पता चलेगा कि उनकी क्या सांठ-गांठ रहती है। सवाई माधोपुर में पशुओं को चराने के लिए पाबन्दी लगा रखी है। सारा जंगलात का क्षेत्र है और आप सारी भेड़ों को वहीं भेज दें तो यह उचित नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : माननीय सभापति महोदय, मेरे तीन स्थगन प्रस्ताव थे कौन से पर बोलूं।

श्री सभापति : सीकर जिले में लोसल तथा पीपराली कस्बों में दो हरिजनों की हत्या के सम्बन्ध में।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय सभापति महोदय, कुछ दिन पहले मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था उसपर आज आपने विचार व्यक्त करने का समय दिया है।

लोसल कस्बे में एक हरिजन माधो रेगर था। उसे सायंकाल चूने के भट्टे में जिंदा डाल दिया गया। कुछ लोगों ने उसके बाद चूने के भट्टे से उठा कर बाहर निकाल दिया और उसकी मृत्यु हो गयी। माधो रेगर के परिवार के लोग मुख्य मंत्री जी के दरवाजे पर आये, जिलाधीश के दरवाजे पर आये और एस. पी. के दरवाजे पर आये और सिर पटक पटक कर मर

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
गए लेकिन आज तक जीवित व्यक्ति को चूने के भट्टे में डालने वाले व्यक्तियों की तलाश नहीं की जा सकी।

इसी तरह से, सभापति महोदय, कजोड़ नाम का एक हरिजन जाति का बलाई था वह सीकर से तांगे में बैठ कर गया। उसे सीकर शहर से दो मील दूर सड़क के उस पार मार कर उसकी लाश को पटक दिया गया। उसकी लाश का फोटो है और पुलिस में रिपोर्ट भी की गयी है कि तांगे में बैठा कर उसको डाला गया है। आज 20 दिन हो गए लेकिन पुलिस वाले उस तांगे वाले को नहीं पकड़ सके कि कौन सा तांगे वाला था जिस तांगे वाले ने लाकर इसकी लाश को डाला।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं सीकर जिले में और भी अत्याचार हो रहे हैं। वहां पर कजोड़ को मारकर उसकी लाश को सड़क के उस पार डाल दिया गया, माधो रेगर को चूने के भट्टे में जिंदा डालकर मार दिया गया। इतना ही नहीं माननीय मुख्य मंत्री के स्टाफ का व्यक्ति यहां पर सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जिस समय मुख्य मंत्री जी केन्द्र में राज्य मंत्री थे उनके पी. ए. का काम करता था श्री महावीर प्रसाद खटीक उसकी जमीन पर लोगों ने रातों रात मकान बना लिया। उसको तुड़वाने की आज तक व्यवस्था नहीं है। वह मुख्य मंत्री के स्टाफ का आदमी था। वह इनके पास आकर चला गया। उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया!

इस प्रकार से नौहर तहसील में लल्लू नाम के व्यक्ति का सिर धड़ से अलग करके डाल दिया गया...

श्री सभापति : विषयान्तर नहीं हो, माननीय सदस्य!

श्री घनश्याम तिवाड़ी : विषयान्तर नहीं हो रहा है, माननीय सभापति जी। मैंने हरिजनों पर अत्याचारों के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव दिया है। मैं विषयान्तर नहीं हो रहा हूं।

श्री सभापति : आपका स्थगन प्रस्ताव लोसल और पिपराली कस्बों में दो हरिजनों की हत्या के सम्बन्ध में है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : लोसल और पिपराली कस्बों में और हरिजनों पर अत्याचार के सम्बन्ध में था।

माननीय सभापति महोदय, लल्लू नाम का व्यक्ति नौहर तहसील के फतेहपुर का रहने वाला था। वह एक तारीख को रवाना हुआ। दूसरे दिन उसकी लाश मिली। उसका सिर धड़ से अलग किया हुआ था। उसके लिए प्रधान मन्त्री को तार दिया गया, मुख्य मंत्री को तार दिया गया, प्रार्थना-पत्र भी दिये गये लेकिन आज तक उसके हत्यारों को गिरफ्तार यह सरकार नहीं कर सकी।

सम्पूर्ण राजस्थान में अत्याचार बढ़ रहे हैं। अखबारों में निकला है कि एक दर्जन लोगों ने हरिजन महिला के साथ बलात्कार किया है। हरिजनों को मार कर जिंदा जलाया, कजोड़ को मारकर सड़क पर फेंका गया लेकिन यह सरकार सुनने वाली नहीं है। यह सरकार नहीं चल पा रही है। यह अपनी कुर्सी बचाने के लिए काम चलाऊ सरकार की तरह काम कर रही है

श्री सभापति : जल्दी समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मेरा आरोप है कि कुछ लोगों को राजनैतिक संरक्षण देकर हरिजनों पर यह सरकार अत्याचार करवा रही है क्योंकि मुख्य मंत्री श्री जगन्नाथजी पहाड़िया एक जाति से सम्बन्धित है और दूसरी जातियों को वह हरिजन नहीं मानते। बलाइयों और रैगरों पर अत्याचार हो रहे हैं और उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। मुख्य मंत्री जी का इन्ट्रेस्ट सिर्फ खटीकों के अन्दर है। हरिजनों को अत्या- से बचाने के लिए उनको पूछने वाला, उनकी सुध लेने वाला, उनके बारे में जानकारी लेने वाला और अत्याचारों को रोकने वाला कोई नहीं है। यह अत्याचार चलाने वाली सरकार है यह अत्याचार रोकने वाली सरकार नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, यह स्थगन प्रस्ताव भी स्वीकार नहीं किया गया तो बड़े दुःख की बात है। मैंने आपको तीन तीन नाम गिनवाये हरिजनों के एक को जिंदा चूने के भट्टे में डाल दिया गया, दूसरे को मारकर सड़क के किनारे डाल दिया गया और तीसरे का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। इन जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर भी अगर सरकार विचार करने के लिए तैयार नहीं है और काम रोको प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर कौनसा ऐसा महत्वपूर्ण सवाल होगा जिस पर काम रोको प्रस्ताव स्वीकार किया जायेगा। कोई भी काम रोको प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जावेगा क्या यह सरकार ने तय कर लिया है। क्या यह तय कर लिया है कि जो ट्रेजरी वेन्चेज हैं उनको संरक्षण दिया जायगा? सभापति महोदय, क्या आपका यह कर्त्तव्य नहीं है कि जो ऐसे महत्वपूर्ण मामले हम सदन में उठावें उनके लिए आप काम रोको प्रस्ताव को स्वीकार करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के प्रस्ताव भी स्वीकार नहीं किये जायेंगे तो कौन से प्रस्तावों को स्वीकार किया जायेगा? हमारे विरोध पक्ष की आवाज है वह हम स्थगन प्रस्ताव के द्वारा उठाते हैं। हर प्रस्ताव सरकार को भेजा जाता है और 20 दिन के बाद जवाब आता है। यह सरकार के काम करने का तरीका है। सभापति महोदय, काम रोको प्रस्ताव इसलिए पेश किय जाते हैं कि उसके द्वारा सरकार को हम सचेत कर सकें। अगर आसन ही हमारे अधिकारों की सुरक्षा नहीं करता है और हमारे अधिकारों पर कुठाराघात होता है तो काम रोको प्रस्ताव पर बोलने का कोई महत्व नहीं रहता है। काम रोको प्रस्ताव दस दिन बाद आता है तो उसका क्या महत्व रहता है। कोई ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी नहीं है। आसन हमारे अधिकारों की सुरक्षा करें तो ठीक है। हमारे जो अधिकार हैं उनकी सुरक्षा की जाये.....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इस प्रकार के आरोप आसन पर न लगायें। माननीय सारे सदस्यों की अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व आसन पर है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मेरे निवेदन करने का मतलब यह नहीं था। मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि आसन हमारे अधिकारों की सुरक्षा करे। हम बोलना चाहते हैं। काम रोको प्रस्ताव

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

देते हैं तो वह सरकार को विचार के लिए भेजे जाते हैं और सरकार बीस-बीस दिन तक जवाब नहीं देती है। उसके बाद हम क्या करें, सभापति महोदय। काम रोको प्रस्ताव हम इसलिए देते हैं कि जनता की आवाज को हम यहां उठायें लेकिन उसके बाद सरकार जवाब नहीं देती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आसन सरकार को ताड़ना दे। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि हरिजनों पर अत्याचार से सम्बन्धित हैं कि बारे में तुरन्त जानकारी दी जाये। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनको विचार के लिए स्वीकार किया जाये। यह सरकार तो गूंगी बहरी होकर बैठी है, यह काम करना नहीं चाहती, काम करने का तरीका मालूम नहीं है...

श्री सभापति : आपने अपनी बात कह दी, माननीय सदस्य। आप समाप्त करें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। मेरे निवेदन करने का मतलब यह है कि मैंने जो मामला उठाया है हरिजनों पर अत्याचार का इस प्रकार के मामले उठते हैं उनके बारे में सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती राजस्थान के इतिहास में कलंक का टीका लगा है तो इस सरकार ने लगाया है हरिजनों पर अत्याचार करने वाली सरकार ने लगाया है मेरा निवेदन करने का मतलब यह है काम रोको प्रस्ताव है यह आपने अस्वीकार कर दिया लेकिन मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार अत्याचारियों को गिरफ्तार करें। अत्याचारियों को वह इसलिए गिरफ्तार नहीं कर पा रही है कि वह सब कांग्रेस (आई) की पार्टी से सम्बंधित लोग हैं। माधो रेगर को चूने के भट्टे में जिंदा डाला गया लोसल के अन्दर। भट्टे वाले को और मारने वालों को इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है क्योंकि वह लोग कांग्रेस (आई) के लोग हैं। जिसने मारा है उसकी पुलिस के पास रिपोर्ट है। कलेक्टर और एस पी. उनकी आवाज को नहीं सुनते हैं। सरकार भी आवाज नहीं सुन रही है। कजोड़ का लड़का एस. पी. के पास सिर पटक-पटक कर मर गया लेकिन उसकी बात नहीं सुनी गयी। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लोगों को मारा गया, जिंदा जलाया गया और तांगे वाले को नहीं पकड़ सकते कि कौन लाश को डाल गया। यह कैसी सरकार है, सभापति महोदय? इसलिए मेरा निवेदन करने का मतलब यह है, मेरा आसन के प्रति पूर्ण सम्मान है लेकिन सरकार नहीं चल रही है। सरकार बन्द है, मिट्टी के माधो की तरह पुतले की तरह बैठी है हिल नहीं सकती, हरिजनों को बचा नहीं सकती, कमजोर वर्ग को बचा नहीं सकती। हम तो बोलते-बोलते थक गये। हरिजनों पर अत्याचार के अखबारों में कालम भरे पड़े हैं। हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। मैं चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्री जी जवाब दें कि हरिजनों पर अत्याचार करने वालों को क्यों नहीं पकड़ा? तांगे वाले को क्यों नहीं पकड़ा, चूने के भट्टे वाले को क्यों नहीं पकड़ा जिसमें जिन्दा जलाया गया है।

श्री सभापति : आप इस पाइंट पर काफी बोल चुके हैं। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मंत्री महोदय, इस बात का जवाब दें, तांगे वाले को क्यों नहीं गिरफ्तार किया, चूने के भट्टे वाले को क्यों नहीं पकड़ा ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सरकार का उत्तर प्राप्त हो गया है। आप अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में, उनसे इन्फार्मेशन प्राप्त कर लें।

श्री सभापति : श्रीमती विद्या पाठक।

श्रीमती विद्या पाठक : मैं नहीं बोलना चाहती।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री रघुवीर सिंह कौशल।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : (बारां) सरकार का जवाब आ रहा था।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, वक्तव्य के लिए आज तारीख निश्चित नहीं हुई है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : यह 18 दिन पहले का स्थगन प्रस्ताव है। सरकार के पास जवाब देने के लिये भेजा गया था। सरकार 18 दिन बाद भी जवाब देने में सक्षम नहीं है...

(1.42 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : इसका जवाब आ गया है। शायद आप उपस्थित नहीं थे जब मैंने व्यवस्था दी थी। मैंने देख लिया है, पढ़ लिया है उसके बाद इसको अस्वीकार किया है। इसलिए आपको अवसर दिया जा रहा है। दो-तीन मिनिट में आप यदि कुछ कहना चाहें, तो फर्मा दें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब मिला नहीं है। सरकार का क्या रुख है, यह मुझे पता लगा नहीं है। भूमि सुधार हो रहा है, बहुत सुन्दर है, किसान के हित में है किन्तु कार्यान्वित करने का तरीका ऐसा है जिससे किसान कर्ज से दब रहा है। एक एकड़ की जितनी कीमत है, आधी कीमत आ रही है। विकास के नाम पर घोटाला हो रहा है। री-अलाटमेंट इस प्रकार से हो रहा है जिसके खेत में पानी लगता था, भूमि सुधार के नाम पर जो री-अलाटमेंट हुआ है उसके खेत में पानी नहीं लगता। ए. डी. एम. के पास जब शिकायत ले कर जाते हैं तो कहा जाता है गलती हम कर बैठे। इसको सुधारने के लिये कोई अपीलेट कोर्ट नहीं है। गलती सुधार नहीं सकते। अभी अपीलेट कोर्ट नहीं है इसलिये किसान को ए. डी. एम. के आदेश की पालना करनी पड़ रही है। जिन खेतों को पानी लगता था, भूमि सुधार के बाद जो जमीन री-अलाटमेंट में दी उन खेतों को पानी नहीं लगता। 91 करोड़ रुपया सी. ए. डी. के लिये है। 11 करोड़ रुपया भूमि के लिये है। 30 पर्सेंट किसान से एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेज लिया गया है। जहां भूमि सुधार की जरूरत नहीं है वहां सरकार पैसा खर्च कर रही है। जहां भूमि सुधार चल रहा है वहां का पैसा किसानों के नाम लिखा जा रहा है। आज भी किसानों को यह

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

मालूम नहीं है कि उनके नाम पर कितना कर्जा है। ब्लैंक छपे हुए फार्म पर दस्तखत करा लिये। कितना कर्जा है, मालूम नहीं। डीजल का ब्लैक हो रहा है। इन्जीनियरिंग एसोसियेशन ने एक प्रस्ताव पास किया कि 8 करोड़ रुपये की मशीनरी खराब पड़ी हुई है। उनके नाम का डीजल आ रहा है, ब्लैक में बेचा जा रहा है। किसान के नाम पैसा लिखा जा रहा है। इस प्रकार किसान बर्बाद हो रहा है। इटावा, कोटा, बारां में चाहे जितना ब्लैक में डीजल प्राप्त कर सकते हैं। किसानों को जब यह मालूम होता है कि हमारा भूमि सुधार का नम्बर आने वाला है तो त्राहि-त्राहि मच जाती है। अभी सुल्तानपुर में कैचमेंट का कार्यक्रम था अफसर लोग गये। सभी किसानों ने फार्मों पर दस्तखत करने से इन्कार कर दिया। यह कार्यक्रम इतना अन-पापुलर क्यों हो गया? जितना खर्चा होता है उसका 10 गुना किसान के नाम लिखा जाता है। किसान बर्बाद हो रहा है, भूमि सुधार के नाम पर। कोई सुनने वाला नहीं है। किसी कोर्ट में जा नहीं सकते। ए.डी.एम. के खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती। किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। उनके खेत बर्बाद हो रहे हैं। उनके नाम पर कर्जा लिखा जा रहा है। कैचमेंट के नाम पर इतना घोटाला हो रहा है। मेरा यह निवेदन था कि सरकार इस संबंध में कोई जवाब देगी, उस जवाब को सुनते। 18 दिन पहले स्थगन प्रस्ताव रखा लेकिन सरकार का कोई जवाब नहीं आया। मैं बोल रहा हूं और सरकार कानों में तेल डाल कर सुन रही है। यह किसानों का मामला है। हम किसानों के हित की बात करते हैं। किसानों को बर्बाद किया जा रहा है। इसका जवाब तो दिला दिया जाये। सरकार इस विषय में क्या सोच रही है। 30 पर्सेंट एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेज लगाना चाहते हैं। किसानों को बर्बाद होने से बचायें। भूमि सुधार हो रहा है पिछले चार सालों से उसका आज तक इनको लाभ नहीं दिया गया है। उनकी लिस्टें नहीं बनाई गई। उनको सब्सिडाइज नहीं किया गया। यह कैचमेंट के नाम पर हो रहा है। योजना बहुत सुन्दर है, कार्यक्रम बहुत सुन्दर है। लेकिन उसकी क्रियान्विति बहुत गलत ढंग से हो रही है। जिस कारण किसान बर्बाद हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है उसके अनुसार वह ठीक ढंग से कार्यान्वित हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिये इस सदन की एक समिति बनाई जाये, वह समिति इस भूमि सुधार के कार्यक्रम को देखे और जो गलती हो उसको देखे। किसानों के नाम पर जो कर्जा लिखा जा रहा है, उसको बन्द किया जाये। इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक कैचमेंट की योजना का प्रश्न है, यह आवश्यक योजना है, महत्वपूर्ण योजना है लेकिन तानाशाही में पड़ कर वह सारी की सारी योजना भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है अध्यक्ष महोदय, कैचमेंट हुआ ही नहीं है। मेरी मान्यता है कि कोटा जिले में जितनी जमीन है उसकी 90 प्रतिशत जमीन समतल स्थिति में है और 10 प्रतिशत जमीन असमानता की स्थिति में है। ऐसी स्थिति में कैचमेंट करके

(72)

(श्री दाऊदयाल जोशी)

समतल जमीन को बराबर करना और कर लगा कर किसान को बर्बाद करना, यह कोई जमने वाली बात नहीं है। कैचमेंट का भी एरिया है हमें ए.डी.एम. नें बताया, कैचमेंट कर दिया, जमीन समान हो जायगी। लेकिन समतल न होकर एक-एक फीट के गड्ढों में पानी भरा हुआ है उससे किसानों को नुकसान हो रहा है। मेरा निवेदन है जब कैचमेंट हो जाता है उसके बाद जब जमीन सम्हलाने का नम्बर आता है तो उस समय अमीन जो कर देता है वह ही सही हो जाता है, बाकी सब गलत है। अमीन ए की जमीन बी को और बी की जमीन सी को दे देता है तो उसको कोई बदलने वाला नहीं है। किसी की खार वाली जमीन थी, उसको अच्छी जमीन दे दी और जिसकी जमीन अच्छी थी उसको खार वाली जमीन दे दी अमीन ने जो यह गलती कर दी उसको कोई आगे बदलने वाला नहीं है। उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो सकती है। वह भले ही उच्च अधिकारियों को यह कहे कि मेरी जमीन बढ़िया जमीन थी और मुझे जो जमीन दे दी है उसमें कोई फसल नहीं हो सकेगी किन्तु अमीन ने जो कुछ कर दिया वह कर दिया, उसके बाद ए. डी. एम., तहसीलदार, बी. डी. ओ. कोई बदल नहीं सकता है। आज तक यही देखा गया है कि जो अमीन ने कर दिया, उसको बदलने के लिये कोई अधिकारी सक्षम नहीं हैं।

मैंने एक प्रश्न के जरिये से भी पूछा था कि कैचमेंट में कुल कितना खर्चा आता है। कोई कहता है 400)रु. आता है, कोई कहता है 500)रु. आता है और कोई कहता है 800)रु. आता है। मैंने जो प्रश्न पूछा था उसके उत्तर में लगभग 485)रु. एक बीघा पर लगभग बताया है। जो चार चार साल से काम कर रहे हैं, उनको भी इस बारे में अभी कोई अनुभव नहीं हुआ, उसकी जानकारी नहीं हुई ताकि किसान को सही सही बता सकें।

मुआवजा देते समय कहते हैं कि खेती का मालिक किसान नहीं, खेती का मालिक सरकार है लेकिन जब सरकार टैक्स वसूल करती है···

(व्यवधान)

श्री सूरत पाल सिंह (भीनमाल) : खेती मलिक या जमीन का मालिक ? आप तो खेतो का मालिक कह रहे हो। खेती क्या होती है, खेत क्या होता है अभी यही पता नही है।

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि कैचमेंट के मामले में जो झगड़े चल रहे हैं उसकी उच्च स्तरीय जांच करवा कर जो हजारों रुपया पर बीघा खर्चा माना जा रहा है, उनको सही सही निपटाने की व्यवस्था करें।

मेरे क्षेत्र में डीजल के बारे में जब मैं जिलाधीश महोदय से मिला तो उन्होंने कहा आपके यहां डीजल की क्या कमी है। सब उच्च अधिकारी जानते हैं कि डीजल में गड़बड़ी हो रही है तो इस व्यवस्था को भी ठीक करावें।

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी स्थगन प्रस्ताव था।

(श्री हीरालाल आर्य)

अध्यक्ष महोदय, पीपल्दा तहसील में केचमेंट का काम चल रहा है। केचमेंट सिद्धान्ततः बुरा नहीं है लेकिन जिस तरह यह अभी चल रहा है, उससे किसान बड़े दुखी हैं। यहां तक की किसान केचमेंट के नाम से डरते हैं। जब प्रारम्भ में नहरें आती थीं तब किसान अपने खेतों में पानी देने से डरते थे। जब भी नई खाद चली तो खाद देने से किसान डरते थे। इसी तरह अब जब केचमेंट आया है तो किसान डर रहा है। इसका मतलब यह है कि केचमेंट का जो प्रचार-प्रसार है वह ठीक नहीं है, किसान को उसकी जानकारी नहीं है। अधिकारी केचमेंट एरिया में जाते नहीं हैं वे खेत में सीधे जाते हैं मशीनें ले जाते हैं और कार्य प्रारम्भ कर देते है। किसान को समझाते नहीं हैं कि उसके किस खेत का केचमेंट होने वाला है किस जगह केचमेंट होने वाला है और किस जगह नहीं, उसका ज्ञान अधिकारी लोग किसानों को देते नहीं हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि किसानों को इसका ज्ञान कराना और उचित सूचना देना अति आवश्यक है ताकि किसान केचमेंट के महत्व को समझ सके।

दूसरा निवेदन मेरा यह है कि मेरे क्षेत्र में जहां केचमेंट हो रहा है यदि जमीन थोड़ी ऊंची है तो उसका केचमेंट छोड़ देते हैं। ऐसे मामले हमारे यहां अधिक हैं। आधे खेत को केचमेंट करने से छोड़ देते हैं जबकि उसको छोड़ना नहीं चाहिये।

हमारे यहां सड़कें धोरे ड्रेनेज लेवलिंग आदि किये जाते हैं। धोरे इस तरह बनाये हुए हैं कि पानी खेतों में पहुंचता हो नहीं है। किसानों के खेत में पर्याप्त पानी पहुंचता ही नहीं है। क्षेत्र में अन्य स्थानों पर भी केचमेंट के अतिरिक्त ड्रेनेज का काम चल रहा है इससे किसानों से पैसा वसूल नहीं किया जाता है और जहां केचमेंट का काम चल रहा है वहां किसानों से ड्रेनेज का पैसा वसूल किया जाता है। यह असमानता तथा अनुचित है, इसको दूर किया जाना चाहिये। सुपरविजन चार्जेज लेते हैं और काम भी ठीक नहीं किया जाता है इससे किसानों पर जो भार पड़ता है उसे चुकाने किसान में असमर्थ है। मैं आपके मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो केचमेंट हो रहा है, सरकार उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और जो सुपरविजन चार्जेज तथा ड्रेनेज के पैसे किसानों से लिये जा रहे है, वह नहीं लिये जांय।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री हीरालाल आर्य : माननीय सदस्य ने जो अभी डीजल के ब्लैक की बात कही उससे मैं भी सहमत हूं। साथ ही अधिकारी कोटा से रोजाना वहां आते जाते हैं और डीजल का भार किसानों पर मांडते है। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए केचमेंट का खर्चा कम किया जाना चाहिये ताकि किसानों को राहत मिल सके, यह मैं आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, श्री दाऊदयाल जोशी, श्री गोपाल पचेरवाल। शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(74)

व्यवस्था का प्रश्न

शिक्षा मंत्री के द्वारा दिये गये आश्वासन के सम्बन्ध में गलत तथ्य

श्री हनुमान प्रभाकर (शिक्षा मंत्री) : एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न ?

श्री हनुमान प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा गया है राज्य सरकार के आश्वासन के बावजूद कोटा जिले में ···

कई माननीय सदस्य : आवाज नहीं आ रही है।

श्री हनुमान प्रभाकर : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि प्रान्त के प्रत्येक भाग में राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकें 15 जुलाई, 1980 से पूर्व उपलब्ध करा दी जायगी, मैं समझता हूं इस प्रकार का वक्तव्य नहीं था, अनुमानतः 31 जुलाई था मेरा निवेदन है कि 15 जुलाई को उत्तर हुआ है तो 15 जुलाई को कैसे हो सकता है। अतः इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय से निवेदन है···

श्री अध्यक्ष : इसमें व्यवस्था का प्रश्न कुछ नहीं बनता। शायद तारीखों में कुछ गलती हो रही है इसका स्पष्टीकरण जब वक्तव्य दें तब दे सकते हैं। श्री चतुर्वेदी।

ध्यान आकर्षण प्रस्ताव

कोटा जिले में राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों की अनुपलब्धि

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान पुस्तकों के अभाव की ओर विशेष रूप से कोटा जिले के लिये आकर्षित करना चाहूंगा। जैसा माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा 31 जुलाई है, 31 जुलाई भी मानलूं तब भी वही स्थिति है। मेरे कहने का मकसद यह था कि उन्होंने यह कहा था कि 15 जुलाई तक सब पुस्तकें हम उपलब्ध करायेंगे मगर 31 कहा है तो मैं आपके माध्यम से उनसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं 1 जुलाई से स्कूल प्रारम्भ हुए। तीसरी कक्षा से आठवीं कक्षा तक के बच्चे बड़े बच्चे तो होते नहीं है जो स्कूल और कॉलेज में केवल एक पुस्तक और एक कापी लेकर चले जाते हैं। स्कूल में प्रवेश होते ही शिक्षक पुस्तकों के विषय में उनसे चर्चा करना प्रारम्भ कर देते हैं बच्चा कुछ नहीं कह सकता, बच्चा आन्दोलन नहीं कर सकता। बच्चा रोष प्रकट नहीं कर सकता। वह बालक अपने घर पर रोता हुआ आता है। दूसरे दिन स्कूल में जाने की जब बारी आती है तब माता पिता से वह कहता है कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा।

मैं समझता हूं शायद, माननीय शिक्षा मंत्री जी ये भी किसी के पुत्र किसी के पिता होंगे। तीसरी से छठी कक्षा तक स्थिति यह है पिछले कुछ समय पहले माननीय शिक्षा मंत्री कोटा में पधारे थे। उसके दो तीन दिन पहले मैं भी था, इतने अभिभावक मेरे पास आये, इन्होंने इस बात को कहा है। यह चर्चा का विषय है प्रतिदिन का अखबार उठा कर देख लीजिए, कोटा जिले में ही नहीं कभी जोधपुर जिले, कभी अजमेर, कभी उदयपुर, सबमें पुस्तकों की कमी की चर्चा लगातार आ रही है। कोटा जिले पर तो शायद कुछ विशेष अनुकम्पा हो गयी है। इसलिए

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)
कोटा जिले में इस प्रकार की स्थिति देखने के लिए मिल रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, किताबें उपलब्ध कैसे हों, वैसे तो पिछली सरकार को धन्यवाद दे दीजिए, स्थिति ऐसी रही कि पिछली सरकार के समय दिसम्बर के महीने से पुस्तकों के स्टाक से पुस्तकें लेने की मनाही हो गयी। पिछला बहुत सारा पुराना स्टाक पड़ा था, । अगर वह स्थिति नहीं होती, अगर दिसम्बर से फिर से स्टाक को बन्द नहीं किया जाता पुस्तकें बराबर दी जाती तो आज ऐसी स्थिति हो जाती···

(व्यवधान)

आप मेरी बात सुन लें, मैं उनका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

तो ऐसी स्थिति हो जाती कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पुस्तक मण्डल के जो प्रतिनिधि हैं, सचिव महोदय हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा है, सारे जिले के लोगों को पत्र लिखा है, उस पत्र की कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उनकी दशा क्या है, उनका मतव्य क्या है, उनके सोचने का ढंग क्या है, उस पर प्रकाश डालता हूं, सारे डिपोज को उन्होंने लिखा "सभी पुस्तक विक्रेताओं को समान संख्या में पुस्तकें मिलें, ऐसा आप अपने यहां उपलब्ध स्टाक, जो पुराना स्टाक है, पंजीकृत पुस्तक विक्रेताओं की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकार वितरण की व्यवस्था करें कि संस्करण 1980 की पुस्तकें, सम्भवतः 15-20 जुलाई तक उपलब्ध होंगी" यह शब्द हैं। मैं शिक्षा मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं जून के अन्दर जिस समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने शपथ ले ली थी, शिक्षा मंत्री ने शायद थोड़ी देर बाद शपथ ली। एक जुलाई से पुस्तकों का, मैं जानता हूं कि वे अपने जवाब में कहेंगे कि जो पुरानी सरकार ने पुस्तकें छापने वालों से और उनसे जो को किया था, उसमें देरी कैसी। यह तो तरीका है उनका, वह बिल्कुल यही कहेंगे। मैं यह भी कहूंगा कि कुछ व्यवस्था करने की दृष्टि से अगर 5-6 महीने का समय हमें मिला, राष्ट्रपति शासन के समय में, राज्यपाल महोदय के समय में, यहां आकर, तो क्या आने वाले समय तक यह स्टाक चलता रहता।

फुरसत किसको है, 13-13 विभाग हैं, मैं तो सुनता हूं कि शायद कभी कभी एक प्याला चाय पीकर निकल जाता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपनी बात संक्षेप में कहें।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : तो उन्होंने लिखा है कि संस्करण 1980 की पुस्तकें, जो सम्भव है, 15-20 जुलाई तक उपलब्ध हो जायेंगी, आने तक बिक्री अबाध चलता रहे और किसी प्रकार की कमी का अहसास न होने पाये। "आपने बड़ी चालाकी से हर पुस्तक डिपो को कहा कि देखो तरीके से पुस्तक बेचना, जो स्टाक में पड़ी हैं उनको इस तरह बेचना, कि 5-5 की संख्या में, 10-10 की संख्या में, 15-15 की संख्या में आपको

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

15-20 जुलाई, जो मैंने लिखा है, तब तक पिछली स्टाक से काम चलाना है। किसी को कोई तकलीफ न हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह राजस्थान भर की स्थिति है, किन्तु जैसा मैंने कोटा जिले के सम्बन्ध में आपसे निवेदन किया, मैं जानता हूं कि शिक्षा मंत्री महोदय कहेंगे, केवल 3 पुस्तकों की कमी है। चर्चा सुनी है मैंने। मैं चर्चा सुनता रहता हूं, मैं घूमता रहता हूं, मैं बात करता रहता हूं। मैंने इस बात की चर्चा सुनी है कि 3 पुस्तके कम हैं, 4 पुस्तकें कम है, किन्तु मैं बताना चाहता हूं, कोटा जिले की स्थिति के सम्बन्ध में कक्षा 3 में 39,000 विद्यार्थी हैं, कोटा जिले में 1 कक्षा 3 में विज्ञान की 12,500 पुस्तकें केवल पहुंची हैं, हिन्दी की 10,000 पुस्तकें पहुंची हैं, सामाजिक विज्ञान की 8 560 पुस्तकें 28-29 जुलाई तक पहुंची हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जरा देख लें, 39 हजार विद्यार्थी हैं और पुस्तकों की हालत यह है। अगर कक्षा 4 पर आयेंगे तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा। अंक गणित की 6,933 पुस्तकें पहुंची हैं जबकि पूरे विद्यार्थीयों की संख्या 36 हजार है। हिन्दी, की तो 5,653 है और वे पुराने स्टाक की हैं, नये स्टाक की एक भी पुस्तक नहीं पहुंची है। 36,000 और 5,653 पुस्तकें, पुराने स्टॉक की जनता पार्टी के कृपा से स्टॉक की। कक्षा 5 को यदि आप लें, विज्ञान की 5,440 पुस्तकें पहुंची हैं, जबकी पूरे विद्यार्थियों की संख्या 35 हजार है, नया स्टॉक नहीं पहुंचा। अंक गणित की 5,235 पुस्तकें पहुंची है 35 हजार के लिए। हिन्दी की 5,220 पुस्तकें पहुंची हैं। कक्षा 6 के तो निराले हाल हैं, मैं पढ़ता जाता हूं उससे अन्दाजा लगाइये, आपको सुन कर आश्चर्य होगा 34 हजार विद्यार्थियों के लिए 7,500 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक पहुंची हैं और विज्ञान की पुस्तक पहुंची हैं, 4,563। नया स्टॉक नहीं पहुंचा है। हिन्दी की 1,844 पुस्तकें 34 हजार में से पहुंची हैं। मैं शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि 34 हजार विद्यार्थियों के लिए 1,844 पुस्तकें। क्या बनेगा बच्चों का, क्या बनेगा प्रदेश का और क्या बनेगा बच्चों के मां बाप का ?

अगर कक्षा 7 पर आप आयेंगे तो यही किस्सा, यही नजारा देखने को मिलेगा। अंग्रेजी की 31 सौ पुस्तकें पहुंची हैं जब कि 33 हजार विद्यार्थी हैं। 4,660 भूगोल की पुस्तकें पहुंची हैं और विद्यार्थी हैं 33 हजार। अंक गणित की 4,787 पुस्तकें और हिन्दी की 1,875 पुस्तकें 33 विद्यार्थियों के लिए पहुंची हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कक्षा 8 पर आयें तो 2,414 अंक गणित की पुस्तकें पहुंची हैं 32 हजार विद्यार्थियों के लिए। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ऊपर की बातें छोड़े, जरा चैकिंग करें डिपो पर जाकर। पाठ्य पुस्तक मण्डल को जरा टटोल कर देखें। मैं जानता हूं, शिक्षा मंत्री यह भी कहेंगे की पुरानी जितनी किताबें बिकी की थी, उसके आधार पर आपने कोटा में भेजी हैं। वहां दूसरी जगह से पुस्तकें आ रही हैं, वहां गंगानगर से पुस्तकें आ रही हैं, वहां गंगापुर सिटी से पुस्तकें आ रही हैं आपको यह सुनकर आश्चर्य

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

होगा। ऐसा क्यों हो रहा है ? यह कौनसा इन्वेलेन्स है जिसके कारण ऐसी स्थिति हो रही है। चैकिंग की आवश्यकता है किन्तु केवल मात्र अधिकारियों पर छोड़ने वाली बात नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से कहना यह चाहूंगा कि नियम बने हुए हैं कि पाठ्य पुस्तक मंडल लगभग 10 हजार रुपयों की पुस्तकें एक सप्ताह में, एक पुस्तक विक्रेता को देगा। बूंदी जाइये वहां 6 हजार रुपये, भीलवाड़ा को 7 हजार रुपये की मिल रही हैं लेकिन कोटा जिले में क्या हालत है, इसको देखें। पहले सप्ताह में एक जुलाई से 7 के बीच में 2,364-77 नये पैसे की पुस्तकें एक-एक पुस्तक विक्रेता को मिली हैं। दूसरे सप्ताह में 1696 रुपये 85 नए पैसे की मिली है। तीसरे सप्ताह में 1803 रुपये की मिली है और चौथे सप्ताह के अन्दर 1417.90 पैसे की मिली है। इस तरह से निरन्तर घटती जा रही है। राज्य सरकार के स्टैंडिंग ऑर्डर हैं, दस हजार की पुस्तकें देने का तय किया हुआ है लेकिन एक एक पुस्तक इस प्रकार से मिलती जा रही है। क्या तो इनकी पुस्तकें होंगी दो चार हजार में, क्या बच्चे पढ़ेंगे और क्या बच्चों तक पुस्तकें पहुंचेगी और क्या पढेंगे। इसमें भ्रष्टाचार भी हुआ है। अगर आप देखने की कोशिश करें तो यह सूची मेरे पास है। कोटा जिले के पुस्तक विक्रेताओं का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। बड़ी अच्छी बात है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि पुस्तकों की दुकानें पुरानी जो हैं, वे लगी लगाई हैं, बाजार के बीच में हैं, उन दुकानों पर पुस्तकें पहुंचती नहीं हैं। किन्तु नए प्रकार के लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। 18-7-80 को नए पुस्तक विक्रेताओं का रजिस्ट्रेशन किया, फिर 16-7-80 को रजिस्ट्रेशन हुआ। फिर 16-7-80 को हुआ, फिर 16-7-80 को हुआ, फिर 2-7-80 को हुआ और फिर 2-7-80 को हुआ कुछ बूंदी जिले के भी हैं। ऐसे कम से कम 18-19 लोग हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। सिलाई की दुकान है और पुस्तक विक्रेता का रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। पता नहीं कैसे किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है ? बच्चों को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है कि कहां उनकी दुकानें हैं। जरा दृष्टि डालिये, आंख खोल कर देखिए। पुराने पुस्तक विक्रेताओं की दुकानें ठीक जगहों पर लगी हुई हैं, बाजार में लगी हुई हैं जहां पर बच्चे पहुंच सकते हैं, विद्यार्थी पहुंच सकते हैं लेकिन इन नए विक्रेताओंतक नहीं पहुंच सकते। इतना ही नहीं, 105 पुस्तक विक्रेताओं में 17 पुस्तक विक्रेता झालावाड़ जिले के हैं कुछ बूंदी जिले के भी हैं। कहां जा रही हैं पुस्तकें ? कापरेन, पचपहाड़, भवानी मण्डी स्टेशन से नजदीक पड़ते हैं। बड़ी अच्छी योजना है। कोटा जिले की पुस्तकों को उन जिलों में ले जाया जा रहा है, वहां से ब्लेक करेंगे, कुंजियां बेचेंगे ? बच्चा मारा मारा फिरेगा। आज कोटा जिले की यह स्थिति है, माननीय शिक्षा मंत्री जी पहुंचे कोटा में तो दो चार बंधु मिलने आए इसकी खबर भी मेरे पास में है। उनको कहा गया कि सब अच्छी तरह से पुस्तकें पहुंच रही हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। यह जानकारी आपको दी गई है। आप इस तरह के लोगों से बचिये। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह राजनीति

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

का विषय नहीं है। यह विद्यार्थियों से सम्बन्ध रखने वाला विषय है। यह उनके जीवन से सम्बन्धित प्रश्न है, उनकी शिक्षा से सम्बन्धित प्रश्न है। वे आन्दोलन नहीं कर सकते, वे हाय हाय नहीं कर सकते, वे हड़ताल नहीं कर सकते, बन्द नहीं कर सकते,। वे टुकुर-टुकुर देख रहे हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि पुस्तकें अधिक संख्या में पहुंचे, ठीक लोगों के पास पहुंचे, पुस्तकों की वितरण व्यवस्था को ठीक करिये। इतना ही नहीं यहां आने से पहले मैं जिलाधीश महोदय से चर्चा करके आया था। उन्होंने मीटिंग की होगी। जरा अपनी मशीनरी को एकत्रित करिये। पुस्तकें ठीक प्रकार से पहुंचे, उनका ठीक प्रकार से वितरण हो, यही मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री बाऊदयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सहयोगी कोटा के विधायक ने जो पुस्तकों के अभाव की बात कही है, यह गम्भीर प्रश्न है। सारे राजस्थान भर का प्रश्न है, लेकिन ऐसा लगता है कि चूंकि हम कोटा सम्भाग से नौ में से सात विधायक चुन कर आए हैं इसलिए कोटा जिले के साथ भेदभाव की नीति बरती जा रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो स्थिति रखी है, ये जो आंकड़े रखे हैं, हमारे कोटा के विधायक ने जो स्थिति उपस्थित की है, गांवों की स्थिति तो इससे भी बदतर है। गांवों में तो किताबें मिलना सम्भव ही नहीं है। सुल्तानपुरा क्षेत्र में जब मैं गया, अभी मेरे सहयोगी ने कहा कि विद्यार्थी आन्दोलन नहीं कर सकते लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मुझे उनके आन्दोलन का शिकार होना पड़ा। जाने से पहले ही सुल्तानपुरा में मीटिंग की सूचना करवा दी थी कि मैं इतने बजे और इतनी तारीख को आ रहा हूं। मैं जैसे ही बस से उतरा, तुरन्त 80-90 लोगों ने मेरा घेराव कर डाला। लोगों ने कहा कि किताबें लाओ,पुस्तकें लाओ कापियां लाओ। लेकिन मैं तो विवश था। मैंने यह बात जरूर कही है कि हमने विधान सभा में इस प्रकार का प्रस्ताव दिया है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मेरे सहयोगी विधायक ने और प्रस्ताव दिया है और हम इसके लिए प्रयास करेंगे। मैं राजस्थान की इस अकर्मण्य सरकार से और अकुशल सरकार से पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगा कि स्थिति को सुधारने की ओर कोशिश करें। मैं स्वयं इस बात का शिकार हुआ हूं। मेरी बच्ची नाइन्थ क्लास में पढ़ती है। जब किताबें लेने गई तो 35)रु. की किताबें और 78)रु. की कुंजियां लेनी पड़ी इससे बड़े आश्चर्य की क्या बात होगी। कक्षा 2 की किताबों की कीमत कुल 3)ं रु. और कुंजी की कीमत 8) रु.। तीसरी कक्षा की किताब की कीमत 5) रु. और कुंजी की कीमत 9) रु.। कक्षा 4 की किताबों की कीमत 7)रु. और कुंजी की की कीमत 13) रुपया। आखिर यह लूट किन के द्वारा, क्यों और किसलिए, किस कारण से मचायी जा रही है ? अभी हमारे श्री ललितकिशोर जी ने बात उठाई है कि पान की दुकान, कैंनिंग की दुकान लगाने वाले पुस्तकों के वितरण का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। मुझे डर है कि आई-कांग्रेस के लोग इसमें बन गए हैं। जो अवसरवादी लोग होते हैं वे मौका पाकर इस प्रकार से घुस जाते हैं अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, इस प्रका

(श्री दाऊदयाल जोशी)
पान की दुकान लगाने वाले, कोनिंग की दुकान लगाने वाले या दूसरे काम करने वाले लोगों को पुस्तकों की बिक्री का काम दिया जा रहा है, यह सही बात है।

मेरा निवेदन है कि कापियों का भी अकाल हो रहा है। कापियां ले लीजिए बाजार में जितनी चाहिए ले लीजिए लेकिन ब्लैक में। चेतक कापियां यों तो मिलती नहीं हैं लेकिन चेतक कापियां योजनाबद्ध तरीके से कालाबाजार में बिक रही हैं। कापियां दूसरे लोगों के हाथों में पहुंच जाती हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों को कापियां किताबें नहीं मिल रही हैं। कोटा जिले भर में पुस्तकों का, कापियों का अभाव है। मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि शीघ्राति-शीघ्र जिस तरह से भी हो सके इसकी व्यवस्था करें। आपने कहा कि 31 तारीख का ऑर्डर दे दिया है 31 तारीख भी आज ही है लेकिन आज तक मेरे पास कोई खबर नहीं है कि किताबें मिल गई हैं। ये चिट्ठियां हैं लोगों की कि उनको किताबें नहीं मिल रही हैं। ये लोगों की चिट्ठियां हैं कि उनको कापियां नहीं मिल रही हैं।

(व्यवधान)

आप कहें तो पढ़ूं ये चिट्ठी। मैं निवेदन करता हूं कि इस प्रकार से लोगों को तंग किया जा रहा है। अगर बच्चों को इस तरह से शिक्षा की सुविधा नहीं दें तो इससे बड़ी हेय बात, इससे बड़ी बुरी चीज और कोई नहीं हो सकती है। माननीय शिक्षा मंत्री जी, कल के याद परसों के दिन छुट्टी हो जाएगी। हम जब गांवों में जायेंगे तो फिर हमारा घेराव होगा। आप जाओगे तो आपके साथ तो पुलिस की फोर्स होगी। पुलिस के डर के मारे बच्चे घबरायेंगे और आपके सामने नहीं आयेंगे लेकिन हमारा तो घेराव होगा...

श्री विष्णुप्रकाश बाजारी : पिटाई भी हो सकती है।

श्री दाऊदयाल जोशी : हां, पिटाई भी हो सकती है। आपको अनुभव नहीं है क्योंकि आप तो नए सदस्य आए हैं। इस प्रकार की फोर्स बहुत खराब है। हमें स्वतंत्रता आन्दोलन का अनुभव है कि क्या होता है...

(व्यवधान)

पाठ्य पुस्तक और कापियों की कालाबाजारी हो, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें नहीं मिलें, मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूं। माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि निश्चित रूप से शीघ्राति-शीघ्र पाठ्य पुस्तकों की, और चेतक कापियों का बाजार के अन्दर उपलब्ध होना जरूरी है जिससे हम लोगों की रक्षा हो सके, आपकी रक्षा हो सके और आगे से हमारे क्षेत्र में आपका भी पिष्ट पोषण हो सके।

एक बात और कोटा के बारे में निवेदन करना चाहता हूं आखिर में यह आम चर्चा चल रही है कि माननीय मंत्री महोदय के दरवाजे पर कोई विरोधी पक्ष के किसी की चिट्ठी लेकर चला जाय तो वहां बात नहीं हो सकती। कोई भी बीस तीस ट्रांसफर्स की लिस्टें लेकर

(श्री दाऊदयाल जोशी)

चले जाते हैं। माननीय मंत्री महोदय से, जैसी मुझे अस्पष्ट जानकारी मिली है, शेखावत गुट के लोगों को, शेखावत गुट के अध्यापकों के सामने कहा है कि मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम चिन्ता मत करो, मैं सब को बदल दूंगा। स्कूल के पूरे के पूरे टीचर चेंज करने पड़ेंगे तो बदल दूंगा। इस प्रकार से बदले की भावना लेकर आपको नहीं चलना चाहिए। आप न केवल शेखावत गुट के हैं या सनाढ्य गुट के हैं आप तो सारे शिक्षा जगत के हैं। किसी प्रकार की बदले की भावना रखी और बदले की भावना से आपने काम किया तो यह बहुत बुरी बात होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार तुरन्त पाठ्य पुस्तकों की, चेतक कापियों की व्यवस्था करें और गरीब बच्चों की सुख सुविधा का पूरा पूरा प्रबन्ध करें, यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल पचेरवाल।

(अनुपस्थित)

श्री अहमदबख्श सिंधी : ये आपकी गलत पोलिसियां और नीतियां हैं जिनका परिणाम भुगतो अब।

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, टोंक जिले में भी पुस्तकों का अभाव है....

श्री अध्यक्ष : सब का उत्तर दे रहे हैं, माननीय मंत्री।

श्री महावीर प्रसाद : माननीय मंत्री महोदय तो केवल तबादलों में लगे हुए हैं। उधर पुस्तकों का ब्लैक हो रहा है••

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, आर्डर प्लीज। मंत्री महोदय अब उत्तर दें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अगर विद्यार्थियों को•••

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जाइये। मंत्री महोदय।

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर (शिक्षा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि कोटा जिले में 10 प्रतिशत पुस्तकें मिल रही हैं, इसकी पृष्ठभूमि में कुछ बातें माननीय सदस्यों ने कही हैं। मुझे भी कुछ बातें कहनी होंगी, क्योंकि उन्होंने कही हैं।

यहां एक बात तो आपने बहुत अच्छी स्वीकार कर ली कि चाहे छात्रों के पास पुस्तकें थीं या नहीं फिर भी हमने दिसम्बर के बाद बेचना बन्द कर दिया, बहुत ही अच्छी बात है। इससे अच्छा राज्य चलाने का कोई तरीका नहीं हो सकता था। बाकी दिसम्बर में पुस्तकें बेचने का कोई कारण नहीं होता है। यदि पुस्तकों की दिसम्बर के बाद भी किसी को जरूरत है, फट गई हैं या पुरानी हो गयी हैं या लेना चाहता है, तो उसे रोकने का कोई प्रश्न नहीं था। मेरा ख्याल है भूतपूर्व शिक्षा मंत्री की नीति शिक्षा के सम्बन्ध में क्या थी, वह इस बात से प्रकट होती है।

इसके साथ-साथ आपने जो बातें कही हैं, बिल्कुल ठीक हैं। समान वितरण की

(श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर)

व्यवस्था हो। कोई यदि भूल से डीलर बुक्स को लेकर होडिंग कर लेगा तो वह तो स्वीकार नहीं होगा। इसलिये हमने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है कि जो पुस्तक विक्रेता अपनी पुस्तकें लेते हैं, उसको जितनी पुस्तकें दी गयी हैं, वह एक साथ इस तरीके से नहीं दे दें कि वे किसी के घर में दबी रह जायें, किसी के पास दबी रह जायें। समान दृष्टि से वितरण की व्यवस्था की गई है, मैं समझता हूं यह कोई आपत्तिजनक बात नहीं है।

इसके साथ-साथ एक बात और आपने कही, कुछ लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने से यदि किसी को नाराजगी है और उसकी वजह से किसी ऐसे व्यक्ति को पुस्तकें मिल गई हैं, जो उनकी पसन्दगी का नहीं है तो इसका इलाज मेरे पास नहीं है। इसका इलाज वह स्वयं कर लें। इसकी चिकित्सा मेरे पास नहीं है, इसका इलाज वह स्वयं कर लें तो बहुत अच्छा होगा।

श्री देवदत्त : वही तो दर्द है।

(व्यवधान)

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मैं बोल रहा हूं, आप सुन लें।

उसके बाद एक बात और कही गयी है। कोटा जिले के साथ में भेद-भाव किया जा रहा है। सही बात तो यह है कि जिन लोगों ने गये ढाई साल में भेद-भाव किया है, जिले के साथ नहीं इन्सान के साथ भेद-भाव किया, भेद-भाव का उनका मन बना हुआ है, उनका दृष्टिकोण बना हुआ है। उनकी जुबान में, मन में, सब जगह पर भेद की बातें भरी हुयी हैं। यदि उन्हें कोटा जिले में भेद-भाव नजर आता है तो वह स्वयं अपनी मानसिक चिकित्सा करा लें, जिसकी वजह से भेद-भाव देखने की उनकी दृष्टि बन गयी है। भेद-भाव कहने का जो उनका नजरिया बन गया है, उस सारे को वह बदल दें…

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ××× जाने के लिये तैयार रहना फिर।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मैं आपसे कहना चाहता हूं…

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : यहां पर इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना आपको आता है तो हमें भी इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना आता है। आप यदि सदन को इतना गुमराह कर सकते हैं, 15 जुलाई का मैंने आश्वासन दिया था, जब कि मैंने कोई आश्वासन नहीं दिया 15 जुलाई का लिखित में, अध्यक्ष महोदय, आपने 'स्थगन प्रस्ताव पर काल अटेन्शन मोशन रखा, आखिर यह झूठ नहीं था तो क्या है।

उसके बाद मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। आपने जो कक्षाओं के छात्रों के आंकड़े दिये हैं, वह आंकड़े किस तरह से आपके पास उपलब्ध हो गये, इसकी मुझे बड़ी खुशी है। आपके पास ऐसी मशीनरी है, कोटा जिले के अन्दर स्कूलों में जितने छात्रों ने प्रवेश ले लिया, वह आंकड़े आपने ले लिये और सदन में आंकड़े रख दिये। जो आंकड़े आपने रखे हैं, यदि

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर।

यह आंकड़े सही हैं तो मैं एम. एल. ए. ललितकिशोर जी चतुर्वेदी को इस बात की चुनौती देना चाहता हूं कि जो कुछ आप चाहें फैसला कर लें। झूठे आंकड़े देकर, झूठी बातें करके सदन को गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है।

मैं इस सम्बन्ध में कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगा, मेरे पास नये आंकडे नहीं हैं, गये साल के आंकड़े हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री सूरजपाल सिंह : ये सब झूठ क्यों उपजती है, ललित किशोर जी को।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : कक्षा तीन के अन्दर करीब 26,000 लड़के थे, कक्षा चार में 23,000 लड़के थे, कक्षा पांच में 17,000 लड़के थे, कक्षा छः में 16,000 लड़के थे, कक्षा सात में 11,000 लड़के थे और कक्षा आठ में 10,000 लड़के थे। ये आंकड़े गये साल के हैं। अब आप 10,000 को 32 हजार बना दें और 16 हजार को 31 हजार बना दें और उन आंकड़ों के आधार पर आप सिद्ध करना चाहें कि पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं, तो मैं ठीक नहीं समझ सकता हूं। मैं मानता हूं कि छात्रों की संख्या बढ़ी होगी। छात्रों का बढ़ना दस प्रतिशत हो सकता है, पन्द्रह प्रतिशत हो सकता है, इससे अधिक छात्रों की संख्या बढ़ना सम्भव नहीं है। हां, यदि वहां पर किसी पार्टी विशेष ने स्कूलों का जाल बिछा दिया हो जिसकी वजह से छात्रों की संख्या बढ़ गयी हो तब तो मैं नहीं कह सकता हूं। नये स्कूल खोले नहीं गये हैं, पुराने स्कूल हैं। उन स्कूलों की संख्या के आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूं।

इसके साथ-साथ कोटा जिले की बात कही गयी है।

श्री सूरजपाल सिंह : ये सब ××× कर रहे हैं।

श्री बाऊ दयाल जोशी : कोई ××× पैदा नहीं हुआ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री बाऊ दयाल जोशी : ××× लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं।

श्री सूरज पाल सिंह : जनता पार्टी वाले ××× हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया भाषा में संयम बरतें।

(व्यवधान)

आपस में वाद-विवाद न करें।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मैं सदन की जानकारी के लिये एक बात रख रहा हूं। उससे अन्दाजा लगा लीजिये कि स्थगन प्रस्तावों के द्वारा किस तरह के प्रश्न उठाये जाते हैं। गये साल कोटा के अन्दर 18-6 से लेकर 31-7 तक यानि करीब 40-42 दिन जो भी होते हैं, उसके अन्दर 6,59,013 रुपये की कुल पुस्तकें बिकी हैं। 29-7-80 को जवाब आया है यहां पर उसके अनुसार जब कि हमने बिक्री बाद में

××× शब्द/अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(83)

(श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर)
शुरू की है 6,31,642 रुपये की पुस्तकें आज तक बिक चुकी हैं 6.59 हजार के मुकाबले में। जब कि आपकी 44 दिन के अन्दर बिक्री थी, हमारी बिक्री करीब 28 दिन के अन्दर हुई है। गये साल का फिगर 6 लाख 58 हजार, जब कि इस साल 6 लाख 31 हजार का फिगर है। इस फिगर को यदि कोई चुनौती देना चाहता है तो मैं चुनौती को स्वीकार करने के लिये तैयार हूं।

अब प्रश्न यह उठता है कि सदन को गुमराह करने के लिये एक बात और कही जा सकती है, शायद कीमत में परिवर्तन किया गया है। मैं सदन की जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि यह सरकार छात्रों के शोषण में विश्वास नहीं रखती, छात्रों के साथ अन्याय करने में इसका विश्वास नहीं है। छपाई की कीमत जनता पार्टी के मंत्रियों ने 41 प्रतिशत बढ़ाकर के प्रेसों को दीं, उसके बाद भी हमने कीमतें वही रखी हैं, जो कीमतें गये साल पुस्तकों की थीं इसलिये यह नहीं कहा जा सकता है कि इस मूल्य के अन्दर परिवर्तन किया है। आप पुस्तकों की संख्या, मूल्यों के आंकड़े दे रहे हैं, इससे अन्दाजा नहीं लगता। 41 प्रतिशत छपाई की कीमत बढ़ा दिये जाने के बाद भी हमने जो आंकड़े आपको दिये हैं, वह कोटा जिले के आंकड़े दिये हैं।

मैं सदन के सामने इस प्रश्न को खुला कर देना चाहता हूं। गये साल 6 लाख 59 हजार की पुस्तकें बिकी हैं। अभी मैंने कहा है कि 6 लाख 31 हजार की पुस्तकें हमारे यहां से कोटा जिले में आ चुकी हैं। अब उपलब्ध हो रही हैं या नहीं, मिल रही हैं या नहीं, मिल रही हैं तो मैं सदन से कहना चाहता हूं कि ये लोग 31 जुलाई कहते हैं, मैंने 31 जुलाई नहीं कहा है, मैंने अनुमानतः कहा है। शब्दों को पढ़ने की कोशिश कीजिये, शब्दों का अर्थ निकालने की कोशिश कीजिये। जो लोग अनुमानतः...

श्री सूरजपाल सिंह : ये सब इनकी भागीदारी है।

श्री हनुमानप्रसाद प्रभाकर : जो लोग इस तरह से झूठे पत्र दिखा सकते हैं, मैं आरोप लगाना चाहता हूं कि यह आखिर में राज्य सरकार को बदनाम करने की साजिश है। मैं सदन को निवेदन करना चाहता हूं कि जो आंकड़े मैंने दिये हैं, यदि आंकड़े गलत हों तो मैं इसके लिये जिम्मेदार हूं। या 10 प्रतिशत पुस्तकें उपलब्ध नहीं हुई यह बात अगर ललितकिशोर जी सिद्ध करने के लिये तैयार हों तो मेरी चुनौती स्वीकार कर लें। सदन जो भी निर्णय देगा उसको मैं स्वीकार करूंगा।

एक माननीय सदस्य : × × × करने वाले यही हैं स्वयं........

(व्यवधान)

श्री सूरजपाल सिंह : व्यवधान उत्पन्न करने के सिवाय इन जनसंघियों के पास कुछ नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। कृपया सदन में शान्ति बनायें।

इस प्रस्ताव को इसलिये लिया गया था कि यदि बालकों को वाकई कठिनाई है

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

पुस्तकों की तो उनकी कुछ तकलीफों का निवारण करें। इसको आप लोग विवाद में समाप्त करना चाहते हैं तो पुस्तकों का प्रश्न तो गौण रह जायेगा और यह सब मसला झगड़े में ही समाप्त हो जायेगा। ऐसा हमें नहीं करना है। अब चतुर्वेदी जी यदि कुछ कहना चाहें तो वह कहें। मगर...

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, वे राजनीति को बीच में ला रहे हैं।

श्री सूरजपालसिंह : झूठे आंकड़े देने से यह हालत हुई है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने स्वयं कहा है, शायद मंत्री महोदय इतने उत्तेजित थे कि मूल विषय को अलग रख कर...

(व्यवधान)

श्री सूरजपालसिंह : झूठे आंकड़े देते हो।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : बैठ जाऊं ?

शिक्षा मंत्री महोदय इतने उत्तेजित थे कि शायद...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैंने कुछ तथ्य, कुछ फिगर्स आपके सामने रखे हैं।

एक माननीय सदस्य : झूठे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सर्वे डिपार्टमेंट होता है एजूकेशन में, जो सर्वे करता है। इन्होंने मुझे आह्वान किया, चेलेंज किया। मैं भी इनको चेलेंज करता हूं।

श्री सूरज पाल सिंह : चेलेंज तो जनता ने कर दिया।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। इस तरह के शब्दों का प्रयोग न करें, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, यह कोई तरीका है।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह सर्वे रिपोर्ट इन्सपेक्टर्स ऑफ स्कूल्स के यहां अवेलेबल रहती है।

श्री अध्यक्ष : मेरा निवेदन है कि प्रश्न सिर्फ इतना ही है कि किताबें नहीं मिल रही हैं। आप आंकड़ों के जाल में जाने के बजाय प्रश्न पूछ लीजिये। उन्होंने उत्तर दिया है। अगर आपको सन्तोष नहीं है तो उसके निराकरण पर थोड़ा सा भाषण में कह दीजिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, कन्ट्रोवर्सी खड़ी करने के बजाय मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि पुस्तकों की संख्या कितनी उपलब्ध है इसके आंकड़े मैंने दिये हैं। पूरे विद्यार्थियों की संख्या के लिये चेलेंज किया है उसके लिये मैं तैयार

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)
हूं। पूरे विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में जो पुस्तकें अवेलेबल हैं वह 10 प्र. श. से भी कम हैं जैसा कि मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है।

(व्यवधान)

कृपया इसका आप स्पष्टीकरण करें। इस पर कोई व्यवस्था दें जो पुस्तकें बाजार में आई हैं विक्रेताओं के पास अगर उसमें से एक भी पुस्तक की बिक्री 28 जुलाई के पहले या बाद में हुई हो तो बतावें। पुस्तकें विद्यार्थियों को नहीं मिल रही हैं। इसको एक सामाजिक प्रश्न की तरह लीजिये, मानवीय प्रश्न की तरह लीजिये। प्रदेश के विकास का प्रश्न मान कर आप कोई कार्यवाही करते तो कोई बात होती। 1848 की संख्या है अगर 50 प्र. श. भेज दी हो उसके अन्दर इतने दिन लगे, शायद वह यह नहीं कहना चाहते। उनकी हिम्मत नहीं है। उनको संकोच हो रहा है इस बात पर। प्रदेश में जो स्थिति पैदा हुई है, जो अव्यवस्था पैदा हुई है उसको दूर करने की कोशिश करते।

आंकड़ों के बारे में उन्होंने कहा। मैं चेलेन्ज करने को तैयार हूं। जितनी जानकारी उनकी है तो थोड़ी बहुत जानकारी मेरी भी है। 6 लाख की पुस्तकों की बात बताई कि आपके यहां से चली गई। लेकिन एक जानकारी मैं दे रहा हूं, उसकी भी जानकारी कर लेना, जो अब डाइवर्ट हो रही है पुस्तकें भरतपुर से कोटा को और उदयपुर से कोटा को कहीं ऐसा तो नहीं है कि भरतपुर चली गई, उदयपुर चली गई वे ही लौट कर आ रही हों वापस? क्या शिक्षा मंत्री महोदय जरा नीचे झांक कर देखने की कोशिश करेंगे? यह बड़ा मिलाजुला मामला है, इन्क्वायरी से पता चलेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पुस्तकों की कमी, पुस्तकों की आवश्यकता, अभिभावकों को राहत··

(व्यवधान)

क्या शिक्षा मंत्री महोदय इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद कुछ राहत की बात करेंगे। मैं यह अपील करना चाहूंगा। यह अधिकार है उनको··

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री बाऊ दयाल जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं।

(व्यवधान)

इन किताबों के साथ कुंजियां दी जा रही हैं। यह लूट हो रही है बाजार में।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : अध्यक्ष महोदय, इन आंकड़ों के जाल में न पड़ कर मैं माननीय सदस्य को एक बात कह दूं। इन्होंने कहा कि पुस्तकें भरतपुर से डाइवर्ट हो रही हैं इसका जवाब तो मैंने दे दिया कि गत वर्ष 1.25 करोड़ के आसपास की कुल बिक्री राजस्थान में हुई आपके समय में और हम इस समय तक 1.13 करोड़ की

(श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर)
बिक्री कर चुके हैं। इसलिये आंकड़ों में न जायं। जैसा मैंने आपसे कहा........

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री हनुमान प्रसाद प्रभाकर : मैं सदन में जो सूचना दे रहा हूं वह आज की तारीख में दे रहा हूं। यह सूचना दे रहा हूं कि गत वर्ष जहां 1.25 करोड़ की टोटल सेल हुई थी, पुस्तकों की कीमतें वही हैं और हम आज 1.13 करोड़ की सेल कर चुके हैं।

चूंकि अध्यक्ष महोदय ने भावनात्मक उद्देश्य से प्रश्न को रखा है इसलिये स्वीकार करना चाहूंगा कि तीन पुस्तकें हमारे पास आज की स्थिति में नहीं हैं। उनको हम जल्दी से जल्दी लाने का प्रयत्न करेंगे क्योंकि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। परन्तु जैसा मैंने आपसे कहा कि किसी बात की एक सीमा होती है। आप 14 आने को 16 आने बता दें तो समझ में आता है। मैं 14 आने को 16 आने बता दूं तो समझ में आता है। लेकिन यदि कोई माननीय सदस्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के द्वारा एक बड़े प्रश्न को नजर अन्दाज कर दें, वह मुझे नहीं सुहाता। इसलिये मुझे इतनी बात कहनी पड़ी।

श्री अध्यक्ष : अब चर्चा समाप्त हुई।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो रह गई।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, एक ही बात स्पष्ट करूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी !

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं चेतक ब्राण्ड ...

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, कुलियों के बारे में..

श्री घनश्याम तिवाड़ी: अध्यक्ष महोदय, चेतक ब्रांड कापियों का तीन माह का कोटा आया था। पाठ्य पुस्तक मण्डल ने कहा है कि उसे आप मंगवा लीजिये। लेकिन व्यवस्था नहीं होने के कारण कोटा नहीं पड़ा हुआ है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, कृपया ध्यान ग्रहण कीजिये।

अब कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उसका पारण। श्री बद्री प्रसाद गुप्ता, संसदीय कार्य मंत्री।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, जयपुर मेटल्स के बारे में इन्होंने कहा था। अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण इश्यू है।

श्री अध्यक्ष : इसके लिये आप चेम्बर में बात कीजिये मेरे साथ।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, क्या यह विषय महत्वपूर्ण नहीं है, आप बता दें ?

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री बाळकृष्ण जोशी : 60 व्यक्ति 7 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। 500 लोगों को नौकरी से निकाल दिया।

श्री अध्यक्ष : आप इस संबंध में मेरे साथ बात कीजिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, अगर चेम्बर में इसका हल हो ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। सदन की कार्यवाही में बाधा उपस्थित न करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं। आमरण अनशन पर बैठे हैं 15-15 दिन हुए।

श्री अध्यक्ष : आप मेरे से मिल लीजिये। मैं तरतीब कर रहा हूं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सदन में इतना महत्वपूर्ण विषय नहीं आ सकता। क्या वे लोग बैठे रहेंगे ?

एक माननीय सदस्य : ×××

(व्यवधान)

श्री बाळकृष्ण जोशी : यह ××× कह कर पुकार रहे हैं। यह सदस्य की सभ्यता है। इस प्रकार सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी। अध्यक्ष महोदय, सदन की कार्यवाही नियमों से चलेगी...

(व्यवधान)

यह ××× यहां पर नहीं चलेगी।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं सुन नहीं पा रहा हूं। आप बिराजिए। आपको क्या शिकायत है आप फर्माइये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कटारिया जी जब बोल रहे थे माननीय सदस्य सरदार जी ××× कह रहे थे। यह उनकी आदत है। यह बदतमीजी नहीं चलने देंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि सदन में जब भी हम बोलें तो बैठे बैठे नहीं बोलें। सदन में चर्चा में हिस्सा लेने के नियम हैं। बैठे बैठे माननीय सदस्य न बोलें। आपस में वार्ता न करें और आपस में इस तरह के शब्दों का प्रयोग न करें जिससे आपस में कटुता बढ़े। यह शोभनीय नहीं है। माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि कई बार ऐसा हो जाता है इसलिए आप कृपया नियमों का अध्ययन करें। यहां सारी जनता हमको देखती है। चौराहे पर आम सभा होती है उसमें भी इस तरह का व्यवहार नहीं होता है जैसा व्यवहार यहां पर होता है। यह सब के लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वे यहां पर अपनी योग्यता, बुद्धिमता, अनुभव से अच्छी डिबेट करें और सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का परिचय दें। मैं आशा करके चलता हूं कि माननीय सदस्य इस बात को समझेंगे और सदन की कार्यवाही को अच्छी तरह से चलाने में आसन को आपका सहयोग मिलेगा।

कुछ स्थगन प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आते हैं, उस पर हां, ना लिख देते

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री अध्यक्ष)

हैं। जिस तकलीफ की तरफ, पीड़ा की तरफ, समस्या की तरफ, माननीय सदस्य ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, उसको हम समझते हैं और यथा संभव हम यह कोशिश करते हैं कि आपकी शिकायत रफा हो। आपकी शिकायत को हम सरकार के पास भेजते हैं। सरकार उससे चौकन्ना होती है। वह नीचे के अधिकारियों से पूछती है। सवाल पूछे जाते हैं। हर चीज का असर होता है। जितने महत्वपूर्ण मामले यहां पर आते हैं, उनको दो शब्द में उड़ा देते हैं, ऐसी बात नहीं है। सरकार की रिपोर्ट आती है, जो प्रस्ताव आते हैं, उनको हम पढ़ते हैं। यह देखते हैं। कि कितना महत्वपूर्ण है। कितने लोगों पर इसका असर होगा। यथासम्भव उसको यहां पर लाने की कोशिश करते हैं। उसको यहां नहीं ला सकते हैं तो हम माननीय सदस्य को अवसर देते हैं कि वे अपनी बात कहें। घंटा, आधा घंटा विवाद में चला जाता है। इसके बाद भी कुछ शिकायत रह जाए तो हमेशा आपका स्वागत है मेरे चेम्बर में, आकर मुझ से मिल लीजिए। मैं पत्रावली मंगवा कर देखूंगा। वाकई अगर हम से कुछ गलती हो गई है, हमारे ध्यान में वह चीज नहीं आई है तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी शिकायत रफा हो। हम सबका मुख्य ध्येय जनहित है। इसके लिए नियम के अनुसार चलने की हमेशा मेरी कोशिश रहेगी जो कुछ भी तकलीफ हो उसके लिए आप मुझ से मिलें। एक दम ही उसको यहां पर न उठावें। इससे लाभ नहीं होने वाला है। जो आपकी शिकायत है, उसको रफा करने की दूर करने की, आसन की कोशिश रहेगी।

माननीय सदस्यों से निवेदन है कि आप लोग काफी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं। माननीय सदस्य जिस प्रश्न को उठाना चाहते हैं, मेटल का प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने चाहा था कि इस पर सरकार की तरफ से वक्तव्य आवे। इसको भी समय देख कर एडजस्ट करूंगा। इसके बाद भी शिकायत हो तो मुझ से मिल सकते हैं। मेरी यह कोशिश रहेगी कि यथासम्भव जो मदद दी जा सके वह मैं आपको दूं।

मेरा निवेदन है कि अब डिबेट शुरू करवा दें। उसके बाद में जो माननीय सदस्य मिलना चाहें, मिलें। मैं उनसे विस्तार से चर्चा करूंगा और आपकी शिकायत दूर हो यह मैं कोशिश करूंगा।

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता !

(व्यवधान)

यकायक क्या तकलीफ हो गई।

एक माननीय सदस्य : यह XXX शब्द रिकार्ड में नहीं रहना चाहिए। यह रिकार्ड से निकाला जावे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मैं कार्यवाही मंगवा कर देख लूंगा। माननीय सदस्य ने कहा तो अवश्य ही उस पर कार्यवाही की जायेगी। वैसे XXX शब्द असंसदीय नहीं है। किसके लिए प्रयुक्त किया गया है वह मैं देख लूंगा।

यहां मैं यह कह दूं, माननीय सदस्यों को आपस में सम्मानजनक शब्दों को काम में लेना चाहिये, प्रयोग करना चाहिए। किसी को XXX कहें यह तो एक बाजारू बात है। हमारे लिए शोभाजनक नहीं है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता !

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का द्वितीय प्रतिवेदन

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता (मंत्री, संसदीय कार्य) : अध्यक्ष महोदय मैं कार्य सलाहकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं :

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन

"समिति सिफारिश करती है कि दिनांक 31 जुलाई, 1980 से 23 अगस्त, 1980 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य के लिये समय का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाय:—

गुरुवार दिनांक 31-7-80	आय-व्ययक अनुमान 1980-81 पर सामान्य वाद-विवाद।
शुक्रवार दिनांक 1-8-80	आय-व्ययक अनुमान 1980-81 पर सामान्य वाद विवाद।
शनिवार दिनांक 2-8-80	आय-व्ययक अनुमान 1980-81 पर सामान्य वाद विवाद।
रविवार दिनांक 3-8-80	बैठक नहीं होगी।
सोमवार दिनांक 4-8-80	आय,व्ययक अनुमान, 1980-81 पर सामान्य वाद-विवाद एवं सरकार की ओर से उत्तर।
मंगलवार दिनांक 5-8-80	अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
बुधवार दिनांक 6-8-80	अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
गुरुवार दिनांक 7-8-80	अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
शुक्रवार दिनांक 8-8-80	गैर सरकारी सदस्य कार्य।
शनिवार दिनांक 9-8-80	बैठक नहीं होगी।
रविवार दिनांक 10-8-80	बैठक नहीं होगी।
सोमवार दिनांक 11-8-80	अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
मंगलवार दिनांक 12-8-80	अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
बुधवार दिनांक 13-8-80	बैठक नहीं होगी।
गुरुवार दिनांक 14-8-80	अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।
शुक्रवार दिनांक 15-8-80	बैठक नहीं होगी।
शनिवार दिनांक 16-8-80	बैठक नहीं होगी।
रविवार दिनांक 17-8-80	बैठक नहीं होगी।

(90)

(श्री बद्री प्रसाद गुप्ता)

सोमवार दिनांक 18.8.80	अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान
मंगलवार दिनांक 19.8.80	अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान
बुधवार दिनांक 20.8.80	अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान
गुरुवार दिनांक 21.8.80	अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान तथा मुख बन्द का प्रयोग।
शुक्रवार दिनांक 22.8.80	आय-व्ययक अनुमान 1980-81 से सम्बन्धित विनियोग विधेयक पर विचार एवं उसका पारण।
शनिवार दिनांक 23.8.80	राजस्थान विक्रय कर (संशोधन एवं विधि मान्यकरण) विधेयक, 1980 पर विचार एवं उसका पारण।

नोट:—उपरोक्त समय के बंटवारे में माननीय अध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

अध्यक्ष महोदय मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के द्वितीय प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि संसदीय कार्य मंत्री ने कार्य सलाहकार समिति का जो द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन स्वीकार किया गया।

सामान्य वाद-विवाद। श्री दाऊदयाल जोशी।

आय-व्ययक 1980-81 पर वाद-विवाद

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, कल मैंने अपनी बात का वर्णन किया था :

सर्वे भवन्तु सुखिनाः सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद दुःख भाग भवेत्।।

परन्तु, अध्यक्ष महोदय, इन दोनों बातों का आभास मुझे इस बजट भाषण को पढ़ने के बाद नहीं होता है। सर्वे सन्तु निरामयाः यह बात कहीं नहीं है। हमारे ढाई साल के शासन काल में हमने जहां मनुष्यों की चिन्ता की थी वहां माननीय सदस्य आंखें खोल कर आंकड़े देखें तो दो वर्षों में हमने 130 पशु चिकित्सालय खोले जब कि 28 वर्ष के कांग्रेस शासन काल में केवल 28 पशु चिकित्सालय ही खोले गये। हमने जो 130 पशु चिकित्सालय खोले उस हिसाब से प्रगति 460 प्रतिशत हुई। यह प्रगति हमने ढाई साल में की है जो आपने शासन काल में 30 साल में नहीं हुई। इस साल भी पशु चिकित्सालय खोलने की बात नहीं गई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपको मनुष्यों की चिन्ता तो है ही नहीं पशुओं की चिन्ता में भी आपने कोताई की है। इस प्रकार आप मनुष्यों को

(श्री दाऊदयाल जोशी)

सेवा से तो दूर रहते हैं और पशुओं की सेवा में कोताई करते हैं। हमने तय किया था कि प्रति वर्ष 65-65 पशु चिकित्सालय खोले जाएंगे। अब आप बता रहे हैं कि इस साल केवल पशु चिकित्सालय खोलेंगे, 30 डी. पी. ए. पी. के अन्तर्गत और सामान्य 30 पशु चिकित्सालय खोलेंगे। इस प्रकार 60 पशु चिकित्सालय खोले जाएंगे।

आज ही मैंने एक स्थगन प्रस्ताव रखा था। मेरे क्षेत्र में पशुओं में बीमारी फैल रही है। 47 बैल, जो सांगोद मेले से खरीदे गये थे, बीमारी के कारण मर गये। वहां के डॉक्टर ने कहा कि 60,000 टीके मांगे थे उनमें से 15,000 टीके ही पहुंचे हैं। मनुष्य की चिन्ता आप नहीं कर सकें तो भगवान के नाम इस पशुधन की तो रक्षा करें। लेकिन दुःख है कि शासन इस प्रश्न की चिन्ता नहीं करता।

शिक्षा की बात करता हूं। मैं एक संस्कृतज्ञ हूं और जो कुछ हूं इस संस्कृत के कारण से हूं। इसलिए मेरा निवेदन है कि संस्कृत की दृष्टि से यह सरकार बिल्कुल नाकारा साबित हुई है। संस्कृत शिक्षकों को कई प्रकार की तकलीफ होती है। संस्कृत शिक्षकों के विषय में सरकार का व संस्कृत के प्रति आपका क्या प्रेम है, संस्कृत के प्रति कुछ करने जा रहे हैं या नहीं? मुझे दुःख है कि कॉलेजों में, बी. एड. कॉलेजों में शिक्षा शास्त्रियों और बी.एड. दोनों का स्तर एक समान है। बी.एड. करने वालों से शिक्षा शास्त्रियों को एक पेपर अधिक करना पड़ता है। दो पेपर करने के बाद भी उस गरीब को क्योंकि वह बी.एड. नहीं है इसलिए प्रगति का अवसर नहीं मिलता है...

(2.51 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत, सभापति, पदासीन)

अगर वह बी.एड. नहीं है तो उसको प्रधानाध्यापक का पद नहीं दिया जायेगा, इस प्रकार का फर्क है। करीब 45 व्यक्तियों के मुझको प्रार्थना-पत्र मिले हैं कि उनको ग्रेड नहीं मिला है। मेरा निवेदन है कि इन लोगों को पदोन्नति का अवसर दिया जाए। बी.एड. के समकक्ष मानने के आपके सर्क्युलर हैं, आदेश हैं। बी.एड. के समकक्ष शिक्षा शास्त्री को माना है। यह भेद भाव की नीति है। आशा है आप इस भेद भाव की नीति को निश्चित रूप से समाप्त करेंगे।

दूसरा मेरा पुरजोर शब्दों में अनुरोध है कि राजस्थान में केवल मात्र एक हिन्दी की साहित्य अकादमी थी। पिछली बार हमारी सरकार ने सिंधी अकादमी की स्थापना की। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से, शासनकर्त्ताओं से निवेदन करूंगा कि संस्कृत राजस्थान की दूसरी भाषा है, यह प्रमाणित हो चुका है। इस सदन में जो जो सदस्य आये हैं उन्होंने जो शपथ ग्रहण की है सबसे अधिक ने हिन्दी को छोड़कर संस्कृत में ग्रहण की है। पांच सदस्यों ने संस्कृत में शपथ ग्रहण की है। संस्कृत अकादमी की स्थापना राज्य सरकार स्वयं करके पहल करेगी तो निश्चित रूप से राज्य सरकार की ख्याति

(92)

(श्री दाऊदयाल जोशी)

बढ़ेगी। यह प्रमाणित हो चुका है कि राजस्थान की दूसरी अगर कोई भाषा बन सकती है तो वह संस्कृत है। मैं इस सरकार से पुरजोर शब्दों में अनुरोध करूंगा कि एक बहुत बड़ी बात पिछली सरकार ने की थी, संस्कृत भाषा का अलग डायरेक्टर नियुक्त किया, । आयुर्वेद का अलग डायरेक्टर नियुक्त किया मैं निवेदन करूंगा कि संस्कृत भाषा को दूसरे दर्जे का स्थान प्रदान करें व राज्य की दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दें।

मैं आयुर्वेदाचार्य हूं, इस आयुर्वेद से अपना पेशा करता हुआ ही मैं यहां आया हूं अतः मैं आयुर्वेद के लिये निवेदन करूंगा सरकार को इस बात के लिये धन्यवाद प्रदान करूंगा कि राज्य सरकार ने आयुर्वेद के प्रति 100 औषधालय खोलकर अपनी जिम्मेदारी निभायी है। एलोपैथी के डाक्टर एम.बी.बी. एस. करके पांच साल में निकल जाते हैं लेकिन जो आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं वे 6 साल तक आयुर्वेदाचार्य और 6 महीने तक इंटर्नशिप करने के बाद भी केवल मात्र अल्प वेतन भोगी कर्मचारी बन कर रह जाते हैं। मेरी सरकार चाहते हुए भी यह काम नहीं कर सकी इसलिए आपसे निवेदन है, कमलाजी से निवेदन है जो कि स्वयं आयुर्वेद की मंत्री रह चुकी हैं, आपके समय में एलोपेथी और आयुर्वेद के डाक्टरों की एक समान वेतन देने की बात की गई थी। मैं···

श्रीमती कमला : मैंने जो कुछ किया वह सब आपने गुड़ गोबर कर दिया।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी मंत्रीमंडल की बैठक हो और आयुर्वेद की बात उठे तो बहनजी निश्चित रूप से यह बात रखें कि आयुर्वेद के व्यक्ति को डॉक्टरों के समान वेतन दिया जाये। मेरा यह अनुरोध है।

मेरा निवेदन है कि एक बहुत अच्छी बात है, चुंगी के लिए समिति बनाने की बात कही है। मैं कोटा नगर परिषद का अध्यक्ष रहा हूं। चुंगी से बहुत बडी तकलीफ होती है। इसके कारण जगह 2 बेरियर्स लगे रहते हैं। चुंगी को समाप्त किया जाना चाहिए लेकिन चुंगी का विकल्प आप तीस साल में हमें उपलब्ध नहीं करा सके। इससे तो नगर पालिकायें पंगु हो जायेंगी। नगरपालिका की नकेल शासन करने वाली पार्टी के हाथ में आ जायेगी। आज हम चाहते हैं, हर राज्य चाहता है कि सेल्स टेक्स समाप्त हो उसके बजाय सेन्ट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि उत्पादन कर लगाया जाये। इस तरह राज्य सरकारें सेल्स टैक्स समाप्त करने को तैयार नहीं और सैन्ट्रल गवर्नमेंट उत्पादन कर लगाने को तैयार है। इसलिएनगर पालिकाओं की चुंगी से आय अगर समाप्त हो जायेंगी तो वे आपके ऊपर निर्भर हो जायेंगी। आप अगर चाहेंगे कि किसी को पैसा दिया जाय तो दिया जायेगा अन्यथा नहीं। किसी को कितना पैसा दिया जाय यह भी आप पर ही निर्भर होगा। मैं जानता हूं मनोरंजन कर का पैसा जो आपके अधिकार में है उसका हिस्सा नगर पालिकाओं को लेने में कितनी दिक्कत आती है। मैं कोटा नगर परिषद में था तब मुझे कई बार आना पड़ता था तब जाकर पैसा मिलता था। चुंगी समाप्त होनी चाहिए लेकिन चुंगी का विकल्प हो, राज्य सरकार कोई सुन्दर विकल्प प्रस्तुत करें वरना नगर

(श्री दाऊदयाल जोशी)

पालिकाओं की स्थिति बद से बदतर हो जायेगी और नगरपालिकाएं डूब जायेंगी। अनेक नगरपालिकों के पास वेतन देने तक को पैसा नहीं है। मेरा निवेदन है कि कोटा नगरपरिषद सक्षम है मुझे इस पर गर्व है। अगर आज वहां विकास हो रहा है तो इसके लिए कोई भी सरकार जिम्मेदार नहीं, वह किसी सरकार के कारण नहीं हो रहा है वह नगरपरिषद के कारण हो रहा है। आपके कारण कोटा का विकास नहीं हो रहा है। कोटा में बड़े बड़े 2 उद्योग हैं। चन्द पूंजीपतियों ने चुंगी को चेलेंज किया था और 1 करोड़ 63 लाख की छूट ले ली थी और नगरपरिषद की कुर्की होने वाली थी लेकिन कोटा नगरपरिषद के कमिश्नर ने व प्रशासक ने इस केस को लड़ा कि म्यूनिसिपेलिटी टैक्स जो कोटा नगर परिषद वसूल करती है यह उसका अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट से जीतकर आये। सभापति महोदय, चुंगी अवश्य समाप्त होनी चाहिये लेकिन चुंगी का विकल्प पहले सोच लिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, कोटा नगर में बड़े 2 कारखाने हैं, कांग्रेस के राज्य का एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं कि कोटा में डी.सी.एम. का एक कारखाना है। कोटा में तीन कन्सर्न काम करती हैं, श्री राम रेयन्स एण्ड कैमीकेल्स, दूसरी श्री राम फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमीकल्स और तीसरी श्रीराम रेयन्स। ये तीनों कारखाने सिंचाई विभाग से पानी लेते हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा, माननीय सदस्य यहां पर बैठे हैं वे जानते हैं कि डी.सी.एम. के मालिक और सीमेंट के मालिक सोहनलाल सिंघानिया को 25 पैसे प्रति हजार घनफीट के हिसाब से पानी मिलता है और मेरे देश का गरीब काश्तकार पानी ले तो 10 हजार रुपया प्रति वर्ग घनफीट के हिसाब से उसे पानी मिलता है। आपकी आत्मा कचोटती होगी, आपकी आत्मा जलती होगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मेरी सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला था कि ...

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : कब से पोमी दिया जा रहा है?

श्री दाऊदयाल जोशी : वही बता रहा हूं, यह नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें कहा गया था कि सन् 62 से श्री राम फर्टीलाइजर्स, श्री राम रेयन्स और श्री राम कैमीकल्स इन तीनों ने सरकार से एग्रीमेंट किया था और एग्रीमेंट में यह तय किया था कि 25 पैसे प्रति घनफीट ...

श्री अहमद बक्श सिंधी : मैं आपसे अर्ज करूंगा कि इनको 3 मिनट का समय दिया गया था, इन्होंने 15 मिनट ले लिये हैं ...

श्री दाऊदयाल जोशी : हमारी पार्टी के समय में से बोल रहा हूं ...

(व्यवधान)

हम 32 हैं आप 143 हैं, यह भी तो देखें। लेकिन...

(व्यवधान)

आपने जो घोटाले किये हैं वह तो कहने ही पड़ेंगे। मैं निवेदन कर रहा था कि...

श्री सभापति : आप बोलिये लेकिन संक्षेप में बोलिये। आप जल्दी समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : आप नये सदस्य नहीं हैं अगर कोई नये सदस्य हल्ला करते तो मानते आप तो बुजुर्ग हैं। कृपया भगवान के नाम पर शान्त रहें।

सन् 62 में जो एग्रीमेंट किया था तब 25 पैसे थे वह बाद में 62-72 में 25 से 50 पैसे कर दिये, फिर 72-75 में 75 पैसे कर दिये और फिर 72-75 के बाद 77 में वह एक रुपया किया।

दुर्भाग्य यह है कि इन 16 सालों में एक पैसा भी इन फैक्ट्री मालिकों के ऊपर नहीं बढ़ाया है। 25 का 50 नहीं किया है। यह तय हुआ था कि जो भी फैक्ट्री वाला पानी लेगा, उसके साथ एग्रीमेन्ट किया जायेगा। अनेक फैक्ट्री वाले तो एग्रीमेन्ट ही करने नहीं आये। चूंकि वह धन्नासेठ हैं, क्योंकि वह पूंजीपति हैं, क्योंकि वह पैसे वाले हैं इसलिये उन्होंने राजस्थान सरकार की परवाह नहीं की है। प्रीमियर उपस्थित ही नहीं हुए। जे. के. सिन्थेटिक मिल के मालिक ने आज तक सिंचाई विभाग से, शासन से अनुबन्ध नहीं किया है। डी. सी. एम. कम्पनी कन्सर्न पर 3,02,467.09 पैसा बकाया है। जे. के. सिन्थेटिक पर 1,56,836.82 बकाया है।

(व्यवधान)

वह मैं बता रहा हूं। हमारी सरकार ने यह आदेश निकाला....

श्री परसराम मदेरणा : 1962 के अन्दर एक शर्त थी।

(व्यवधान)

ढाई साल के जनता शासन में आप क्या कर रहे थे।

श्री दाऊदयाल जोशी : हमने रेट रिवाइज की। 4 मई, 1979 को हमने रेट रिवाइज की थी। रेट रिवाइज करने के बाद वह इतने चालाक हैं, जैसा कि मैंने कहा, डी. सी. एम. कन्सर्न नगर परिषद की चुंगी के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले गये। 4 मई, 1979 को रेट रिवाइज की, जब रेट बढ़ी तो ये सारे के सारे लोग कोर्ट में जाकर खड़े हो गये। एक पैसा नहीं दे रहे हैं जे. के. सिन्थेटिक के मालिक, मल्टी मेटल्स वाले, प्रीमियर पेपर वाले। इस प्रकार से 5,51,893.21 इन मालिकों के द्वारा खाया जा रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, 15 मिनट हो गये हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : सभापति महोदया, एक और महत्वपूर्ण बात है। जीवन मरण का प्रश्न है। सभापति महोदया, यह मिलावट देश के लिए अभिशाप है। मिलावट से आप भी मर सकते हैं। हम भी मर सकते हैं राजस्थान में...

(व्यवधान)

मेरा निवेदन है कि हमारी सरकार ने मिलावट पर पूरी-पूरी रोक लगाने का प्रयास किया था।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह जी आप जरूर मर सकते हैं। मैं दवा नहीं दूंगा।

श्री अहमद बक्श सिंधी : मिलावट वाले तो आप आ गये हैं।

श्री बाऊदयाल जोशी : दुर्भाग्य है कि यह मिलावट बढ़ती जा रही है। स्थिति बद से बदतर हो रही है। हमारी सरकार ने यहां जयपुर में एक लेबोरेटरी भवन 18,68,000 रु. की लागत से बनवाया। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि सारे राजस्थान में जो दाल मिल रही हैं, उनमें 90% मिलावट होती है। ऐसी दाल को खाने से लकवा हो सकता है। अहमद बक्शजी, आपको और मुझे भी, अगर दाल आपने खाई, ऐसी दाल आपने खाई

श्री अहमद बक्श सिंधी : मैं यह कहना चाहता हूं, यह मिलावट का धंधा आपका दिया हुआ है। वही अभी तक चल रहा है।

श्री बाऊदयाल जोशी : मेरा निवेदन है, शुद्ध घी के अन्दर पीला रंग मिला कर जैसलमेर की केसरियानुमा गाय का घी कह कर बेचा जा रहा है। सन् 73 में यह मिलावट 31.4% थी, सन् 74 में 30.4% थी, 75 में 33.6 थी, 76 में यह घटकर 29.7 हो गई। सन् 77 में जब इमर्जेन्सी थी, जब हम जेल में थे, जब आप यह मानते थे कि इन्दिरा जी का शासन डण्डे के बल पर बहुत अच्छा चल रहा था मिलावट 60% पाई गई। सन् 78 में,

(व्यवधान)

हमारे राज में...

(व्यवधान)

... सिंहजी सुनिये, जब हमारा राज आया तो घी में मिलावट घट कर 22.6% रह गई। मेरा निवेदन आपके माध्यम से यह है कि हमारी सरकार ने जयपुर में एक प्रयोग शाला भवन बनवाया है। इस प्रयोग शाला के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से पैसा मिला सेन्ट्रल गवर्नमेण्ट ने इसके लिये पैसा दिया। 16,68,000 रु की लागत से जयपुर में प्रयोगशाला बनी। उसमें सभी प्रकार के यन्त्र आकर उपस्थित हुए। दुर्भाग्य है कि उस प्रयोगशाला को आज राजस्थान मेडिकल एण्ड हेल्थ का दफ्तर बना दिया गया है। उसमें जो मेजें बनाई गई थीं सीमेन्ट की उनको तोड़ फोड़ दिया गया। प्रयोगशाला की जगह मेडिकल एण्ड हेल्थ का दफ्तर बना हुआ है। यह दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति है। अगर इस प्रकार से मिलावट की चीजें मिलती रहीं तो हमारा देश गारत हो जाएगा।

सभापति महोदय, यहां पर नगर परिषदों की बहुत वकालत की गई है।

श्री सभापति : मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री बाऊदयाल जोशी : मैं निवेदन करूंगा कि यह बजट, जिसको हम से स्वीकार कराया जा रहा है, अगर प्रगतिशीलता का प्रतीक होता, समाजवादी रचना का बजट होता, तो हम मानते कि यह वास्तव में बजट है। इसमें से सभी चीजों की कटौती कर दी गई है। मुझे आश्चर्य है यह आपके ही दिये हुए आंकड़े हैं जिसके तहत इण्डस्ट्रीज और मिनरल्स पर 78 में 21.77% रकम खर्च की गई थी। 26.45% हमारे कार्यकाल में रखा गया है। आज इण्डस्ट्रीज के लिये हम रो रहे

(96)

(श्री दाऊदयाल जोशी)

हैं, इण्डस्ट्रीज बढ़नी चाहिये, कारखाने बनने चाहिये। राजस्थान की प्रगति कल कारखानों से होगी। राजस्थान हमारा सश्य श्यामला भूमि बनेगा। उस राजस्थान में आपकी सरकार ने 24 21% इण्डस्ट्रीज के नाम पर दिया है। महगाई बढ़ी है, 21.21% जो रखा है, यह और घटेगा। 20% महंगाई बढ़ गई। 20% आपके आंकड़े बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

यह किताब बोल रही है। यह पैसा केवल मात्र 14 करोड़ हो जायगा। आप कल्पना करें, 14 करोड़ के आधार पर हमारा राजस्थान आगे बढ़ेगा। नहीं बढ़ सकता है। मेरा निवेदन है ......

श्री सभापति : श्री प्रद्युम्न सिंह।

(व्यवधान)

अब आप समाप्त करें।

(व्यवधान)

20 मिनट हो गये हैं। मुझे दुःख है, मैं ज्यादा समय नहीं दे सकती।

श्री दाऊदयाल जोशी : सन् 71 में 90.30 लाख रुपया आपने दिया स्थानीय निकायों को। हमारी सरकार ने 568.71 रुपया नगर पालिका, परिषदों, ग्राम पंचायतों को अनुदान सहायता प्रदान की। आज आपने 568 से घटाकर केवल 514.43% रकम रखी है। यह कोई बजट है जिसको आप हम से पारित कराने की बात कर रहे हैं। आंकड़े मेरे पास बहुत हैं। मैं तो बहुत तैयारी करके आया था।

श्री खेतसिंह राठोड़ : यह आप अपने साथ वापिस ले जाइये।

श्री दाऊदयाल जोशी : माननीय प्रद्युम्न सिंह जी ने हमें कहा था आप बोलना आपको मौका मिलेगा। चूंकि यहां समय की मर्यादा है। मैं आपके अनुशासन में चला हूं। आपका आदेश शिरोधार्य है।

एक बात मैं और निवेदन करूंगा, यहां जो प्रहरी हैं। आप जयपुर में टैरीफ बना रहे हैं। हर बार बजट सेशन में यह गरीब यहां आते हैं। सुबह 7-8 बजे ही इनकी ड्यूटी शुरू हो जाती है। रात के 10-11 बजे जाते हैं। इनके निवास के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

(व्यवधान)

यह गरीब रात को धर्मशाला में जाकर पड़ते हैं। वहां ताला लग जाता है तो बाहर सोते हैं। बाहर सोते हुए कोई भी पकड़ कर इनको जेल ले जाये। इनको अलाउन्स 7 रु. मिलता है। सात रुपये में गरीब अपना पेट नहीं भर सकते। सात रुपये में एक डाइट मिलती है सुबह के टाइम में। इनके निवास की व्यवस्था करावें। मुख्य मंत्रीजी, ये लोग हमारी सेवा में उपस्थित होते हैं, इनका भत्ता बढ़ाया जावे। मेरा सुझाव है कि इनका भत्ता सात रुपये के बजाय 10 रुपये करने की कृपा करें। हमने चार रुपये से सात रुपये किया था। इसके अलावा मैं कटौती प्रस्तावों के समय बोलूंगा।

श्री सभापति : माननीय श्री प्रद्युम्न सिंह ।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : माननीय सभापति महोदया, मैं अपनी बात प्रारम्भ करूं उसके पहले निवेदन करूं कि मैं माननीय जोशी जी की सब बातों से असहमत हूं, केवल एक बात से सहमत हूं कि वाच एण्ड वार्ड के बारे में सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए, इस बारे में मैं उनसे सहमत हूं ।

सभापति महोदया, जिन हालात के अन्दर राजस्थान का बजट पेश किया गया है, जो आर्थिक हालात कांग्रेस के सामने थे, उन हालात के अन्दर इससे बेहतर बजट राजस्थान का, कोई वित्त मंत्री पेश नहीं कर सकता । 31 मार्च को खत्म होने वाले साल के अन्दर राजस्थान के ऊपर 27 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट था । यह हमको विरासत में मिला है जो 27 करोड़ का रिजर्व बैंक का कर्जा है । मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता लेकिन सन् 77 में जिस समय बजट पर डिस्कशन चल रहा था उस समय तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय श्री भैरोंसिंह जी ने कहा था कि हमको विरासत में भूखा-नंगा राजस्थान मिला है। यह उन्होंने कहा था और इस प्रकार की तस्वीर खींचने की कोशिश की थी कि जैसे कांग्रेस के राज में राजस्थान का दिवाला निकालकर कांग्रेस चल गये । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, उस समय प्रदेश की स्थिति क्या थी, कांग्रेस के जमाने में, जब कांग्रेस सरकार गई उस समय सात करोड़ का ओवर ड्राफ्ट छोड़ कर गई थी। विभिन्न बैंकों में सरकार का दस करोड़ रुपया जमा था । इसका मतलब है कांग्रेस सरकार तीन करोड़ का सरप्लस छोड़ कर गई थी । इस माली हालत के बिगड़ने के क्या कारण हैं । लोक सभा के चुनावों के बाद जब यह बात इनको मालूम हो गई जनता पार्टी को कि राजस्थान में हमारी सरकार बनने वाली नहीं है तो इन्होंने अनाप-शनाप खर्च किया । इस किस्म का खर्चा किया जिसकी कोई यहां पर मिसाल नहीं मिल सकती । दुनिया भर की नई पोस्टें क्रिएट कर दीं, मैं एक-एक करके उन पर बाद में आऊंगा । मेरे कहने का मतलब यह है कि जिन हालात में जो हमारी स्थिति है उसको सुधारा कैसे जाय । आज नये करों का प्रस्ताव लेकर सामने नहीं आई है न आने की स्थिति में है क्योंकि टैक्सेशन भी सेचुरेशन पाइन्ट पर पहुंच चुका है इस समय नये कर लगाने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है । भारत सरकार ने भी इस साल बहुत कम करों के अन्दर हेरा-फेरी की है, जितने भी प्रान्तों के बजट आये हैं उनमें करीब-करीब टैक्स नहीं लगाये गये हैं और राजस्थान के अन्दर भी नहीं लगाये गये । अब प्रश्न यह आता है कि विकास के काम के लिए धन की व्यवस्था कैसे हो, कहां से पैसा आवे । इसके लिए जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उनको सुचारु रूप से टेप करना पड़ेगा । हमारी बहुत सी आमदनी है वह समाप्त हो चुकी है । जैसे आपने प्रोहिबिशन किया राजस्थान में, मैं उसके बारे में आगे कहूंगा 60 करोड़ की आमदनी आपने खोई, आज प्रश्न नये साधनों को जुटाने का है । इसके लिए नॉन टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाना है और नॉन-टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने के साधन हैं स्टेट सेक्टर । जो पब्लिक अण्डरटेकिंग है आपकी आज पब्लिक अण्डरटेकिंग की हालत क्या है । मैं इसके लिए किसी पार्टी को दोषी नहीं

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

ठहराता हूं। उनकी अवस्था शुरू से ही शोचनीय चली आ रही है। चाहे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो, रोड ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन हो, गंगानगर शुगरमिल हो, चाहे मिनरल इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट कोर्पोरेशन हो। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि इनमें जो घाटा हो रहा है उसका भार जनता के ऊपर पड़ता है। इनसे आमदनी तो जहां तहां रहीं, यह राज्य सरकार पर एक बोझ बन कर बैठ गये हैं। यह समस्या बन गई है। इनमें जब तक सुधार नहीं होगा तब तक काम चलने वाला नहीं है। मेरे पास इस समय स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के फिगर्स मौजूद नहीं हैं लेकिन यह निश्चित रूप से जानता हूं कि वह घाटे में है। वहां पर एक सुधार की बहुत आवश्यकता है, बिजली की जो चोरी होती है उसको रोका जावे। 24 पर्सेन्ट का लॉस हो रहा है। ऑल इण्डिया एवरेज है प्लानिंग कमीशन से अप्रूव्ड है, 14 पर्सेन्ट के लासेज को रीजनेबल लिमिट मानकर चलें अगर आप 10 पर्सेन्ट लॉस कम कर देते है तो एक पर्सेन्ट लास बचाते हैं तो 80 लाख की बचत होती है, इस प्रकार से 10 पर्सेन्ट लॉस कम करने पर आठ करोड़ की बचत हो जायगी, इस दिशा में आप क्या कार्यवाही कर रहे है। आज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो इन्जिनियर्स हैं वे हावी हो रहे हैं। एक यूनियन है हिन्द मजदूर संघ यूनियन जिसका कोई वजूद नहीं है, आपने उसको फायदा दिया। मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि मजदूरों को उनका वाजिब हक नहीं दिया जाय, लेकिन प्रशासन में दखलन्दाजी नहीं होनी चाहिए। एक उनकी मांग है कि टेरीकॉट की वर्दी दी जाय, इसका क्या मतलब है, जो मजदूरों की वाजिब मांगें हैं वे मंजूर की जानी चाहिए। गैर वाजिब मांगें हों और प्रशासन पर हावी होने की बात हो तो उसको रोका जाना चाहिए सरकार को स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड की हालत को सुधारने के लिए कदम उठाने चाहिए अन्यथा इसका बोझ जनता पर ही पड़ेगा।

दूसरी हालत आपके रोड ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन की की है। इसमें दो लाख रुपये रोज का घाटा है। आखिर उसका बोझ किस पर पड़ता है, कल उनके पास फण्ड्स नहीं रहेंगे तो राज्य सरकार के पास आयेंगे। राज्य सरकार को पैसों की व्यवस्था सीमित साधनों को देखते हुए भी करनी पड़ेगी। इसका जो सबसे ज्यादा सत्यानाश हुआ वह जनता पार्टी के शासन में हुआ। सभापति महोदय आपको जान कर ताज्जुब होगा और दुःख होगा कि तत्कालीन यातायात मंत्री महोदय ने एक ऐसा आदेश निकाला कि 25 आदमी बिना टिकट के पाये जावेंगे तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, कण्डक्टर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। इसको आप क्या कह सकते हैं, यह तो तुगलकी ऑर्डर कहा जायगा। सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में रोडवेज कार्पोरेशन का भूतपूर्व सरकार ने भट्टा बिठा दिया। आपको ताज्जुब होगा, सभापति महोदय, आज 1,200 सरप्लस कण्डक्टर हैं जो बिना काम के तनख्वाह पा रहे हैं। इसी तरह से एक और आदेश निकाला कि यूनियन के नेता काम नहीं करेंगे। हर डिपो पर 10-20 सफेद हाथी बैठे हुए हैं जो यूनियन के पदाधिकारी बने हुए हैं, दिन भर नेतागिरी करना उनका काम है।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

काम धन्धा एक पैसे का करते नहीं हैं, बगैर काम के तनख्वाह ले रहे हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आपको रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन की हालत को सुधारना होगा। आखिर में बोझा इसका आपके ऊपर पड़ने वाला है। अगर आपने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

तीसरी बात गंगानगर शुगर मिल की बात को ले लीजिये। आप गंगानगर शुगर मिल .....

एक माननीय सदस्य : आपकी अन्तरात्मा बोल रही है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अन्तरात्मा नहीं बोल रही है, मैं सुझाव दे रहा हूं। जो आपने सत्यानाश किया है उसको बताने की कोशिश कर रहा हूं।

गंगानगर शुगर मिल को देख लीजिये। गंगानगर शुगर मिल की हालत अजीब है। उनमें जो मेन आमदनी का जरिया था, वह था शराब का। चीनी के अन्दर नुकसान है क्योंकि गन्ने के अन्दर राजस्थान में रिकवरी होती है। वह रिकवरी बहुत पूअर है। आल इन्डिया के लेवल के मुकाबले में। उसके बारे में भी आपको सोचना होगा। फिर सबसे बड़ा जो हमारे सामने चिन्ता का विषय है वह है हमारे मिनरल सोर्सेज से जो आमदनी हो रही थी आज वह भी गर्त और सत्यानाश की तरफ चली जा रही है।

भूतपूर्व जनता सरकार ने मिनरल डवलपमेंट कार्पोरेशन के दो हिस्से करके, पता नहीं किस आधार पर किये। राजस्थान के अन्दर आप देखें। मिनरल डवलपमेन्ट कार्पोरेशन की बैलेन्स शीट आप मंगा कर देख लीजिये। उस बैलेन्स शीट में 10 लाख रुपये का घाटा है, 10 लाख का। कहने को तो राजस्थान के अन्दर मिनरल्स में हम बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं, हम बहुत धनवान हैं मिनरल के मामले में। लेकिन आज हालत क्या हो रही है? रॉक फास्फेट की हालत क्या है? अनसाइंटिफिक तरीके से पिछले दो सालों में, इन अफसरों ने जनता सरकार की वाहवाही लेने के लिए इनडिसक्रिमिनेट, क्रूड तरीके से राक फास्फेट निकाला दुनियां भर का। आपने बता दिया कि हमारी आमदनी बहुत ज्यादा हो गयी। आज हालत क्या हो रही है, ओवर हैड की पोजीशन क्या है। आपका करोड़ों रुपये रॉक फास्फेट मगाने में लग जायेगा। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि इस स्थिति को सुधारें वरना आपके मिनरल की हालत क्या होगी! माननीय सभापति महोदया, आपने भी बात कही थी, आपके मिनरल की हालत क्या होगी जिनसे हमको उम्मीद थी कि आड़े वक्त या बुरे वक्त में इन सारे मिनरल से राजस्थान की इकानामी को हम बनायेंगे। आज राजस्थान के अन्दर वह आशा ज्यादा धुमिल होती जा रही है। मैं सरकार को चौकन्ना करना और चेतावनी देना चाहता हूं कि आपने मिनरल कमिश्नर की पोस्ट क्रियेट कर दी है। जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय बहुत मुश्किल से 10 सैक्रेट्रीज थे, कमिश्नर थे, 5 स्पेशल सैक्रे-

(100)

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

ट्रीज थे। आज 42 की फौज है। अपने कुछ चहेते आई. ए. एस. अफसरों को प्रमोशन देने के लिए आप पोस्ट क्रियेट करते रहे कमिश्नर्स की, कुछ कमिश्नर का प्रमोशन हुआ, कुछ आई.ए.एस. अधिकारियों का, कुछ नयी पोस्ट आई। आज 42 स्पेशल सैक्रेट्रीज और कमिश्नर्स की पोस्टें राजस्थान के अन्दर कर दी गई हैं। सभापति महोदया, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि बहुत से कमिश्नर ऐसे बैठे हुए हैं जिनके पास आज तक एक दिन के अन्दर 4-5 फाइलें भी नहीं जाती हैं। यह हमारे राजस्थान की दुर्दशा कर दी गयी है।

मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि सचिवालय में एयर कन्डीशन कर दिया, बहुत अच्छा किया ...

श्री दाऊदयाल जोशी : उनके पास कितनी फाइलें गई और कितनी फाइलें डिस्पोज ऑफ हुई।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय सभापति महोदया, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आप क्या करने जा रहे हैं? आपने सचिवालय को एयर कन्डीशन कर दिया। जेल से आये थे, बड़ी गर्मी थी जेल के अन्दर थोड़ा आराम करना चाहते थे, इसलिए एयर कन्डीशन कर दिया और 40 लाख रुपया खर्च कर दिया। हमने यहां कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, सन् 1977 के अन्दर हमने इसी सदन के अन्दर प्रश्न उठाया कि आप सचिवालय को एयर कन्डीशन किसलिये कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार का निर्णय था, उसको क्रियान्वित कर रहे हैं। क्यों आराम की चीज थी, आपको आराम मिल रहा था, इसलिए उसको क्रियान्वित किया था। सबसे पहले काम तो जनता पार्टी की सरकार ने यह किया कि सचिवालय को एयर कन्डीशन करवाया जाये।

मैं, सभापति महोदया, आपसे निवेदन कर रहा था कि सरकार को ऐसे खर्चों को रोकना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए अनुपयोगी हैं। यदि ऐसे खर्चों में कमी नहीं होगी, यदि ऐसे खर्चों में आप कमी नहीं करेंगे और दूसरे तरीके से अपनी आमदनी नहीं बढ़ायेंगे तो आपकी हालत सुधरने वाली नहीं है।

इसी तरह से कोआपरेटिव सैक्टर की बात ले लीजिये। अब आपकी आर्थिक हालत ऐसी है तो आपका दूसरा क्षेत्र रह जाता है, कोऑपरेटिव इन्स्टीट्यूशन्स के जरिये आप राजस्थान की बहबूदी के के लिए कुछ काम हाथ में ले सकते हैं। यहां पर तत्कालीन सहकारिता मंत्री महोदय ने कुछ सुझाव दिये थे दो दिन पहले, मैं उनके बारे में विस्तार से कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आज गांवों में हालत यह है, सभापति महोदया, राजस्थान में कुल 5 बैंक एलिजीबल हैं जो कि लोंग टर्म लोनिंग कर सकेंगी। क्योंकि अकाल की वजह से और पुरानी जो ओवरड्यू की पोजीशन है वह इतनी खराब है कि राजस्थान के अन्दर जो लोंगटर्म लोनिंग का आपने प्रोग्राम हाथ में लिया हुआ है वह लोंग टर्म लोनिंग भी आप नहीं कर पायेंगे।

तो मैं आपसे कह रहा था कि कोऑपरेटिव इन्स्टीट्यूशन्स को आपको मजबूत बनाना पड़ेगा। क्योंकि

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

कोआपरेटिव फाइनेन्सिंग की जो पोजीशन है हिन्दुस्तान के अन्दर, अभी अच्छी हालत के अन्दर है। अगर हमारी योजना बने, अगर हमारी कोआपरेटिव इन्स्टीट्यूशन्स को राजनीति से दूर रखा गया तो थोड़ा बहुत पैसा हमको मिलने की उम्मीद है, वह मिल सकेगा और हम अपने विकास के कार्यों को गति प्रदान कर सकेंगे, यह मेरा सरकार को एक सुझाव है।

सभापति महोदया, अब एक सवाल है कि हमारी जो नीति है, वह परिवार नियोजन के कार्यक्रम से भी जुड़ी हुई है। परिवार नियोजन के कार्यक्रम की बजट के अन्दर, बजट भाषण के अन्दर चर्चा की गई लेकिन आज की तारीख के अन्दर सरकार परिवार नियोजन के कार्यक्रम से घबड़ाती है क्योंकि उनको सत्ता मिली वह मिली परिवार नियोजन के कार्यक्रम के कारण से। जब तक हिन्दुस्तान की बढ़ती हुई आबादी को नहीं रोकेंगे तब तक इस देश के कल्याण के लिए आप सैकड़ों योजनायें बना लीजिये, कोई योजना नहीं चलने वाली। एक भी योजना नहीं चलेगी, सब धरी रह जायेंगी।

मैं इस मामले के अन्दर सभी विरोधी दलों के नेताओं से, सभी लोगों से यहां पर अनुरोध करना चाहूंगा कि परिवार नियोजन के कार्यक्रम को आप राजनीति से परे रखें, क्योंकि देश के कल्याण का प्रश्न है। अगर परिवार नियोजन के कार्यक्रम को गति नहीं दी गई, इस देश की बढ़ती हुई आबादी को नहीं रोका गया तो आप किसी प्रकार की योजना बना लीजिये, कितनी ही पंचवर्षीय योजनायें बना लीजिये, देश का कल्याण किसी प्रकार से नहीं हो सकता। यह मेरी निश्चित मान्यता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सरकार को इस कार्यक्रम को जोर-जबरदस्ती के बिना, तेजी से, बहुत तेजी से अपने हाथ में लेना पड़ेगा। सन् 1977 के अन्दर जो ऑपरेशन्स हुए थे, उसमें जोर जबरदस्ती हुई थी लेकिन उसका नतीजा आज सामने आने लगा है। इस बात का सर्वे कराइये, इस बात की जांच कराइये, बहुत संख्या के अन्दर ग्रामीण लोग और शहर के लोग नसबन्दी के लिए आज आगे आ रहे हैं। इस कार्यक्रम को अगर राज्य सरकार गति देती है तो इसका लाभ, ऐसा मेरा निश्चित मत है, राजस्थान की जनता को निश्चित रूप से मिलने वाला है।

सभापति महोदया, अब रहा सवाल राजस्थान की आमदनी के एक और जरिये का जो भावुकता के अन्दर आकर पुरानी सरकार ने बिलकुल समाप्त कर दिया, एक मंत्री की हठ से। नशाबन्दी राजस्थान के अन्दर लागू की गई। मुझे निश्चित रूप से मालूम है कि मन्त्रिमण्डल के सदस्य और बहुत सारे इनकी पार्टी के लोग, भूतपूर्व जनता पार्टी के लोग राजस्थान के अन्दर नशाबन्दी के पक्ष में नहीं थे। लेकिन सिर्फ भूतपूर्व वित्त मंत्री जी की हठधर्मी के कारण राजस्थान में शराब बन्दी लागू हुई। आज स्थिति क्या है? शराबबन्दी हुई नहीं है। आप चले जाइये गली गली के अन्दर आप जहां जाइये, शराब मटकों के अन्दर, भरी हुई है। लोगों को गिलास के अन्दर भर कर के ऐसे बेचते हैं जैसे पानी पीते हैं, या नीरा या शरबत बिक रहा हो। तो यह लोगों की आमदनी का जरिया बन गया

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

है। बड़े बड़े गैंग आर्गेनाइज हो गये हैं। जो कि शराब बना रहे हैं और शराब की बिक्री कर रहे हैं। उनकी लाखों रुपये साल की, महीने की आमदनी हो रही है लेकिन सरकार को जबरदस्त घाटा महसूस करना पड़ रहा है। उसका दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू है स्वास्थ्य का पहलू। आज स्थिति क्या है। तरह-तरह के गन्दे तरीके से शराब बनाई जाती है। पता नहीं किन किन केमिकल से शराब बना रहे हैं, यूरिया से शराब बनती हैं। उस शराब को लेकर पीकर लोग मर रहे हैं, उनका स्वास्थ्य खराब होगा। मैं सरकार से इस बारे में निवेदन करूंगा कि खाली भावुकता में न आये, सरकार को जी पक्का करके आगे आना पड़ेगा। शराबबंदी का आप प्रचार कीजिए, जबर्दस्त प्रचार कीजिये कि शराब नहीं पीनी चाहिए। लेकिन आपने जिस तरीके से बंद की है उससे आपकी आमदनी समाप्त हुई है। आज 60 करोड़ सालाना की आमदनी किसे कहते हैं? 40 करोड़ की एक्साइज रेवेन्यू और 20 करोड़ की आमदनी सेल्स टैक्स से होती है। 5 वर्ष में 300 करोड़ रुपये का आपको घाटा होने वाला है। कहां से पूरा करेंगे? कौनसा कर लगाने का आपका जरिया है? कौनसा साधन आपके पास है? सोचते होंगे कि भारत सरकार से करों का हिस्सा बढ़ जायेगा। इस भरोसे में मत रहिये। भारत सरकार से जो मिलता है वह भी नहीं बढ़ने वाला है। भारत सरकार से जो करों का हिस्सा मिलने वाला है उसमें पार्शल इन्क्रीज हो सकता है। भारत सरकार का पैसा भी हमारा ही पैसा है। आखिर उसमें भी हमारा हिस्सा है। इसलिए भारत सरकार से जो 50 प्रतिशत मिलने वाला है उसमें सेल्स टैक्स का आधा नहीं मिलेगा, आपको एक्साइज की आमदनी का 50 प्रतिशत मिलने वाला है जो करीब 18 करोड़ होगा। इस मामले में आप सख्ती अपनायें। आपके पास दूसरा साधन नहीं है, आने वाले 5 सालों में कोई कर प्रस्ताव ले आयें जिससे 60 करोड़ प्रति वर्ष की आपको आमदनी हो सके तो मैं आपको बधाई दूंगा और आपकी तारीफ करूंगा लेकिन आपके पास कोई तरीका नहीं। सेल्स टैक्स सेचुरेशन पाइंट पर है, लगान नहीं बढ़ा सकते, आखिर कहां से लायेंगे? जो जमीन थी भावुकता में वह जमीनें भी दुनिया भर को अलॉट कर दीं। बढ़िया बढ़िया जमीन आपने अलॉट कर दीं जिनसे आमदनी हो सकती थी। मैं नहीं कहता कि हरिजन या वीकर सैक्शन्स को जमीन नहीं देनी चाहिए, आज मैं फिर कहता हूं जो बची हुई जमीन है वह जमीन आप लांग टर्म के इन्सटालमेंट्स पर दीजिए। सस्ती दर पर मत दीजिये, चाहे पांच रुपये गज में दीजिये लेकिन फ्री मत दीजिये। आपको मेरा सुझाव है लेकिन चाहे उनकी सरकार चाहे हम कभी सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में कभी अगर हलका कदम उठा लेते हैं जिससे आगे चलकर सिवाय नुकसान के कोई फायदा नहीं होता। फिर एक भूल और करने जा रहे हैं। आज आप चुंगी समाप्त करने की बात कर रहे हैं। आपकी नगरपालिकाओं की हालत क्या है? उनका जरिया क्या है? कई नगरपालिकायें राजस्थान में ऐसी हैं जिन्होंने 3-3, 4-4 महीने से स्टाफ की तनख्वाह का चुकारा

(श्री प्रद्युम्न सिंह)
नहीं लिया। कोई विकास का काम पिछले सालों में नगरपालिकाओं ने नहीं लिया। सरकार जो एड देती है वह तनख्वाहें चुकाने में चली जाती है। सफाई की हालत खराब, रोशनी की हालत खराब। आपके पास दूसरा तरीका होना चाहिए। ट्रांसपोर्टर्स को तकलीफ होती है चुंगी के कारण तो उसका दूसरा तरीका निकालें। लेकिन मैं आपको पुनः आगाह करना चाहता हूं कि भगवान के लिए आप ऐसा कदम नहीं उठायें नहीं तो नगरपालिकाओं की हालत सत्यानाश हो जाएगी। आपके पास तरीका क्या है नगरपालिकाओं को फाइनेन्स करने का? आपके बजट में 85 करोड़ का घाटा, ओवर ड्राफ्ट की पोजीशन यह है? आप पैसा कहां से लायेंगे? आप इस चुंगी समाप्ति की तरफ कोई ध्यान नहीं दें, यह मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। चुंगी समाप्त करने की बात कभी भी आपको नहीं सोचनी चाहिए। अगर समाप्त की तो इसके दूरगामी परिणाम होंगे। कोई ताज्जुब नहीं कि समाप्त करने के बाद दूसरे साल फिर आपको लागू करनी पड़े।

आखिर इस तरह से कहां तक देते जायेंगे? एक तरफ विकास की मांग है, नई स्कीम्स की मांग है, नए सिंचाई साधनों की मांग है, नए तालाबों की मांग है कहां से यह सब कुछ करेंगे? आप कन्सेशन्स देते चले जाइये। पैसा देना किस को अच्छा नहीं लगता है चाहे अमीर हो चाहे गरीब। पैसा कर के रूप में देना किसी को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चुंगी समाप्ति की बात आप कर रहे हैं, इसको भूल जाइए और यहीं छोड़ दीजिए। जो ट्रांसपोर्टर्स की कठिनाइयां हैं उनके लिए दूसरे कदम उठा सकते हैं, और सरल कर सकते हैं चुंगी के नियमों को, यह को मेरा सुझाव है।

राजस्थान में महंगाई है, हिन्दुस्तान में महंगाई है, हम एग्री करते हैं, महंगाई और बढ़ेगी। अकाल के साल के बाद हमेशा महंगाई होती है क्योंकि उत्पादन कम होता है, मांग ज्यादा होती है, खाने वाले ज्यादा हैं आप इस व्यवस्था में सुधार करें। राजस्थान की आबादी को देखते हुए जो राशन की दुकानें हैं उनमें भ्रष्टाचार है, जबर्दस्त भ्रष्टाचार है। मैं अपने क्षेत्र की जानकारी के आधार पर कह सकता हूं, रुपये में से 8 आने चीनी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जाती है, ब्लैक में जाती है। सब मिले हुए हैं, ऊपर से नीचे तक स्टाफ मिला हुआ है, इन्क्वायरी होती है, रिपोर्ट्स होती हैं, कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। कितने आदमियों को आपने जेल भेजा? जबसे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुरू किया 300 रुपये बोरी 350 रुपये के हिसाब से घर बैठे बेच सकते हैं और 7,000 आराम से अपनी जेब में डाल सकते हैं।

इसके अलावा ग्राम सेवा सहकारी समितियों की हालत खराब है, उनके पास पैसा नहीं, उनको सुधारने की तरफ सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। आप जब तक उन समितियों को स्ट्रेंदन नहीं करेंगे, तब तक यह पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देहातों में इफेक्टिव होने वाला नहीं है। सस्ता कपड़ा है। राजाखेड़ा तहसील में दो गांठें कपड़े की मिलती हैं। आप उसके लिए क्या करने जा रहे हैं? मैं आलोचना के तौर नहीं कहता, मेरा सुझाव है। अगर हम

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

खुल कर सुझाव नहीं देंगे सरकार को तो सरकार क्या करेगी ? बजट में कुछ अच्छी बातें हैं, उसकी तारीफ करता हूं। इनको तो सब खराब ही खराब नजर आ रही हैं लेकिन आपकी जो दुकानें हैं बहुत कम हैं, इनकी संख्या को बढ़ायें। कई सेवा सहकारी समितियां डिफेक्ट हैं, आपने आदेश निकाल दिये कि ग्रेजुएट्स को दुकानें दें उनको प्रिफरेन्स दिया जायगा। लेकिन बेरोजगार मारे मारे फिर रहे हैं कहां से पैसा लायेंगे ? वे 25-30 हजार का इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकेंगे ? तो आपको सोचना पड़ेगा, दुकानों की संख्या बढानी पड़ेगी। आज अखबार में था कि एस. टी. सी. के पास सरसों के तेल का स्टाक भरा पड़ा है वह अनरिफाइन्ड है इसलिए वह चल नहीं सकता। सरसों के तेल का भाव बाजार में 14 रुपये है अगर उस तेल को मंगा लिया जाय राजस्थान में कई मिलें हैं, अगर खाद्य विभाग या उपभोक्ता संघ या विक्रय संघ जो भी आपकी एजेन्सीज हैं वे मंगायें और मिलों में दें, 8 आने 4 आने प्रति किलो पर रिफायनिंग के चार्जेज दें तो गरीब आदमी को कम से कम बड़े शहरों में 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सरसों का तेल मिल जाएगा। लेकिन आपकी तरफ से ऐसी कोई कार्यवाही नहीं है, एस. टी. सी. के आंकड़े आपके पास हैं लेकिन इस तरफ आपका ध्यान नहीं। आज सबसे ज्यादा हालत जो खराब हो रही है बाजार में आम आदमी की वह है तेल के मामले में क्योंकि गरीब आदमी और तो चिकनाई नहीं खा सकता। 30 साल पहले तो प्याज और नमक की रोटी खा लेते थे अब निश्चित रूप से बदलाव आया है और घी और तेल का प्रयोग शुरू कर दिया है। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि एस. टी. सी. के पास जो आयातित रेप सीड आइल है उसको लिफ्ट करने की कोशिश करें और आम जनता में बंटवाने की कोशिश करें।

श्री दाऊदयाल जोशी : तीन लाख टन पड़ा हुआ है।

(व्यवधान)

इसमें बहुत बड़ा घपला है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यवधान न डालें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सभापति महोदया, अब मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार का इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि न केवल हमारे ही प्रॉविन्स में बल्कि पूरे देश में बेरोजगारी की बहुत भारी समस्या है। हमारे यहां जो बेरोजगारी की समस्या है वह दो तरह की है एक तो पढ़े लिखे बेरोजगार, दूसरे बिना पढ़े लिखे बेरोजगार। सभापति महोदया, इस बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिये हमारी सरकार क्या करने जा रही है ? सभापति महोदया, यह एक बहुत ही भारी समस्या है जिसकी ओर राज्य सरकार को ध्यान देना पडेगा। आज आप अगर बंगाल की ओर देखें तो आप देखेंगे कि बंगाल सरकार ने बेरोजगारों को भत्ता दिया है हालांकि बंगाल सरकार की हालत आर्थिक दृष्टि से कोई हमारे से ज्यादा अच्छी हो वह बात नहीं है। आज आपकी सरकार के ऊपर कर्ज है तो बंगाल की सरकार के ऊपर भी कर्ज है। उनके बजट में भी 82

(श्री प्रभु नाथ सिंह)

करोड़ का ओवर ड्राफ्ट बताया है पर उन्होंने बेरोजगारों को भत्ता दिया है। इसलिये, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह राज्य सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि आप या तो अपने किसी बड़े अधिकारी को या किसी भी मंत्री को भेजें जो वहां जाकर यह देखे कि इस समस्या का किस प्रकार समाधान किया गया है। सभापति महोदया, मेरा इस बात में विश्वास है कि अगर दूसरी सरकार कोई अच्छा कदम उठाती है तो उसको स्वीकार करना चाहिये चाहे वह विरोधी दल की सरकार ही क्यों नहीं हो। हमारा किसी भी दूसरी विरोधी पार्टी की सरकार से राजनैतिक विरोध हो सकता है पर अगर कोई अच्छा काम किया हो तो उसको अमल में लाने में क्या दोष है। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि जिस प्रकार बंगाल की सरकार ने बेरोजगारी का भत्ता दिया है उसी प्रकार बेरोजगारी भत्ता नौजवानों को, जो बेरोजगार हैं, देना चाहिये। हमें भी दूसरी कांग्रेसी सरकारों से पहल करनी चाहिये।

सभापति महोदया, यह बेरोजगारी की बहुत ही भारी समस्या है। इसका हल निकलने में समय लगेगा पर मुझे एक बात पर बहुत ही हंसी आती है। जब कांग्रेस का राज्य गया और जनता सरकार आयी तो उस वक्त मोरारजी भाई देश के प्रधान मंत्री बने थे। उस वक्त उन्होंने यह कहा था कि हम बेरोजगारी की समस्या को दस साल में समाप्त कर देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि मोरारजी भाई, जो कि उस वक्त 82 वर्ष के थे, ने 92 वर्ष की उम्र तक प्रधान मंत्री पद पर बने रहने की बात कायम कर दी थी। लेकिन, सभापति महोदय, उनका राज्य 28 महीने या यों कहें कि 30 माह तक रहा, क्या उन्होंने तीस महीनों के अन्दर दस प्रतिशत बेरोजगारी समाप्त कर दी? मेरी समझ में तो यह आता है कि वह दस प्रतिशत भी बेरोजगारी समाप्त नहीं कर पाये। उन्होंने इस प्रकार की थोथी घोषणायें करके भारत की जनता को और खास तौर से हमारे देश के बेरोजगार नौजवानों को गुमराह करके थोथी घोषणाओं के आधार पर चुनाव जीता। सभापति महोदया, उन्होंने इस प्रकार के थोथे वायदे करके हमारे देश के नौजवानों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया। यह एक बहुत बड़ा फ्राड उन्होंने किया था। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री अटलबिहारी वाजपेयी ने भी यह कहा था कि हम बेरोजगारों को बेरोजगारी का भत्ता देंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया? अगर नहीं दिया तो बता दें। अगर गलत हो तो वह कान्ट्रेडिक्ट कर सकते हैं। पर वह कान्ट्रे-डिक्ट नहीं कर सकते हैं। उन्होंने सिर्फ थोथे नारे दिये और कोई कार्यवाही नहीं की। इसलिये मैं राज्य सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि आपको इस ओर कदम उठाना पड़ेगा। आपको भी बंगाल सरकार की तरह उसी पेटर्न पर बेरोजगारों को भत्ता देना शुरू करना चाहिये। यह मेरा सुझाव है राज्य सरकार को।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

सभापति महोदया, आपने घन्टी बजा दी है इसलिये मैं अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक बात, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कह कर अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा।

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

सभापति महोदया, वह है धौलपुर के बारे में। सभापति महोदया, धौलपुर को जिला बनाया जाय। धौलपुर को जिला बनाने की मांग बहुत अरसे से हमारे यहां चली आ रही है। आबादी के दृष्टिकोण से, एरिया के दृष्टिकोण से, भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिकोण से, धौलपुर उप-खण्ड के राजस्व को देखते हुए यह अत्यन्त ही आवश्यक है कि इसे जिला हैड क्वार्टर बनाया जाय। सभापति महोदया, स्थिति यह है कि धौलपुर को बिना किसी वजह से भरतपुर के साथ लगा दिया। उससे धौलपुर उप-खण्ड किसी भी बात से मेल नहीं खाता और कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी वजह से धौलपुर को भरतपुर के साथ रखा जाय। आज भी हमें धौलपुर उत्तर प्रदेश में होकर जाना पड़ता है। धौलपुर उप-खण्ड भरतपुर से कोई मेल नहीं खाता। धौलपुर पहुंचने के लिए पहले आपको यू.पी. में से जाना होगा और धौलपुर से भरतपुर जाने के लिये भी आपको यू.पी. में से जाना पड़ेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि राजस्व की दृष्टि से, आबादी की दृष्टि से और भौगोलिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए धौलपुर को शीघ्रातिशीघ्र जिला बनाया जाय। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री मोहनलाल मोदी।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) सभापति महोदया, आज सदन में राजस्थान के बजट पर वाद-विवाद हो रहा है। इस बजट को देखने से मालूम होता है कि इस वर्ष हमारी सरकार क्या करने जा रही है। यह बजट वर्ष भर में हम किस प्रकार से क्या करने जा रहे हैं उसकी प्रगति का द्योतक है। तो, सभापति महोदया, सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि प्रश्न आता है प्रगति करने का? हम किस तरह से प्रगति कर सकते हैं। सभापति महोदया, हमने इस सारे बजट को पढ़ा, देखा और सुना तो हमें यह पता चलता है कि इस बजट में कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। इससे आम लोगों को राहत पहुंचेगी, इसका तो मैं स्वागत करता हूं। लेकिन आप प्रगति किस प्रकार करेंगे? सर्वप्रथम बात तो यह है कि आज तक मुख्य मंत्रीजी ने अपनी केबीनेट का पूरा एक्सपेंशन नहीं किया है। पूरी केबीनेट का फोर्मेशन नहीं किया और यह कहते हैं कि मैं लोगों का परफोर्मेन्स देख कर मंत्री मण्डल का विस्तार करूंगा। सभापति महोदय, जहां तक सवाल परफोर्मेन्स देखने का है। जिन लोगों को परफोर्मेन्स देख कर बिठाया है उनमें से दो उप-मंत्री तो ऐसे हैं जिनको हमने आज तक सदन में बोलते नहीं देखा और न ही उन्हें सुना। तो इस प्रकार का यह मंत्रिमण्डल है मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान की उन्नति करने की बातें करते हैं वह किस तरह से राजस्थान की उन्नति करेंगे। आखिर आप अच्छे सही ढंग से काम करने वाले लोगों को मंत्रि मण्डल में लेंगे तभी तो उन्नति हो सकेगी। दूसरे लोगों का आप परफोर्मेन्स नहीं देख लेंगे तब तक आप अपने मंत्रिमण्डल का विस्तार नहीं करेंगे। आज स्थिति ऐसी है कि जिन लोगों के पास काम है वह लोग किसके पास जायें। एक-एक मंत्री के पास बहुत सारे डिपार्टमेन्ट हैं, वहां भीड़ की भीड़ खड़ी रहती है, आम आदमी तो मंत्री जी से मिल नहीं सकता। इसके

(श्री मोहनलाल मोदी)

अलावा बेचारा विरोधी दल का सदस्य तो जाने की हिम्मत ही नहीं कर सकता। आखिर आदमी जाकर अपनी बात किसको कहे। तो मैं यह सर्वप्रथम निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस स्थिति को ठीक करें। अन्यथा स्थिति ऐसी पैदा हो रही है कि अखबार में हमें तरह-तरह की बातें पढ़ने को मिल रही हैं। आज ही दैनिक नवज्योति के अखबार में एक उप मंत्री जी के बारे में पांच कांग्रेसी सदस्यों का स्टेटमेन्ट था सर्व श्री शिवराम शर्मा, भैरूसिंह गुर्जर, छोगाराम बाकोलिया दीपेन्द्रसिंह वगैरह ने संयुक्त बयान में कहा है कि राज्य सभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जसवन्तसिंह की विजय को लेकर पिछले दिनों में पर्यटन विभाग के उप मंत्री नरेन्द्र सिंह भाटी पर बिना वजह दलीय अनुशासन को भंग करने के आरोप लगाये जा रहे हैं वे निराधार हैं। यह आपके पांच सदस्य ऐसा स्टेटमेंट देते हैं। मैं समझता हूं, आज जनता, आम आदमी में, ऐसी भावना हो रही है कि यह राज्य सरकार ज्यादा चलने वाली नहीं है, हम को इस सरकार से कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। जिस शासन में स्थिरता नहीं उसके द्वारा विकास कैसे होगा? स्थिरता बिना कोई शासन प्रदेश की उन्नति नहीं कर सकता है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप अस्थिरता की स्थिति को कृपया समाप्त करें। आज स्थिति ऐसी है कि जहां जायं वहां लोग पहाड़िया जी को बदनाम कर रहे हैं। एक इस प्रकार का जाल फैला हुआ है कि कांग्रेस आई के टिकट पर हारने वाले कांग्रेसी लोग अपने आपको मिनी चीफ मिनिस्टर कहते हैं। मैं आपको, सभापति महोदया, मेरे ही क्षेत्र की बात निवेदन करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र नीम के थाने से कांग्रेस टिकट पर एक मदन लाल दीवान चुनाव हार गये थे। उन्होंने वहां पर मिनी मुख्य मंत्री का रूप लेकर बहुत भारी आतंक फैला रखा है। उसका मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। सभापति महोदय, आज महंगाई बढ़ रही है। जब हम कीमतें कम करने की बात करते हैं तो उसके लिये ब्लेक मार्केट को खतम करना पड़ेगा, तभी सस्ती चीजें उपलब्ध होंगी। तो हमारे वहां पर कुछ ब्लेक मार्केटियर्स की धर पकड़ हुई। एक व्यक्ति पकड़ा गया नीम के थाने में तो तुरन्त मदन दीवान जी ने बड़े बड़े अधिकारियों को दबाया। वहां एन-फोर्समेंट आफिसर ने एक ट्रक पकड़ा जिसमें 11 ड्रम केरोसीन तेल के थे। सभापति महोदय, हमने पहले ऐसा देखा था कि जो आई.ए.एस. ऑफिसर होते थे वह हमारे देश में गलत काम नहीं करते थे और सिफारिश भी नहीं मानते थे। पर आज स्थिति दूसरी है वहां पर स्थिति यह हुई कि जिस ट्रक में 11 ड्रम केरोसीन तेल के पकड़े गये थे उसमें जिसका माल था उसको नहीं पकड़ा पर जो ट्रक ड्राइवर था जो खलासी था उसको पकड़ कर उसके खिलाफ मैं एफ. आई. आर. लॉज करने के आदेश कलेक्टर द्वारा दिये गये। मेरी समझ में नहीं आता, ट्रक ड्राइवर या खलासी के घर तो केरोसीन होता नहीं। वह तो कोई पेट्रोलपम्प का मालिक होगा जिसके यहां पर केरोसीन हो सकता है पैट्रोलपम्प के मालिक को बचाने के लिए उन्होंने, जो अपने आप को मिनी चीफ मिनिस्टर कहते हैं, बेचारे गरीब ड्राइवर और खलासी को फंसवा दिया।

(श्री मोहनलाल मोदी)
सभापति महोदया, इस तरह से आज कल कांग्रेस आई के हारे हुए लोग काम करते हैं। सभापति महोदया, उस व्यक्ति के पास चुंगी चौकी की रसीद है। रात को बारह बजे चुंगी चौकी पर रसीद काटी गई। राजीव स्टोर्स नाम के कैरोसीन डीलर के यहां का माल था परन्तु उसके रिकार्ड को सील नहीं किया गया और न ही पैट्रोल पम्प के मालिक को पकड़ा गया। केस उस गरीब ड्राइवर के और खलासी के खिलाफ में बना दिया। सभापति महोदया, वैसे भी सौ में से एकाध केस पकड़ में आता है क्योंकि भ्रष्टाचार अधिक है, अगर कोई मामला पकड़ में आ जावे तो उसमें भी इस तरह से अपराधी को बचाया जाय और बेचारे बेकसूर आदमी को सजा दिलायी जाय, यह कहां तक उचित है। अपने यहां एक कहावत है कि कुसूर वार छूट जाये लेकिन बेकसूर को सजा हो जाय। आपके इस राज्य में आपके इन लोगो, जिन्होंने अपने आपको मिनी मुख्य मंत्री के नाम से घोषित कर रखा है, के दबाव से बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं।

मैं आपको और भी बताना चाहूंगा...

श्री दाऊदयाल जोशी : नाम तो बता दो मिनी मुख्य मंत्री कौन है ?

श्री मोहनलाल मोदी : जिन्होने चुनाव मेरे खिलाफ लड़ा।

श्री दाऊदयाल जोशी : जिन्होंने 38 लाख रुपये चुनाव में खर्च किये, वही।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : माननीय सभापति महोदया, माननीय सदस्य जो कुछ भी कह रहे हैं मेरे ख्याल से जनता पार्टी के सदस्य कह रहे हैं वह बोलते जा रहे हैं। यह सदन की मर्यादा भंग कर रहे हैं।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह किताब रोज पढ़ा करो तब मालूम पड़ेगा।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : फिर आप उनको क्यों सिखा रहे हैं। आप घर बुला कर सिखालो उनको।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया आपस में बात नहीं करें।

श्री मोहनलाल मोदी : माननीय सभापति महोदया, मेरे पास एक कोटपूतली की चिट्ठी है मदन सेठ पाटनवाला व मुख्य मंत्री के भाई द्वारा गरीब हरिजन (चमारों) की झोंपड़ी के आग लगवाकर भस्म करवाने के संबंध में। मदन दीवान के भाई बन्धु ने वहां मुर्गीखाना के पास जमीन खरीदी है। उस जमीन के बाहर एक हरिजन अपनी झोंपड़ी बना कर बैठा था। उस झोंपड़ी को उन्होंने म्यूनिसिपैलिटी के जरिये जलवा दिया और उसको वहां से हटवा दिया...

कुछ माननीय सदस्य : हरिजनों पर अत्याचार बन्द करो।

श्री मोहनलाल मोदी : नाम जरूर हरिजनों का इस वक्त लिया जा रहा है। इस बात की आप जांच करायें। मुख्य मंत्री जी के पास भी एक दरख्वास्त भेजी है जिसको मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :

"मदन सेठ पाटनवाला व मुख्य मंत्री के भाई द्वारा गरीब हरिजन चमारों के घरों को आग लगवाकर भस्म करवाने के संबंध में।

(श्री मोहनलाल मोदी)

श्रीमान जी, निवेदन है कि चीरघर नेशनल हाई वे रोड के पास मेरा एक छप्पर व खोका बना रखा था। नगरपालिका के स्टाफ को मदन बनिया पाटनवाला मुख्य मंत्री का भाई प्रलोभन देकर मेरे घर को आग लगा कर जला दिया गया है। मेरे परिवार का कोई लड़का ट्रकों का मिस्त्री था, उसी छप्पर में सामान था। सारा जलकर भसम हो गया है। यह कि कोटपूतली के मदन सेठ पाटनवाला व बनियों की चाल पट्टी है। कुछ कांग्रेसी कोटपूतली के आदमियों का भी हाथ है। क्योंकि श्री राम विधायक को इस घटना का समाचार दिया है कि गरीब को बेघरबार कर दिया ... ..

एक माननीय सदस्य : यह बजट संबंधी बात है।

श्री मोहनलाल मोदी : जी हां। आप देश को कैसे आगे बढ़ायेंगे ? आप आम आदमी को आराम देने की बात करते हैं। मैं आपके सामने एक ऐसी बात पेश कर रहा हूं जो सही है तो आप इसके पक्ष में बोलें .....

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : आन ए पाइन्ट आॅफ आर्डर, माननीय सभापति महोदया। माननीय सदस्य कागज को पढ़ते जा रहे हैं। भाषण दे रहे हैं या कागज से पढ़ कर बोल रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यवधान न डालें।

(व्यवधान)

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगी कि इस तरह से आपस में बात नहीं करें।

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : सभापति महोदया, इसके लिए 18-6-80 को स्टे के लिए दरख्वास्त दी, कोर्ट में स्टे की दरख्वास्त देने के बाद 19 तारीख को यह कार्यवाही की गयी। 20 को स्टे आर्डर मिला। उन हरिजनों के खिलाफ झूंठा मुकदमा चलाया गया। आज भी मुकदमा चल रहा है। यह ऐसी कार्यवाही है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी तरफ ध्यान दिया जाये। इस तरह का जो माहौल चारों तरफ बना हुआ है उसको दूर कीजिए तभी आप राजस्थान का भला कर पायेंगे और आपने जैसा कहा है कि मैं राजस्थान की उन्नति करने के लिए आया हूं, उस के अनुसार आप राजस्थान की उन्नति कर पायेंगे।

जो सामान के वितरण की व्यवस्था है, उसके मामले में मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा। आज डीजल की इतनी बड़ी शार्टेज हम मानते हैं .....

कुछ माननीय सदस्य : अब कोई शार्टेज नहीं है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : कितना चाहिए आपको ?

श्री मोहनलाल मोदी : आपको बोलने का मौका आये तो बोलिये आप अपनी परफार्मेन्स दिखाना चाहते हैं तो बोलिये, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री दाऊदयाल जोशी : यह मंत्री नहीं बनने वाले हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : आज डीजल की शार्टेज नहीं है यह सही है लेकिन आपकी वितरण प्रणाली इस प्रकार की है कि इतना बड़ा डीजल का कोटा लेप्स हो रहा है जिसका नतीजा आगे आने वाले समय में जब डीजल की जरूरत पड़ेगी उस समय भुगतना होगा। आपने परमिट सिस्टम बना रखा है इसको बहुत सी स्टेटों ने तो समाप्त कर दिया। मैं समझता हूं कि राजस्थान में भी इसको समाप्त कर देना चाहिए। जयपुर शहर का कोटा 90 लाख लीटर का लैप्स हो गया पिछले महीने के अन्दर। तो आगे जाकर बहुत घातक होगा और बहुत दुःख देगा। आगे जाकर बहुत बड़ी शार्टेज आयेगी क्योंकि तेल तो उसी हिसाब से मिलता है।

चीनी के वितरण की व्यवस्था आपकी इस प्रकार की है कि गांवों के अन्दर लोगों को चीनी नहीं मिल पाती है। 1971 की जन संख्या के आधार पर कोटा दिया जाता है। वह कोटा भी गांवों में कभी ढाणी में ले जाते हैं और कभी दूसरी जगह ले जाते हैं। चीनी सही आम आदमी को नहीं मिल पाती है। और सारी ब्लैक में बिकती है। आप इसकी व्यवस्था कीजिए। चीनी की वितरण प्रणाली को सुधारिये। कपड़े का जहां तक प्रश्न है कपड़ा तो नाम मात्र का आता है वह कपड़ा किस किस को आप दे पायेंगे। गरीब लोगों तक नहीं पहुंचा पायेंगे। बाजार में जो माल आवेगा वह दुकानों पर चला जायेगा और किसी को नहीं मिल पायेगा। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि इस वितरण प्रणाली को सुधारिये।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

अभी तो बहुत टाइम होना चाहिए ...

श्री सभापति : टाइम मैं देख रही हूं। घड़ी पर मेरी नजर है।

श्री मोहनलाल मोदी : अभी तो मैंने शुरू ही किया है।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : यह अभी तो बजट पर बोले ही नहीं हैं। अब बोलेंगे।

श्री मोहनलाल मोदी : अभी तो मैंने शुरू ही किया है इसको।

श्री सभापति : आपने 3 बज कर 43 पर शुरू किया है। मैं टाइम नोट कर रही हूं। आप जल्दी से समाप्त कीजिए।

श्री मोहनलाल मोदी : अनाज के बदले काम योजना के अन्दर जो काम चालू किये उसके बारे में गांव वालों ने जगह जगह शिकायत की लेकिन उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। लोगों ने अनाज के ट्रेक्टर ब्लैक में जाते हुए पकड़वा दिये। गांवों में थोड़ा बहुत काम जरूर हुआ है लेकिन उसमें चोरी ज्यादा हुई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने घोटाले किये हैं उनकी सही जांच करवायें और आगे योजना को चालू रखें, यह मेरा निवेदन है।

एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा कर्मचारियों और खास तौर से अध्यापकों

(श्री मोहनलाल मोदी)

के काफी ट्रान्सफर्स किये जा रहे हैं। सभापति महोदय, यह बहुत घातक होगा। एक शिविरा किताब निकलती है शिक्षा विभाग की उसमें यह बात कही गयी है कि थर्ड ग्रेड टीचर्स के जिले के बाहर स्थानान्तरण नहीं किये जायें लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस वक्त मेरे जिले की पंचायत समिति के अध्यापकों के, थर्ड ग्रेड टीचर्स के सैकड़ों के ट्रान्सफर्स कर दिये गये.. ग्रामसेवकों के ट्रांसफर कर दिये गये। मैं आप से एक बात कहना चाहता हूं, आप इस बात को ध्यान में रख कर चलिये कि इस तरह से लोगों को, आम आदमियों को तकलीफ न हो वरना यह तकलीफ आपके लिये घातक होगी। मेरे क्षेत्र में श्री सूर्यनारायण चौधरी, जो भूतपूर्व उद्योग मंत्री थे, ने रायपुर जागीर कस्बे की पंचायत समिति के अध्यापक को धौलपुर भिजवा दिया, वहां के एक सरपंच को झूठे आरोप लगाकर सस्पेन्ड करवा दिया। इसका नतीजा यह हुआ उनको इस चुनाव में वहां से एक वोट भी नहीं मिला और उनकी जमानत जब्त हो गई। आप किसी के कहने से आम आदमी को तकलीफ मत पहुंचाइये।

आपके बजट भाषण पैरा नं. 10 पर लिखा है, मूल्यों की वृद्धि पिछले डेढ़ वर्ष से विशेष चिन्ता का विषय रही है। मूल्य वृद्धि का सूचकांक 1976 में 382 था वह 1979 में 480 पर पहुंच गया। 1980 में वह सूचकांक क्या है यह नहीं बताया गया। इसको आप किस तरह से कर पायेंगे ...

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

सभापति महोदया, मुझे बताइए, मुझे कितना समय मिलेगा ?

श्री सभापति : आपको 15 मिनट देना चाहती हूं। आप 20 मिनट बोल लिये हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : आपने मेरे लिये कोई समय निर्धारित कर रखा है....

श्री सभापति : आपके लिए विशेष नहीं है। मैं चाहती हूं सभी को समय मिले।

श्री मोहनलाल मोदी : आप चाहें तो बन्द कर दूं।

श्री सभापति आप मिनट, दो मिनट और ले लें। जल्दी समाप्त करें। आपको पता नहीं लग रहा है। आप लगभग 20 मिनट ले चुके हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : वर्ष 80-81 में प्रति व्यक्ति आय का हिसाब नहीं बताया। 1976-77 में प्रति व्यक्ति आय 316 रुपये थी। 77-78 में 311 रह गई और 79-80 में 276। इसको आप कैसे बराबर करना चाहते हैं।

गांवों में पेय जल की सुविधा के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मेरा क्षेत्र पहाड़ी इलाका है। पिछली दफा भी सूखे की वजह से पीने का पानी नहीं मिल पाया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपको उस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये।

आपकी सबसे बड़ी इन्कम नॉन टैक्स रेवेन्यू है। इसको बढ़ाने की व्यवस्था करनी चाहिए। इसमें सुधार करना चाहिये।

(112)

(श्री मोहनलाल मोदी)

आज रोडवेज की हालत यह है कि गांव के अन्दर बस के अन्दर 50 सवारी और बस के ऊपर 50 सवारी बैठती हैं। वर्षा आ रही है। लोगों की हालत खराब है। रोडवेज को सही पैसा भी नहीं मिल रहा है। रेवेन्यू को बढ़ाने के लिये आप पूरी तरह से व्यवस्था करिये। सही व्यवस्था करेंगे तो ही राजस्थान का भला हो पायेगा। बाकी तो मैं समझता हूं कि जिस तरह ढांचा चल रहा है अगर इसी तरह से चलाया गया तो कोई लाभ होने वाला नहीं है।

आप बार-बार घंटी बजा रही हैं इसलिए मैं यही कह कर समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री केसरीचन्द चौधरी : समय का ध्यान रखें।

श्री केसरीचन्द चौधरी (किशनगढ़) : आदरणीय सभापति जी, मैं मुख्य मंत्री को बगैर नया कर लगाये बजट पेश करने के लिये धन्यवाद देना अपना फर्ज समझता हूं।

मैं समझता हूं कि 85 करोड का जो घाटा आज कूंता गया है वह वर्ष के आखिर में 100 या 120 करोड़ के नीचे पहुंचेगा। दूसरी प्रसन्नता की बात यह कहें तो गैरवाजिब नहीं, मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में यही कहा है कि नये कर न लगाकर मितव्ययता और अन्य साधनों से इस घाटे की पूर्ति करेंगे। मैं नहीं समझ पाता कि ऐसे कौन से साधन मितव्ययता के जुटायेंगे जिससे हमारा घाटा कम हो पायेगा। अब तक जितने भी मितव्ययता के प्रशासन में प्रयोग किये गये वह उल्टे पड़े हैं। इकॉनामी सर्वे रिपोर्ट, जो राज्य सरकार ने इस बजट के साथ प्रेषित की है, मैं कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं।

मैं इस बात की आलोचना में नहीं जाना चाहता कि पिछली जनता सरकार ने बगैर किसी नीतियों के राज चलाया या और गलतियां कीं लेकिन जिस तरह की बढ़ोतरी एडमिनिस्ट्रेशन में दो साल में हुई और जितना खर्चा बढ़ा, उसे तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो मितव्ययता कहां हो पायेगी। जरा मुलाहिजा फरमाइये। जहां तक बाबुओं का सवाल है 78-79 में 1 लाख 10 हजार 975 थे और 79-80 में यह 1 लाख 10 हजार 768 थे अर्थात् 355-770 की ग्रेड में 107 एल. डी. सी. कम हुए। 78-79 और 79-80 के बीच में 10212 नई पोस्ट क्रियेट की गई। 470 1035 की ग्रेड में 1168 नयी पोस्ट क्रियेट की गई दो साल में। 620-1600 की ग्रेड में 600 पोस्टें नई क्रियेट की गई एक साल में। 1150-2600 के बीच की 265 पोस्टें नई क्रियेट हुई एक साल के बीच में। हम अनएम्पलायमेंट को कम करने की बात करें। सबसे ज्यादा अनएम्पलायमेंट हायर सैकण्डरी पास लोगों का आता है। 3 और 3½ लाख के करीब हमारे एम्पलायमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन भी हैं। पिछले एक वर्ष में या तो फिगर्स गलत हैं और अगर सही हैं तो 208 के करीब निकले हैं बिल्कुल बढ़े हो हैं। सारे

(श्री केसरीलाल चौधरी)

फिगर्स 1976 से देखें तो इन दो सालों में जो नये पद बढ़ाये गये हैं ऊंचे तबके के अफसरों के उनका खर्चा काफी लम्बा चौड़ा है। आप किस तरह से इसको कम कर पायेंगे यह असम्भव लगता है।

इसके साथ-साथ राजस्थान रोडवेज की घाटे की प्रणाली है, इसको प्रणाली ही कहूंगा क्योंकि हर साल वह बढ़ता गया है। 77 के जो फिगर्स थे वह मुनाफे के थे। 78, 79, 80 में, 3 सालों के अन्दर आकर घाटा हुआ है। यदि यही घाटा किसी महाजन की दुकान पर होता तो वह दीवाला निकाल कर जरूर होता। हमारी राज्य सरकार इस घाटे को सहन कर रही है और हर छः महीने या एक साल में जनरल मैनेजर, चेयरमैन को बदल दिया जाता है। नतीजा यह होता है कि उस घाटे की पूर्ति नहीं हो पाती बल्कि एक स्टापगेप अरेंजमेंट हो जाता है। वह घाटा बढ़ता जाता है। जो नया जनरल मैनेजर, चेयरमैन आता है, वह नये ढंग की पॉलिसी अख्तियार करता है। एम्प्लायमेंट के नये ढंग के साधन ढूंढता हैं। उसके कान्टेक्ट बनते हैं, मेरा निवेदन यह है कि दो, चार या पांच साल के लिए एक निश्चित तरीके से यह तय करें कि पांच साल में, तीन साल में, दो साल में इस घाटे की पूर्ति करके मुनाफे में लाना है। मैं समझता हूं नेशनलाइजेशन बहुत अच्छी चीज है, सामाजिक सेवा का काम है। सैद्धान्तिक तरीके से बहुत बढ़िया है लेकिन यह घाटा कब तक किये जायेंगे और बदनामी सहे जायेंगे। आर. एस. ई. बी. की हालत, श्रीमान्, और भी खराब है। श्रीमन्, एक और भी जानकारी है कि लाखों रुपयों का डेमरेज राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हर साल चुकाता है। सिर्फ इसलिये बिल्टी नहीं छुड़ाते हैं, कोडिनेशन नहीं है। कनेक्शन अनाउन्स कर दिये जाते हैं लेकिन कहीं चेनल्स नहीं हैं। 10 हजार का सामान कुये में बिजली पहुंचाने के लिये चला जाता है और सिर्फ 100) रु. के सामान के लिये अटका रह जाता है। इन हालात में स्वाभाविक है कि नुकसान के अलावा कोई बात हो नहीं सकती इस, और ध्यान देने की जरूरत है। राणावत अवार्ड सरकार ने माना है या नहीं यह तो मुझे पता नहीं लेकिन भूतपूर्व अध्यक्ष जी ने अवार्ड को माना है और 600 करोड़ रुपये का भार आर. एस. ई. बी. पर पड़ेगा आर एस. ई. बी. को कर्जा दे देकर इस घाटे के सौदे को किस हद तक चलायेंगे, कितना विद्युतीकरण किस सीमा तक कर पायेंगे इसका आप खुद अन्दाजा कर सकते हैं। आज स्थिति यह है कि गांवों में विद्युतीकरण की बात करते हैं लेकिन सही स्थिति यह है कि खंभे खडे हैं, तार खिच गये लेकिन कनेक्शन नहीं है। हरिजन बस्तियों में कई वर्षों से खंभे खडे हो गये, लेकिन कनेक्शन नहीं दिये। बजट पर राजस्थान की निगाह से कम होता है, तो जब इसके लिये आर. एस. ई. बी. के डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर से बात करते हैं तो कहते हैं कि राजस्थान का बजट समाप्त हो गया, अगले बजट में बात करेंगे। मेरा निवेदन है हरिजन और अनुसूचित जातियों की बस्तियों के विद्युतीकरण का प्रश्न है आप खासतौर से इस बात के लिये पाबन्द कीजिये कि उनके मौहल्लों में बिजली के बल्ब जलें।

तीसरा राजस्थान में लीड बैंक्स के सिलसिले में है। आपको मैं फेक्ट्स एण्ड फिगर्स देकर निवेदन करना चाहता हूं।

(श्री केसरीचन्द चौधरी)

ऐसा लगता है कि हमारी राज्य सरकार ने लीड बैंकों को पूरी आजादी दे रखी है। उनके मैनेजमेंट में हस्तक्षेप की बात तो हम नहीं कर सकते हैं लेकिन हमारा कोई कोआर्डिनेशन नहीं है, इकोनोमिक सर्वे के हिसाब से राजस्थान में बैंक एडवान्सेज सिर्फ 119 रुपया है, महाराष्ट्र में 714, वेस्ट बंगाल में 375 है और केरल में 278 है। श्रीमन्, हालत यह है कि हम बहुत बड़ा सन्तोष कर लेते हैं कि हमारे यहां के लीड बैंक स्कीम बना कर सरकार को भेज देते हैं और सरकार उसको अडाप्ट कर लेती है लेकिन आपने अगर कभी उनके परफार्मेन्स को देखा हो तो उनके रूल्स, उनका परफोर्मा इतना कठिन है कि एक गरीब को लोन नहीं मिलता है। नसीराबाद और अजमेर का तो मुझे मालूम है हमारे यहां बैंक आफ बड़ौदा का सबसे बड़ा कारोबार है। अगर आप बैंक आफ बड़ौदा के फिगर्स को देखेंगे तो 10 पर्सेन्ट से ज्यादा 500) रु. से कम आमदनी वाले को कर्जा दिया हुआ नहीं मिलेगा। बड़े कर्जे ज्यादा हो सकते हैं। जो बैंकिंग के व्यवसाय से सम्बन्धित हैं। उनको न कागजों की दिक्कत होती है, न उनको परफोर्मा पूरा करने में दिक्कत आती है और न किसी चीज की। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं पूरे राजस्थान लेवल पर, मैं यह तो नहीं कहता हूं कि महाराष्ट्र के लेवल पर, लीड बैंक से एडवान्समेंट की बात कर सकते हैं लेकिन हमारा जो सबसे.......

श्री राजबहादुर : सभापति जी, एक व्यवस्था का प्रश्न रखना चाहता हूं। मैं निरन्तर देख रहा हूं कि सरकारी बैन्चेज पर मंत्रीमण्डल में से केवल एक सज्जन विराजे रहते हैं। जो वित्त मंत्री महोदय हैं और जिनके बजट पर वाद-विवाद चल रहा है, ऐसे मौके पर जब चर्चा चल रही है और माननीय सदस्य गण गंभीरतापूर्वक विचार प्रकट कर रहे हैं तो क्या उनकी उपस्थिति यहां अनिवार्य नहीं है? जरूरी काम हो तो चले जायं लेकिन सुबह से शाम तक बराबर उनकी अनुपस्थिति रहे, यह तो एक खेद का विषय है।

एक माननीय सदस्य : वे सुन रहे हैं।

श्री राजबहादुर : थोड़े समय के लिये जा सकते हैं, यदि जरूरी काम हो तो।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : व्यवस्था दें, सभापति महोदया।

एक माननीय सदस्य : वे सुन रहे हैं।

श्री राजबहादुर: वहां सदन से मतलब नहीं है।

श्री रामसिंह विश्नोई : यह सदन के प्रति निरादर है।

श्री सभापति : आप सदस्यों की भावना मुख्य मंत्री जी तक पहुंचा दें।

श्री केसरीचन्द चौधरी : मैं निवेदन कर रहा था लीड बैंक के बारे में।

इसी तरह बजट भाषण में मुख्य मंत्री जी ने बिक्री कर के बारे में कुछ घोषणायें की हैं। जो अत्यन्त स्वागत योग्य हैं। लेकिन इसके साथ बड़ी अजीब परिस्थिति पैदा हो गई। राजस्थान में

(श्री केसरीचन्द चौधरी)

सबसे ज्यादा पावरलूम और हैण्डलूम किशनगढ़ में हैं। मैंने फिगर्स एकत्रित किये हैं राज्य सरकार के मार्फत कुल 7 हजार 44 सौ उन्होंने ऑफिसियली, किशनगढ़ में बताये हैं बाकी राजस्थान के सारे जिलों में हैं। बदकिस्मती यह है कि राज्य सरकार का ध्यान इस उद्योग की तरफ नहीं गया वरना राजस्थान की पावरलूम और हैण्डलूम की पोटेंशियलिटी, मैं ऐसा मानता हूं, आन्ध्र, महाराष्ट्र और तामिलनाडु से किसी प्रकार कम नहीं है। आम तौर पर उद्योग विभाग या आर. एम. आई. डी. सी., जिनको भी सारी चीजों के लिये अधिकृत कर रखा है, जिनकी तरफ हम आंख उठा कर हमेशा देखा करते हैं, का ध्यान इस तरफ नहीं जाता है। सभापति महोदया, मैं आपकी मार्फत राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह इतना बड़ा उद्योग है कि अगर पूरे राजस्थान में इसको फैलायें तो अन-एम्प्लायमेंट भी कम हो सकता है और राज्य की हर तरह की आमदनी बढ़ाई जा सकती है और घाटे की पूर्ति हो सकती है। सात हजार पावरलूम का कपड़ा जो रोजाना सात लाख मीटर बन कर जाता है।

सभापति महोदया, सबसे पुराने 77-78 में लगाये थे उनको सारा माल दो प्रतिशत पर खरीदना पड़ेगा और जिन्होंने 79 में लगाये हैं उनको एक प्रतिशत पर। नतीजा यह होगा कि जो पुराने काम करने वाले हैं उनको ज्यादा देना पड़ेगा और नयों को फायदा होगा। मैं समझता हूं राज्य सरकार इसको बैठ कर देखेगी और किशनगढ़ का जो प्रमुख उद्योग है उसको बरबाद नहीं होने देगी।

मैं इसके साथ ही निवेदन करना चाहता हूं, कल मैंने मुख्य सचिव महोदय को भी निवेदन किया था कि सात लाख मीटर कपड़ा रोजाना किशनगढ़ से बाहर अमृतसर, गुजरात, अहमदाबाद, बम्बई जाता है वहां से प्रोसेस होकर और प्रिन्ट होकर पूरे राजस्थान में आता है। हमारी बदकिस्मती है जहां ज्यादा कपड़ा होता है वहां प्रोसेसिंग प्लान्ट नहीं है। मुझे शिकायत नहीं है भीलवाड़ा से या गुलाबपुरा से कि प्रोसेसिंग प्लान्ट वहां लगा। मुझे सिर्फ यह निवेदन करना है कि जहां इसका इतना उत्पादन है वहीं प्रोसेसिंग प्लान्ट को आपरेटिव सेक्टर में आप एस्टेब्लिश करें तो राजस्थान के उद्योग धन्धे बढ़ेंगे। सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी का एक दफा हमने हिसाब लगाया था। मैं समझता हूं इस उद्योग से 25 करोड़ की सालाना आमदनी केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकार को मिलने वाली है। इतना ही नहीं बल्कि हमारे यहां के कारीगर इतने बढ़िया हैं कि अहमदाबाद, मोदीनगर, गुजरात, महाराष्ट्र सब जगह आबाद हैं और यह धन्धा बांसवाड़ा जैसी जगह में भी शुरू हो गया है, वहां चल रहा है। इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस वाजिब बात को स्वीकार करके राज्य की स्थायी आमदनी बढ़ाने और बजट के घाटे की पूर्ति को करने की ओर अवश्य ध्यान दे।

इसी तरह हैण्डलूम के बारे में राज्य

(श्री केसरीचन्द चौधरी)

सरकार चिन्तित है। हर आदमी को काम मिले लेकिन बिक्री कर का जो नया अमेन्डमेंट आ रहा है उसके मेटीरियल पर दो पर्सेन्ट सैल्स टैक्स है जब कि हिन्दुस्तान में कहीं भी हैण्डलूम के सिलसिले में सेल्स टैक्स नहीं है। इन हाई काम्पटीशन राजस्थान का हैण्डलूम उद्योग किस तरह पनप पायेगा, काम्पटीशन में किस तरह खड़ा हो सकेगा इस ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

(4.20 म. प.)

(श्री प्रद्युम्न सिंह, सभापति, पदासीन)

श्रीमन्, मैं एक बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं पूरे राजस्थान में सरकारी मकान बहुत कम हैं। मैं समझता हूं लाखों रुपये के हम किराये के मकानों में सरकारी कार्यालय, ऑफिसर्स को रखते हैं, अगर एक दफा स्थाई तौर पर राजस्थान सरकार मकानों की व्यवस्था कर ले तो हर महीने लाखों रुपयों का होने वाला खर्चा बचेगा। और काफी लम्बी बचत हम कर पायेंगे। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को काफी अच्छा पैसा भारत सरकार से इस सिलसिले में मिलता है और राज्य सरकार भी उनकी सहायता करती है। वित्तीय साधनों की कमी नहीं है, सिर्फ इस तरह की व्यवस्था हम कर सकते हैं कि जो स्थायी हमारे घाटे की पूर्ति में एक साधन बन जाय।

इसी तरह फेमिन में काम काफी हुआ, अच्छा हुआ। यह सही है कि पिछली सरकार ने कई दफा राजनीतिक कारणों से किया। सरपंचों के खिलाफ शिकायतें आयीं, कई तरह की शिकायतें थीं, कई दफा बलात्कारों की बात सदन में बड़े जोरों से उठायी जाती हैं और उठायी भी जानी चाहिए इसमें दो राय नहीं है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली राज्य सरकार के शासन काल में एक सरपंच के विरुद्ध तस्दीकशुदा और मंजूरशुदा मामला था कि हां मैंने कोशिश की बलात्कार की और मैं नाकामयाब रहा। मैं 251 रुपये दण्ड का देता हूं। वह फाइल डेढ़ साल दबा कर रखी गयी, उसमें फैसला नहीं हुआ। आज वह फाइल माननीय हमारे जो नये विकास मन्त्री जी हैं उन्होंने देखी तो उनको भी काफी आश्चर्य हुआ। तो यह भ्रष्टाचार के सारे रीजन बने। सरपंचों के खिलाफ जो जो शिकायतें आयीं, और कार्यवाहियां नहीं हुईं उसके नतीजे से ही भ्रष्टाचार हुआ। जिसके खिलाफ चार्जेज नहीं थे, पुराने चार्जेज थे, नये चुनाव हुए, वह सस्पैण्ड हुए। बहरहाल गवर्नर रूल में यह गलती सुधार दी गयी। लेकिन आज फेमिन के अन्दर इतना पैसा लगा करके जो काम करवाये गये, जो काम हुए वे काम करीब-करीब कई जगह अधूरे पड़े हैं। मैं समझता हूं कि फेमिन आगे-पीछे 10 दिन, 15 दिन में समाप्त होगा लेकिन मेरा निवेदन यह है कि अगर फेमिन के उन कामों को हमने अधूरा छोड़ा, थोड़ी-थोड़ी जहां-जहां भी कमी है, अगर उसको पूरा नहीं कराया तो जो पैसा फेमिन में लगा है खास तौर से सड़कों पर वह सारा पैसा निरर्थक जायेगा। एक-दो-तीन बारिश में बह जायेगी। नतीजा यह होगा कि दोबारा फिर कान्स्टीट्यूएन्सीवाइज पूरे राजस्थान में मांग होगी, फिर पैसा

(श्री केसरीचन्द चौधरी)
लगाना पड़ेगा। इसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फेमिन के जो काम अधूरे हैं वे पूरे करवाये जायें।

इसी तरह मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं पर्यटन की तरफ राजस्थान में बदकिस्मती से कुछ नियुक्तियां अफसरों की ऐसी होती हैं कि जिनमें काबलियत के एवज अन्य चीजों की तरफ ज्यादा ख्याल रखा जाता है। उसमें सम्भवतः पर्यटन विभाग भी है। बहरहाल नतीजा उसका यह है कि पीछे 3 साल में कोई तरक्की नहीं कर पाये हम। पांच साल की शैशवावस्था उसकी कुल ही है। आज अगर पूरे राजस्थान में होटल का अच्छा चयन और श्रृंखला शुरू हो जाय, जिससे राजस्थान के वित्त पर भी कोई असर नहीं पड़े तो स्थायी तौर पर आज नहीं, बल्कि 10-20 साल में भी आमदनी बढ़ जायेगी और उसका लाभ आगे भी होता जायेगा। राजस्थान में आप देखें कि सारे राज्यों में सबसे ज्यादा दर्शनीय स्थल हैं। यहां पर्यटन से घाटे की पूर्ति होती जायेगी। टूरिस्ट लोग यहां आने में इन्ट्रेस्टेड हैं। आप सर्वे करवा लीजिए। अगर आप के यहां अच्छे साधन हों तो उससे भी टूरिस्टों को बढ़ावा मिलेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मुझे जो यहां आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी !

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (कोटा) : माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने बजट ...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बातें नहीं आपस में।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इस वर्ष का प्रस्तुत किया उसके पहले बड़ी आशायें थीं कि शायद विकास की दृष्टि से बजट के बारे में बहुत सोच-विचार कर बहुत कुछ उसमें देंगे। इस बजट सत्र के प्रारम्भ के दिनों में और बजट जब आया, इसके बीच में जो कुछ दिन का अवकाश था, प्रकाशित पत्रों में, अखबारों में लगातार पढ़ने को मिलता था, माननीय मुख्य मन्त्री महोदय एक-एक करके राजस्थान की आवश्यकताओं को लेते हुए केन्द्रीय सरकार को पत्र लिख रहे हैं। शायद 5-6 दिन तक लगातार इस प्रकार का आता रहा। कभी सीमेन्ट का विषय हो, या किसी और वस्तु का उन खबरों को पढ़ने से ऐसा लगता था कि माननीय मुख्य मन्त्री महोदय जिस समय बजट प्रस्तुत करेंगे, जयपुर से आकर दिल्ली बैठकर लगातार पत्र लिख कर केन्द्रीय सरकार से जो निवेदन वे कर रहे हैं हमने सोचा शायद वे राजस्थान में विकास की गंगा बहा देंगे। किन्तु, माननीय सभापति महोदय, जो बजट प्रस्तुत किया गया है, अब इस बजट को विशेषण दूं तो यह बजट प्रतिगामी बजट है, यह बजट ग्रामीण विकास की गति को अवरुद्ध करने वाला बजट है, यह बजट अप्रत्यक्ष करारोपण से जनता की कमर को तोड़ने वाला बजट है। इन तीन संज्ञाओं से इस बजट को विभूषित कर रहा हूं, मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करूंगा, इस बजट का पूरा स्वाध्याय हम आज करें।

माननीय सभापति महोदय, आपने अभी यह चर्चा जरूर की थी कि 7.48 का

(118)

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

घाटा छोड कर पुरानी सरकार, कांग्रेस की सरकार उस समय गयी थी, किन्तु वह घाटा तो उसके पहले वर्ष का था। नया बजट जो बनाया था, उस सरकार ने, उसमें 67-78 करोड़ का घाटा और था। 2.54 करोड़ रुपये की आकस्मिक निधि उसमें और जोड़ दी गयी थी और इस तरह जब जनता पार्टी सरकार शासन में आयी, 77.80 करोड़ रुपये उस स्थिति में आकर राजस्थान की ...

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री चन्द्रवीर सिंह (जैसलमेर) : सभापति महोदय, एक भी मन्त्री इस समय सदन से मौजूद नहीं है, कैबिनेट स्तर का।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य! कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

व्यवस्था का प्रश्न

आय-व्ययक पर वाद-विवाद के समय मंत्रियों की अनुपस्थिति

श्री राजबहादुर : बैंच में एक भी सदस्य नहीं है, यह सरकार की उदासीनता का नमूना है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): सभापति महोदय, हम यहां बजट पर डिस्कशन कर रहे है और ये मौन बैठे हैं। जो मन्त्री यहां बैठे हुए हैं, वह हाथ पर हाथ रख कर बैठे हैं, बजट अपना है, यह माने बैठे हैं।

श्री सभापति : आपसे निवेदन करूंगा, माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री सुखलाल सेंसचा (रायपुर): सभापति महोदय, मन्त्री महोदय बैठे हैं। अकेले नन्दलाल जी बैठे हुए थे, जब राज्य मन्त्री थे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मन्त्रिमण्डल के दो दो सदस्य मौजूद हैं। आप देखिये। कृपया शान्ति रहिए और आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मुख्य मन्त्री जी को बुलाइये।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापतिजी, मेरा ऐसा अनुभव है कि जब कभी भी जो भी उप मन्त्री यहां पर रहते हैं और माननीय सदस्य जो भी बोलते हैं वे बड़े ध्यान से बात को सुनते हैं और लिख कर प्रभारी मन्त्री के पास भिजवा देते हैं। माननीय सदस्य कोटा से आने वाले जो भी बात कहेंगे, उसमें से कोई भी बात लिखी जाने से नहीं रहेगी और बजट की सामान्य बहस पर जब हमारे मुख्य मन्त्री उत्तर देंगे उससे पहले आपके सभी पॉइन्ट उनके पास चले जायेंगे। जितनी बात ये ध्यान से सुनेंगे, उतने ध्यान से आगे की बैंच पर बैठने वाले दोनों मन्त्री कभी भी सुनने वाले नहीं हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : मानीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सदन का समय व्यर्थ में बर्बाद कर रहे हैं। माननीय सदस्य प्रारम्भ करें।

श्री बाऊदयाल जोशी . एक आध बार ताड़ना तो दीजिए।

आय-व्ययक 1980-81 पर वाद-विवाद

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था 1977 में जब शासन कांग्रेस ने छोड़ा उस समय 77.80 करोड़ आर्थिक, वित्तीय विश्रृंखलता की दृष्टि से स्थिति थी। नया बजट और प्रस्तुत किया गया है। इस बजट के बाद वर्ष के अन्त में 85.05 करोड़, आय 77-80, का घाटा रह जाएगा। ओवर ड्राफ्ट 85.05 करोड़ का रह जायगा। यानि मैं इस सरकार को संज्ञा दूं तो this is over draft heavy over draft Government; भारी भरकम ओवर ड्राफ्ट की सरकार यह है। पहले भी रही, अभी भी उसी स्थिति में है।

माननीय सभापति महोदय, ढाई वर्ष का थोड़ा सा समय हमको मिला था। धीरे धीरे से करते ओवर ड्राफ्ट कम हुआ। जब ओवर ड्राफ्ट की बात को आप देखेंगे तो इस बात को भी देखेंगे कि जब गत मार्च में शायद पार्लियामेंट में अपने यहां का बजट प्रस्तुत किया गया था उस समय केवल मात्र ओवर ड्राफ्ट 11.09 करोड़ का था...

श्री रघवीरसिंह कौशल : तकलीफ क्या हो रही है, बीच में क्यों बोलते हो।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण कीजिए, माननीय सदस्य। आपस में बातें नहीं करें।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : विपक्ष के माननीय सदस्य बार बार हमारी तरफ देख कर कहते हैं और हम सभापति हैं नहीं। क्या हम सभापति हैं कि हमें देख कर बोलते हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आप बैठ जाइये, माननीय सदस्य।

श्री नानूराम : माननीय सदस्य अगर हमारी तरफ देख कर बोलेंगे तो फिर हमको जवाब देना पड़ेगा...

(व्यवधान)

श्री सुखलाल सेंणचा: सभापति महोदय, उनके भैरोंसिहजी जब बोलते हैं तो हम उनकी बात सुनते हैं लेकिन हमारे नन्दलालजी अगर हमारे भैरोंसिहजी को छेड़ेंगे तो हम भी छेड़ेंगे। अगर हमारे भैरोंसिहजी के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे तो हम भी उनके भैरोंसिहजी के साथ छेड़खानी नहीं करेंगे।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री नानूराम : इन्होंने चौराहों पर भाषण दिये हैं, मेहरबानी नहीं की है किसी पर...

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। No interruption, please carry on.

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि आय थी जब 77.80 करोड़ और फिर दुबारा वही सरकार बनी तो 88.05। अभी जैसे मैंने निवेदन किया था कि दस मार्च को बजट जब प्रस्तुत किया गया था पार्लियामेंट में विधान सभा का तब 11.99 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट था और अब इस बजट के अन्त में कहा गया है कि 85,05 करोड़ का ओवर ड्राफ्ट बन जाएगा। डेफिसिट फाइनेंसिंग मिटाना मुश्किल है ... ..

(व्यवधान)

श्री सभापति : क्या कहना चाहते हैं, माननीय सदस्य।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य ओवर ड्राफ्ट और घाटे की रकम को बराबर इक्वेट करते जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। ओवर ड्राफ्ट अलग है और घाटे की बात अलग है।

श्री शिवचरण माथुर : अनफिल्ड गैप रह गया और उसी को आप ओवर ड्राफ्ट कह रहे हैं। साल भर के एण्ड में जो गैप रह जाएगा वह ओवर ड्राफ्ट होगा।

(व्यवधान)

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इस वर्ष के अन्त में जब डेफिसिट फाईनेंसिंग के बाद रहेगा वह रहेगा जैसा कहा गया है 85.05 करोड़। तो, माननीय सभापति महोदय, इस बजट को मैं प्रतिगामी नहीं कहूं तो क्या कहूं। जब पार्लियामेंट में इकॉनोमिक रिव्यू, इकॉनोमिक सर्वे प्रस्तुत किया गया तो उसमें कहा गया है कि 20 प्रतिशत महंगाई इन चार महीनों में बढ़ी है। इस प्रकार की महंगाई बढ़ी है। जो बजट में आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, उसमें जो योजना का प्रावधान है वह 348.36 करोड़ है। आज हमको विचार करते समय यह देखना होगा कि जब इकॉनोमिक रिव्यू के अनुसार बीस पर्सेंट महंगाई बढ़ गई तो इस प्रकार से अगर 348.36 करोड़ में डिस्काउण्टेड वे में देखने की कोशिश करें तो हमको लगेगा कि यह 290.3 करोड़ ही है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि पिछले वर्ष के बजट के अनुसार, जो पिछले वर्ष का प्रावधान था 311 करोड़ का। 311 करोड़ का प्रावधान था योजना के अन्तर्गत, अगर बीस पर्सेंट की महंगाई है, इकॉनोमिक रिव्यू के अनुसार जो सर्वे किया गया है, उसके अनुसार 290 करोड़ आया है तो 21 करोड़ रुपयों का प्रावधान इस वर्ष में कम किया गया है। यह प्रगतिशील बजट है या प्रतिगामी बजट है? यह विचार करने का प्रश्न है। आखिर योजनागत व्यय बढ़ेगा, जो निर्माण कार्य होंगे क्योंकि बीस पर्सेंट की वृद्धि हो गई है तो क्या अमाउण्ट आएगा।

मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से इसी दृष्टि से ग्रामीण विकास में जो योजनगत व्यय किया गया है उसकी भी चर्चा करना चाहूंगा। 492.09 करोड़ का यहां प्रावधान रखा गया है ग्रामीण विकास के लिए, जो ग्रामीण क्षेत्रों में लगेगा यदि इसको डिसकाउण्टेडवे में देखने की सोचने की

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

कोशिश करेंगे तो 410.07 करोड़ ही रह जाएगा। पिछले वर्ष का ग्रामीण विकास का बजट जनता पार्टी की सरकार में था वह 466 करोड़ का था। इस तरह से 56 करोड़ कम इस वर्ष रखा गया है। मैं इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि केवल यह कह देना कि 466 करोड़ से बढ़ कर 492 करोड़ हो गए, ग्रामीण विकास की योजना में और यह कह देना कि इस तरह से हमने योजना में प्रावधान बढ़ा दिया है तो इस नाते से देखने से काम नहीं चलेगा। सारे बजट को देखने से किस तरह से निर्माण होंगे, किस तरह से विकास होगा उस विकास में 20 पर्सेंट डिस्काउण्ट लगाना आवश्यक है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यह बजट प्रतिगामी बजट है। यह बजट प्रगतिशील बजट नहीं है। न केवल प्रतिगामी बजट है बल्कि ग्रामीण विकास का जो चक्र तेजी से घूम रहा था उसको अवरुद्ध करने वाला यह बजट है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके सामने कहना चाहूंगा कि 1978-79 में 327.67 करोड़ रुपये ग्रामीण विकास की प्रगति की दृष्टि से लगाए गए थे। उसमें कुल विकास का विनियोजन था यह 507 करोड़ का था। पर्सेन्टेज की दृष्टि से देखेंगे तो 64 पर्सेंट ग्रामीण विकास के लिए पैसा था। यह पहले वर्ष का 78-79 का था। अब दूसरे वर्ष में यानि 79-80 में 466 करोड़ रुपया लगा ग्रामीण विकास की योजनाओं पर और जो टोटल विकास का विनियोजन था वह था 668.79 करोड़ और पर्सेन्टेज हो गया 69। पहले वर्ष में 64 पर्सेन्ट और दूसरे वर्ष के अन्दर 69 पर्सेन्ट। अब जो आपके द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें आप देखेंगे कि 492 करोड़ का खर्चा करेंगे और कुल विकास का विनियोजन होगा 848 करोड़ रुपया जिसका पर्सेंटेज रह गया 58 पर्सेन्ट। पहले वर्ष में 64 पर्सेंट, दूसरे वर्ष में 69 पर्सेंट और अब आता है 58 पर्सेंट। यही आपका प्रगतिशील बजट है ? यह प्रतिगामी बजट है शायद वित्त मंत्री महोदय ने, मुख्य मन्त्री महोदय ने इस नाते से देखने की कभी कोशिश नहीं की। ग्रामीण विकास पर टोटल विनियोजन, कितना खर्चा होना चाहिए इस नाते से कभी देखने की कोशिश नहीं की गई। बड़ी जबरदस्त बात बजट में कही गई है। सबसे बड़ी बात है प्रति व्यक्ति आय क्या रही है और क्या हो जाती है। इसकी चर्चा की गई है इसमें। मुख्य मन्त्री ने बताया कि 1976-77 में प्रति व्यक्ति औसत आय 316 रुपये थी 77-78 में घट कर 311 रुपये हो गई। यह आपातकाल के अनुशासन का परिणाम है। 76-77 में 316 रुपये और 77-78 में 311 रुपये। आपातकाल का जो परिणाम देखा, जो निर्णय हुए उसमें घट कर प्रति व्यक्ति आय यह हुई, जिसे अनुशासन का वर्ष कहा जाता है जिसे अनुशासन युग कहा जाता है, उसमें यह हालत है। जनता पार्टी के राज में 78-79 में, आपके डाक्युमेन्ट कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय बढ़ कर हो गई 321 रुपये। फिर आया पिछले साल का भयानक अकाल। लिखा हुआ है कि प्राकृतिक प्रकोपों के कारण घट कर 276 रुपये हो गई। 80-81 में, मुझे कष्ट के साथ कहना पड़ता है, कितनी प्रति व्यक्ति आय होगी, क्या प्रयास किया जायेगा ? कौनसी बात होगी, कितनी बढ़ायेंगे,

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

कौनसी दिशा होगी ? कोई दिशा इंगित करने की कोशिश नहीं की गई है। यह बजट का मुख्य अंग है, जिस पर विचार करने की आवश्यकता है। नहीं तो प्रतिगामी बजट में इस बात को कहने की क्या आवश्यकता है ?

माननीय सभापति महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया, विकास के चक्के को उल्टी दिशा में ले जाने वाला बजट है। राजस्थान नहर पर 79-80 में 32.75 करोड़ रुपये का प्रावधान था, मैं गलती स्वीकार करता हूं कि पूरे प्रावधान को हम खर्च नहीं कर सके, क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति थी, जैसी आवश्यकता थी, हो सकता है आप उस कमी को पूरा कर दें, किन्तु जो प्रावधान था वह था 32.75 करोड़ रुपये का। अब वह रखा गया है, 31 करोड़ रुपये का। यह कौनसी दिशा है ? अगर इस 31 करोड़ को उस 20 प्रतिशत के हिसाब से घटाने की कोशिश करूं तो यह कौनसी प्रतिगामी दिशा होगी, इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

माही परियोजना पर 79-80 में 8 करोड़ रुपये का प्रावधान था, इस बार 7.55 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

लघु सिंचाई निर्माण कार्यों में 79-80 में 7.95 करोड़ रुपयों को व्यय करने का प्रावधान था, इस वर्ष 6.50 करोड़ खर्च करने का प्रावधान है।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सिंचाई बड़ी प्रमुख है। सिंचाई इस देश की रीढ़ की हड्डी है। 20 प्रतिशत का हिसाब लगायेंगे तो पता नहीं कहां पहुंच जायेंगे। फिर विकास भी होगा या नहीं होगा। हर बार, हर साल जो एडवांस होता है, उस स्थिति में एडवांस की जो स्थिति होती है जो खर्चा पहले किया है उसको बढ़ाने के लिये और खर्चा करना पड़ता है। ये सारे आंकड़े कौनसी दिशा पेश करते हैं। अब प्रदेश को सिंचाई में कितना पीछे ले जाना चाहते हैं ? माननीय सभापति महोदय, पूरा जब देखने को मिला, 79-80 में सिंचाई के लिये हमने 65.83 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था। आपने इसमें 78 करोड़ रुपये का किया है। इसमें आपने रखा है स्वयं, 70 लाख रुपये की तो एस्टेब्लिशमेंट कास्ट में वृद्धि हो जायेगी। अगर इसको देखने की कोशिश करें तो केवल 3-4 करोड़ रुपया बढ़ेगा। 20 प्रतिशत महंगाई के संदर्भ में इस बात को देखने की कोशिश करें तो मेरा आरोप है, मेरा कहना है, मेरा निवेदन है, प्रतिगामी बजट इस प्रदेश को कौनसी दिशा देगा, इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

गंगानगर जिले में तो आज कांग्रेस के भाई जीते हैं। गंग नहर की अवस्था नहीं देखी आपने। आज से चार दिन पहले छपा है कि सात दिन के लिये गंग नहर बन्द हो गई है। टूट गई है। पिछली सरकार ने पिछले वर्ष 60 लाख रुपये का प्रावधान रखा था, यह बजट मेरे पास है, इसमें एक कौड़ी का भी प्रावधान गंग नहर के माडर्नाईजेशन, सुधार के लिए नहीं रखा गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं सारे सदन को, गंग नहर सारे राजस्थान की आर्थिक दृष्टि से एक रीढ़ की हड्डी है। अवस्था उसमें इस प्रकार की है, यह स्थिति बनी है। मेरी यह विनम्र अपीलें

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)
चिकित्सा मन्त्री महोदय के मार्फत वित्त-मन्त्री तक पहुंच जाय, मुख्य मन्त्रीजी तक पहुंच जाय इस गंग नहर के साथ खिलवाड़ न करें। यहां तो राजनैतिक रूप से भी आप जीतें, कुछ तो प्रावधान करें। ऐसा दिशाहीन, बिना सोचा बजट है, जिस गंग नहर के टूट जाने के बाद, जिसकी दशा आज अभी चार दिन पहले अखबार में देखने को मिली है कृपा करके इस पर प्रावधान करने की कोशिश करें, यह बहुत आवश्यक है। इस आवश्यकता को पूरा करने की जरूरत है।

माननीय सभापति, मैं बिजली की दृष्टि से भी कुछ कहना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : मैं भी कुछ कहना चाहता हूं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं बैठ जाऊं, इनको बहुत कष्ट होता है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया बात न करें आपस में। माननीय सदस्य, व्यवधान उपस्थित न करें। जारी रखें आप।

एक माननीय सदस्य : इनकी बात वापस कह रहे हैं। कांग्रेस का बजट तो अभी आया है। पहले जनता पार्टी का बजट था। यह जो असत्य बात कह रहे हैं, इसलिये कह रहा हूं।

श्री सभापति : आप बोलने का अवसर प्राप्त कीजिये। कृपया जारी रखें। कृपया बीच में व्यवधान उपस्थित न करें।

एक माननीय सदस्य : उनको जोश आ जाता है।

श्री सभापति : ऑर्डर ऑर्डर। माननीय सदस्य, जारी रखें। व्यवधान न करें। ऑर्डर प्लीज।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, मैं बिजली के विषय में निवेदन कर रहा था। 79-80 में 115.27 करोड़ का प्रावधान रखा गया था। बिजली निश्चित रूप से निर्माण के लिये सभी दृष्टि से आवश्यक है। 3.94 करोड़ की वृद्धि इसमें की गई है। कहने को हो गया 3.94 करोड़। किन्तु आर. एस. ई. बी. की दूसरी स्टेज ला रहे हैं आप, इसमें ट्रांसमिशन लाइन आपको खड़ी करनी पड़ेगी, पलाना की चर्चा की गई है कि इसको आगे लेना पड़ेगा। मेरे मन में संशय है, मैं प्रकट करना चाहता हूं कि कहीं ऐसा न हो कि इस वर्ष के बाद जब हमें दूसरे बजट के समय या राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय मिलने का मौका मिले तो पलाना आज जिस स्थिति में है उसी स्थिति में मिले। कोटा थरमल सैकिण्ड स्टेज जिस स्थिति में है, उसी स्थिति में मिले। माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय, इस बात को जरूर मुख्य मंत्रीजी तक पहुंचा दें। यह प्रावधान किया है आपने बिजली में। यह किसी दृष्टि से किसी बात को पूरा करने की दृष्टि से न जनरेशन की दृष्टि से, न ट्रांसमिशन की दृष्टि से ठीक नहीं है। बजट में बड़ी जोरदार बात कही है। बजट का तरीका 2-4 जगह बड़ा जोरदार कहा गया है। "आज से आने वाले 12 महीनों में" मतलब क्या इस सरकार ने सोच लिया है कि बजट सदा इसी तरह 12 महीनों के बाद अब रखा है वैसे ही रखेंगे। यह कौनसा तरीका है।

(१२४)

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

बजट प्रस्तुत करते समय उस बजट ईयर की सारी चर्चा करते । किन्तु डर लगता था, आंकड़े लगेंगे, बिजली का कितना विस्तार होगा, कुओं का कितना विस्तार होगा, गावों का कितना विस्तार होगा तो लगेगा सामने-सामने, इसलिये उसको गोल-मोल रखने की कोशिश की है । मुझे याद आता है, एक बार जैसे घंटाकर्ण था, जो अच्छी बात पर कान हिलाता था, इसलिये बिजली के आंकड़े मैं नहीं रखूंगा, जब मैंने कहा, लोगों को बड़ा कष्ट होता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, वह आंकड़े स्पष्ट थे । उन 12 महीनों की चर्चा करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है । आज रखते, मैं तो चाहता हूं, मेरा निवेदन है, 31 मार्च, 1987 तक राजस्थान के कोने-कोने में.........

श्री सूरजपाल सिंह: आप नेताओं के अभिनेता बन गये ।

श्री सभापति: ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ।

एक माननीय सदस्य: आप चिकित्सा मंत्री महोदय से निवेदन चिकित्सा के लिये कर रहे हैं क्या ?

श्री सभापति : Please sit down कृपया आपस में बात न करें ।

एक माननीय सदस्य: वह पावर हाउस की चिकित्सा करने के लिये कह रहे हैं ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : ढाई वर्ष में कुए 73-74, हजार हुए, 3986 गांव अभी चर्चा की गई है, इसमें 1800 गांवों की चर्चा की गई है । हम फरवरी में चले गये थे । पिछले वर्ष में हम एक वर्ष में 2700 गांव कर चुके हैं ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें । मैं आपको कई दफा कह चुका हूं । आप व्यवधान उपस्थित न करें ।

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : मैंने पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर कहा, श्रीमन्, जब तक वह नींद से जग चुके थे ।

श्री सभापति : आप स्थान ग्रहण कर ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : पिछला वर्ष तो अकाल का था । उससे एक वर्ष पहले 2,700 गांव विद्युतीकृत किये जा चुके हैं । यह आंकड़े दिये गये 1,800 गांव के । मैं चर्चा नहीं करूंगा । इससे बहुत से माननीय सदस्यों को कष्ट होता है । विद्युतीकरण जो गतिमान हुआ था, गतिशील हुआ, जो विकास का चक्का चला था, वह शायद बहुत कष्ट देने वाला है । उससे इस प्रकार की बातें लगती हैं कि चर्चा नहीं करना चाहते हैं, चर्चा करते हैं तो कहते हैं, खम्भे खड़े हैं, तार खिंच गये, कनेक्शन नहीं मिले । इनक्वायरी करिये, कोई तकलीफ नहीं है। अफसरों को Let them take into task ये तो आंकड़े हैं, इस प्रकार की बातें उसमें लिखी हुई हैं । मेरा कहना है कि उसमें जितने गांव दिये हैं, जितने कुए दिये हैं, निश्चित रूप से हुए हैं, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है ।

स्कूलों की चर्चा मैं नहीं करना चाहता । यह बड़ा दुखद विषय है । 600 प्राइमरी

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

स्कूल ? मुझे कुछ नहीं कहना है मिडिल, सैकण्डरी या हायर सैकण्डरी के लिए। राजस्थान का हर नागरिक विकास में भागीदार बने यह तभी संभव होगा जब कि कम से कम अक्षर ज्ञान राजस्थान के हर नागरिक को मिले। राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कहा है कि राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षा को सार्वजनीन बनाना चाहती है, यह राज्यपाल महोदय का भाषण है इसी वर्ष का। यह सारी जानकारी देने के बाद बजट में 600 प्राइमरी स्कूल खोले जायेंगे। मैं नहीं कहता हायर एजूकेशन के बारे में। एजूकेशन की ग्रांट आयेगी उस समय चर्चा करूंगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसकी आवश्यकता है, विकास में सारे लोगों को भागीदार बनाना है। चुनाव के समय शराब के लोभ से, रुपये के लोभ से वोट न दें, इसलिए आवश्यकता है, लोगों को अक्षर ज्ञान कराने की, शिक्षा देना जरूरी है। वह बिके नहीं इस लिए सार्वजनीन एजूकेशन, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजूकेशन की आवश्यकता है...

(व्यवधान)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं 200 की आबादी के 4 हजार गांव प्रदेश में ऐसे हैं जहां प्राइमरी स्कूल नहीं हैं। इसके लिए आप तीन साल के लिए योजना बनाइये। मैं आपसे निवेदन करना चहता हूं, मुझे कुछ कहना नहीं है। शिक्षा मन्त्री महोदय शिक्षा मन्त्रियों की बैठक में बैठेंगे दिल्ली में जाकर। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन होगा दिल्ली में तब यहां के शिक्षा मन्त्री जी जायेंगे और कहेंगे कि हमने 1200 स्कूल पिछले साल खोले थे, 600 स्कूल अब खोल रहे हैं। शर्म से उनका मस्तक झुक जायेगा, शर्म से प्रदेश का मस्तक झुकेगा। आज हम अंतिम पंक्ति में खड़े हैं, अन्त्योदय की दृष्टि से हम शिक्षा में हैं। हमारे शिक्षा मन्त्री जी यह रिपोर्ट देंगे कि 600 प्राइमरी स्कूल खोलने का तय किया है। इसे राजनैतिक इश्यू मत बनाइये। तीन साल में 4 हजार गांवों, जो 200 की आबादी वाले हैं, में प्राइमरी एजूकेशन पहुंच जाय, ऐसा विभाजन कीजिये। 1200 इस बार कीजिये, 1400 अगली बार लीजिये, 1400 फिर लेकर उन चार हजार गांवों में प्राइमरी एजूकेशन पहुंचाने की व्यवस्था कीजिये। It is a long policy. क्या करूं, मंत्री महोदय, बोलने का......

(व्यवधान)

यह एक ऐसा विषय है जिसमें वे शर्मिन्दा महसूस करेंगे। राजस्थान प्रदेश नीचा देखेगा। बजट में इस प्रकार 600 स्कूल खोलने का प्रावधान करना यह सारे बजट को एकबारगी देख कर बहुत ज्यादा आश्चर्यप्रद है।

जल प्रदाय योजना की चर्चा करते समय कहूंगा, 20 करोड़ का प्रावधान किया है और 2000 गांवों को पीने का पानी देंगे। एक लाख रुपया एक गांव पर, मेरा निवेदन है, यह कभी नहीं होगा। 3 लाख से कम एक गांव में पीने का पानी देने में नहीं लगते। किसने ये आंकड़े बनाये हैं ? किसने यह तय किया है ? किसने यह व्यवस्था की है ? अगर प्राबेबिलिटी का विचार नहीं है, अगर इसकी कोई व्यवस्था

(126)

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

नहीं है तो यह बिल्कुल, सरासर बजट में दिये आंकड़े गलत हैं। अगर 20 करोड़ आप खर्च करना चाहते हैं तो यह अंक 600 से 650 के ऊपर भी नहीं जायेगा। इसलिए आप प्रावधान बढ़ाइये। मैं चाहूंगा मुख्य मन्त्री महोदय, वित्त मन्त्री महोदय, जलदाय मन्त्री कोई हो वह तो है ही नहीं, मंत्री तो पहले से तीन हैं, कुछ उप-मन्त्री हैं काम करने का किस-किस को कितना समय मिलता है इस पर मुझे कुछ कहना नहीं है यह उनका आन्तरिक मामला है, जैसा चाहें वैसा करें, किन्तु जल प्रदाय विभाग निश्चित रूप से इस बात पर विचार करे कि 1 लाख रुपये में एक गांव में जल प्रदाय योजना बनाना संभव नहीं है। 20 करोड़ में तो 650 गांवों को जलदाय योजना मुहैया होगी।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आपस में चर्चा न करें।

श्री भैरू सिंह गुर्जर: माननीय सभापति महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्यों में भ्रष्टाचार पर बात चल रही है इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा...

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि इन आंकड़ों को सुधारा जाय। दो हजार गांवों की बात कहते हैं तो उसमें 60 करोड़ का प्रावधान होना चाहिये। इसके बिना नहीं होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आंकड़े तो सुन्दर हो जायेंगे, पहले 600 थे हमने 2,000 तक बढ़ा दिये किन्तु 20 करोड़ का प्रावधान किया है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

अब आप इसको रोजगार की दृष्टि से देखने की कोशिश करें। 78-79 में 13 हजार शिक्षित लोगों को रोजगार मिला, 79-80 में भी 1300 लोगों को रोजगार उपलब्ध, एवं 81 में केवल 1480 शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। हो सकता है आंकड़े ठीक रूप से नहीं लिखे गये हों, कुछ और संशोधन करना हो तो उसकी भी स्टडी कर लीजिये। यह बात सही है कि तीन वर्षों में ग्रामीण बेरोजगार लोगों की कुल संख्या बढ़ी है। जब यह ग्रामीण बेरोजगारी का सवाल आया तो मैं इस बात से सहमति प्रकट करता हूं कि आज जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, बंबार्डमेंट ऑफ दी पॉपुलेशन है, इसको नहीं रोका गया तो कोई भी योजना किसी भी दृष्टि से सफल नहीं हो सकती। यह बात सच है कि किसी भी जोर जबरदस्ती से परिवार नियोजन की आवश्यकता नहीं है। किन्तु आप इनीसियेटिव लें, कोशिश करें ताकि बम्बार्डमेंट ऑफ पॉपुलेशन है वह कम हो और कम होने के बाद आगे की योजना, आगे की प्रगति सफल हो जाय, इसलिए रोजगार से उसे जोड़ने की आवश्यकता है। इसलिए जो आज परिवार नियोजन की दृष्टि से पैसा दिया है उसको भी बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं किसी प्रिटेक्स्ट से विचार की जरूरत नहीं समझता इसलिए मैंने इसे आपके सामने रखने की कोशिश की है।

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

माननीय सभापति महोदय, बैंकों के विस्तार का कोई कार्यक्रम नहीं इसमें दिया गया है। पिछले तीन वर्षों में बैंकों की शाखाओं का जो राजस्थान में हुआ, राजस्थान के कोने-कोने में विस्तार हुआ, छोटे-छोटे गांवों में बैंकों की शाखाएं पहुंची हैं, स्पष्ट संकेत हैं इस नाते से कोई भी आंकड़े बैंकों का विस्तार करने की दृष्टि से, पैसा देने की दृष्टि से, बैंकों को बढ़ाने की दृष्टि से क्या योजना है इसका कोई स्पष्ट उल्लेख इस बजट में नहीं किया गया है। इसको करने की आवश्यकता है।

एक बहुत बड़ी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं। मैंने प्रारम्भ में निवेदन किया था यह ग्रामीण विकास को अवरुद्ध करने वाला बजट है। जब हम आये थे तब हमको विरासत में मिले थे छः जिले, जहां लघु कृषकों और सीमान्त कृषकों को सब्सिडी सहायता दी जाती है। 25 प्र. श. सीमान्त और 22 प्रतिशत लघु कृषकों को दी जाती थी। जब कि इन ढाई वर्षों में छः से बढ़ कर छब्बीसों जिले कवर हो गये थे। प्रदेश की प्रगति, किसानों की प्रगति, लघु कृषकों और सीमान्त कृषकों की प्रगति से संभव होगी। मैं कष्ट के साथ कहना चाहता हूं लघु कृषकों और सीमान्त कृषकों के लिये एक कौड़ी का भी प्रावधान इस बजट में नहीं रखा गया है। न कोई ग्रामीण विकास हुआ। मैं कहना चाहता हूं यह किसान विरोधी बजट है। क्या करना चाहते हैं, कहां ले जाना चाहते हैं, कौनसी दिशा देना चाहते हैं? कौनसा स्पष्ट उल्लेख करना चाहते हैं? मेरी बात मैं आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं मुख्य मन्त्री जी और वित्त मन्त्री जी को।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप अपने दल के समय को ध्यान में रख कर बोलें। आपने आलरेडी 30 मिनट से अधिक ले लिये हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : बीच में व्यवधान होता रहा है, सभापति महोदय।

श्री सभापति : आप दो मिनट में समाप्त करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसलिये मैंने आपसे निवेदन किया बजट में इसका कोई उल्लेख नहीं है। अगर यह सब जगह प्रसारित हो गया, प्रदेश के किसानों को, छोटे किसानों को, सीमान्त कृषकों को इसको पढ़ने का, अध्ययन करने का, सुनने का मौका मिला तो वे अपना माथा ठोक कर रह जायेंगे। किसी भी दृष्टि से यह उचित नहीं है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, मुख्य मन्त्री जी का तो पता ही नहीं है, दो दिन हो गये वित्त मन्त्री महोदय हैं, कभी कभी तो बैठा करें, यह आवश्यक है जैसा अभी भरतपुर से आने वाले राज बहादुर जी ने कहा था।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपका भाषण बहुत सुन्दर है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं इन्स्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग, संस्थागत व्यय की कोई चर्चा नहीं है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। आप कितना समय और लेंगे?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं 5-7 मिनट और लूंगा।

(128)

श्री खेतसिंह राठौड : आज आपने 35 मिनट ले लिये। कल फिर समय लेना चाहते हैं। यों मत कीजिये।

श्री सभापति : आप, माननीय सदस्य, काफी समय ले चुके हैं, आप दल के समय को ध्यान में रख कर बोलें।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय सभापति महोदय !

श्री खेतसिंह राठौड : आपने जितनी बातें कही हैं उनका जवाब भी तो देना है।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल दिनांक 1 अगस्त, 1980 के 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. 5.00 बजे शुक्रवार दिनांक 1 अगस्त, 1980 के म. पू. 11.00 बजे तक स्थगित की गई)

परिशिष्ट—1

तारांकित प्रश्न संख्या 222 की सूची

राजस्थान सरकार

वित्त (ग्रुप-4) विभाग

सूची

	कुल पद	रा. प्र. से.	रा. वा. क. सेवा
1. उप आयुक्त	16	12	4
2. वाणिज्यिक कर अधिकारी (व.वेतन श्रृंखला)	6	–	6
3. वा. कर. अधिकारी (क. वेतन श्रृंखला)	56	13	43

परिशिष्ट—2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

बीकानेर नगर में खाद्य पदार्थों में मिलावट के कारण बच्चों की मृत्यु

226 श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर नगर में गत छः महीनों में खाद्य पदार्थों में मिलावट के कारण कितने बच्चे मौत के शिकार हुये हैं ?

(2) मिलावट के उक्त मामलों की जांच के परिणामस्वरूप कौन-कौन व्यक्ति दोषी पाये गये थे ? कृपया दोषी व्यक्तियों की सूची मय पते के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उक्त मामलों में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या मृतकों के परिवारजनों को कोई मुआवजा भी दिया गया है ? यदि हां, तो किन किन को, कितना कितना, और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) खाद्य पदार्थों में मिलावट के कारण किसी की मौत की जानकारी राज्य सरकार को नहीं हैं।

(2) कोई नहीं।

शेष प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(4) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

रामगंज मंडी तहसील में जे. के. सीमेन्ट फैक्ट्री की स्थापना

227. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि रामगंज मंडी तहसील में जे. के. की सीमेन्ट फैक्ट्री लगने जा रही है और फैक्ट्री वाले अमरपुरा आदि अनेक गांवों के किसानों की जमीन खोद कर फसलें बेकार कर रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार कृषकों की भूमि की रक्षार्थ क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

जी नहीं। ऐसी कोई अनुमति अभी तक राज्य सरकार द्वारा जे.के. सीमेन्ट फैक्ट्री को रामगंज मण्डी तहसील में नहीं दी है। रामगंज मण्डी में प्रोस्पेक्टिंग (सर्वेक्षण) करने हेतु ग्राम अमरपुरा में लगभग 10×2 1/2 वर्ग फीट भूमि खोदी गई थी जिसे काश्तकारान से आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर बन्द करा दिया है।

जयपुर से बाहर क्रियाशील राजस्थान विश्वविद्यालय के विभाग

228. श्रीमती उजला अरोड़ा : (जयपुर ग्रामीण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय के कितने विभाग जयपुर से बाहर हैं ? सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या भू-गर्भ विज्ञान का विभाग उदयपुर में है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है तथा क्या सरकार उक्त विभाग को जयपुर लाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(शिक्षा मन्त्री)

उत्तर

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय की भू-गर्भ विज्ञान विभाग की केवल स्नातकोत्तर कक्षाएं एवं शोध कार्य उदयपुर में है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। भू-गर्भ विज्ञान का विभाग उदयपुर में है। विश्वविद्यालय की एकेडेमिक कौन्सिल द्वारा नियुक्त कमेटी की सिफारिश पर भू-गर्भ विज्ञान विभाग उदयपुर में स्थापित किया गया था। इस विभाग को जयपुर लाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

सूची

भू-गर्भ विज्ञान विभाग।

ग्राम कुड़की स्थित मीरा मन्दिर का जीर्णोद्धार

229. श्री सुखलाल सेणचा (रायपुर): —क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मीरा की जन्म स्थली ग्राम कुड़की तहसील जैतारण में अवस्थित मीरा का मन्दिर जीर्णशीर्ण अवस्था को पहुंच गया है ?

(2) क्या सरकार ग्राम कुडकी, जो धार्मिक स्थल पुष्कर से 18 किलोमीटर दूर है, वहां मीरा मन्दिर का जीर्णोद्धार कराने के साथ उक्त स्थली को पर्यटन स्थल घोषित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, नहीं।

सरमथुरा क्षेत्र में पुलिस कार्मिक वृन्द की सुरक्षा व्यवस्था

230. श्री शिवसिंह (बाड़ी): क्या गृह मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे:—

क्या सरकार ने सरमथुरा क्षेत्र, जहां एक माह में दो पुलिस उप-निरीक्षकों को डकैतों द्वारा गोली से उड़ा दिया गया है, में कोई ठोस सुरक्षात्मक प्रबन्ध किया है ? यदि हां, तो क्या और नहीं तो अब कब तक पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जावेगी ?

उत्तर

जी हां। थाना सरमथुरा एवं आस-पास के क्षेत्र में इस घटना के बाद एक आर. ए. सी. कम्पनी एवं पुलिस के विशेष सशस्त्र दल तैनात कर दिये गये हैं जो कानवाय प्रणाली से निम्नानुसार वाहनों पर नियंत्रण करते हैं।

(1) एक सशस्त्र दल रात्रि के 8 बजे से प्रातः 5 बजे तक बरेठा से धौलपुर तक एवं पार्वती नदी से चम्बल नदी तक 25 किलोमीटर तक की हद से मुख्य सड़कों पर वाहनों को सुरक्षित पहुंचाने में मदद करते हैं। बाड़ी-बसेड़ी मार्गों पर अन्तिम बस में सशस्त्र गार्ड भी चलती है।

(2) दूसरा सशस्त्र गश्ती दल रात्रि के 9 बजे से प्रातः तक धौलपुर से सरमथुरा रोड़ पर गश्त करता है।

(3) इसके अलावा भरतपुर-आगरा, भरतपुर-मथुरा, भरतपुर-जयपुर राज्य मार्गों पर हाईवे पेट्रोलिंग हेतु विशेष गश्ती दल नियुक्त किये हुए हैं।

(132)

(गृह मन्त्री)

(4) आर. ए. सी. के जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है। बदमाशों एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बार-बार दबिश आयोजित की जाती है।

प्रौढ़ शिक्षा से उपलब्धि

231. **श्री शिवराम शर्मा** (बनीपार्क): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में प्रौढ शिक्षा पर पिछले दो वर्षों में कितना धन खर्च किया गया तथा किन संस्थाओं के माध्यम से ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) प्रौढ शिक्षा से कितने व्यक्तियों को रोजगार के काबिल बनाया गया तथा कितने व्यक्ति प्रौढ शिक्षा प्राप्त करके रोजी कमाने लगे, एवं किस सीमा तक लक्ष्यों की प्राप्ति हुई ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राज्य में प्रौढ शिक्षा पर दो वर्षों में 1,42,43,920 रुपये खर्च हुये हैं। संस्थावार, जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) प्रौढ शिक्षा का उद्देश्य प्रौढों को साक्षर बनाना तथा सामाजिक चेतना, शोषण के विरुद्ध जागरूकता उत्पन्न करना है।

राजस्थान में प्रौढ़ शिक्षा के अन्तर्गत वर्ष 1978-79 एवं 1979-80 के व्यय का अलग-अलग संस्थावार निम्नानुसार है

क्रम सं.	संस्था का नाम जिलेवार	78-79	79-80
1	2	3	4
	जिला बूंदी		
1.	जिला शिक्षा अधिकारी, बूंदी	78,541	3,88,065
	जिला डूंगरपुर		
2.	जिला शिक्षा अधिकारी, डूंगरपुर	56,649	3,17,247
	जिला बांसवाड़ा		
3.	जिला शिक्षा अधिकारी, बांसवाड़ा	68,928	3,40,666
4.	ग्रामोद्योग समिति, बांसवाड़ा	49,500	—
5.	बांसवाड़ा जिला सर्वोदय मण्डल, बांसवाड़ा	49,500	—
6.	बांसवाड़ा जिला सेवा संघ, परतापुर (बांसवाड़ा)	49,500	—

1	2	3	4
जिला टोंक			
7.	जिला शिक्षा अधिकारी, टोंक	50,844	98,514
8.	टोंक जिला खादी ग्रामोद्योग समिति टोंक	98,200	—
जिला सिरोही			
9.	जिला शिक्षा अधिकारी, सिरोही	31,096	77,577
जिला अलवर			
10.	जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर	75,139	3,21,738
11.	अलवर जिला खादी ग्रामोद्योग संघ, अलवर	49,500	—
जिला नागौर			
12.	जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर	19,195	2,10,950
13.	विकास समिति, यशवन्तपुरा (नागौर)	49,555	—
14.	कुचामन विकास समिति, कुचामन सिटी (नागौर)	49,555	—
15.	ग्रमोद्यान समिति, भारोड़ (नागौर)	49,500	—
16.	नागौर जिला खादी ग्रामोद्योग संघ, नागौर	49,500	—
17.	ग्राम स्वास्थ्य समिति, डीडवाना (नागौर)	49,500	—
18.	ग्राम स्वास्थ्य समिति, मकराना (नागौर)	49,500	—
19.	ग्राम स्वास्थ्य समिति, लाडनूं (नागौर)	49,500	—
20.	खादी ग्रामोद्योग समिति, डीडवाना (नागौर)	49,500	—
जिला जैसलमेर			
21.	जिला शिक्षा अधिकारी, जैसलमेर	17,839	2,09,121
22.	जैसलमेर जिला खादी ग्रामोद्योग परिषद्, जैसलमेर	49,500	—
23.	पोकरण खादी ग्रामोद्योग संस्थान, पोकरण	49,500	—
जिला झालावाड़			
24.	जिला शिक्षा अधिकारी, झालावाड़	59,863	2,09,219
जिला गंगानगर			
25.	जिला शिक्षा अधिकारी, गंगानगर	52,216	1,36,223
26.	श्री गंगानगर प्रौढ़ शिक्षा समिति, गंगानगर	49,500	—
जिला जयपुर			
27.	जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर	1,03,325	1,78,297
28.	प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, जयपुर	1,68,565	7,10,272
28.	ए राजस्थान खादी विकास मंडल गोविन्दगढ़	49,500	—

1	2	3	4
29.	लोक शिक्षण संस्थान जयपुर	49,500	—
30.	राजस्थान आदिम जाति सेवक संघ, जयपुर	5,50,000	—
31.	नारी चेतना संघ जयपुर (4) प्रौढ़ शाला	86,540	—
	(30) केन्द्र	49,500	—
32.	राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षण संस्थान, जयपुर	49,500	—
33.	क्षेत्रीय खादी ग्रामोद्योग समिति, लालसोट, जयपुर	99,000	—
34.	राजस्थान खादी संघ, पोस्ट खादी बाग, जयपुर	99,000	—
35.	खादी ग्रामोद्योग सदन विकास समिति, बस्सी जयपुर	49,500	—
36.	क्षेत्रीय ग्रामोद्योग समिति, बांदीकुई	49,500	—
37.	राष्ट्रीय लोक कल्याण परिषद, जयपुर	49,500	—
38.	खादी ग्रामोद्योग मण्डल, अमरसर, जयपुर	49,500	—
39.	राजस्थान समग्र सेवा संघ, जयपुर	31,250	—
	जिला-जोधपुर		
40.	जिला शिक्षा अधिकारी, जोधपुर	1,26,998	4,04,506
41.	मारवाड़ खादी संघ, जोधपुर	49,500	—
42.	मरुधर विकास मण्डल, जोधपुर	49,500	—
	जिला कोटा		
43.	जिला शिक्षा अधिकारी, कोटा	2,24,219	3,38,400
	जिला झुन्झुनूं		
44.	जिला शिक्षा अधिकारी, झुन्झुनूं	84,900	2,87,156
	जिला जालोर		
45.	जिला शिक्षा अधिकारी, जालोर	28,374	2,34,181
	जिला चूरू		
46.	जिला शिक्षा अधिकारी, चूरू	58,632	3,18,107
47.	चूरू जिला प्रौढ़ शिक्षण समिति, चूरू	49,500	—
48.	रतनगढ़ प्रौढ़ शिक्षण समिति, रतनगढ़	49,500	—
	जिला पाली		
49.	जिला शिक्षा अधिकारी, पाली	76,257	2,95,842
50.	सघन क्षेत्रीय योजना समिति, पाली	49,500	—

1	2	3	4
	जिला भरतपुर		
51.	जिला शिक्षा अधिकारी, भरतपुर	3,980	10,349
52.	जीवन निर्माण संस्थान, भरतपुर	1,18,366	3,00,000
53.	भरतपुर जिला खादी ग्रामोद्योग समिति, भरतपुर	49,500	—
54.	दी गांधी सेवा सदन, बयाना, भरतपुर	49,500	—
55.	खादी ग्रामोद्योग समिति, वैर, भरतपुर	49,500	—
	जिला सीकर		
56.	जिला शिक्षा अधिकारी, सीकर	—	1,51,628
57.	सीकर जिला खादी ग्रामोद्योग समिति, रींगस, सीकर	49,500	—
	जिला बीकानेर		
58.	जिला शिक्षा अधिकारी, बीकानेर	—	19,872
59.	बीकानेर प्रौढ़ शिक्षण समिति, बीकानेर	1,72,752	3,75,000
60.	बीकानेर प्रौढ़ शिक्षण समिति, बीकानेर	45,175	—
61.	बीकानेर जिला सर्वोदय मण्डल, बीकानेर	49,500	—
	जिला सवाई माधोपुर		
62.	जिला शिक्षा अधिकारी, करौली (स. मा.)	—	1,30,766
63.	ग्रामीण नवजागरण संस्थान, करौली	49,555	—
64.	ग्राम सेवा सदन मलारना रोड (स. मा.)	49,555	—
65.	हिण्डौन क्षेत्रिय खादी ग्रामोद्योग समिति, स.मा.	49,500	—
66.	ग्रामोद्योग समिति, जठान (स. मा.)	49,500	—
67.	ग्राम सेवा मण्डल, करौली	49,500	—
	जिला चित्तौड़गढ़		
68.	जिला शिक्षा अधिकारी, चित्तौड़गढ़	—	1,81,328
69.	चित्तौड़ जिला खादी ग्रामोद्योग संघ, कपासन	49,500	—
70.	भामाशाह भारती भवन, चित्तौड़गढ़	49,500	—
71.	जनसेवा-मण्डल, पहूना	49,500	—
	जिला-अजमेर		
72.	जिला शिक्षा अधिकारी, अजमेर	—	1,31,691
73.	अजमेर प्रौढ़ शिक्षण समिति, अजमेर	1,44,500	—
74.	मेरवाड़ा खादी ग्रामोद्योग समिति, ब्यावर	49,500	—

1	2	3	4
75.	खादी ग्रामोद्योग विकास संघ, फतेहगढ़	49,500	—
76.	खेराड़ ग्रामोद्योग समिति, सावर	49,500	—
	जिला उदयपुर		
77.	जिला शिक्षा अधिकारी, उदयपुर	—	5,510
78.	सेवा मन्दिर, उदयपुर	2,66,716	3,75,000
79.	सेवा मन्दिर, उदयपुर (150)	2,17,914	—
	(300)	4,31,525	—
80.	राजस्थान बनवासी कल्याण परिषद, उदयपुर	49,500	—
81.	राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान, उदयपुर	49,500	—
82.	भवन ज्ञान मन्दिर, गोगुन्दा	49,500	—
83.	ग्रामोद्योग विकास मण्डल, देवगढ़	49,500	—
84.	नव निर्माण संघ, उदयपुर	49,500	—
85.	सघन क्षेत्रिय विकास समिति, राजसमन्द	98,200	—
	जिला भीलवाड़ा		
86.	भीलवाड़ा प्रौढ़ शिक्षा समिति, भीलवाड़ा	78,475	3,50,000
87.	जिला शिक्षा अधिकारी, भीलवाड़ा	—	8,4,893
88.	सेवा संघ, दीगोद, (भीलवाड़ा)	38,600	—
89.	स्वदेशी खादी ग्रामोद्योग समिति, भीलवाड़ा	49,500	—
90.	सेवा सदन, भीलवाड़ा	49,500	—
91.	जहाजपुर ग्राम सेवा समिति, जहाजपुर	49,500	—
92.	भीलवाड़ा जिला प्रौढ़ शिक्षा समिति, भीलवाड़ा	49,500	—
	जिला बाड़मेर		
93.	बाड़मेर प्रौढ़ शिक्षण समिति, बाड़मेर	87,633	3,49,000
	योग	66,85,744	75,58,176

उप निदेशक,
राज्य प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम,
राजस्थान, जयपुर।

टाटा व लीलेण्ड ट्रकों के वितरण पर नियन्त्रण

232. श्री गोविन्दसिंह (नसीराबाद) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार को ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि राजस्थान में टाटा मरसडीज बैन्ज ट्रकों के डीलर्स द्वारा ट्रक्स का वितरण बुकिंग ऑर्डर के अनुसार न कर मनमाने ढंग से किया जा रहा है, चूंकि ट्रकों पर काफी ब्लेक है? यदि हां, तो क्या स्थिति में सुधार हेतु सरकार टाटा व लीलेण्ड ट्रकों के वितरण पर नियंत्रण लगाने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी हां, इस संबंध में एक शिकायत जो राजस्थान ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन की ओर से मैसर्स टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोको-मोटिव कम्पनी बम्बई को सम्बन्धित थी, की एक प्रति परिवहन विभाग को प्राप्त हुई थी टाटा एवं लीलेण्ड ट्रकों के वितरण पर नियन्त्रण का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री महारावल संग्रामसिंह आदर्श ज्ञान संस्कृत विद्यालय, बिलौंची

233. श्री तेजपाल (चौमू) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) श्री महारावल संग्राम सिंह आदर्श ज्ञान संस्कृत विद्यालय, बिलौंची, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर की स्थापना कब हुई? क्या इसमें तत्कालीन सामोद ठिकाना के भूतपूर्व शासक का योगदान रहा है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय की आर्थिक स्थिति दयनीय है, तथा दीर्घावधि से उक्त विद्यालय को राज्याधीन करने का मामला विचाराधीन रहा है?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त विद्यालय को शीघ्र अपने अधीन लेने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) इसकी स्थापना सन् 1956 में हुई थी। जी हां, इसमें तत्कालीन ठिकाना शासक का योगदान रहा है।

(2) जी हां। राज्य सरकार ने 28/3-80 को इसे कुछ शर्तों के साथ राज्याधीन करने के आदेश प्रसारित किए थे। आदेश में स्पष्टतः राज्याधीन करने की शर्तों का उल्लेख था, किन्तु समिति ने शर्तों की पूर्ति में असमर्थता व्यक्त की है।

(3) बिन्दु (2) में उत्तर दे दिया गया है।

नये चिकित्सा सहायता केन्द्र की स्थापना हेतु निर्धारित मापदण्ड

234. श्री रामधन (लाडनूं) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नये चिकित्सा सहायता केन्द्र (एड पोस्ट) की स्थापना हेतु क्या मापदण्ड निर्धारित है?

(2) लाडनूं तहसील, जिला नागौर में कितने चिकित्सा सहायता केन्द्र (एड पोस्ट) हैं व कितने केन्द्र खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है?

(श्री रामधन)

(3) जहां सहायता केन्द्र स्थापना की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, क्या वहां स्टाफ आदि की नियुक्ति कर दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं, उनको काम में लिये जाने के लिए सरकार का क्या इरादा है?

उत्तर

(1) इस बात की चेष्टा की जाती थी कि प्रत्येक ब्लॉक में दो सहायक स्वास्थ्य केन्द्र (डिस्पेन्सरी) तथा (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) एक एड पोस्ट हो। अब नई एड पोस्ट नहीं खोली जा रही है।

(2) लाडनूं तहसील में केवल एक ही एडपोस्ट निम्बीजोधा में है। नई एडपोस्ट खोलने की कोई योजना नहीं है।

(3) जी हां।

काम के बदले अनाज योजना में अन्तर्ग्रसित धनराशि

235. श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह (गुढ़ामालानी): क्या राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत कितनी राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई है तथा कितनी राशि सरकार ने खर्च की?

(2) राजस्थान में यह योजना कब से प्रारम्भ की गई?

(3) इस योजना के अन्तर्गत जिला झुन्झुनूं में कितने कार्य स्वीकृत किये गये और कितनी राशि व्यय की गई है, कितने कार्य पूरे हुए हैं तथा कितने कार्य शेष हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं, उनको काम में लिये जाने के लिए सरकार का क्या इरादा है?

उत्तर

(1) भारत सरकार से काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। सहायता विभाग से काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत व्यय हेतु वर्ष 79-80 में 7,15,68,500 रुपया एवं 80-81 में 3,72,58,000 रुपया आवंटित किये गये हैं।

(2) राजस्थान में यह योजना जनवरी, 78 से प्रारम्भ की गई है।

(3) इस योजना के अन्तर्गत जिला झुन्झुनूं में 1643 कार्य स्वीकृत किए गये इन कार्यों पर 290 लाख रुपये व्यय किए जा चुके हैं। स्वीकृत कार्यों में से 977 कार्य पूर्ण हो चुके हैं 500 कार्य प्रगति पर हैं एवं 166 कार्य चालू नहीं किये गये हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में 79,503 कार्य पूरे हो चुके हैं। जो कार्य जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया है उसी उपयोग में लिया जाना है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

भीलवाड़ा नगर में स्टेडियम का निर्माण

236. श्री देवेन्द्रसिंह (बनेड़ा): क्या नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(श्री देवेन्द्रसिंह)

(1) भीलवाड़ा नगर में स्टेडियम का शिलान्यास कब और किसके द्वारा हुआ तथा शिलान्यास के पश्चात् स्टेडियम के निर्माण की क्या प्रगति है ?

(2) नगर विकास न्यास ने इस योजना को पूरा करने के लिये कितनी धन-राशि स्वीकृत की है तथा अब तक इस काम पर कितना व्यय हो चुका है ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा नगर में स्टेडियम का शिलान्यास दिनांक 4-5-72 को कर्नाटक के तत्कालीन राज्यपाल श्री मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा किया गया। उद्घाटन के बाद स्टेडियम स्थल पूर्ववत् स्थिति में है। इस क्षेत्र में कोई विशेष निर्माण कार्य नहीं किया गया है।

(2) नगर विकास न्यास द्वारा इस योजना को पूरा करने के लिए दस लाख रुपये की योजना तैयार की गई थी जिसे चार चरण में पूरा किया जाना था। इसमें 50 प्रतिशत धनराशि न्यास द्वारा एवं 50 प्रतिशत धनराशि भारत सरकार द्वारा राजस्थान स्पोर्ट्स कौंसिल के माध्यम से अनुदान के रूप में देने की घोषणा महा-महिम श्री मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा उद्घाटन के समय की गई। इस प्रकार नगर विकास न्यास द्वारा 5 लाख रुपये अपने एवं 5 लाख रुपये स्पोर्टस कौंसिल द्वारा खर्च किया जाना था किन्तु स्पोर्ट्स कौंसिल से धनराशि प्राप्त नहीं होने के कारण कार्यान्विति नहीं की गई।

इस कार्य पर निशांदेही हेतु मिट्टी डलवाई एवं सर्वे व भूमि समतल कराने के लिए दस हजार रुपये का व्यय किया गया है।

चरागाह भूमि पर अवैध कब्जे

237. श्री नानालाल (राजसमंद) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले की रेलमगरा तहसील के गांव मारो में चरागाह भूमि पर कई लोगों ने नाजायज कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो किस-किस ने कितनी-कितनी जमीन पर ?

(2) क्या यह सही है कि गांव वालों को इस चरागाह जमीन पर अधिकारी की मिली भगत से नाजायज कब्जा कराया गया है ? यदि हां, तो इसमें कौन 2 अधिकारी दोषी हैं ?

(3) क्या यह सही है कि गांव मारो में चरागाह भूमि से नाजायज कब्जे हटाने बाबत कई बार आदेश किये जा चुके हैं ? यदि हां, तो अभी तक नाजायज कब्जे क्यों नहीं हटाये गये ? इसके लिये कौन दोषी है।

उत्तर

(1) जी हां। उदयपुर जिले की तहसील रेलमगरा के गांव मोरा में 40 व्यक्तियों ने चरागाह भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। विवरण सूची में अंकित है।

(2) जी नहीं। चरागाह भूमि पर किसी अधिकारी की मिली भगत से नाजायज कब्जा नहीं कराया गया है।

(3) जी हां। गांव मोरा में चरागाह भूमि पर से नाजायज कब्जे हटाने बाबत पूर्व में तहसीलदार द्वारा आदेश दिये गये थे जिसकी पालना की गई लेकिन अति-क्रमियों द्वारा पुनः अतिक्रमण कर लिया गया है। गत वर्ष भी नाजायज कब्जे हटाये जाकर खड़ी फसलें नीलाम की गई थीं।

तारांकित प्रश्न संख्या 237 की सूची

ाम मोर्रा पटवार सर्किल राजस्व तहसील, रेलमगरा, जिला उदयपुर में स्थित चरनोट भूमि में हुये नाजायज कब्जे की सूचना (रा. 2036) की स्थिति का मानचित्र

क. सं.	नाम:अतिक्रमी		आरा जी नम्बर	अतिक्रमण रकवा	सं. 2036 की जिन्स	मि.नं.	दण्ड जो आरोपित किया	फसल नीलामी की रकम	विशेष विवरण
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.	श्री मियारासा.पि. देवा रावत	नि. मोरा	24 34	6।)2 4।)	गन्ना ।) मक्की 6॥) कपास 2) रिजका ॥) पतल ।) पड़त 1)2	439/79	53.00	131.00	
2.	श्री वरदू पिता हजारी लोहार	"	:34	4)	मगासी 1) पसत 2) तील 1)	434/79	80.00	—	
3.	श्री कोलीराम पिता मोहन कुमावत	"	34	2॥)	मक्की 1) ग्वार 1॥)	435/79	37.50	—	
4.	हरशेम।पिता मियाराम कुमावत	"	34	4)	गन्ना ।)3 पडत 3॥)2	436/79	100.00	201.00	

(141)

5.	श्री गोकल पिता पन्ना कुमावत	,,	34	2॥)3	मक्की 2॥)3	386/79	53.20	—
6.	श्री कन्यालाल पिता नातूराम कुमावत	,,	49मी	5)	मक्की 2) तील 1) पड़त 2)	417/79	25.00	251.00
7.	श्री मिट्ठू पिता प्रताप दरोगा	,,	49मी 51	6।।।)2	कपास 3) रचका 3॥) वाड़ा ।)2	387/79	72.00	—
8.	श्री पेमा पिता देवा वागोरिया	,,	49	5)	चवला 3) पड़त 2)	390/79	12.50	31.00
9.	श्री उदयराम पिता मोढ़ा कुमावत	,,	49	1॥)	पड़त	391/79	22.50	—
10.	श्री रूपा पिता भेरा रावत	,,	50 51	1।)1 ॥)	पड़त	400/79	74.00	—
11.	श्री उम्दा पिता चतरभुज कुमावत	,,	51	2॥)3	ज्वार 2॥)3	389/79	39.90	—
12.	श्री भगवान, हरिराम पिता लच्छीराम	,,	51	4।)	ज्वार 4।)	388/79	116.50	—
13.	श्री उदार पिता मोती कुमावत	,,	112 मी	2।)	मोठ 2)	426/79	59.00	31.00
14.	श्री जोतू पिता गंगाराम कुमावत	,,	112 मी	2॥)	मोठ 2) पड़त ॥)	428/79	37.50	51.00
15.	श्री उदार पिता मेवा दरोगा	,,	112 मी	3)3	मक्का 1॥)2 पड़त 1॥)	429/79	3.16	—
16.	श्री कालू पिता मोती कुमावत	,,	112 मी	6॥)	रचका 6॥)	430/79	162.50	301.00
17.	श्री जीतू पिता मोहन दरोगा	,,	112 मी	5)	ग्वार 3॥) रचका 1) मूंगफली ॥)	431/79	125.00	151.00

1	2		3	4	5		6	7	8	9
18.	श्री प्रताप, उदा पिता रतना कुमावत	नि.मोरा	112 मी	6।।)	ग्वार	6।।)	432/79	97.50	301.00	
19.	श्री नाना पिता कालू कुमावत	,,	112 मी	2)3	ग्वार	2)3	433/79	32.40	151.00	
20.	श्री नारू पिता गंगाराम भील	,,	112 मी 231 240	1) ।।।) 1।)	अ.चा. कपास	–)3 1)	437/79	19.00	—	112मी में से 3 किया अ.ज. के लिये नियमन की सिफारिश की गई
21.	श्री नौला पिता कजोड़ कुमावत	,,	231	1)	ग्वार पड़त	।।)3 ।)2	416/79	31.50		—
22.	श्री ज्ञाना पिता हुकम कुमावत	,,	231	1)1	पड़त		418/79	21.20	84.00	(फसल रबी नीलाम हुई)
23.	श्री जोती पिता गणेश कुमावत	,,	231	2।।।)	रचका ग्वार	2/4 ।।)	419/79	69.00	161.00	
24.	श्री मांगू पिता मियाराम कुमावत	,,	231	।।।)2	पड़त		420/79	21.50		—
25.	श्री मोहन पिता यादराय कुमावत, कजोड पिता लाला, उदार पिता डावता, सोमा पिता चतरभुज कुमावत	,,	231	।)	अ.चा.		421/79	6.50		—
26.	श्री गणेश पिता अमरा कुमावत	,,	231	।)	अ.चा.		422/79	6.50		—
27.	श्री शेरा पिता प्रताप कुमावत	,,	231	2)	रचका पड़त	1) 1)	392/79	5.00	91.00	
28.	श्री मांगू पिता कुमावत	,,	249	2)	पड़त		414/79	30.00	161.00	(फसल रबी नीलाम हुई)

29.	श्री कालू पिता निला कुमावत	,,	249	3)	तिल रचका	1) 2)	415/79	45.00	151.00
30.	श्री भमरू पिता भूरा दरोगा	,,	249	2॥)3	मक्की रचका	2 ॥)3	425/79	13.30	25.00
31.	श्री पेमा, छीगा पिता शूरा कुमांवत	,,	288	(।)1	वाड़ा		402/79	7.50	—
32.	श्री शेरा पिता नोला कुमावत	,, पोया	288	-)3	वाड़ा		403/79	4.00	—
33..	श्री जेठा पिता नोला कुमावत	,,	288	-)3	वाड़ा		404/79	4.00	—
34.	श्री गेंदा पिता चेना कुमावत	,, मोरा	288	-)4	वाड़ा		405/79	7.50	—
35.	श्री जैराम पिता डूंगा कुमावत	,,	288	-)4	वाड़ा		406/79	5.00	—
36.	श्री बरदू पिता हजारी कुमावत	,,	288	-)4	वाड़ा		407/79	5.00	—
37.	श्री मोती पिता हरीराम लोहार	,,	288	-)3	वाड़ा		408/79	4.00	—
38.	श्री डालू पिता मौढा कुमावत	,,	293	-)4	वाड़ा		409/79	3.00	—
39.	श्री लहरू पिता हजारी लोहार	,,	293	-)5	वाड़ा		410/79	1.50	—
40.	श्री बालू पिता तेजा कुमावत	,,	49	।)	ग्र.चा.		393/79	नियमन की सिफारिश की गई	

कुल रकबा : 100॥)1

143

लूटू जल प्रदाय योजना

238. श्री लच्छूराम (मण्डावा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या लूटू जल योजना से पंचायत समिति अलसीसर के तैंतालीस ग्रामों को जल प्रदाय किया जाता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम दूलपुरा, मुखाकावास, बागारता की ढाणी व्यापारियों की ढाणी व चैनपुरा को पानी उस योजना से नहीं मिल रहा हैं ?

(3) यदि हां, तो इन गावों को कब तक पानी उपलब्ध करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। क्षेत्रीय जल योजना लूटू से पं. स. अलसीसर के 43 ग्रामों को पानी दिया जाता है।

(2) जी हां। संदर्भित ग्रामों को मूल स्वीकृत योजना में सम्मिलित नहीं किया गया था। अतः इन ग्रामों को लूटू जल योजना से पानी नहीं मिल रहा है।

(3) दूलपुरा, मुखाकावास, बागापाता की ढाणी, व्यापारियों की ढाणी और चैनपुरा ग्रामों को केन्द्र सरकार की प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय जल प्रदाय एवं सेनीटेशन दशक के अन्तर्गत 1981-1990 के मध्य पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्रस्तावित है।

भरतपुर पथ परिवहन निगम के अधीन रूट्स

239. श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भरतपुर स्थित राज्य पथ परिवहन निगम डिपो के अधीन कितने रूट्स निर्धारित किये गये हैं और उन पर कितनी कितनी सेवायें चल रही हैं ?

(2) पिछले छः महीने में कितने रूट्स को निरस्त किया गया व किस-किस कारण से ?

उत्तर

(1) ग्रीष्म कालीन समय सारणी के अनुसार भरतपुर आगार के 43 मार्गों पर कुल 247 परिचक्र संचालन हेतु निर्धारित किये गये थे। लेकिन वर्तमान में कुछ मार्गों पर कम आय आने, तथा टायर ट्यूब की कमी के कारण 190-192 दैनिक परिचक्र ही संचालित किये जा रहे हैं।

(2) सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

गत छः माह में निरस्त सेवाओं का विवरण व निरस्तीकरण के कारण

क्रम सं.	मार्ग	निरस्त परिचक्र
1	2	3
1.	भरतपुर-गुड़गांवा	1
2.	भरतपुर-रेवाड़ी	2
3.	भरतपुर-खेडली-डीग	10
4.	भरतपुर-खेड़ली-कुम्हेर	10
5.	भरतपुर-डीग	2
6.	डीग-पहाडी	2
7.	भरतपुर-कुम्हेर	2
8.	नदबई-खेडली	2
9.	डीग-खेडली	1

1	2	3
10.	भरतपुर-पुनैना	2
11.	कामां-पुनैना	6
12.	भरतपुर-जनूथर	2
13.	भरतपुर-कैलादेवी	2
14.	भरतपुर-नदबई-वाया कुम्हेर	2
15.	नगर-खेड़ली	2
16.	डीग-जनूथर	1
17.	बयाना-गोवर्धन	6

नोट:—निरस्तीकरण के कारण:—

उक्त मार्गों में से क्रम संख्या 1, 2, 10, 11 एवं 17 पर अंकित मार्ग अन्तर्राज्यीय हैं। जिन पर निजी वाहन स्वामियों व अन्य राज्यों की वाहनों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। जिससे उक्त मार्गों की आय निरन्तर कम आने से उक्त सेवाएं बन्द करनी पड़ी जिनकी समय सारणी में परिवर्तन की कार्यवाही की जा रही है।

अन्य उप मार्गों पर वाहन सेवायें निरस्त करने के मुख्य कारण निगम सेवाओं की आय निरन्तर कम आना तथा टायर ट्यूब आदि की कमी से मार्ग पर भेजे जाने योग्य वाहनों की कमी है।

नगरपालिका कोटपूतली में सम्मिलित की गई पंचायत में गबन

240. **श्री नाथूसिंह** (बांदीकुई) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला जयपुर में कितने ऐसे सरपंच हैं जिन्होंने आज तक भी पूरा चार्ज नहीं दिया ? सूची सदन की मेज पर रखें। सरकार का उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ? अब उनसे कब तक चार्ज ले लिया जावेगा ?

(2) नगरपालिका कोटपूतली में कौनसी पंचायत मिलाई गई है तथा उस पंचायत में कितना गबन है ? किस-किसके खिलाफ कब-कब क्या-क्या कार्यवाही हुई ?

(3) सरकारी रिकार्ड में हेरफेर रोकने और गबन का रिकार्ड विनष्ट होने से बचाने के लिये सरकार रिकार्ड सुरक्षित अवस्था में संभालने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) जिला जयपुर में जिन सरपंचों ने पूरा चार्ज नहीं दिया उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। चार्ज दिलवाये जाने के सम्बन्ध में राजस्थान पंचायत अधिनियम की धारा 15 (अ) के अन्तर्गत जिला स्तर पर कार्यवाही की जा रही है। जिस सरपंच ने पूरी राशि नहीं सम्भलवाई उनके विरुद्ध एफ. आई. आर. दर्ज करवाई जा रही है एवं चार्ज दिलवाने सम्बन्धी समस्त कार्यवाही यथाशीघ्र सम्पन्न करवा दी जायेगी।

(2) नगरपालिका कोटपूतली में बासड़ी ग्राम पंचायत को मिलाया गया है। पंचायत प्रसार अधिकारी के मुआयने की रिपोर्ट के आधार पर विकास अधिकारी ने दिनांक 14-2-78 को थाना कोटपूतली में एफ. आई. आर. कार्यवाहक सरपंच श्री शंकरलाल एवं पंच मंगलराम व मोतीराम के विरुद्ध दर्ज करवाई जिस पर पुलिस ने

(१४६)

(पंचायत मंत्री)
दिनांक 24-2-78 को मुकदमा नं. 53धारा 409 आई. पी. सी. दर्ज की। एस. एच. ओ. द्वारा तफतीश के सम्बन्ध में ऑडिट की प्रार्थना की गई। इस पर जिलाधीश जयपुर ने दिनांक 19-4-79 को लोकल फण्ड ऑडिट द्वारा ऑडिट करने को पत्र लिखा गया। ऑडिट रिपोर्ट 6-5-80 को जिलाधीश कार्यालय में प्राप्त हुई। उस पर अब एस. एच. ओ. द्वारा तफतीश जारी करदी गई। ऑडिट रिपोर्ट अधूरी होने के कारण जिलाधीश कार्यालय से भी ऑडिट पूरा करने हेतु ऑडिट विभाग को लिखा गया है।

(6) पंचायत रिकार्ड को रखने की जिम्मेवारी राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 36 (10) पवि./प्रशा.-2/77/6192 दिनांक 23 नवम्बर, 1977 के द्वारा ग्रुप सचिव है जो एक राज्य कर्मचारी होता है। उस पर उसे सुरक्षित रखने उसमें हेरफेर रोकने और विनष्ट होने आदि से बचाने का दायित्व है। यदि वह अपने कर्त्तव्य में शिथिलता बरतता है तो उसके खिलाफ आवश्यक अनुशासनात्मक एवं अन्य कानूनी कार्यवाही की जाती है सरपंच ग्रुप सचिव पर सुपरवाईजरी नियन्त्रण अधिकारी के समान होता है। अतः यदि रिकार्ड में हेरफेर होता है तो सरपंच पर भी दायि-होता है और उसके लिये पंचायत अधि-नियम की धाराओं के अन्तर्गत उसके विरुद्ध भी अनुशासनात्मक एवं अन्य कानूनी कार्यवाही की जाती है।

पंचायत की राशि पोस्ट ऑफिस एका-उन्ट में रखी जाती है जिसको ड्रा करने का अधिकारी सरपंच होता है। उस राशि में गबन या हेरफेर के लिये सरपंच का सीधा दायित्व है। इसमें शिथिलता बर-तने पर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक एवं अन्य कानूनी कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है।

सूची सरपंचों की जिन्होंने पूरा चार्ज नहीं दिया है:—

(1) ग्राम पंचायत बड़ा गांव
(2) ग्राम पंचायत गुढा आशिकपुरा
(3) ग्राम पंचायत फतहपुरा
(4) ग्राम पंचायत गोपालपुरा
(5) ग्राम पंचायत दातिल

सांगानेर विधान सभा क्षेत्र में समुचित स्वास्थ्य सेवायें

241. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सांगानेर विधान सभा क्षेत्र में ऐसी कितनी पंचायतें हैं जिनमें किस प्रकार की स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध नहीं हैं ?

(2) क्या सरकार उन्हें प्राथमिकता के आधार पर ये सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना बनायेगी ?

उत्तर

(1) 13 पंचायतों में किसी प्रकार की चिकित्सा संस्था नहीं है, परन्तु स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध हैं।

(2) वित्तीय प्रावधान होने पर सुविधाओं का विस्तार समान रूप से किया जायेगा।

गलियाकोट कस्बा बलात खाली करवाया जाना

242. श्रीमती कमला (सागवाड़ा) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कड़ाना बांध के 419 फीट तक इस वर्ष नहीं भरने के सम्बन्ध में गलियाकोट एवं आसपास के क्षेत्रों के निवासियों द्वारा जिलाधीश डूंगरपुर एवं सरकार को अभ्यावेदन दिया गया है ? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ? क्या यह सही है कि अभी भी गलियाकोट कस्बे के 90% निवासी गलियाकोट में ही निवास कर रहे हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि रिंग वाल के अन्दर स्थित पुलिस स्टेशन और सोखिया मिडिल स्कूल को हटाने की धमकी देकर वहां के नागरिकों को गलियाकोट कस्बा खाली करवाने के लिये बाध्य किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) जी नहीं । गलियाकोट के अधिकांश परिवार अभी भी गलियाकोट में भी निवास कर रहे हैं ।

(2) जी नहीं । कड़ाना बांध की डूब में आने के कारण गलियाकोट के निवासियों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिये कहा जा रहा है ।

गंगानगर जिले को औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित करना

243. श्री ज्ञानसिंह (भादरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार गंगानगर जिले को औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला घोषित करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं ।

औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला घोषित करने के सम्बन्ध में कार्यवाही भारत सरकार, योजना आयोग द्वारा की जाती है । भारत सरकार के योजना आयोग ने नवम्बर, 1978 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है जो इस विषय पर अपना प्रतिवेदन देगी ।

बांधों का आधुनिकीकरण

244. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) सिचाई विभाग के अधीनस्थ बांधों के आधुनिकीकरण हेतु कितने बांधों को अब तक लिया जा चुका है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) बांधों को आधुनिकीकरण योजना में लेने हेतु क्या नियम हैं ?

(3) क्या सरकार सिकराय क्षेत्र के बांध कालाखो, भण्डारी तथा माधोसागर को आधुनिकीकरण योजना के तहत इस साल लेने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कितने-कितने रुपये व्यय किये जावेंगे ?

उत्तर

(1) अब तक 20 बांध लिये गये हैं, सूची संलग्न है ।

(१४८)

(सिंचाई मंत्री)

(2) मुख्यतः इसके अन्तर्गत पुराने बांध जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं एवं सिंचाई के पूर्ण लक्ष्य प्राप्त नहीं कर रहे हैं एवं जिनका नहरों से रिसाव अधिक है, ऐसे कार्यों को राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के निदेशानुसार आधुनिकीकरण हेतु चयनित कर लिया गया है।

(3) जी नहीं। अभी जो कार्य हाथ में लिये गये हैं वो पूर्ण करवाने हैं। इन कार्यों के पूरा होने पर सरकार नये काम लेने पर विचार करेगी।

सूची
आधुनिकीकरण में लिये गये बांध

1.	जयसमन्द	जिला अलवर
2.	कालख सागर	जिला जयपुर
3.	छापरवाड़ा	जिला जयपुर
4.	मोरल	जिला सवाई माधोपुर
5.	जग्गर	जिला सवाई माधोपुर
6.	पारवती	जिला भरतपुर
7.	आबेलाव मानसरोवर	जिला सिरोही
8.	जवाई	जिला पाली
9.	गलवा	जिला टौंक
10.	माशी	जिला टौंक
11.	जसवन्त सागर(पचयाक)	जिला जोधपुर
12.	बाकली	जिला जालौर
13.	अलनिया	जिला कोटा
14.	परवन	जिला कोटा
15.	पारवती	जिला कोटा
16.	गुढा	जिला बून्दी
17.	जयसमन्द	जिला उदयपुर
18.	राजसमन्द	जिला उदयपुर
19.	गम्भीरी	जिला चित्तौड़गढ
20.	मेजा	जिला भीलवाडा

झालावाड़ जिले में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था

246. श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

झालावाड़ जिले में पीने के पानी के अभावग्रस्त गांवों की संख्या कितनी है और इस समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं अथवा किये जा रहे हैं ?

उत्तर

झालावाड़ जिले में 563 ग्राम समस्याग्रस्त हैं। इनमें से मार्च 1980 तक 267 ग्रामों की योजनाएं स्वीकृत की गई तथा इनमें से 67 ग्रामों को पेयजल सुलभ कराया जा चुका है। शेष 296 गांवों को 1981 से 1990 के मध्य अन्तर्राष्ट्रीय जल प्रदाय एवं सेनीटेशन दशक में पेयजल उपलब्ध कराने के प्रस्ताव हैं। राज्य के समस्त समस्याग्रस्त ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने पर लगभग 600 करोड़ रुपये की राशि व्यय होने का अनुमान है।

सांचौर तहसील में बाढ़ की चपेट से प्रभावित परिवारों को राहत

247. श्री कनकराज मेहता (सांचौर): क्या राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत वर्ष की बाढ़ से सांचौर तहसील में किन 2 गांवों में कितने घर पानी में बहे व उन्हें कितना-कितना नुकसान हुआ ? ऐसे परिवारों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री कनकराज मेहता)

(2) ऐसे परिवारों को अन्य स्थान पर बसने हेतु भूमि दी गई या नहीं ? यदि नहीं, तो अब कब तक उन्हें भूमि दे दी जायेगी ?

उत्तर

(1) गत वर्ष आई बाढ़ से सांचोर तहसील के 43 गावों में 4059 घर बाढ़ के पानी से क्षतिग्रस्त हुए जिनका नुकसान 34,37,348 रुपये का हुआ था। घरों की ग्रामवार संख्या संलग्न है। परिवारों की सूची तैयार करवाई जा रही है।

(2) अभी तक ऐसे परिवारों को अन्य स्थानों पर बसाने के लिए भूमि नहीं दी गई है। भूमि देने की कार्यवाही जारी है।

तारांकित प्रश्न संख्या 245 की सूची

सांचोर तहसील के बाढग्रस्त गांव व पानी में बह के गये घरों की संख्या व नुकसान हुआ

क्र. सं.	बाढ़ ग्रस्त ग्राम	परिवार जिनके घर पानी में बहे	कितना नुकसान हुआ	वि. वि.
1	2	3	4	5
1.	खेजड़ीयाली	186	433938/-	7440/-
2.	भवातड़ा	6	18500/-	240/-
3.	जोरादार	40	22550/-	1600/-
4.	रिड़का	19	21685/-	760/-
5.	धींगपुरा	35	32000/-	1400/-
6.	आकोड़ीया	71	123860/-	2840/-
7.	मण्डाली	32	63650/-	1280/-
8.	नलदरा	7	3800/-	280/-
9.	भाटकी	21	20200/-	840/-
10.	बालेरा	3	28500/-	120/-
11.	जानवी	79	44025/-	3160/-
12.	भाटवास	38	19900/-	1520/-
13.	मरठवा	29	16750/-	1160/-
14.	मेदा	35	10050/-	1400/-
15.	भादरूण	5	1600/-	200/-

1	2	3	4	5
16.	गलीफा	1	3875/-	40/-
17.	केसूरी	23	8935/-	1120/-
18.	पावटा	41	26450/-	5640/-
19.	फोगड़वा	16	19500/-	645/-
20.	खासरवा	60	57100/-	2400/-
21.	सांकरिया	188	259200/-	7520/-
22.	वरणवा	57	21725/-	2280/-
23.	सूथड़ी	161	63165/-	6440/-
24.	दूठवा	178	121155/-	7120/-
25.	सुराचन्द	357	304540/-	14280/-
26.	रायपुरिया	11	6275/-	440/-
27.	ईसरोल	3	3000/-	120/-
28.	निम्वज	4	1700/-	160/-
29.	टांपी	1	300/-	40/-
30.	होती गांव	275	132400/-	8775/-
31.	रतौड़ा	71	39200/-	2840/-
32.	रतनपुर	29	6640/-	1160/-
33.	सिलोचन	47	81550/-	1880-/
34.	सिवाड़ा	4	3500/-	160/-
35.	भगडावा	44	27630/-	1760/-
36.	केरीया	474	115755/-	10760/-
37.	चितलवाना	433	344950/-	17320/-
38.	रणोदर	606	595720/-	24240/-
39.	चारणीम	261	267500/-	10440/-
40.	पादरड़ी	23	2600/-	920/-
41.	हेमागुड़ा	9	8700/-	360/-
42.	मेलावास गुसाईंवान	13	2700/-	520/-
43.	सेसावा	63	50575/-	2520/-
	योग ...	4059	3437348/-	160135/-

पुलियाओं के अभाव में ग्रामों का मार्ग अवरुद्ध होना

248. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ड्रेनेज का पानी कई स्थानों पर नालों में गिरा देने से रामपुरा, ठीपरी, नीमोला, मियाना, उदयपुर, रामपुरा, धाबाई, धनवा, देलोद, नोनेरा, इडवाड़ा, नारायणपुरा, विजयपुरा, खेड़ला-देव, गेंडावद, करजोदा, रावल, जावल आदि गांवों का मार्ग अवरुद्ध हो गया है ?

(2) यदि हां, तो बार बार गांव वालों द्वारा उच्चाधिकारियों को अवगत करने के बाद भी यहां पर पुलियाएं नहीं बनाने का क्या कारण है ?

(3) क्या सरकार गांवों के कष्टों को मद्देनजर रखते हुए उक्त स्थानों पर शीघ्र पुलिया बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सीकर नगर में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु भूमि अवाप्तिकरण

250. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या सीकर नगर में औद्योगिक क्षेत्र के पास वन विभाग की काफी जमीन है ?

(2) क्या सीकर नगर में जयपुर रोड़ पर औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार करने हेतु भूमि अवाप्ति की कार्यवाही चल रही है ?

(3) क्या इस विस्तार हेतु जिन लोगों को अवाप्ति नोटिस दिये गये हैं वे वहां पक्के मकान व कुए बनाकर रह रहे हैं तथा उन्होंने अवाप्ति का विरोध किया है ? यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या रुख है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) अवाप्ति की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी हैं, अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

परिशिष्ट—3

अतारांकित प्रश्न संख्या 203 की सूची

कनिष्ठ लिपिकों के रिक्त पदों का विवरण

क्र. सं.	नाम शाला जहां पद रिक्त हैं	रिक्त पदों की संख्या	पद कब से रिक्त हैं ?
1.	रा. उ. मा. विद्यालय, देवली	1	5-9-79
2.	रा. मा. विद्यालय, राजमहल	1	25-10-79
3.	,, ,, नसीराबाद	1	सितम्बर, 1979
4.	,, ,, निवारिया	1	1-7-79
5.	,, ,, आंवा	1	सितम्बर, 1979
6.	,, ,, नगर फोर्ट	1	अक्टूबर, 1979
7.	,, ,, धुवा	1	12-1-79
8.	रा. उ. मा. विद्यालय, दूनी	1	29-12-78
9.	,, ,, रनियारा	1	अक्टूबर, 1979
10.	रा. मा. विद्यालय, अलीगढ़	1	12-10-79
11.	,, पचाला	1	1-7-79
12.	,, बनेठा	1	दिसम्बर, 1979
13.	,, डिग्गी	1	अक्टूबर, 1979
14.	,, पचेवर	1	2/78
15.	,, कलमण्डा	1	17-1-79
16.	,, दतोब	1	12/78
17.	,, नगर मालपुरा	1	23-11-78
18.	,, राहोली	1	27-2-79
19.	,, भिलाय	1	जनवरी, 79
20.	,, बगडी	1	26-1-79
21.	,, मोर	1	अक्टूबर, 79
22.	,, अलियारी	1	22-2-79
23.	जिला पुस्तकालय, टोंक	1	15-9-79
24.	उपजिला शिक्षा अधिकारी, छात्रा संस्थायें	2	गत वर्ष से एक इस वर्ष जुलाई से एक
25.	रा. बा. मा. विद्यालय, निवाई	1	गत वर्ष से
	कुल योग:—	26	

परिशिष्ट—4

अतारांकित प्रश्न संख्या 207 की सूची

सूची

(अ) जे. के. ग्रुप:—

		वर्ष	
	1977	1978	1979
1. अधिसूचित रिक्त स्थानों की संख्या	75	100	75
2. संप्रेषित आशार्थियों की सख्या	315	659	396
3. नियुक्तियां	11	14	14

(ब) श्रीराम उद्योग (श्रीराम रेयन्स, कोटा)

1. अधिसूचित रिक्तियां	67	80	52
2. संप्रेषित आशार्थी	778	511	273
3. नियुक्तियां	1	8	6

(स) श्रीराम फर्टीलाइजर्स एण्ड केमीकल्स, कोटा

1. अधिसूचित रिक्तियां	179	250	142
2. संप्रेषित आशार्थी	461	1468	345
3. नियुक्तियां	6	25	3

154

परिशिष्ट—5

अतारांकित प्रश्न संख्या 208 की सूचना

सहकारिता योजना वर्ष 1977-78 में बुनकर सहकारी समितियों को स्वीकृत किये गये ऋण एवं अनुदान का समिति—

क्र.सं.	समिति का नाम	जिला	हिस्सा पूंजी ऋण	हाथकरघों की संख्या	मशीनों की संख्या	मशीन खरीदने हेतु ऋण	मशीन खरीदने हेतु अनुदान	रंगापेस्टर ऋण	रंगापेस्टर अनुदान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	हाथ करघा वस्त्र उत्पादन स. स. लि.	जयपुर	3060	10	1	3375	10125	10000	10000
2.	आदर्श टैक्सटाइल्स स. स. लि.	,,	2430	5	1	1875	5625		-
3.	डलेला वीवर्स को. सो. लि.	,,	5060	5	1	1875	5625	--	–
4.	मोहनपुरा वस्त्र स. स. लि.	,,	2340	5	1	1875	5625	10000	10000
5.	जोता कलां कोली स. स. लि.	,,	2250	5	–	1500	4500	–	–
6.	वस्सी केन्द्रीय बुनकर स. स. लि.	,,	200000	–	–	–	–	–	–
7.	देरूवाल हाथकरघा उत्पादक स. स. लि.	,,	5820	5	1	1875	5625	–	–
8.	सन्डल वस्त्र स. स. लि.	,,	3690	5	1	1875	5625	–	–
9.	सिरोही बुनकर सहकारी स. लि.	,,	2790	5	--	1500	4500	–	–
10.	देवपुरा वस्त्र स. स. लि.	,,	1800	–	–	–	–	–	–
11.	हाथकरघा उत्पादक स. स. लि.	श्री गंगानगर	1440	5	1	1875	5625	–	–
12.	भारत वस्त्र उत्पादक स. स. लि.	जोधपुर	2520	5	1	1875	5625	–	–
13.	आसोपा बुनकर स. स. लि.	,,	1980	5	1	1875	5625	–	–
14.	जोधपुर हाथकरघा स. स. लि.	,,	1800	5	1	1875	5625	–	–
15.	मखानिया वस्त्र उत्पादक स. स. लि.	,,	1890	11	1	3875	11025	10000	10000
16.	खोचन वस्त्र उत्पादक स. स. लि.	,,	1710	5	1	1975	5625	–	–
17.	रामदेव हाथकरघा वस्त्र उत्पादक स. स. लि.	बाड़मेर	1080	5	–	1500	4500	–	–
18.	पाली वस्त्र उत्पादक स. स. लि.	पाली	12960	15	1	4875	14625	10000	10000
19.	सुमेर वस्त्र उत्पादक स. स. लि.	,,	1620	5	–	1500	4500	–	–
20.	हाथकरघा वस्त्र सहकारी समिति लि.	बीकानेर	2434	10	1	3375	10125	10000	10000
21.	अमरा बाग वस्त्र उत्पादक स. स. लि.	,,	1620	5	1	1875	5625	–	–
22.	राज. हाथकरघा उत्पादक स. स. लि.	,,	2070	5	–	1500	4500	–	–
23.	अन्जूमन इम्दाद जुलाहाल स. स. लि.	कोटा	–	5	–	1500	4500	–	–
24.	केथून हाथकरघा वस्त्र स. स. लि.	,,	2700	5	1	1875	5625	–	–
25.	मांगरोल हाथकरघा वस्त्र सहकारी समिति लि.	,,	–	10	1	3775	10125	–	–
26.	ब्यावर कला हाथकरघा वस्त्र उत्पादक स. स. लि.	,,	–	5	–	1500	4500	–	–
27.	मुरलीधर हाथकरघा उत्पादक स. स. लि.	,,	–	4	–	1200	3600	–	–
28.	बारां हाथकरघा उत्पादक स. स. लि.	,,	1000	5	1	1875	5625	–	–
29.	राष्ट्रीय हाथकरघा उत्पादक स. स. लि.	अजमेर	1620	5	–	1500	4500	–	–
30.	बरधायथा बुनकर स. स. लि.	,,	1620	5	–	1500	4500	–	–
31.	इन्द्रा हाथकरघा वस्त्र उत्पादक स. स. लि.	,,	2700	5	1	1875	5625	–	–
32.	पुरा सूत्रकार स. स. लि.	सीकर	2700	5	–	1500	4500	–	–
33.	शाहपुरा हाथकरघा स. स. लि.	भीलवाड़ा	–	5	–	1500	4500	–	–
34.	झालरापाटन हाथकरघा उत्पादक स. स. लि.	झालावाड़	3150	5	1	1875	5625	–	–
35.	आदर्श हाथकरघा उत्पादक स. स. लि.	चूरू	–	5	–	1500	4500	–	–
36.	वरडासर करघा उत्पादक स. स. लि.	,,	1800	5	–	1500	4500	–	–
37.	जयपुर बुनकर स. स. लि.	जयपुर	200000	–	–	–	–	–	–
38.	सांगोद हाथकरघा वस्त्र उत्पादक स. स. लि.	कोटा	2070	–	–	–	–	–	–
39.	बडलों वस्त्र स. स. लि.	नागौर	2790	–	–	–	–	–	–
40.	माडर्न हैण्डलूम प्रोड्यूसर स. स. लि.	जयपुर	1980	–	–	–	–	–	–
41.	गुन्सारा हाथकरघा वस्त्र उत्पादक स. स. लि.	भरतपुर	1837-50	–	–	–	–	–	–
42.	चित्रा वस्त्र उत्पादक स. स. लि.	डूंगरपुर	1800	–	–	–	–	–	–
43.	खारका गांव बुनकर स. स. लि.	,,	1530	–	–	–	–	–	–
44.	निमाटोडा मांगरोल, कोटा डोरिया हाथकरघा वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लि.	कोटा	1890	–	–	–	–	–	–
		योग:—	4,95,347,80,200	200	20	67500	202500	500000	50000

परिशिष्ट—'6'

अतारांकित प्रश्न संख्या 209 की सूची

सूची 'क'

टोंक जिले के विभिन्न नगरों में घोषित औद्योगिक क्षेत्र, उनके स्थापित करने का वर्ष एवं विकास हेतु प्रस्तावित राशि का विवरण निम्नानुसार है:—

क. सं.	औद्योगिक क्षेत्र का नाम एवं नगर का नाम	स्थापित करने का वर्ष	विकास हेतु प्रस्तावित राशि
क	औद्योगिक क्षेत्र टोंक	1972-73	7.84 लाख रुपये
ख	औद्योगिक क्षेत्र निवाई	1972-73	6.[illegible]1 लाख रुपये
ग	औद्योगिक क्षेत्र मालपुरा	1978-79	6.88 लाख रुपये

सूची 'ख'

अब तक किये गये व्यय का ब्योरा मदवार निम्नानुसार है:-

(रु. लाखों में)

क. सं.	औद्योगिक क्षेत्र का नाम एवं नगर का नाम	नालियां एवं सड़क निर्माण	जल व्यवस्था	अन्य	योग
क	औद्योगिक क्षेत्र, टोंक	0.90	0.74	—	1.64
ख	औद्योगिक क्षेत्र, निवाई	2.61	1.50	0.58	4.69
ग	औद्योगिक क्षेत्र, मालपुरा	1.34	3.07	0.06	4.47

परिशिष्ट – 7

अतारांकित प्रश्न संख्या 210 की सूचना

जिलेवार पावर लूमों की संख्या

1.	अलवर	52
2.	अजमेर	3403
3	बांसवाड़ा	12
4.	बीकानेर	10
5.	भीलवाड़ा	2 2
6.	जयपुर	239
7.	जालोर	28
8.	जोधपुर	55
9.	झुंझुनू	38
10	कोटा	10
11.	पाली	268
12.	सिरोही	20
13.	सवाई माधोपुर	56
14.	टोंक	3
15.	उदयपुर	39
	कुल योग:	4495

परिशिष्ट-8

सूची 'अ'

अतारांकित प्रश्न संख्या 213 की सूची

उदयपुर नगर की औद्योगिक ऋण की डिफाल्टर इकाइयों की सूची, जून 80 तक:--

क्र. सं.	ऋण का नाम व पता	बकाया राशि	
		मूल	ब्याज
1	2	3	4
1.	मैसर्स आर. के. इण्डस्ट्रीज, भडियों का ग्राल, अयपुर	—	1026.00
2.	,, श्री दौलतराम किशनलाल शर्मा	—	933.45
3.	,, काष्टकला उत्पादक सहकारी समिति, उदयपुर	4300	6183.00
4.	,, श्री बालूराम मंघाराम मेघवाल, इलाजी का नीम, उदयपुर	—	1951.63
5.	,, गोविन्दसिंह बन्दी शंकर मेहता प्रताप केर हाउस, घंटाघर	—	3788.80
6.	,, छगनलाल गुलाब शंकर पालीवाल, वारियों की घाटी, उदयपुर	—	3550.00
7.	,, शिल्प कला उत्पादक सहकारी समिति, उदयपुर	600	2327.75
8.	,, श्री हीरालाल भगवती लाल कायस्थ, ब्रह्मपुरी, उदयपुर	—	1300.00
9.	,, लोह उत्पादक सहकारी समिति, उदयपुर	—	2 18.20
10.	,, आयड कपड़ा रंगाई छपाई, सहकारी समिति, आयड	1290	2641.25
11.	,, लोक कला उत्पादक सहकारी समिति, उदयपुर	—	3231.60
12.	,, राजस्थान डाइंग एण्ड प्रिंटिंग स.समिति, उदयपुर	3572	4300.00
13.	,, उदयपुर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि.	10000	1 000.00
14.	,, लक्ष्मीलाल नन्दलाल मेहता, उदयपुर	—	1000.00
15.	,, छगनलाल लक्ष्मणलाल नरसिंहपुर, अमल का कांटला, उदयपुर	—	3501.00
16.	,, इन्दरसिंह करतारसिंह सिक्ख कॉलोनी, उदयपुर	500	4000.00

1	2	3	4
17.	मैसर्स मोहनलाल इश्वरजी बोहार, उदयपुर	—	1616.00
18.	,, किशनचन्द मोतीराम, सिंधी	—	8495.05
19.	,, मोहनलाल शीतल दास मोची	—	628.00
20.	,, गणेशलाल जालमजी सोराती	—	103.95
21.	,, अफजल हुसेन, अल्लाबक्श तहसील, उदयपुर	—	2615.00
22.	,, राधाकिशन चतुरभुज सोनी	1320	1720.40
23.	,, शंकरलाल गोरधनलाल जोशी	—	1009.54
24.	,, श्री मोड़ा पेमा पिता किशोर हरिजन, उदयपुर	—	1810.15
25.	,, श्री कुंजबिहारी नन्दलाल आचार्य, नेहरू बाजार, उदयपुर	—	1150.00
26.	,, बंसीलाल पन्नालाल, मोती चौहट्टा, उदयपुर	200	915.00
27.	,, श्री भिरवुमल ससरमल सिंधी, उदयपुर	2200	4189.70
28.	,, श्री कासम पिता नूर मोहम्मद, भायड	—	101.50
29.	,, नोमान अली तयब अली बोहरा	2800	18845.00
30.	,, उदयसिंह अमरसिंह कोठारी किशनपोल, उदयपुर	—	1156.57
31.	,, श्री छगनलाल पन्नालाल विकार, उदयपुर	—	35.50
32.	,, श्री गहरीलाल राजमल काठेड, अनाज मण्डी, उदयपुर	—	766.00
33.	,, राजस्थान टायर रिट्रेडिंग कं. हाथीपोल बाहर, उदयपुर	—	3425.95
34.	,, नियाज मोहम्मद शालर बक्श, उदयपुर	30	1817.00
35.	,, अहमद हुसेन नूर मोहम्मद, उदयपुर	—	69.00
36.	,, सुन्दर दास होलाराम सिंधी, तेलीवाड़ा, उदयपुर	—	167.30
37.	,, बंसीलाल पन्नालाल, जीनगर, उदयपुर	622	2620.00
38.	,, नत्थुमल मायाराम मोची, बापू बाजार, उदयपुर	—	1521.00
39.	,, श्री रामेश्वर लाल जैन धान मण्डी, उदयपुर	—	951.00
40.	,, श्रीमती कांता देवी पत्नी श्री जमनालाल, हजारेश्वर, कॉलोनी	—	1376.50
41.	,, जियालाल दयालराम माची, उदयपुर	—	1148.00
42.	,, ललितसिंह गोविन्दसिंह शक्तावत, शक्तावत पोल्ट्रीफार्म, उदयपुर	10,000	13,000.00
43.	,, ललितसिंह गोविन्दसिंह शक्तावत, शक्तावत पोल्ट्रीफार्म, उदयपुर	15,000	16950.00
44.	,, एग्रो. इण्डस्ट्रियल इंजिनियरिंग वर्क्स, सूरजपोल बाहर	—	1819.75

1	2	3	4
45.	मैसर्स एग्रो. सचिव जिया भवन सोसायटी, उदयपुर	—	7850.00
46.	,, कुरबान हुसैन इस्माइल वोहरा, उदयपुर	—	4600.00
47.	,, रोशनलाल चुन्नीलाल लोढ़ा, भोपालपुरा, उदयपुर	—	482 .00
48.	,, मैंडित कैमिकल वर्क्स अम्बावगढ़, उदयपुर	1300	247.65
49.	,, उदयपुर शिवरेजेस औद्योगिक क्षेत्र, भादड़ी, उदयपुर	55117	33070.00
50.	,, गुलाब प्रिंटिंग प्रेस शास्त्री सर्किल, उदयपुर	18735	3300.00

सूची (ब)

RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION, UDAIPUR

List of Defaulting Units of Udaipur City as on March, 1980

S. No.		Name of the Concern	Amount in default
1		2	3
1.	M/s	Manoher Ice Factory, Udaipur	1,68,500.00
2.	,,	Parshuram Chemical Industry,	13,700.00
3.	,,	Gopal Minerals	43,038.68
4.	,,	The Gum Arabic Processors & Dist. Ltd.	16,87,862.83
5.	,,	Rajasthan Ice Factory	2,78,408.14
6.	,,	Sethia Metals Alloys Pvt. Ltd.	5,94,790.40
7.	,,	Rajasthan Graphite Pvt. Ltd.	1,55,024.19
8.	,,	Bharat Industries&Minerals Industries	23.689.59
9.	,,	Mewar Industrial Corporation	33,215.02
10.	,,	Nissen Transferers Pvt. Ltd.	1,25,000.00
11.	,,	Vikas Cement Udoyog	11,189.87
12.	,,	Gay Capsules	20,925.40
13.	,,	Cotton Industries, Udaipur	30 636.27
14.	,,	Laxmi Oil Mills	21,610 81
15.	,,	Jain Enterprises	99,046.71

1		2	3
16.	M/s.	Vishwa Prakashan, Udaipur	18,220.52
17.	,,	Shaian Opt cia is	46,120.61
18.	,,	Udaip r Breveries	59,161.16
19.	,,	Power Enter rises	43,341.26
20.	,,	U tam Sho Factor es	27,130.94
21.	,,	Ud ij ur ti es Manufacturing Co.	28,342 93
22.	,,	Shiva Chemicals	79,382.09
23.	,,	Neelam I ood Products	11,67[illegible].28
24.	,,	Nirmal Enterprises	94,673 16
25.	,,	Prakash Chemicals India	18,900.00
26.	,,	R jasthan Dying & Printing Work	18,650.00
27.	,,	General Auto Products	8,790.60
28.	,,	Naresh Stove Industries	24,000 80
29.	,,	Udaipur Hosiery	10,947.42
30.	,,	Bharat Engineering Work Udaipur	1,208.84
31.	,,	Shrinath Oil Indus ries	3,125 94
32.	,,	Mewar Hand Paper Mills, Udaipur	5,386.62
33.	,,	Mahaveer nterprises	3,663 33
34.	,,	Mahaveer Engineering works	1,[illegible]92 78
35.	,,	Gulab Print ng Press, Udaipur	7,227.91

(161)

परिशिष्ट – 9

अतारांकित प्रश्न संख्या 211 की सूची

मस्टरोल नं. 6148

कार्य का नाम:– Constr. of L. F. C. Burdha side Filling from ch. 180-235

माह:– अप्रेल 1980

क्रमांक	नाम	पिता का नाम	निवासी	अवधि	राशि
1.	देवीसिंह	श्री रामसिंह	बरधा	21 दिन	147-00
2.	कल्याण	श्री मन्ना	लक्ष्मीपुरा	22 दिन	154-00
3.	भूरा	श्री देवा	,,	22 दिन	154-00
4.	गणेश	श्री भैरू	,,	17 दिन	119-00
5.	रत्ना	श्री भूरा	,,	19 दिन	133-00
6.	स्वरूपा	श्री भूरा	,,	20 दिन	140-00
7.	भूरी	श्री बालू	,,	25 दिन	175-00
8.	भवानी	श्री भोंदू	,,	25 दिन	175-00
9.	प्रेम	श्री भरोसा	,,	25 दिन	175-00
10.	केशर	श्री घीसा	,,	13 दिन	91-00
11.	पाना	श्री कल्याण	,,	17 दिन	149-00
12.	नाथी	श्री उच्छबलाल	,,	19 दिन	133-00
13.	नटी	श्री चतरा	,,	16 दिन	112-00
14.	नटी	श्री रामा	,,	21 दिन	147-00
15.	मन्नी	श्री रूपा	,,	15 दिन	105-00
16.	गहलू	श्री रामलाल	,,	15 दिन	105-00
17.	मनोहर	श्री ग्यारसा	,,	8 दिन	56-00
18.	नटी	श्री नथना	,,	16 दिन	112-00
19.	केशर	श्री मंगल	,,	20 दिन	140-00
20.	नन्दू	श्री माध्या	,,	14 दिन	98-00
21.	राधा	श्री उधा	मलकपानगर	21 दिन	147-00
22.	राधेश्याम	श्री भवाना	तालडा	21 दिन	147-00
23.	जीया	श्री नारायण	भवानीपुरा	10 दिन	70-00
24.	प्रभू	श्री मानसिंह	,,	9 दिन	63-00
25.	सुशीला	श्री गोपी	लक्ष्मीपुरा	8 दिन	56-00
26.	बाली	श्री भोलू	,,	6 दिन	42-00
27.	कैलाश	श्री कजोड	,,	4 दिन	28-00
28.	सकरी	श्री मोल्या	,,	7 दिन	7-00
				योग ..	3150-00

मस्टरोल नं.:– 6149

कार्य का नाम: - Construction of L. F. C. Burdha during Ch. 180-235.

माह:– अप्रेल 1980

क्रमांक	नाम	पिता का नाम	निवासी	अवधी	राशि
1.	रमेश हेलवर	श्री जगन्नाथ	नमाना	26 दिन	187-20
2.	गणेश	श्री हजारी	अलफानगर	26 दिन	187-20
3.	नन्दा	श्री नारायण	लक्ष्मीपुरा	20 दिन	144-00
4.	गंगा	श्री देबीया	,,	19 दिन	133-00
5.	कैलाशी	श्री देबीया	,,	10 दिन	70-00
6.	नन्दू	श्री रामा	,,	14 दिन	98-00
7.	मोहिनी	श्री धन्ना	,,	22 दिन	1[illegible]4-00
8.	कजोड़ी	श्री मावसिंह	भवानीपुरा	21 दिन	1[illegible]7-00
9	सोंसर	श्री बिहारी	,,	21 दिन	147-00
10.	सीता	श्री गौरू	,,	21 दिन	147-00
11.	बामनी	श्री मांगीया	,,	21 दिन	147-00
12.	कजोडी	श्री दल्ला	,,	20 दिन	40-00
13.	जानी	श्री चन्दा	,,	17 दिन	119-00
14.	कमला	श्री राम	,,	11 दिन	77-00
15.	मूली	श्री हजारी	,,	4 दिन	28-00
				योग :	1925-40

परिशिष्ट 10

प्रतारांकित प्रश्न संख्या 216 की सूची

चोरी

जनवरी से जून, 1980 तक पंजीबद्ध अपराध व उनका निस्तारण

जिला	रिपोर्टेड	अदम बकु	एफ. आर. अदम पता	जेर तफतीश	चालान
1. अजमेर	268	23	118	57	70
2. जयपुर	1570	112	920	359	179
3. भरतपुर	584	78	186	201	119
4. अलवर	345	76	123	49	97
5. सवाईमाधोपुर	295	48	110	75	62
6. बीकानेर	121	7	36	41	37
7. चूरू	91	21	17	25	28
8. गंगानगर	250	46	66	44	94
9. सीकर	131	22	53	28	28
10. झुंझुनू	116	22	47	20	27
11. जोधपुर	285	34	115	61	75
12. बाड़मेर	108	31	13	24	40
13. जैसलमेर	50	3	6	28	13
14. जालोर	72	16	8	21	27
15. नागौर	208	35	47	63	63
16. पाली	149	23	47	29	50
17. सिरोही	48	1	10	21	16
18. कोटा	400	50	177	72	101
19. बूंदी	156	35	40	56	25
20. झालावाड़	127	18	37	37	35
21. टोंक	106	16	22	23	35
22. उदयपुर	479	65	130	124	160
23. बांसवाड़ा	69	7	17	7	38
24. भीलवाड़ा	276	47	78	46	105
25. डूंगरपुर	42	16	3	4	19
26. चितौड़गढ़	326	42	133	63	88
27. जी. आर. पी.	271	5	160	67	39
योग....	6943	899	2729	1645	1670

बलात्कार

जनवरी से जून, 1980 तक पंजीबद्ध अपराध व उनका निस्तारण

क्र.सं.	नाम जिला	रिपोर्टेड	एफ.आर. अदमवकू	एफ.आर. अदम पता	जेर तफतीश	चालान
1.	अजमेर	5	1	–	2	2
2.	अलवर	4	2	–	1	1
3.	भरतपुर	2	2	–	–	–
4.	जयपुर	5	–	–	2	3
5.	सवाई माधोपुर	10	3	–	3	4
6.	बीकानेर	3	–	–	–	3
7.	चूरू	5	–	–	4	1
8.	गंगानगर	24	6	–	1	17
9.	सीकर	1	–	–	–	1
10.	झुंझुनूं	6	1	–	1	4
11.	जोधपुर	4	–	–	–	4
12.	बाड़मेर	6	1	–	1	–
13.	जैसलमेर	1	–	–	1	–
14.	जालौर	3	–	–	–	3
15.	नागौर	5	1	–	2	2
16.	पाली	1	1	–	–	–
17.	सिरोही	1	–	–	–	1
18.	कोटा	8	2	–	1	5
19.	बूंदी	2	1	–	–	1
20.	झालावाड़	12	2	–	4	6
21.	टोंक	3	–	–	1	2
22.	उदयपुर	5	1	2	2	–
23.	बांसवाड़ा	3	–	–	1	2
24.	भीलवाड़ा	3	–	–	–	3
25.	डूंगरपुर	2	1	1	–	–
26.	चित्तौड़गढ़	1	–	–	–	1
27.	रेलवे अजमेर	1	–	–	–	1
	राजस्थान टोटल :	126	25	3	27	71

(165)

हत्या

जनवरी से जून, 80 तक पंजीबद्ध अपराध व उनका निस्तारण

क्र. सं.	नाम जिला	रिपोर्टेड	अदमबकू	एफ. आर. अदम पता	जेर तफ्तीश	चालान
1.	अजमेर	11	—	1	5	5
2.	अलवर	15	—	—	8	7
3.	भरतपुर	37	9	—	17	11
4.	जयपुर	40	3	1	25	11
5.	सवाईमाधोपुर	12	1	1	9	1
6.	बीकानेर	12	1	—	8	3
7.	चूरू	5	2	1	-	2
8.	गंगानगर	43	—	—	19	24
9.	सीकर	12	—	—	6	6
10.	झूंझुनूं	7	—	1	2	4
11.	जोधपुर	5	—	—	4	1
12.	बाड़मेर	10	—	—	4	6
13.	जैसलमेर	3	1	—	1	1
14.	जालोर	6	—	—	2	4
15.	नागौर	18	3	—	10	5
16.	पाली	18	—	—	7	11
17.	सिरोही	13	—	—	5	8
18.	कोटा	33	—	1	9	23
19.	बूंदी	3	—	—	2	1
20.	झालावाड़	16	—	—	10	6
21.	टोंक	12	—	—	6	6
22.	उदयपुर	26	—	1	11	14
23.	बांसवाड़ा	8	—	1	1	6
24.	भीलवाड़ा	14	—	1	6	7
25.	डूंगरपुर	5	—	—	1	4
26.	चित्तौड़	24	—	—	17	7
27.	रेलवे अजमेर	1	—	—	1	—
	राजस्थान टोटल ..	409	11	18	196	184

परिशिष्ट - 11

अतारांकित प्रश्न संख्या 216 की सूची

टोंक जिले में सर्वे की हुई प्रस्तावित सिंचाई योजनाओं की सूची

क्र. सं.	योजना का नाम	तहसील	अनुमानित लागत (लाखों में)
1.	बिसलपुर	देवली	60.00 करोड़
2.	तुरकिया	निवाई	10.00
3.	माधोलात	,,	28.00
4.	अकोडिया	देवली	12.00
5.	ठीकरिया	अलीगढ़	35.00
6.	बटूंडा	मालपुरा	30.00

टोंक जिले में प्रस्तावित सिंचाई योजनाएं जिनका सर्वेक्षण कार्य बकाया है

क्र. सं.	योजना का नाम	तहसील	अनुमानित लागत (लाखों में)
1.	बिडोली	निवाई	30.00
2.	ललवाड़ी	निवाई	12.00
3.	भानपुरा	अलीगढ़	30.00
4.	कुमारिया	अलीगढ़	30.00
5.	रूपबास	अलीगढ़	30.00
6.	सरदारपुरा	देवली	25.00

———

परिशिष्ट—12

अतारांकित प्रश्न संख्या 220 की सूची

फरवरी, 1980 से 11-7-80 की अवधि में हुई फरारियों की सूची

क्रमांक	फरार हुए बन्दी का नाम पिता के नाम सहित	कारागृह का नाम जहां से फरार हुआ	कारागृह में प्रवेश की तिथि	कारागृह से फरार होने की तिथि	जुर्म जिसके अन्तर्गत कारागृह में प्रवेश कराया गया	अदालत का नाम जहां बन्दी का केस चल रहा है	अन्य मामले में वांछित
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	लक्ष्मण सिंह पुत्र दलीप सिंह राजपूत, निवासी गंगापुर सिटी ।	जिला कारागृह गंगापुर सिटी	6-12-78	2-3-80	मुकदमा एफ. आई. आर. 29/78 अन्तर्गत धारा 395/396	अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गंगापुर सिटी	1. केस नं. 96/79 अन्तर्गत धारा 395/397 में ए. डी. जे. दौसा में वान्टेड था जिसमें 28-9-79 को बरी कर दिया गया । 2. केस नं. 92/79 एफ.आई.आर.न.12/78 में ए.डी.जे.नं.1 धौलपुर में वांछित था जिसमें दिनांक 11 1-80 को जमानत पर रिहा किया गया ।

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	कल्याण सिंह पुत्र बिरधा कुम्हार, निवासी अमरगढ़ थाना गंगापुर सिटी	जिला कारागृह गंगापुर सिटी	6-22-78	2-3-80	मुकदमा एफ.आई. आर. 29/78 अन्तर्गत धारा 395/396	अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गंगापुर सिटी	केस नं. 96/79 अन्तर्गत धारा 395/397 में ए डी. जे. दौसा में वांछित था जिसमें 28-9-79 को बरी कर दिया गया।
3.	शरद पाण्डे पुत्र विशम्बर पाण्डे, निवासी मथुरा	—यथा—	6-11-78	2-3-80	एफ. आई. आर. नं 49/'78 अन्तर्गत धारा 395/397	—यथा—	1. केस नं. 989/78 आर्म्स एक्ट की धारा 25 के अन्तर्गत प्रत. न्यायिक मजिस्ट्रेट, मथुरा। 2. केस नं. 171/8 ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट भरतपुर 3. केस न. 468/78 चतुर्थ एडीशनल सेशन जज मथुरा
4.	शेखुद्दीन पुत्र अब्दुल हमीद मुसलमान निवासी काठियावाड़ (गुजरात)	केन्द्रीय कारागृह जोधपुर,	16-12-79 को जिला कारागृह राजकोट गुजरात से केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर स्थानान्तरित होकर आया था।	17-4-80	1. केस सं. 7/79 अन्तर्गत धारा 457/380 2. केस सं. 102/78 राजकोट गुजरात	—यथा—	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग सख्या 4 जोधपुर

परिशिष्ट—13

अतारांकित प्रश्न संख्या 222 की सूची

परिशिष्ट 'अ'

चालू उद्योगों को तहसील अनुसार वर्गीकरण मार्च, 1980 तक

क्रमांक	वर्गीकरण	टोंक	मालपुरा	अलीगढ़	टोडा रायसिंह	निवाई	देवली	योग
1.	कृषि पर आधारित उद्योग	58	21	18	10	42	38	190
2.	वन पर आधारित उद्योग	84	21	2[illegible]	9	21	38	201
3.	पशुधन पर आधारित उद्योग	20[illegible]	65	90	21	34	18	[illegible]25
4.	अन्य आधारित उद्योग	125	57	14	39	18	44	307
5.	रसायन आधारित उद्योग	20	—	2	—	7	4	33
6.	इंजीनियरिंग वर्क धातु पर आधारित उद्योग	88	8	16	9	12	18	161
7.	भवन निर्माण एवं खनिज पर आधारित उद्योग	23	49	2	11	9	13	100
8.	अन्य	42	12	4	4	28	26	106
	योग ...	640	273	174	116	171	279	1613

परिशिष्ट 'ब'

31 दिसम्बर 1979 तक रुग्ण इकाईयों की स्थिति

क. स.	इकाई का नाम	उत्पादित वस्तु	पंजीयन सं.	दिनांक	पूंजी विनियोजन	नियोजन	अवधि कर पाया	ऋण राशि	कठिनाई का विवरण	पुनर्जीवित करने हेतु सुझाव
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. नाथलाल पुत्र रोलू बुनकर,	टोडा रायसिंह	हाथ कर्घा वस्त्र	01390	13-3-78	3	4	1 वर्ष से	राज. हाथकर्घा परिमंडल द्वारा सोपे हो बुनकरों को दी गई है।	कच्चा माल के अभाव में	राज. हाथ. कर्घा परिमंडल द्वारा टोडा राय-सिंह में कच्चा माल आगार डिपो खुलवाने की व्यवस्था कराई जावे ताकि बुनकरों को माल प्राप्त हो सके एवं विपणन हो सके।
2. देवाराम पुत्र बालू कोली	,,	,,	332	1 6-73	3	4	3 ,,			
3. रामसिंह पुत्र देवा	,,	,,	346	-6-73	3	4	3 ,,			
4. मूलचन्द वल्द कल्याण बनाई	,,	,,	355	2-6-73	3	4	3 ,,			
5. नारायण लाल पुत्र शकर	,,	,,	350	2-6-73	3	4	3 ,,			
6. धीसालाल पुत्र कन्हैयालाल	,,	,,	345	2 6-73	3	4	3 ,,			
7. कमर खां पुत्र वजीर खां	,,	,,	358	13-6-73	3	4	3 ,,			
8. रामदेव पुत्र रामसुख	,,	,,	338	2-6-73	3	4	3 ,,			
9, बोदन लाल पुत्र हजारीलाल	,,	,,	392	18.3-78	3	4	1 ,,			
10. गणेश पुत्र रामनारायण	,,	,,	341	2-6-73	3	4	3 ,,			
11. गोपी पुत्र हजारी	,,	,,	329	1-6-73	3	4	3 ,,			
12. छीतर पुत्र सुवा	,,	,,	328	1-6-73	3	4	3 ,,			
13. गंगाराम पुत्र रामदेव	,,	,,	350	1-6-73	3	4	3 ,,			
14. मेवालाल पुत्र गणेश कोली	,,	,,	—	—	3	4	3 ,,			
15. पीरू पुत्र नायू	,,	,,	362	13-6-73	3	4	3 ,,			
16. गता पुत्र शकर	,,	,,	346	2 6-73	3	4	3 ,,			
18. तुलसीराम पुत्र रामराय	,,	,,	353	18-6-73	3	4	3 ,,			

परिशिष्ट – 14

अतारांकित प्रश्न संख्या 223 की सूचना

परिशिष्ट 'अ'

सीलिंग कानून से अधिग्रहण की गई भूमि की सूची

क्र. सं.	नाम तहसील	(एकड़ों में) अधिग्रहित भूमि (एकड़)
1.	मालपुरा	2954
2.	दीगोद	8557
3.	पीपल्दा	11573
4.	बारां	2012
5.	मांगरोल	4578
6.	किशनगंज	3042
7.	शाहाबाद	845
8.	छबड़ा	1343
9.	छीपाबड़ोद	1889
10.	अटरू	5027
11.	रामगंज मण्डी	7
12.	सांगोद	3185
	योग ...	45012

परिशिष्ट 'ब'

अधिग्रहण होकर आवंटन की गई भूमि की सूचना

क्र. सं.	नाम तहसील	आवंटित की गई भूमि (एकड़) में
1	2	3
1.	लाडपुरा	2142
2.	दीगोद	4430
3.	पीपल्दा	8850
4.	बारां	2005

1	2	3
5.	मांगरोल	6178
6.	किशनगंज	978
7.	शाहाबाद	98
8.	छबड़ा	616
9.	छीपाबड़ोद	232
10.	अटरू	2148
11.	रामगंज मण्डी	7
12.	सांगोद	2287
	योग ...	29971

परिशिष्ट 'स'

तहसीलवार सीलिंग की शेष आवंटन योग्य उपलब्ध भूमि निम्न प्रकार है।

क्र. सं.	नाम तहसील	आवंटन योग्य उपलब्ध भूमि (एकड़ में)
1.	लाडपुरा	536
2.	दीगोद	2303
3.	पीपल्दा	180
4.	सांगोद	224
5.	बारां	5
6.	मांगरोल	225
7.	किशनगज	15
8.	शाहाबाद	82
9.	मा. आ. अन्ता	47
10.	छबड़ा	219
11.	छीपा बड़ोद	27
12.	अटरू	128
	योग..	3993 एकड

(173)

परिशिष्ट 15

अतारांकित प्रश्न संख्या 230 की सूची

तहसील शिव के भूमिहीन कृषकों की सूची-- जिला बाड़मेर

क्र.सं.	पंचायत का नाम	अनु. जाति	जन जाति	अन्य	कुल योग
1.	सुन्दरा	12	2	32	46
2.	वेसिधर	7	–	10	17
3.	तामलोर	–	–	3	3
4.	मेदूसर	8	1	1	10
5.	सानियानी	7	–	14	21
6.	राणासर	19	2	24	45
7.	हुरसाणी	–	–	–	–
8.	गिराब	5	3	9	17
9.	बन्धड़ा	4	–	8	12
10.	भिड़कली	–	–	10	10
11.	बालोदा	4	–	8	12
12.	स्वामी का गांव	13	–	79	92
13.	रामसहाल	1	5	18	24
14.	गुंगा	5	–	35	40
15.	शिव	4	–	26	30
16.	निम्बला	1	–	15	16
17.	कोठड़ा	–	–	47	47
18.	मुगेरियां	–	4	6	10
19.	मोखाब	–	–	–	–
20.	पीपाड़	6	–	8	14
21.	भारंग	10	–	12	22
22.	काश्मीर	–	–	8	8
23.	उण्डू	6	–	7	13
24.	गडरो रोड	64	6	12	82
	कुल योग	176	23	392	591

174

तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर में भूमिहीन कृषकों की सूची

क्र.सं.	नाम पंचायत	अनु. जाति	जन जाति	अन्य	कुल योग
1	2	3	4	5	6
1.	रमजान का गफन	3	15	21	39
2.	नयातला जैल	1	1	2	4
3.	केलनार	–	5	9	14
4.	देदूसर	24	5	10	39
5.	शोभाला जैल.	2	–	2	4
6.	कोट राठोड़ान	7	5	5	17
7.	कोनरा	1	1	3	5
8.	इटावा	6	1	2	9
9.	बीजराड़	2	7	7	16
10.	बारासर	5	4	10	19
11.	बीजासर	10	1	3	14
12.	गोड का तला	7	–	3	10
13.	धनाऊ	7	3	10	20
14.	सेधा	18	1	2	21
15.	आनपाड़िया	12	15	6	33
16.	विकासर	1	–	6	7
17.	हरपालिया	4	2	3	9
18.	मीठे का तला	5	5	7	17
19.	कुरडान का तला	8	9	16	33
20.	सरूप का तला	11	3	7	21
21.	चौहटन	20	2	24	46
22.	टोंक	17	9	9	35
23.	सनाऊ	8	4	8	20
24.	बाछड़ाऊ	1	7	10	18
25.	आंटिया	4	7	4	15
26.	विसारणियां	4	3	6	13
27.	आलमसर	13	7	10	30
28.	बामरोण	1	4	8	13
29.	लीलसर	2	2	8	12
30.	नेतराड़	2	1	10	13
31.	इसरोल	1	3	7	11
32.	तारातरा	1	4	10	15

1	2	3	4	5	6
33.	सारला	2	2	5	9
34.	भवरियां	16	29	20	65
35.	पनोरिया	2	–	7	9
36.	बाखासर	43	19	84	146
37.	नवातला बाखासर	18	18	20	56
38.	फागलीयां	6	–	15	21
39.	हाथला	7	19	21	47
40.	भड़पा	–	10	21	31
41.	सेड़वा	14	11	7	32
42.	शोभाला दर्श	15	3	4	22
43.	गंगासरा	6	4	6	16
44.	भूणियां	3	2	6	11
45.	किछनोरियों	2	–	5	7
46.	केकड़	10	1	5	16
47.	थापड़ला	13	–	7	20
48.	सेकड़ी	15	2	10	27
49.	भोगाला	2	–	17	19
50.	मबोर	–	12	21	33
	कुल योग....	382	268	520	1177

बाडमेर तहसील के भूमिहीनों की सूची पंचायत बास-जिला बाड़मेर

क्र. सं.	नाम पंचायत	अनु. जाति	जन जाति	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6
1.	बाड़मेर	3	–	13	16
2.	महावार	25	15	3	43
3.	शिवकर	1	–	19	20
4.	कुड़ला	–	–	15	15
5.	राणीगांव	5	5	8	18
6.	उन्डका	2	1	3	6
7.	माण्खा	1	6	46	53

1	2	3	4	5	6
8.	कपूरड़ी	5	–	20	25
6.	कवास	2	–	2	4
10.	छीतर का पार	3	–	6	9
11.	बालोपा	9	10	2	21
12.	त्रिशाला	–	–	3	3
13.	इन्द्रोही	2	–	10	12
14.	सिखाणी	10	–	15	25
15.	पेरासर	8	1	8	17
16.	बसाई	10	6	30	46
17.	बालोरा	6	–	15	21
18.	सूरा	4	5	11	20
19.	बोला	5	20	14	39
20.	भाटी	6	1	20	27
21.	आमरेस	14	4	3	21
22.	सरदू	7	6	13	26
23.	सणपा	4	3	11	18
24.	भाजेटा	5	2	8	15
25.	निमय रकोट	4	–	16	20
26.	सेवनीयाला	4	–	22	26
27.	कोसलू	26	4	18	58
28.	कमठाई	12	3	13	28
29.	नोखर	13	5	27	55
30.	रावतसर	21	1	21	43
31.	अदा	24	14	38	76
32.	होड़	4	7	35	46
33.	वायतु पनजी	17	—	5	22
34.	वायतु भीमजी	—	—	16	16
35.	,, चिमनजी	7	—	17	24
36.	,, भोपजी	[illegible]	—	11	11
37.	कानोड़	6	—	4	10
38.	जाजवा	2	—	7	9
39.	वाटाड़	—	3	17	20
40.	भाक	1	3	10	14
41.	कोगया	6	—	8	14

1	2	3	4	5	6
42.	कोलू	6	4	15	25
43.	अकडदा	7	—	7	14
44.	पगावड़ा	3	—	5	8
45.	भुरटिया	9	—	22	31
46.	सिणदरी	15	3	48	66
47.	गूनाबिठा खेड़ा	—	7	15	22
48.	धनवा	—	1	21	22
49.	पायला खुर्द	9	2	13	24
50.	खारा महेचान	4	3	2	9
51.	डंडाली	1	—	1	2
52.	मूका	5	2	10	17
53.	करना	1	—	4	5
54.	दाखा	5	7	44	56
55.	पायला कलां	17	2	31	45
56.	खड़ा	4	3	30	36
57.	गुड़ा	28	6	12	46
58.	वांगा	3	—	24	27
59.	नगर	21	10	78	109
60.	मेडाना	25	4	42	71
61.	रतनपुरा	23	1	22	46
62.	मासरपुरा	51	7	48	106
63	मिठावसा खरियानियान	3	2	35	40
64.	गन्दिव	12	12	32	56
65.	पं.पराली	2	3	15	20
66.	कुड़ाला	6	—	25	31
67.	बोर	1	3	7	11
68.	धोरीमना	8	2	14	24
69.	कोजा	6	—	8	14
70.	भीमथल	14	—	14	28
71.	ग्ररनीयाली	—	—	12	12
72.	मीठभा खुर्द	2	—	6	8
73.	खारी	4	1	4	9
74.	धारासर खुर्द	10	1	7	18
75.	दय्	4	—	4	8

1	2	3	4	5	6
76	मांगता	12	3	8	23
77.	लूख	1	2	14	17
78.	लुहारया	7	2	20	29
79.	मोलड़ा	4	3	7	14
80.	मेहलू	3	—	7	10
81.	गोलिया	—	—	12	12
82.	खुडाणां	2	2	6	10
83.	सरली	8	—	24	32
84.	धापड़	16	8	6	30
85.	छोटु	—	6	—	6
86.	भाडेल	12	—	12	24
87.	हाथीतला	5	3	17	25
88.	गरल	4	5	20	29
89.	सनावड़ा	—	6	20	26
90.	वूल	5	3	2	10
91.	उडासर	4	2	17	23
92.	गिड़ा	2	—	8	10
93.	कसम्बला	3	—	4	7
94.	सनाऊ पदमसिंह	2	9	5	16
95.	शहर	1	4	11	16
96.	परेऊ	—	2	5	7
97.	कुमलिया	3	16	9	28
98.	हिरा की ढाणी	2	7	7	16
99.	खारड़ा भारतसिंह	2	6	7	15
100.	सोहड़ा	—	—	6	6
101.	सन्तरा	7	5	9	21
102.	खारापार	2	5	3	10
103.	खोखर	13	19	26	58
104.	रामसर	26	5	7	38
105.	बुटियां	9	2	8	19
106.	पांधी का पार	14	5	13	32
107.	खड़ीन	3	1	11	15
108.	मानसर	15	9	30	54
109.	[illegible] का पार	2		4	6

1		2	3	4	5
110.	गागरियां	13	8	10	31
111.	चाडोर	6		4	10
112.	चाढी	1	2	6	9
113.	गंगाला	3	—	4	7
	योग...	794	358	1656	2808

तहसील शिव में वर्ष 1975 (सम्वत् 2032) तक कृषि भूमि पर किये गये अतिक्रमण की पंचायतवार सूची

क्रम सं.	पंचायत का नाम	अनु. जाति	जन जाति	अन्य	कुल योग
1	सूनदरा	1	—	3	4
2.	बैसिधर	—	—	7	7
3.	तामलोर	1	—	1	2
4.	मेदूसर	1	1	12	14
5.	सानियानी	2	—	11	13
6.	राणासर	1	—	6	7
7.	हरसाणी	—	—	1	1
8.	गिराब	4	2	4	10
9.	बन्वड़ा	4	—	12	16
10.	भड़िकली	—	—	—	—
11.	बालेवा	—	—	—	—
12.	स्वामी का गांव	—	—	1	1
13.	राजड़ाल	1	—	8	9
14.	गुंगा	3	—	11	14
15.	शिव	1	—	22	23
16.	निम्बला	—	—	4	4
17.	कोटड़ा	—	—	1	1
18.	मुगेरिया	—	—	—	—
19.	मेखाब	—	—	2	2
20.	भीयाड़	—	—	1	1
21.	आरंग	5	—	—	5
22.	काश्मीर	—	—	—	—
23.	उण्डू	—	—	2	2
24.	गडरा रोड	3	—	3	6
	कुल योग...	27	3	112	142

(180)

कृषि भूमि की पंचायतवार सूची जो 1975 में कृषकों के कब्जे में रही
तहसील बाड़मेर

क्रम सं.	नाम पंचायत	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6
1.	बाड़मेर	–	4	–	5
2.	भार रवा	–	–	3	3
3.	तिनाला	3	–	3	5
4.	ादरेल	1	1	1	4
5.	नहा	1	1	2	4
6.	सिणदरी	–	–	2	2
7.	गुदा	1	1	3	6
8.	लोटा	2	1	1	4
9.	मेजाणा	1	–	3	4
10.	भालापुरा	2	1	–	3
11.	घोरीमना	–	–	4	4
12.	वरनं याली	–	–	2	2
13.	रामसर	–	–	3	3
14.	दुडू	–	–	3	3
15.	लूखू	–	1	1	2
16.	सोखदा	2	1	1	4
17.	मेहलू	–	–	3	3
18.	भोगिया	1	–	2	3
19.	छोटू	1	2	1	4
20.	जठेणा	–	–	4	4
21.	ईरा की ढाणी	3	1	–	4
22.	मंगरापार	–	–	2	2
23.	रामसर	1	1	3	5
24.	डूंगिया	11	3	0	24
25.	चौथी का पार	3	2	10	15
26.	भीण्डे का पार	8	0	15	82
27.	गागरिया	2	5	6	13
28.	चाडार	1	3	3	7
29.	चाडी	–	1	2	3
	योग...	44	40	92	95

(181)

तहसील चौहटन में वर्ष 1975 (सम्वत् 2032) तक कृषि भूमि पर किए गए अतिक्रमण की पंचायतवार सूची

क्रम संख्या	नाम पंचायत	अनु. जाति	जन जाति	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6
1.	रतबान की गफन	2	2	19	23
2.	नवातला जैत	6	4	9	19
3.	केलनोर	–	1	–	1
4.	देदूसर	1	–	5	6
5.	शोभाला जैत.	1	–	2	3
6.	जूट राठौड़ान	9	7	36	52
7.	कोनरा	2	1	3	6
8.	इटादा	1	1	17	19
9.	बीजराड़	2	–	6	8
10.	बाखासर	3	–	22	25
11.	बंजासर	3	2	6	11
12.	गोहड का तला	7	4	6	17
13.	घनाऊ	1	–	–	1
14.	सांवा	2	1	2	5
15.	जानपालियां	9	32	20	61
16.	बीसासर	1	–	3	4
17.	हरपालियां	5	1	4	10
18.	मिटे का तला	10	–	13	23
19.	बुरहान का तला	13	13	55	81
20.	सरूप का तला	33	14	38	85
21.	चौहटन	–	–	–	–
22.	ढोक	–	–	–	–
23.	सनाऊ	–	–	–	–
24.	बाछड़ाऊ	–	–	–	–
25.	आंटिया	–	–	4	4
26.	बिसारणिया	–	–	–	–
27.	आलमसर	1	–	1	2
28.	बामरोण	–	–	5	5
29.	लीलसर	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6
30.	नेतराड़	–	–	5	5
31.	इसरोल	–	–	–	–
32.	तारातरा	–	–	1	1
33.	सारला	1	–	–	1
34.	भंवरिया	1	1	20	22
35.	पनोरियां	2	–	4	6
36.	बाखासर	14	1	7	22
37.	नवातला बाखासर	5	4	41	50
38.	फागलियां	5	–	5	10
39.	हाथला	–	3	15	18
40.	झड़वा	–	2	15	17
41.	सेड़वा	2	3	11	16
42.	सोमाला	–	–	–	–
43.	गगासरा	–	–	–	–
44.	भूणियां	–	–	1	1
45.	कितनोरिया	–	–	–	–
46.	केकड़	–	–	–	–
47.	बामड़ला	3	–	1	4
48.	केकड़ी	9	–	13	22
49.	श्रोगाला	–	–	–	–
50.	भवांर	1	4	40	45
	कुल योग ...	155	101	455	711

परिशिष्ट-16

अतारांकित प्रश्न संख्या 232 की सूचना

1 जुलाई, 79 से 30 जून, 80 तक राज्य में बिजली की चोरी के पकड़े गये मामलों का विवरण

क्र. सं.	उपभोक्ता का नाम व पता	विवरण
1	2	3
1.	श्री प्रीतम दास मेवाराम, ब्यावर, जिला अजमेर	उपभोक्ता से 633/- रुपये का चार्जिंग केस बनाकर वसूल कर लिये हैं ।
2.	श्री मदनसिंह आत्मज श्री फूल सिंह, ग्राम जालरा, जिला नागौर	चार्जिंग केस बनाकर उपभोक्ता से रुपये 858-81 पैसे वसूल कर लिये ।
3.	श्री चतरभुज बाबूलाल, ग्राम कटावर (अटरू) कोटा	274 रुपये 82 पैसे का चार्जिंग केस बनाकर उपभोक्ता को राशि जमा कराने के आदेश किये गये हैं ।
4.	श्री गिरीराज प्रसाद बाबूलाल ग्राम हिण्डौन (सवाई-माधोपुर)	2255 रुपये 86 पैसे का चार्जिंग केस बनाकर उपभोक्ता को राशि जमा कराने के आदेश किये गये हैं ।
5.	श्री कल्याण लाल देवीलाल ग्राम महावीरजी (सवाई-माधोपुर)	596 रुपये 43 पैसे का चार्जिंग केस बनाकर उपभोक्ता को राशि जमा कराने के आदेश किये गये हैं ।
6.	श्री भगवती प्रसाद श्यामसुन्दर ग्राम हिण्डौन (सवाई-माधोपुर)	मामला हाल ही में पकड़ा गया है । नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

1	2	3
7.	मैसर्स भारत अलम्स एण्ड कैमिकल्स, अलवर	59642 रुपये 15 पैसे का चार्जिंग केस बनाया गया जिसकी राशि उपभोक्ता द्वारा जमा करा दी गई है ।
8.	अग्रवाल दाल मिल, अलवर	1308 रुपये का चार्जिंग केस बनाया गया जो कि उपभोक्ता द्वारा जमा करा दिया गया है ।
9.	श्री रघुवर दयाल, रामगढ़ (अलवर)	चार्जिंग केस बनाकर उपभोक्ता से 1044 रुपये 30 पैसे वसूल कर लिये गये हैं।
10.	श्री रीना आइस फैक्ट्री, रामगढ़ (अलवर)	चार्जिंग केस बनाकर उपभोक्ता से 2152 रुपये 10 पैसे वसूल कर लिये गये हैं।
11.	गणेश ऑइल मिल, श्रीगंगानगर	मामला न्यायालय के विचाराधीन है ।
12.	श्री प्रेम सिंह/मोड़ सिंह राजपूत, नीचली ओडन नाथद्वारा (उदयपुर)	3181 रुपये 31 पैसे का चार्जिंग केस बनाया गया, उपभोक्ता द्वारा राशि न जमा कराने पर कनेक्शन काट दिया गया है
13.	मै. मालवीया मिल, बल्लभनगर (उदयपुर)	1031.00 रुपये का चार्जिंग केस बनाया गया जिसकी राशि उपभोक्ता द्वारा जमा करा दी गई है ।
14.	श्री रामनाथ, रामनिवास, नानेर (जयपुर वृत्त)	2176.20 रुपये का चार्जिंग केस बनाया गया जिसके विरुद्ध उपभोक्ता ने न्यायालय में मामला दायर कर दिया । मण्डल ने उपभोक्ता से 1000.00 रुपये न्यायालय के माध्यम से वसूल किये हैं ।
15.	श्री जगदीश प्रसाद नाथूलाल (नानेर जयपुर वृत्त)	1563.30 पैसे का चार्जिंग केस बनाया जिसके विरुद्ध उपभोक्ता ने न्यायालय में मामला दायर किया । मण्डल ने 1000.00 रुपये न्यायालय के माध्यम से वसूल किये ।

185

1	2	3
16.	मै. नावल्टी टूल्स वी. के. आई. ए. (जयपुर)	पुलिस थाने में चोरी का मामला दर्ज करा दिया गया है ।
17.	श्री छोटू लाल पुत्र मेवाराम बैरवा (हाडाकला) जयपुर	चार्जिंग केस बनाकर उपभोक्ता से 36.25 पैसे वसूल किए हैं ।
18.	श्रीराम आइल मिल, विहारीपुरा (जयपुर वृत)	उपभोक्ता से चार्जिंग केस के रूप में 342.00 वसूल किये ।
19.	श्री भंवर लाल केसाराम, रायपुर (पाली)	1000.00 रुपये का चार्जिंग केस बनाया गया जो उपभोक्ता द्वारा जमा करा दिया गया है ।
20.	श्री अर्जन सिंह प्रतापसिंह राजपूत (बागौर), भीलवाड़ा	उपभोक्ता से चार्जिंग केस बनाकर 2063 रुपये वसूल किये गये हैं ।
21.	श्री शान्ति लाल, बागौर, भीलवाड़ा	पुलिस ने प्रथम सूचना दर्ज कराके विद्युत् सम्बन्ध विच्छेद करा दिया गया है तथा आगामी कार्यवाही की जा रही है ।
22.	श्री चिमन लाल राजेन्द्र कुमार, मडुवा, सवाईमाधोपुर	चार्जिंग केस बनाकर उपभोक्ता से 1030.50 पैसे वसूल किये गये । इसके विरुद्ध उपभोक्ता ने न्यायालय में मुकदमा दायर कर रखा है ।

परिशिष्ट—17

अतारांकित प्रश्न संख्या 232 की सूची

मानचित्र चित्तौड़गढ़ जिले के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन स्थिरीकरण के पैण्डिग मामलों का

क्र.सं.	नाम अधिकारी एवं कर्मचारी मय कार्यालय	दिनांक एवं वर्ष जब से मामला पैण्डिग है	मामला पैण्डिग होने का कारण
1	2	3	4
1.	श्री लालसिंह गौड़ शा. प्रशिक्षक राजकीय महा विद्यालय, निम्बाहेड़ा	1-9-76	पूर्व के महाविद्यालय से स्वीकृत नहीं कराये जाने से यह मामला निदेशालय कालेज शिक्षा, राज. जयपुर के पैण्डिग है।
2.	श्री गिरधारीदास, कल्पद, औषधालय सुहागपुरा जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, चित्तौड़गढ़	1-9-76	इनका केस जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, कोटा के अन्तर्गत पैण्डिग चल रहा है।
3.	श्रीमती गीतादेवी धात्री, औषधालय, प्रतापगढ़, जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, चित्तौड़गढ़	1-9-76	इनका केस जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, कोटा के अन्तर्गत पैण्डिग चल रहा है
4.	श्री रामलाल जोशी, कल्पद, औषधालय, सूतखण्डा, जिला आयुर्वेदिक अधिकारी चित्तौड़गढ़	1-9-76	इसकी सर्विस बुक निदेशालय आयुर्वेद विभाग, अजमेर में केस चलने से पैण्डिग है।
5.	श्री नारायणदास, कल्पद, औषधालय, सालमगढ़, जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, चित्तौड़गढ़	1-9-76	इनकी सर्विस बुक निदेशालय आयुर्वेद विभाग, अजमेर में केस चलने से पैण्डिग है।

187

6.	श्री पी. एस. सिरोही, अधिशाषी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, चित्तौड़गढ़	1-9-76	इनका वेतन स्थिरीकरण का मामला मुख्य नहर सी.ए.डी. चम्बल प्रोजेक्ट (दाईं) कोटा के कार्यालय में पैण्डिग है।
7.	श्री रतनसिंह पटवारी, सिंचाई खण्ड, चित्तौड़गढ़	1-9-76	पटवार परीक्षा पास नहीं करने से पूर्व की रोकी गई वेतन वृद्धि दी जाकर वेतन स्थिरीकरण का मामला उच्चाधिकारियों के पास प्रेषित किया जा रहा है।
8.	श्री रामेश्वरप्रसाद त्रिपाठी, भू. पू. प्र. अ. चोरवड़ी वर्तमान व. अ. उ. मा. वि. कपासन, जिला शिक्षा अधिकारी, चित्तौड़गढ़	1-9-76	इनके वेतन स्थिरीकरण का मामला आक्षेप में चल रहा होने से और अब डी.पी.सी. हेतु उप-निदेशक उदयपुर के पास होने से जेरकार है।
9.	श्री मदनलाल जोशी व. अ. उ. मा. वि. गंगरार, जिला शिक्षा अधिकारी, चित्तौड़गढ़	1-9-68 1-9-76	निदेशालय बीकानेर में सेवाभिलेख होने से प्रकरण पैण्डिग है।
10.	श्री भंवरलाल वैरागी, स. अ. उ. मा. वि., राशमी	1-9-76	स्थिरीकरण प्रकरण अनुमोदन हेतु सहायक लेखाधिकारी, उदयपुर के पास भिजवा रखा है।
11.	श्री नेमीचन्द छाजेड़, स. अ. उ. प्रा. वि., रावतभाटा जिला शिक्षा अधिकारी, चित्तौड़गढ़	1-9-68 1-9-76	ई. बी. का प्रकरण को स्वीकृति हेतु उप-निदेशक महोदय, उदयपुर को भिजवाया गया है।
12.	श्री मोहनलाल शर्मा स. अ. उ. मा. वि. बेग, जिला शिक्षा अधिकारी, चित्तौड़गढ़	1-9-76	उ. मा. वि. बेग के पास सेवा प्रमाणिकरण हेतु सेवाभिलेख भिजवा रखा है।

1	2	3	4
13.	श्री विजयसिंह गहलोत, प्र. प्र. उ. प्रा. वि. करजू, जिला शिक्षा अधिकारी, चित्तौड़गढ़	1-9-68 1-9-76	1-9-68 का स्थिरीकरण का प्रकरण विकास अधिकारी पं. स. डूंगला द्वारा कराया जाना शेष है। यह प्रकरण अभी पं. स. डूंगला में जेरकार है।
14.	श्री अम्बिका प्रसाद त्रिपाठी, स. प्र. उ. प्रा. वि. रावतभाटा, जिला शिक्षा अधिकारी, चित्तौड़गढ़	1-9-68 1-9-76	इनके 1-9-68 का वेतन स्थिरीकरण का मामला विकास अधिकारी अरनोद द्वारा अनुमोदित करना है। यह प्रकरण उनके यहां पैण्डिंग है।
15.	श्री मनोहरसिंह राठोड़, स. अ. उ. प्रा. वि., बावलास जिला शिक्षा अधिकारी, चित्तौड़गढ़	1-9-68 1-9-76	इनका प्रकरण विकास अधिकारी, राशमी के यहां 1-9-68 के वेतन स्थिरीकरण का बकाया है।
16.	श्री लक्ष्मीचन्द खत्री, क. लि., अधिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग, खण्ड चित्तौड़गढ़।	1-9-76	टंकण परीक्षा पास नहीं करने से वेतन स्थिरीकरण का मामला जेरकार है।
17.	श्री उमेशचन्द चाष्टा, क. लि., अधिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग खण्ड, चित्तौड़गढ़	1-9-76	,,
18.	श्री रमेशचन्द सालवी, क. लि., जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग खण्ड, चित्तौड़गढ़	1-9-76	,,
19.	श्री घीसूसिंह राठोड़ कनिष्ठ लिपिक वाणिज्यिक कर अधिकारी, चित्तौड़गढ़,	1-9-76	मुख्य लेखा अधिकारी वाणिज्यिक कर. विभाग राज. जयपुर से आक्षेप होने से सेवाभिलेख पुनः दिनांक 4-7-80 को स्थिरीकरण हेतु मामला प्रेषित किया है।

20.	श्री बागदास वाहन, चालक वाणिज्यिक कर अधिकारी, चित्तौड़गढ़	1-9-76	इसका मामला मुख्य लेखाधिकारी वाणिज्यिक कर विभाग राज. जयपुर को दिनांक 4-7-80 को प्रेषित किया गया है। पूर्व में कर्मचारी निलम्बित था और विभागीय कार्यवाही होने से मामला पेंडिंग रहा है।
21.	श्री उमेशकुमार शर्मा, कनिष्ठ लिपिक वाणिज्यिक कर अधिकारी, चित्तौड़गढ़	1-9-76	वाणिज्यिक कर अधिकारी, कोटा द्वारा कर्मचारी का सेवा-भिलेख दिनांक 21-6-80 को इस कार्यालय में प्राप्त होने से मामला पूर्ण कर वेतन स्थिरीकरण हेतु प्रकरण मुख्य लेखाधिकारी वाणिज्यिक कर विभाग राज. जयपुर को दिनांक 4-7-80 को प्रेषित किया जा चुका है।
22.	श्री राधाकिशन, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाणिज्यिककर अधिकारी, चित्तौड़गढ़	1-9-76	राज्य सेवा में प्रार्थी को पुनः लिये जाने एवं राज्य सरकार द्वारा उसके विरुद्ध अपील नहीं किये जाने का निर्णय प्राप्त होने पर निर्देशानुसार वेतन स्थिरीकरण का मामला मुख्य लेखाधिकारी वाणिज्यिक कर विभाग, राज. जयपुर को दिनांक 4-7-80 को प्रेषित किया जा चुका है।
23.	श्री टीकमचन्द, कनिष्ठ लिपिक, मण्डल वन अधिकारी, चित्तौड़गढ़	1-9-76	जी. अधिकारी द्वारा इनकी नियुक्ति अवैधानिक बताई जाकर टंकण परीक्षा नहीं देने से वेतन वृद्धियां जो दी गई वह गलत होने से वेतन वृद्धि की रकम रिकवरी के लिए व टंकण परीक्षा करने का मण्डल वन अधिकारी, भरतपुर को मामला दिनांक 26-7-78 को भेजा गया। तत्पश्चात् कई स्मरण-पत्र भी प्रेषित कर दिये गये लेकिन अभी तक सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(190)

1	2	3	4
24.	श्री चन्दसिंह चूडावत, उप क्षेत्रीय (इन्चार्ज) मृत्यु दिनांक 8-9-78 मण्डल वन अधिकारी, चित्तौड़गढ़	1-9-76	वन मण्डल बीकानेर व बांसवाड़ा व सहकारी समिति, राघगढ़ से इनकी सेवा सत्यापन होने एवं दिनांक 30-1-78 से 8-9-78 तक अवकाश स्वीकृत न होने से पश्चात् वेतन स्थिरीकरण होना शेष है।
25.	श्री जगदीशलाल, वन रक्षक, मण्डल वन अधिकारी, चित्तौड़गढ़	1-9-76	इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है। जिसका निर्णय होने पर अग्रिम कार्यवायी होगी।
26.	श्री ग्यारसीलाल रैगर भू. पूर्व निरीक्षक (कार्यकारी) सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, चितौडगढ़	3-6-74	प्रार्थी ने अपना सेवाभिलेख पूर्ति कराने हेतु सहायक रजिस्ट्रार सवाई माधोपुर के कार्यालय से प्राप्त कर विकास अधिकारी, पं. स. खण्डार में पेश किया। बाद पूर्ति दिनांक 19-6-74 को प्रार्थी ने स्वयं सेवाभिलेख प्राप्त किया। उसके बाद सहायक रजिस्ट्रार, सवाई माधोपुर को प्रस्तुत नहीं किया। इसके बाद रजिस्ट्रार महोदय के आदेश दिनांक 24-11-75 से कर्मचारी को राज्य सेवा से बरखास्त कर दिया गया है।
27.	श्री कृष्णस्वरूप दुधानी, भू. पूर्व निरीक्षक (कार्यकारी)	18-3-78	कर्मचारी का सर्विस रेकार्ड पंचायत समिति सिवाना के कार्यालय से खो जाने के कारण डुप्लीकेट सर्विस रेकार्ड तैयार कराने हेतु प्रयास जारी है।
28.	श्री मानसिंह हाड़ा, भू. पूर्व निरीक्षक (कार्यकारी) सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, चित्तौड़गढ़	30-8-79	रजिस्ट्रार महोदय के कार्यालय से अवकाश सम्बन्धित मामला तय न होने के कारण।

1	2	3	4
29.	श्री हरचरनलाल श्रीवास्तव, पशुधन, सहायक चल पशु चिकित्सा इकाई प्रतापगढ़, जिला पशुपालन अधिकारी, चित्तौड़गढ़	1-9-76	इनका वेतन स्थिरीकरण का मामला पंचायत समिति वर में बकाया चल रहा है। यह इस जिले में दिनांक 27-6-79 को स्थानान्तरण पर आये हैं।
30.	श्री मदनखान, एम. एस. डब्ल्यू. उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (मलेरिया) चित्तौड़गढ़	1-9-76	कर्मचारी उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (मले.) सीकर से इस जिले में दिनांक 18-10-75 को स्थानान्तर होकर आया है। इसका सेवाभिलेख अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है जिसके लिये निदेशक महोदय को कई स्मरण-पत्र प्रेषित किये जा चुके हैं।

हस्ताक्षर
जिलाधीश, चित्तौड़गढ़।

(191)